राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 **सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बाईसवां दिवस** संख्या:13

बुधवार,
24 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल। श्री मनोज कुमार।

नि:शुल्क बिजली देने की योजना

196. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्युत उपभोग चार्ज के अतिरिक्त अन्य शुल्क व करों को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (I) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विद्युत विभाग में राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव का एक रवैया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस राजस्थान में एक करोड़ चार लाख नागरिकों को राजस्थान बिजली बिल माफी योजना के तहत 69 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन से लाभ दे रहे हैं 35 लाख लोग वंचित हैं राजस्थान के। क्या इसी राजस्थान प्रदेश में रहने

वाले लोग एक तरफ तो 69 लाख लोगों को तो आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं और 35 लाख इस राजस्थान के उन लोगों को जो सौ यूनिट से कम खर्च कर रहे हैं उनको आप दे नहीं रहे हैं तो यह जनकल्याकारी सरकार का काम है? तो आप मंत्री महोदय, यह बतायें कि इन 35 लाख लोगों को आप लाभ देना चाहेंगे या इस योजना को बन्द करना चाहते हैं? चालू रखना चाहते है तो 35 लाख लोगों को लाभ दो, अगर बन्द करना चाहते हो तो यह कहो कि बन्द करना चाहते हैं।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल 1 करोड़ 29 लाख 9 हजार 968 उपभोक्ता हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कल भी मैंने कहा था। अभी प्रश्न काल है] अभी पहला शुरू ही हुआ है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जिनमें से वर्तमान में जिन कुल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो आधार से जुड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 98 लाख 23 हजार 314 उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। इनमें कुल अनुदान 5 करोड़ 791 लाख रुपये का दिया जा रहा है जो अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं वो 30 लाख 86 हजार 654 हैं इनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका आधार डबल था, जिनका रजिस्ट्रेशन होना सम्भव नहीं था। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। यह स्कीम पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव नजदीक आने से एमनेस्टी स्कीम के रूप में शायद चालू की थी कि जो रजिस्ट्रेशन करायेगा उन्हीं को लाभ दिया जायेगा। अगर सरकार की मंशा सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की होती तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्ववर्ती सरकार ने जो प्रावधान किया है हमने भी यह कहा था कि हम पूर्ववर्ती सरकार की जो योजना है, चालू की है, उसको हम बन्द नहीं कर रहे हैं यह अभी चालू है और इसको निरन्तर चालू रखा जा रहा है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये यह कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सबको देना चाह रहे थे। आठ महीने से आप आ गये अब उसको कन्टीन्यू कर दो। मेरा तो इतना कहना है। आप कन्टीन्यू करके इन उपभोक्ताओं का, यह गलत सब्जेक्ट है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनका आधार कार्ड के कारण से हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है रजिस्ट्रेशन आप चालू करो आठ महीने हो गये आपको।

श्री अध्यक्षः सुझाव नहीं। प्रश्न।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह सुझाव नहीं है। मैं चालू कराने की बात कर रहा हूं जो मेरी मांग है।

श्री अध्यक्षः हां, पूछो न। उन्होंने जवाब दे दिया, क्या करेंगे। भाषण नहीं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दूसरा, मैं यह कह रहा था फ्यूल सरचार्ज, मैंने इसमें पूछा कि आप कम करने की मंशा रखते हो क्या, लेकिन कम करने की बजाय सरकार की मुझे ऐसी मंशा लग रही है कि वो बढ़ाना चाह रही है इसलिये फ्यूल सरचार्ज के बारे में

उपभोक्ताओं पर भारी भार है। एक महीने के बिल में एक हजार ...

श्री अध्यक्षः यह भाषण नहीं, यह बिजली पर चर्चा नहीं है। प्रश्न पूछें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): भाषण नहीं है, प्रश्न ही पूछ रहा हूं, साहब।

तो क्या एक हजार रुपये से अधिक फ्यूल सरचार्ज लग रहा है इसलिये सरकार उनको कम करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो जवाब दें और जो 35 लाख उपभोक्ता हैं उनको आप क्या लाभ देना चाहते हैं या इस योजना को बन्द करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, हो गया। प्रश्न एक दो लाइन का होता है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फ्यूल सरचार्ज के बारे में पूछा है, ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत उपभोग प्रतिमाह सौ यूनिट से अधिक है और दो सौ यूनिट तक है, उन उपभोक्ताओं को पहले से ही सौ यूनिट सम्बन्धित विद्युत चार्ज, टेरिफ नि:शुल्क दिया जा रहा है। अगले सौ यूनिट तक विद्युत खर्च टेरिफ की राशि भुगतान करनी होगी इसके अतिरिक्त समस्त अन्य शुल्क स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्जेज, सरचार्जेज, विद्युत कर एवं नगरीय कर का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह जो दो सौ यूनिट तक के उपभोक्ता हैं इन पर भी फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। दो सौ यूनिट से ज्यादा के जो उपभोक्ता हैं उन पर फ्यूल सरचार्ज नियमानुसार जो भी हमें उत्पादन की लागत ज्यादा आती है, संयंत्रों का कोई फ्यूल का जो चार्ज बढ़ता है, वेरियेबल चार्ज बढ़ता है और वह जो आता है उसको नियमानुसार वसूल करने का जो नियामक आयोग का आदेश है उसके अनुसार वसूल किया जा रहा है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, दो हो गये। बैठिये। नो। अब विपक्ष के नेता कुछ पूछना चाह रहे हैं। हो गया, आपके कहे अनुसार नहीं होगा। बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है एक प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते। एक कैटेगरी के उपभोक्ताओं को जो छूट मिल रही है उसी कैटेगरी के कुछ उपभोक्ता जिनके आधार में या पुराने समय में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तीस लाख आप बता रहे हैं उनको लाभ नहीं दे रहे हैं और अभी जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको लाभ नहीं दे रहे हैं, सेम कैटेगरी है, तो इनको लाभ देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? बस इतनी सी बात पूछनी है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): देखिये, आपने जो स्कीम चालू की और जो रजिस्ट्रेशन किये और जो आपने भार डाला उसको हम वहन करके चालू कर रहे हैं अभी फिलहाल आगे कोई इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया, जवाब दे दिया, नहीं करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब आ गया। जवाब तो अच्छा दे दिया मंत्री जी ने पर उन उपभोक्ताओं का क्या दोष है जो सेम कैटेगरी के हैं और उनको आप कह रहे हो कि आधों को लाभ देंगे और आधो को नहीं देंगे। यह तो गलत बात है न, अध्यक्ष जी, आप डाइरेक्शन दो सरकार को कि सेम कैटेगरी के सभी उपभोक्ताओं को बराबर लाभ दें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष जो बार-बार सवाल उठा रहे हैं, जब आपकी मंशा अगर सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की थी तो आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों चालू की? आप बिना किसी ऑर्डर के ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप बात सुनिये। आपने यह खामी अपने स्तर पर रखी है। आपने चुनाव नजदीक देख करके कैम्प लगाये। रजिस्ट्रेशन में उन वृद्धों को, उन गरीबों को वहां बुलाया, गर्मी में वो परेशान हुए और रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपने उनको वहां पर लाइनों में लगवाया। घंटों तक लाइन में लगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मंत्री जी, हो गया आपका। अगला प्रश्न। श्री गोपाल शर्मा। माननीय मंत्री जी। हो गया अगला प्रश्न। अब हो गया। इस पर हो गया। नो-नो। कोई अंकित नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नो। जो आपने किया वो ये भी कर रहे हैं। बैठो। आना होगा तो आ जायेंगे, इसकी चिन्ता अभी मत करो। हो गया। जो कहना था, कह दिया। अब आप विराजो। माननीय सदस्य, आपको अनुमति नहीं दी है। माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दीजिये। आप अपना कन्टीन्यू करें।

सिविल लाईन्स, जयपुर में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण

197. श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिविल लाइंस, जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया? तत्समय योजना की लागत कितनी थी तथा अब तक कितना व्यय किया जा चुका है? योजना के पूर्ण होने की अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य निर्धारित दिनांक तक पूर्ण नहीं करने पर संवेदक तथा अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिविल लाईन्स से आने वाले माननीय

विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

(1) सिविल लाईन्स, जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ किया गया है। तत्समय उसकी प्रोजेक्ट लागत राशि रुपये 75.05 करोड़ थी। सम्पूर्ण प्रोजेक्ट पर वर्तमान तक राशि रुपये 24.70 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में प्रोजेक्ट पूर्ण होने की अवधि 15 माह रखी गई है, जिसकी गणना द्वितीय संवेदक को जारी किये गये कार्यादेशानुसार दिनांक 12 मई, 2023 से 11 अगस्त, 2024 तक की जायेगी।

(2) जी हां। निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने पर संवेदक पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है। निर्माण कार्य में विलम्बता के लिए प्रथम संवेदक पर नियमानुसार शास्ति राशि रुपये 3.32 करोड़ आरोपित कर कार्य Withdraw किया गया एवं संवेदक को Debar किया गया। निर्माण कार्य में विलम्बता के लिये द्वितीय संवेदक पर भी नियमानुसार शास्ति राशि रुपये 32.91 लाख लगाई गई है।

Kas/rtm/24.07.2024/11.10/1b

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि यह जो विलंब हुआ है, यह कोटा और जोधपुर के ऊपर ज्यादा कृपा करने के कारण तो नहीं हुआ या कोई लेन-देन का मामला था?

दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह कब तक पूरा हो जायेगा और इसमें अब कोई बाधा नहीं बनेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सिविल लाईन्स जयपुर में जो निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज बनना था, उसमें शुरुआती दौर में बीसलपुर की पाइप लाइन और रेलवे द्वारा समय पर कुछ स्वीकृतियां जारी नहीं होने के कारण विलंब हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ। प्रथम संवेदक ने जो ढिलाई बरती, इसीलिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया और उसका ठेका भी निरस्त कर दिया गया, डिबार भी कर दिया गया। अब चूंकि दूसरे संवेदक को काम दिया गया, उसने शुरूआत में कुछ ढिलाई बरती, उस ढिलाई के पेटे भी उस पर जुर्माना लगाया गया और अब उसे पाबंद कर दिया गया है कि वह तेजी से काम शुरू करे। वैसे अगस्त उसकी आखिरी डेड लाइन है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, दिसम्बर, 2024 से पहले-पहले इस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा। इसके लिये कल ही जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों

को बुलाकर निर्देशित कर दिया गया है कि वह निरन्तर इस पर निगरानी रखेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर तुरंत उसका निराकरण कर दिसम्बर, 2024 से पहले-पहले इसका निर्माण पूर्ण हो, इसकी सुनिश्चितता करेंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। महेन्द्र पाल मीना।

जमवारामगढ़ उप खण्ड में राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि का आवंटन

198. श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के इकोलॉजिकल जोन में आने वाले उपखण्ड जमवारामगढ़ में सभी सरकारी कार्यालयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के भूमि आवंटन से शेष रहे कार्यालयों को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ ईकोलोजिकल जोन में आने वाले उपखण्ड जमवारामगढ में सरकारी कार्यालयों को भूमि आवंटन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त 11 आवेदनों में से 07 आवेदनों में भूमि आवंटित की जा चुकी है, सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। 04 आवेदनों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने/वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को सूचित किया गया है (परिशिष्ट 'ब')।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या-1 के अनुसार शेष 04 आवेदनों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने/वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को सूचित किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप मास्टर प्लान में अनुज्ञेय गतिविधि अनुरूप भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर में संचालित जनजाति खेल छात्रावास

199. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में कितने जनजाति खेल छात्रावास संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खेल छात्रावासों में वर्तमान में किस-किस जिले के कितने-कितने छात्र

अध्ययनरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावासों में गृह जिले के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर जिले में 4 जनजाति खेल छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उदयपुर जिले में संचालित खेल छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र जिस जिले के हैं, का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) उदयपुर जिले में संचालित खेल छात्रावासों में वर्तमान में अधिकांश छात्र उदयपुर जिले के है। छात्रो को खेल छात्रावासों में प्रवेश लेने में जिले की कोई बाध्यता नहीं है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वनवासी, आदिवासी खेल छात्रावास में जो वास्तव में अपना प्रदर्शन बताते हैं और पंचायत लेवल से जिला एवं स्टेट तक तो वे खेल लेते हैं। वहां तक तो वे अपना खर्चा वहन कर लेते हैं, मगर जब स्टेट से बाहर जाते हैं, तो इसके लिये हमारे आदिवासी छात्र-छात्राओं को कोई सुविधा नहीं है। मंत्री महोदय, ऐसे खिलाडी विदेश में भी जाते हैं, उसके लिये क्या आप इनको सुविधा देने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सवाल तो नहीं था, लेकिन आपने यह कहा कि जो जिले से बाहर जाते हैं, अगर वह खेल सरकार के खेलों की सूची में शामिल है, उनको सरकार बाहर जाने के लिये पूरी सुविधा उपलब्ध कराती है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वैसे सुविधा हो नहीं रही है, इसलिए मैंने पूछा था। मंत्री महोदय, यह सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने आग्रह किया है। अभी एक छात्रा विदेश में जा रही थी, उसको मैंने आपके पास भी भेजा था। अध्यक्ष महोदय, मैंने कलेक्टर साहब को इतना कहा था कि हमारी बालिकाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, एक-एक, दो-दो लाख का खर्चा वह वहन नहीं कर सकती हैं, अगर मेरे कोटे से भी होता हो तो आप इनको परमिशन दो, मगर विधायक फंड का पैसा इसमें हो नहीं रहा था। इसलिए आप इसको दिखवाना।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैंने पहले अपने भाषण में भी कहा था कि 2021 में जो हमारा छात्रावास सेंक्शन हो गया था, वह भूमि के अभाव में अभी भी पेंडिंग है। मंत्री महोदय, क्या आप उसको चालू करवा कर बच्चों को सुविधा देने का विचार रखते हैं?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, 7 बालिकाएं थीं, उसमें जनजाति की भी थीं, अनुसूचित जाति की भी थीं

और जनरल की भी थीं, तो जनजाति विभाग से पैसा देना संभव नहीं था। आपकी पीड़ा सही है। लेक्रोस खेल केन्द्रीय खेलों की सूची में सम्मिलित नहीं था, इसलिए केन्द्र भी मदद नहीं कर पा रहा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी पहल की कि मैं एमएलए कोटे का पैसा दूंगा। मेरे से वे बालिकाएं मिली थीं और मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि अगर हम इसमें मदद नहीं कर पाते हैं, चूंकि बच्चियां बाहर विदेश में खेलने जायेंगी और हमारे भारत का गौरव बढ़ायेंगी, इसलिए मैंने कहा कि सीएसआर का पैसा आप इनको देकर इनकी मदद कीजिए। बाद में मैंने कमिश्नर को कह कर सीएसआर से 10 लाख रुपये उनको देकर विदेश भेजा और विदेश जाकर एशियार्ड खेल में वह रजत पदक लेकर आई।

दूसरा, आपने कहा खेल छात्रावास का काम पूरा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इस खेल छात्रावास की स्वीकृति 275 में केन्द्रीय सहायता से हमें 2022 में मिली थी। यह लोग काम करना नहीं चाहते थे। हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ी वहां जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, यह लोग इसे करना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस काम को शुरू नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, उस समय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर क्रीडा परिषद को आवंटित खेल ग्राम परिसर की भूमि उक्त छात्रावास के निर्माण के लिये 5000 वर्ग मीटर भूमि की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन सचिव राजस्थान क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा महाराणा प्रताप खेल गांव में प्रस्तावित जनजाति बालिका खेल छात्रावास के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य आगे किये जाने का आग्रह किया।

msk/rtm/24.07.2024/11.20/1c

अध्यक्ष महोदय जी, इससे यह मामला रुक गया। अभी हमने इस भूमि को आवंटन के लिए कलेक्टर को कहकर, इस भूमि का जल्दी करके इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम।

सूरतगढ़ में ऐटा सिंगरासर माइनर का निर्माण

200. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 1 जनवरी, 2019 के पश्चात सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये तथा उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐटा सिंगरासर माइनर का आईजीएनपी नहर में पानी का निर्धारण कर निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नये माइनरों का निर्माण व अन्य कार्य

कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात जल संसाधन द्वारा करवाये गये कार्यों एवं इन पर व्यय की गई राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा कराये गये कार्यों एवं इन पर व्यय की गई राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) इ.गा.न.प. परियोजना में जल की उपलब्धता एवं तकनीकी आंकडों के अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 2 कृषक प्रतिनिधि सम्मिलित थे, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जल उपलब्धता से इ.गा.न.प. परियोजना के सीमित किये गये 16.17 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है व किसी भी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है। अतः ऐटा सिंगरासर माइनर का निर्माण वर्तमान में अधिशेष जल अनुपलब्धता के मद्देनजर प्रस्तावित नहीं है।

(3) सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नई माइनर का निर्माण वर्तमान में अधिशेष जल अनुपलब्धता के मध्यनजर प्रस्तावित नहीं है ।

अन्य कार्यों के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण आदि से संबंधित कार्य करवाये गये/जा रहे हैं। कार्यों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है ।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐटा सिंगरासर माइनर के लिए आपने 5 सदस्यीय कमेटी बनायी। उसके बाद 12 जून, 2016 को ऐटा सिंगरासर किसान संघर्ष समिति की वार्ता सूरतगढ़ थर्मल में, शिखर अग्रवाल जी, उस टाइम के शासन सचिव, संभागीय आयुक्त के साथ किसानों की वार्ता हुई। उस वार्ता में यह कहा गया कि आज के बाद पानी की उपलब्धता होगी, उससे यदि अधिकार होगा तो प्रथम अधिकार ऐटा सिंगरासर माइनर के क्षेत्र के लोगों का होगा। उस वार्ता का क्या हुआ? क्या इसके बाद आईजीएनपी का पानी, आपने अब तक किसी भी जगह, किसी को दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो कहां दिया है और फिर एटा सिंगरासर माइनर को क्यों नहीं दिया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ क्षेत्र के काश्तकारों की मांग के मद्देनजर राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में लगभग 1966 हेक्टेयर हेतु राशि 22 करोड़ रुपये की लागत से ऐटा सिंगरासर नहर निर्माण की घोषणा की गयी थी, जिसके अन्तर्गत डीपीआर का कार्य मैसर्स वेपकोर्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, को आवंटित किया गया था। वेपकोर्स द्वारा ऐटा सिंगरासर माइनर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी गयी थी, जिसके अनुसार कुल क्षेत्र 40 हेक्टेयर

था, जिसमें से लगभग 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित योग्य आंकलित किया गया था, परन्तु कंपनी के द्वारा पानी की उपलब्धता का कोई आकलन नहीं किया गया था। राज्य सरकार के आदेश 25.04.2016 द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की उपलब्धता एवं तकनीकी आंकड़ों का परीक्षण कर अध्ययन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री एस.के. गुप्ता, विशेषज्ञ राजस्थान रिवर बेसिन एवं प्रोजेक्ट अथोरिटी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति, जिसमें दो कृषक, दो प्रतिनिधि सम्मिलित थे, किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में..

श्री अध्यक्षः आप जितना प्रश्न पूछा है, उतना ही उत्तर दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर्ची क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्षः यह मेरा काम है। माननीय सदस्य, आप तीसरी बार उठे हैं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): यह उत्तर तो आपने दे दिया। मैं यह कह रहा हूं कि 12 जून 2016 को जो वार्ता हुई, उस वार्ता के बाद आपने यह कहा कि पानी की उपलब्धता के बाद सबसे पहला अधिकार ऐटा सिंगरासर माइनर का होगा तो क्या आपने उसके बाद आईजीएनपी का पानी किसी को भी दिया है। यदि दिया है तो कहां दिया है और यदि और जगह दिया है तो फिर ऐटा सिंगरासर माइनर को क्यों नहीं दिया? बात तो यह है।

श्री अध्यक्षः इसी का उत्तर दें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान उपलब्ध जल द्वारा इंदिरा गांधी नहर के परियोजना के सीमित किये गये 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा यह भी अनुशंषा की गयी कि पंजाब से 0.60 एम पानी वापिस प्राप्त..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, यह तो पढ़ चुके, जो पूरक है, उसका जवाब दें।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मेरे पास यह तो जवाब है। 2016 के बाद आपने किसी को पानी दिया या नहीं दिया?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि इसके अलावा किसी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है। मैं आपको यही तो कह रहा है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या 2016 के बाद नहीं दिया?

श्री अध्यक्षः हो गया, अगला प्रश्न, श्री अर्जुल लाल जीनगर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये स्पेसिफिक को पूछ रहे हैं कि आपने पानी दिया या नहीं दिया। यदि दिया तो कहां दिया? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जवाब आ गया, कह दिया कि नहीं दिया। आप यही तो पूछ रहे हैं कि दिया या नहीं दिया। इन्होंने कहा कि नहीं दिया। विषय खत्म। इन्होंने बताया है कि और किसी को देना संभव नहीं है।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सही उत्तर नहीं दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः गलत है तो आप लिखकर दें दे कि गलत उत्तर आ गया। कार्यवाही करेंगे, मैं दिखवाऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री, जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यही हो रहा है, जो होता रहा है। आप बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन लाल जीनगर।

राशमी उपखण्ड मुख्यालय में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

201. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) प्रदेश में उपखण्ड मुख्यालयों पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय राशमी में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कार्य/पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यकतानुसार विभागीय सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने का निर्णय किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन के अंतर्गत पंचायत समिति भोपालसागर, कपासन व राशमी के समस्त 278 ग्राम एवं भदेसर पंचायत समिति के 71 ग्रामों सहित कुल 349 ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त कार्य क्षेत्र विभाग के 3 सहायक अभियंता, कार्यालयों (कपासन, भोपालसागर एवं भदेसर) के अंतर्गत विभाजित हैं। सहायक अभियंता कपासन कार्यालय के अंतर्गत कपासन व राशमी के 195 ग्राम हैं, जिसके लिए 2 कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय कपासन व राशमी है, जिनके अंतर्गत क्रमशः 108 एवं 87 ग्राम सम्मिलित हैं।

वर्तमान व्यवस्था के तहत राशमी उप खण्ड क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों की पेयजल व्यवस्था विभाग के वर्तमान में कार्यरत उप खण्डों द्वारा संधारित की जा रही है। वर्तमान में राशमी मुख्यालय पर नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पूछा था कि सहायक कार्यालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं? आपने कुछ भी नहीं बताया। आवश्यकता बता दें। मेरा एक निवेदन था। ...(व्यवधान)... आपको भी मैंने कई बार कहा, आपके भी पीएचईडी मंत्री थे, मैंने खूब कहा था।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सरकार ऐसे मानदंड के अनुसार 195 गांवों में एक सहायक अभियंता, 71 गांवों में एक सहायक अभियंता, 87 गांवों में एक अभियंता और

295 गावों में भी एक अभियंता। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार उप खण्ड मुख्यालय हैं, उनमें से बदेसर, कपासन और भोपालसागर में सब जगह ए.ईएन. आफिस है और राशमी के अन्दर लगभग 87 गांव और 20 ढाणियां हैं। वहां पर सहायक अभियंता कार्यालय नहीं है। मेरा आग्रह है कि आप आज ही घोषणा करें कि पेयजल व्यवस्था को सुचारु करने लिए सहायक अभियन्ता कार्यालय राशमी के अन्दर खोला जायेगा, मेरा यह आग्रह है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि किसी भी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख के आसपास पोपूलेशन होती है, वहां पर एवरेज लगभग दो सहायक अभियंता कार्यालय हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में ऑलरेडी तीन सहायक अभियंता कार्यालय हैं। फिर भी माननीय सदस्य सहायक अभियंता कार्यालय चाहते हैं तो इसके लिए मैं दुबारा सर्वे कराऊंगा। अगर किसी कार्यालय के अन्दर गांव ज्यादा हैं, किसी में कम हैं तो इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं दुबारा सर्वे कराकर, सर्वे के बाद 100 परसेंट करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा में स्वीकृत रीको औद्यागिक क्षेत्र

202. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में रीको क्षेत्र कहां-कहां व कब से स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत रीको में कहां-कहां भूखण्ड आवंटन कर दिये गये हैं तथा कहां-कहां, कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों के आवंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु भूखण्ड आरक्षित रखे गये हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां? सरकार उक्त का कब तक आवंटन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नवीन रीको क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में रीको द्वारा ग्राम झाक, मुरकासनी व रणसी की कुल 64.61 हेक्टेयर राजकीय भूमि का संयुक्त आवंटन किया गया था। उक्त ग्रामों की संयुक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र झाक, प्रथम चरण की स्थापना हेतु 29.53 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न आकार के कुल 163 भूखण्डों का नियोजन दिनांक 05.03.2024 से स्वीकृत है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण में नियोजित भूखण्डों का आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित भूखण्डों विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र झाक में कुल नियोजित 163 भूखण्डों में से नियमानुसार 10

भूखण्ड एससी/एसटी श्रेणी के उद्यमियों के लिए आरक्षित किये गये हैं। आरक्षित भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त औद्योगिक क्षेत्र को भूखण्ड आवंटन हेतु खोले जाने बाबत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की तहसील बिलाड़ा के ग्राम कापरड़ा में 137-06 बीघा (22.2151 हेक्टेयर) राजकीय भूमि चिह्नित की गई थी, जो कि परीक्षणाधीन है एवं जिसके उपयुक्त होने की स्थिति में राजकीय भूमि का आवंटन करवाया जाकर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

mdp/rtm/24.07.2024/11:30/1d

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने प्लाट में रिजर्वेशन जो दिया है, भूखण्डों में, 163 थे और उसमें 10 प्लाट रिजर्व किये हैं, इसका क्या नीति नियम, क्या आधार रखा गया है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहूंगा कि बिलकुल नीति के अनुसार दस प्रतिशत, माफ कीजिए 6 प्रतिशत आरक्षित क्षेत्र एससी/एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये जो झाक, मुरकासनी व रणसी का एरिया है, इसके अन्दर 29 हैक्टेयर है, जहां 163 भूखण्ड हैं, उसमें 6 प्रतिशत के हिसाब से 10 भूखण्ड आरक्षित हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मेरा दूसरा सवाल है कि आपने बताया था कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कापरडा सेज क्षेत्र है। 2009 में इसको सेज घोषित किया गया था। उस समय खूब सारी भूमियां व पट्टे वहां रियायती दर पर दे दिये गये थे, लेकिन 15 साल के बाद भी आज तक उन प्लाट्स में एक दीवार भी नहीं बनायी गयी है। वह प्लाट वैसे के वैसे पड़े हैं और आगे पता नहीं, नेशनल हाईवे उसके दोनों तरफ गुजरने के बाद उनकी रेट बढ़ गयी है। जो एक रुपये स्क्वायर फीट में पट्टा लिया गया था, एक करोड़ रुपये फीट पर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसके लिए जो इकाइयां या औद्योगिक क्षेत्र उस सेज के लिए आरक्षित भूमि थी, क्या उसको निरस्त करना चाहते हैं या कोई ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अर्जुन जी को मैं बतलाना चाहूंगा आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: अर्जुन जी दो हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसी पर। दोनों पास-पास बैठे हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): जी उसी पर बोल रहा हूं। जिस ग्राम कापरड़ा की बात कर रहे हैं, वहां पर जो आबादी क्षेत्र है, वह तकरीबन 500 मीटर है, आपको ज्ञात होगा और 500 मीटर के अन्दर आबादी इतनी है कि सड़क की चौड़ाई बहुत कम है। आज ही मैंने

अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर एक बार फिर विचार किया जाए। अगर यह क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, यहां पर उद्योग लगने चाहिए तो हमें एक इंडिपेंडेंट सड़क यहां पर लानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट सड़क लाने के लिए हमको जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। हम दोनों चीजें करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके कदम उठाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रुपिन्द्र सिंह।

श्री गुरु गोविंद सिंह कन्या महाविद्यालय, करणपुर के विरुद्ध शिकायतें

203. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय, करणपुर जिला श्रीगंगानगर की वर्ष 2015 में डिग्री व वर्ष 2018 में बीएड महाविद्यालय की गलत दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय के नाम पंजीकृत भूमि का पंजीयन उप पंजीयक, करणपुर द्वारा जांच में गलत पाया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा अब तक उक्त की मान्यता रद्द नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय की मान्यता रद्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) श्री गुरू गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय करणपुर (श्रीगंगानगर) को विभाग के आदेश दिनांक 21.3.2016 द्वारा सत्र 2015-16 से स्थाई मान्यता दी गई। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री गुरू गोविंद सिंह खालसा शिक्षण संस्था (बी.एड) करणपुर (श्रीगंगानगर) के भूमि-भवन तथा महाविद्यालय से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों का भौतिक निरीक्षण एवं जांच कर एनसीटीई, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2018-19 से संस्था को मान्यता दी गई, तत्पश्चात एनसीटीई के मान्यता आदेश के आधार पर विभाग द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से एनओसी जारी की गई है।(परिशिष्ट-2)

तहसीलदार (राजस्व) एवं उप पंजीयक श्री करणपुर ने संस्था को दानपत्र से प्राप्त भूमि फर्जी प्रतीत होना बताया है। (परिशिष्ट-03)

(2) तहसीलदार (राजस्व) एवं उप-पंजीयक श्री करणपुर की निष्कर्ष रिपोर्ट के अनुसार संस्था को दानपत्र से प्राप्त उक्त भूमि दस्तावेज संस्था के हक में पंजीबद्ध नहीं पाया गया है एवं उक्त भूमि दानपत्र फर्जी प्रतीत होना बताया है (परिशिष्ट-03)।

विभाग द्वारा संस्था की चार बार (दिनांक 20.09.2022, 28.08.2023, 05.07.2024 एवं 11.07.2024) जांच करवायी गई। जांच के पश्चात संस्था को दो बार निजी महाविद्यालय नीति नियमानुसार नियम-7 का नोटिस दिया गया। विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर करवायी

गयी जांचों एवं रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 22.7.2024 (परिशिष्ट-04) द्वारा श्री गुरू गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय करणपुर (श्रीगंगानगर) की मान्यता क्रमिक रूप से निरस्त की जा चुकी है।

(3) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.7.2024 (परिशिष्ट-04) द्वारा श्री गुरू गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय करणपुर (श्रीगंगानगर) की मान्यता क्रमिक रूप से निरस्त की जा चुकी है।

श्री गुरू गोविंद सिंह खालसा शिक्षण संस्था (बी.एड) करणपुर (श्रीगंगानगर) को नियम-07 का नोटिस दिनांक 22.7.2024 जारी कर दिया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। दो पूरक प्रश्न हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय, करणपुर और श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा शिक्षण संस्था (बी.एड.) कॉलेज, करणपुर, आपने अपनी जांच में यह माना है कि श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कन्या महाविद्यालय और बी.एड. कॉलेज ने फर्जी कागज लगाकर, फर्जी दान पत्र, जमा बंदी लगाकर मान्यता प्राप्त की है। आपने महाविद्यालय की तो मान्यता रद्द कर दी है, बी.एड. कॉलेज की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मंत्री जी भी मानते हैं कि फर्जी कागज लगाकर मान्यता प्राप्त की है। सन 2022 में तहसीलदार करणपुर ने पुलिस थाना करणपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे का नंबर 159/22, पुलिस ने मिलीभगत से उस पर एफ.आर. लगा दी। जब विभाग मान रहा है कि फर्जी कागज है तो पुलिस ने एफ.आर. कैसे लगा दी? क्या सरकार दोबारा जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, इसकी जांच जब कांग्रेस सरकार थी, तब दो बार कार्यवाही की लेकिन ये डिसिजन नहीं कर पाए थे। जब हमारे पास जांच आयी तो इस कॉलेज की मान्यता रद्द करके जो बी.एड. कॉलेज थी, उस बी.एड. कॉलेज को हमने नोटिस देकर, आपने तो पहले नोटिस दिया था, उसको नोटिस दे दिया और तहसीलदार के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी, उस पर एफ.आर. लगा दी। मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि उसके बाद में कमेटी बनायी और कमेटी में फर्जी दस्तावेज पाये गये हैं, जिसके आधार पर ये मान्यता रद्द की गयी है। आप कह रहे हैं उन अधिकारियों पर कार्यवाही, निश्चित रूप से जो मिलीभगत करके जिन्होंने यह एफ.आर. लगायी है, दोबारा उस पर जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ताराचंद जैन।

उदयपुर में अभियंताओं के रिक्त पद

204. श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार गुडली, उदयपुर में स्वीकृत 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) जिला उदयपुर में कितने सहायक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद स्वीकृत है तथा कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन भी मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) जी हां। उदयपुर जिले में प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन उदयपुर हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.05.2022 को जारी की गई है। वर्तमान में उक्त जीएसएस की क्रियान्विति हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) जिला उदयपुर में सहायक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

उक्त रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक/सीधी भर्ती आयोजित कर शीघ्र भरा जाना अपेक्षित है।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन आपकी आज्ञा से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 400 केवी जीएसएस का काम कब चालू होगा? क्योंकि कार्य प्रारम्भ होने से तीन वर्ष में जीएसएस का संचालन हो पायेगा। अतः समय सीमा बताइए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि जिस 400 केवी के जीएसएस का उदयपुर में निर्माण होना था, उसके निर्माण के लिए 27/05/2022 में वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। वह प्रक्रियाधीन है। उसमें रेगुलेटरी टैरिफ मेकेनिज्म (आरटीएम) के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 250 करोड़ रुपये की सीमा से ज्यादा का अगर कोई जीएसएस है तो उसको नियामक आयोग में प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में मंजूरी नहीं दी गयी थी। वर्तमान में उस जीएसएस की क्रियान्विति हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जब तक निर्माण होगा, लगभग इसमें ढ़ाई से तीन वर्ष का निर्माण कार्य में समय लगता है। इसका निर्माण हो उसके पहले भी उदयपुर को लाभ मिले, इसके लिए उदयपुर में 220 का जो जीएसएस है देबारी, वहां पर जिन लाइनों की ओवरलोडिंग की समस्या रहती है, उसे निदान के लिए 132 जीएसएस नाथद्वारा को 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नत कर 2025 तक स्थापित किया जाना लक्षित है, जिससे 220 केवी देबारी ओवरलोडिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी और उदयपुर की समस्या का भी अल्पावधि में निदान हो जायेगा। ढ़ाई से तीन वर्ष के अन्दर 400 केवी के उदयपुर के जीएसएस को हम पूरा करने की प्रक्रिया करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका द्वारा व्यय राशि

205. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका का गठन होने पर प्रारंभिक रूप से संचालन करने हेतु राशि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो अब तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि?

(2) उक्त राशि व्यय करने हेतु नगर पालिका मंडल के समस्त प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि व्यय करने हेतु क्रय एवं निगरानी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्राप्त राशि का व्यय निविदा प्रक्रिया से किया गया है तथा क्या सरकार को उक्त नगर पालिका की कार्यप्रणाली एवं अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। मारवाड जंक्शन नगर पालिका का नव गठन होने की दिनांक से आज दिनांक तक पालिका को प्रारंभिक रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न मदों में राशि का आवंटन किया गया। आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

वित्तीय वर्ष	15वां वित्त आयोग	षष्टम राज्य वित्त आयोग	चुंगी पुनःभरण	निजी स्त्रोत
2022-23	141.11	289.39	15.67	43.43
2023-24	140.19	165.60	45.93	47.01
कुल	281.30	454.99	61.60	90.44

(2) नगर पालिका मारवाड जंक्शन द्वारा उक्त राशि को व्यय करने हेतु नगर पालिका मण्डल में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है।

विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.02.2015 द्वारा नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी को 1.00 लाख एवं नगर पालिका अध्यक्ष को 25.00 लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रदत्त अधिकार के तहत कार्य संपादित किए हैं।

(3) जी नहीं। नगर पालिका मारवाड जंक्शन नवगठित नगरीय निकाय होने के कारण पालिका में समितियों का गठन नहीं किया गया है।

(4) जी हां। नगर पालिका मारवाड जंक्शन की कार्यप्रणाली एवं अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत दोषी अधिकारी/कार्मिक तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जवाब आ गया है, मंत्री महोदय। मैं तो एक यही

प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः वैसे अच्छा है। सदस्यों से मेरा आग्रह है कि उत्तर आ जाता है, यदि पहले से ही वे कह दें कि उत्तर आ गया है तो पूरक प्रश्नों से अपने अधिक प्रश्न सदन में आ सकते हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नगर पालिका मंडल में बिना प्रस्ताव लिए कोई भी कार्य किया जा सकता है क्या? मैं निवेदन करता हूं कि 8 करोड़ 88 लाख 33 हजार रुपये नगर पालिका को कुल भेजे। उनमें से कई कार्य बिना प्रस्ताव लिये किये गये हैं। ऐसे कार्य किये जा सकते हैं क्या?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बिना अनुमति के काम नहीं होने चाहिए। इस प्रकरण में इनकी शिकायत के आधार पर जांच करवायी गयी और जांच में मारवाड़ जंक्शन में दोषी लोक सेवक अध्यक्ष, नगर पालिका को जारी स्पष्टीकरण नोटिस के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 10961/2024 दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश पर रोक है। इसमें माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई की तिथि 25 जुलाई, 2024 नियत है। हमने विभागीय अधिवक्ता को पाबंद किया है कि वह प्रभावी पैरवी कर इस स्थगन आदेश को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी निरस्त करवाए। स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद पूरे प्रकरण की दोबारा से जांच करवा कर जो भी दोषी होगा, विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा सीधा-सा प्रश्न है कि कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, आपने जवाब में दिया है। क्या बिना प्रस्ताव लिए नगर पालिका रुपये खर्च कर सकती है? नगर पालिका में 25 लाख रुपये से ज्यादा का कोई काम हुआ है या नहीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

Ans/rtm 11.40 1e 24.07.2024

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में 25 लाख से भी ऊपर के कुछ काम हुए हैं, जिनकी सूची मैं माननीय विधायक महोदय को अभी उपलब्ध करवा दूंगा।

जैसा कि मैंने निवेदन किया, कर्मचारियों के खिलाफ हमने 17 सीसी के नोटिस जारी कर दिए हैं। उनके स्पष्टीकरण का विधिक परीक्षण करने के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी। लोक सेवक अध्यक्ष है, उसका न्यायालय में स्थगन आदेश है, उस स्थगन आदेश को हम यथा संभव, जितना जल्दी होगा, हमारे अधिवक्ता से प्रभावी पैरवी करवाकर, निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे और जैसे ही न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त होगा, उसके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री शत्रुधन गौतम।

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास भूमि का आवंटन

206. श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में अलवर ज़िले में सरिस्का अभ्यारण्य के आस-पास नदी व नालों के क्षेत्रों में काश्तकारों एवं अन्य को भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी तथा किस-किस को व किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): अध्यक्ष महोदय, विगत 5 वर्षों में अलवर ज़िले में सरिस्का अभ्यारण्य के आस-पास नदी व नालों में राजगढ में काश्तकारों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत कुल 803 प्रकरणों में कुल 487.8926 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है, एवं अन्य को आवंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उसमें कुल प्रकरण 110 और क्षेत्रफल 91.26 हैक्टेयर है। प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर पर, उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु राजस्व ग्रुप थर्ड, विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक 8 अगस्त, 2022 में वर्णित प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, शिक्षा विभाग में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने 15 मई, 2023 को..

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो पांच लाइनों का है, आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): पढ़ लिया न उत्तर।

श्री अध्यक्ष: पहले पूरक प्रश्न आने दो।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में ऐसी क्या मजबूरी थी कि 803 प्रकरण, कुल 487 हैक्टेयर भूमि, करीब 2 हजार बीघा जमीन आवंटित करनी पड़ी। सरिस्का अभ्यारण्य के आस-पास, नदी नालों के आस-पास, ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की इच्छा रखती है?

जो सदन में मर्यादाओं की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम जमीन आवंटित हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): प्रश्न पर ही बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पर ही बोल रहा हूं। या तो यूआइटी अलवर का यह गलत तथ्य है, या तो इनका नाम हटाया जाए कि +++ को अतिक्रमी माना गया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं, नाम नहीं। नाम को एक्सपंज कर दो। ...(व्यवधान)...

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। नाम को एक्सपंज करा दिया। बैठिए, ना। एक्सपंज करा दिया

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): जांच कराई जाए। मैं तथ्य से बोल रहा हूं। डोटासरा जी, तथ्य से बोल रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नाम नहीं। नाम नहीं। ...(व्यवधान)... नाम हटा दिया।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): सरकार ऐसे तथ्यों की जांच करने की इच्छा रखती है क्या?

श्री अध्यक्षः नाम हटा दिया। बैठो। नाम हटा दिया।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): यह लीजिए ना आप ...(व्यवधान)... टेबल करता हूं। 487 हैक्टयर नदी नालों के आस पास, सरकार जांच कमेटी बनाकर निरस्त की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः नाम हटा दिया।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): निरस्त की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री विकास चौधरी। बैठिए। विकास चौधरी। अगला प्रश्न। ...(व्यवधान)...

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): प्रश्न संख्या 31

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान)... हो गया।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब दिलवाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): प्रश्न संख्या 31

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री +++ है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कोई नहीं है। यह शब्द निकाल दो। कोई +++ नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): प्रश्न संख्या 31.

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी का प्रश्न है।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): जवाब दिलवाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। स्वायत्त शासन का प्रश्न। ...(व्यवधान)... आप इधर ध्यान दो। हो गया।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): प्रश्न संख्या 31 ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ नहीं आती ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह +++ शब्द हटा दो। माननीय विपक्ष के नेता, यह +++ शब्द नहीं चलेगा। यह असंसदीय है। यह असंसदीय है, विराजो। अगला प्रश्न है। ...(व्यवधान)... दोनों को ही नहीं बोलना चाहिए। आप भी बोले कि +++ आनी चाहिए, यह शब्द ठीक नहीं है। इसको निकाल दो। उत्तर आने दीजिए। अपनी सीटों पर बैठिए। अपनी सीटों पर जाए।

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 11 जुलाई 2024)

गुंदोलाव व हमीर सागर तालाब (किशनगढ) को स्वच्छ रखने की कार्ययोजना

31. श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर की विभिन्न झीलों व मछली पालन वाले तालाबों की स्वच्छता हेतु

सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित है? सरकार द्वारा उक्त तालाबों में जल-कुंभी के निवारण हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा नगर परिषद क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित गुंदोलाव झील (तालाब) की स्वच्छता तथा मृत मछलियों से बीमारियों के खतरे के संबंध में क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गुंदोलाव तालाब व हमीर सागर तालाब में प्रदूषित पानी को स्वच्छ रखने के प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) राज्य में झीलों का विकास और संरक्षण करने हेतु राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 लागू है, जिनकी प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठो, बैठो। मंत्री का उत्तर सुनिये। ...(व्यवधान)... मंत्री जी का उत्तर सुनो। आपके मंत्री उत्तर दे रहे हैं। अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। ...(व्यवधान)... बैठिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जिला अजमेर की विभिन्न झीलों व मछली पालन वाले तालाबों की स्वच्छता एवं जल-कुंभी की समस्या के निवारण हेतु ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माननीय संजय जी ...(व्यवधान)... मंत्री उत्तर दे रहे हैं, बीच में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। इधर भी आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)... आप भी बैठो। यह मेरा काम है। आपको वहां से चलकर यहां आने की क्या जरूरत है। अपनी सीट पर रहिए। आप अपना उत्तर दो। ...(व्यवधान)... कौन बोल रहा है?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जिला प्रशासन द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में नगरीय निकायों द्वारा अपने व्यय पर झीलों/तालाबों की साफ-सफाई के साथ-साथ जलकुंभी निकाले जाने का कार्य किया जाता है।

(2) नगर परिषद क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित गुंदोलाव झील (तालाब) की सफाई एवं सभी घरेलू गंदे नालों को आपस में जोडते हुए, गंदे पानी को साफ करने के लिए एसटीपी/वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हेतु डीपीआर तैयार करवाने का कार्यादेश जारी किया गया है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा समय-समय पर झील की स्वच्छता, झील के पानी में आक्सीजन की मात्रा बढाने हेतु दिनांक 25.03.2023 से 15.04.2024 तक की अवधि में 5 दफा चूना-डली के कट्टे डलवाये गये हैं, दिनांक 24.03.2023 से 07.07.2024 तक की अवधि में 4 दफा मृत मछलियों को परिषद के सफाई कर्मचारियों के माध्यम से बाहर निकलवाया गया है एवं बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए तालाब के किनारे एवं आसपास के नालों में दिनांक 24.03.2023 से

05.04.2024 तक की अवधि में 2 दफा डीडीटी पाउडर का छिडकाव करवाया जाता है। वर्तमान में उक्त तालाबों में कोई मृत मछलियां नहीं हैं।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष: पहले पूरा उत्तर आ जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ गया। पूरक पूछ ले।

श्री अध्यक्ष: अब तो शुरू हो गया। वे कहें तो सही, जवाब आ गया। अब तो जवाब शुरू हो गया। पूरा जवाब आ जाए। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): (3) जी हां। गुन्दोलाव तालाब व हमीर सागर तालाब में जो गन्दे नाले आ रहे हैं, उन सभी नालों को आपस में जोडते हुए इन गन्दे नालों के पानी को साफ करने के लिये पृथक-पृथक एसटीपी/वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाये जाने हेतु डीपीआर तैयार कराने के लिये गुन्दोलाव तालाब हेतु राशि 27.49 लाख एवं हमीर सागर तालाब हेतु राशि 22.51 लाख के कार्यादेश दिनांक 18.07.2024 को जारी किए जा चुके हैं। कार्यादेश का विवरण बिन्दु संख्या 02 के परिशिष्ट ''ब'' में अंकित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न लगाने के बाद आनन-फानन में नगर परिषद ने वहां सफाई का काम शुरू किया। आज तक वहां सफाई नहीं हुई। मेरा पूरक प्रश्न है, क्या सरकार गुन्दोलाव झील व हमीर सागर तालाब संरक्षित रखने का विचार रखती है, यदि हां तो सदन को अवगत कराए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): एक और, साथ ही हो जाए। सरकार तालाबों की नियमित साफ सफाई के लिए राज्य स्तर पर एक्शन प्लान बनाकर जलीय पर्यावरण को स्वच्छ रखने की मंशा रखती है, यदि हां तो सदन को अवगत कराए।

VPS-RTM-24.07.2024-11.50-1f

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में झीलों के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान झील विकास प्राधिकरण 25.01.2015 से गठित है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। आप उनका उत्तर दीजिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): वह ही दे रहा हूं।

जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय झील समिति भी इस प्रयोजनार्थ अधिकृत है। अब इस झील को संरक्षित झील घोषित करने के लिए हम जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के मार्फत प्रस्ताव मंगवाकर इसको संरक्षित घोषित करने का कार्य आने वाले समय में निश्चित रूप से करेंगे।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है मंत्रीजी से कि इसको आप अमृत-II में ले लें, ताकि इस सरोवर की, हमारे तालाब की साफ, सफाई और खुदाई हो सके, यह मेरा निवेदन है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्ताव आने के बाद राज्य स्तरीय समिति में एक माह में निर्णय करके इसको संरक्षित झील घोषित कर दिया जायेगा।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मंत्रीजी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर के किसानों को नि:शुल्क कृषि उपकरण

207. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से डूंगरपुर में किसानों को नि:शुल्क फव्वारा सेट, मिनी स्प्रिंकलर एवं मिनी ड्रिप संयंत्र तथा कृषि उपकरण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी संबंधी कार्य संबंधित विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाते हैं। वर्तमान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में गरीब आदिवासी किसानों को नि:शुल्क फव्वारा सेट,मिनी स्प्रिंकलर,मिनी ड्रिप संयंत्र तथा कृषि उपकरण देने हेतु अतिरिक्त अनुदान संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

कार्यकारी विभाग के स्तर से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं उपादेयता के आधार पर अतिरिक्त अनुदान देने हेतु विचार किया जा सकता है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ गया, मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जनजाति क्षेत्र में आप फव्वारा सेट, ड्रिप सेट नि:शुल्क देना चाहते हैं या नहीं? आपने यह कहा कि प्रस्ताव नहीं आया है तो आप प्रस्ताव मांगें। आपके विभाग से मांगें। प्रस्ताव नहीं आया है तो आप प्रस्ताव मांगें।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि बजट की उपलब्धता पर यह अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा तो आपकी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, अब बजट की कमी कहां पर रही है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। बजट का अभाव है? 1500 करोड़ रुपये

दिये है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के लिए, वहां पर पहाड़ी एरिया है, सिंचाई के लिए आप नि:शुल्क देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। भाषण नहीं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, आपकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है?

श्री अध्यक्ष: हां, यह पूछो। माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपके पास में प्रस्ताव नहीं आये तो मैं आपकी कुछ पोल खोल दूं? पहले वह कर दूं और उसके बाद में बाकी बात करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मंत्रीजी, आप तो उत्तर दें, पोल क्या खोलेंगे? उत्तर दें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिए। आप बैठिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हो तो उत्तर कैसे आयेगा?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में इनकी कोई प्रगति नहीं है, कुछ भी नहीं किया, जीरो है। 2022-23 में 80 में से 24 और प्रगति है जीरो और 2023-24 में अब हम आये हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिए। उत्तर तो सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे वह ही उत्तर आयेगा। उत्तर तो इनका सुनना पड़ेगा। बिलकुल उत्तर तो सुनना पड़ेगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। आप सुनते तो हो नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, ऐसे कई विभागों को बजट देता है और वे विभाग अपनी योजनाओं में उस पैसे को खर्च करते हैं। अब आप सुनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति के लिए ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): टाइम पास करना है।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न बाद में है इसीलिए बोल रहे हो बारबार? वह नम्बर से ही आयेगा। आपका भी प्रश्न आयेगा पर वह नम्बर से आयेगा। अभी आप सुनिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप सुनें। सिंचाई पाइप लाइन का कार्य कृषि विभाग के माध्यम से करवाया जाता है, इसका 60 परसेंट पैसा कृषि विभाग देता है और 30 परसेंट जनजाति विभाग देता है और 10 परसेंट राशि किसान को वहन करनी

पड़ती है। दूसरा कुसुम-'सी' योजना जो हमारी लाइट की योजना है, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 60 परसेंट तो उद्यानिकी विभाग वहन करता है और 45 हजार रुपये अनुदान के रूप में विभाग देता है और किसान का कुछ भी नहीं लगता है। माननीय सदस्य, मैं इसलिए आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप प्रस्ताव भिजवाइये, हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मेरी ओर इंगित करके बोलिये। सीधा न बोलें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपने कुछ नहीं किया पर हम तो उसको पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव भिजवाएंगे तो हम पूरा करेंगे, आपके जैसा काम हम नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हो गया? अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा।

केशोरायपाटन क्षेत्र के गांवों में ई.आर.सी.पी. योजना

208. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कौन-कौन से गांव ई.आर.सी.पी. योजना से लाभान्वित होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नैनवा उपखण्ड व इन्द्रगढ तहसील के शेष गांवों को भी ई.आर.सी.पी. योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) ई.आर.सी.पी. के संशोधित प्रारूप, संशोधित पार्वती कालीसिंध लिंक (पीकेसी-ईआरसीपी एकीकृत) से लाभान्वित होने वाले 13 जिलों (नवगठित 21 जिलों) में बूंदी जिला भी सम्मिलित है। बूंदी जिले में लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का निर्धारण राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा परियोजना की तैयार की जा रही डी.पी.आर. के अनुसार होगा। अत: केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के लाभान्वित क्षेत्र का विवरण डी.पी.आर. प्राप्ति उपरांत ही उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित/संभव होगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मेरे पास आ गया है तो मैं सीधा ही मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि ई.आर.सी.पी. योजना के अंतर्गत बूंदी में कितने बांध बनाये जाएंगे तथा विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कितने और कौन-कौन से गांवों में भूमि सिंचित की जायेगी और कौन-कौन से गांवों में पानी के लिए सुविधा दी जायेगी, आप यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि जैसा कि हमने लिखित में भी दिया है कि हम इसकी एक विस्तृत डी.पी.आर. बना रहे हैं और विस्तृत डी.पी.आर. बनने के बाद ही इसका वास्तविक आकलन हो पायेगा, क्योंकि आपका जो विधान सभा क्षेत्र है वह उन 13 जिलों में सम्मिलित है, निश्चित रूप से आपका क्षेत्र जुड़ेगा, लेकिन इसमें कौन-कौनसा क्षेत्र जुड़ेगा, यह विस्तृत डी.पी.आर. बनने के बाद ही हम बता पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे नैनवा क्षेत्र के जो डार्क जोन में इलाके आते हैं, नैनवा और इन्द्रगढ़ क्या उन गांवों में आप सिंचाई की व्यवस्था तो कितने परसेंट करेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था कितने परसेंट करेंगे, यह बताने का कष्ट करें और केन्द्र सरकार ने आपको ई.आर.सी.पी. का कितना बजट दिया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह सब विस्तृत डी.पी.आर. बनेगी उसके बाद ही हम आपको एग्जेक्ट फिगर बता पाएंगे।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): केन्द्र सरकार का कल जो बजट आया उसमें आपको ई.आर.सी.पी. के लिए कितना बजट दिया है?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): आप चिंता मत करो, सब मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री यूनुस खान। अगला प्रश्न पुकार लिया, आप बैठिये। बैठिये माननीय सदस्य, आपका हो गया।

नागौर व डीडवाना-कुचामन में संचालित नहरी पेयजल योजना

209. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जिला नागौर, डीडवाना-कुचामन में नहरी पेयजल की योजना वर्तमान में संचालित है? यदि हां, तो योजना की लागत, पानी की मात्रा, लाभान्वित क्षेत्र, कार्यकारी एजेन्सी तथा निविदा की शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): जिला नागौर व डीडवाना-कुचामन को नहरी जल उपलब्ध करवाने हेतु नागौर लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत 2 चरणों में स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रथम चरण की संशोधित स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की बैठक संख्या 197 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा राशि रुपये 1194.03 करोड़ जारी की गई। स्वीकृति के अंतर्गत नागौर जिले के 494 गांवों एवं 5 कस्बों (नागौर, बासनी, मेड़ता, मुण्डवा एवं कुचेरा) को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था, उक्त कार्य 04 पैकेजों में विभक्त कर समस्त कार्य दिनांक

07.10.2022 को पूर्ण किये गये।

नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण (राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं फ्लोराईड निराकरण परियोजना) की स्वीकृति विभाग की नीति निर्धारण समिति की दिनांक 24.08.2012 को आयोजित 188वीं बैठक में राशि रुपये 2938.00 करोड़ की जारी की गई। स्वीकृति के अंतर्गत नागौर जिले के 986 गांवों एवं 7 कस्बों (परबतसर, मकराना, डीडवाना, डेगाना, लाडनूं, कुचामन व नावां) को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था, उक्त कार्य 09 पैकेजों में विभक्त कर समस्त कार्य दिनांक 28.09.2021 को पूर्ण किये गये। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मेरे पास आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप प्रश्न पूछिये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी परियोजना है और मेरे पास जो जवाब आया है, एक क्वेश्चन तो मैंने किया था जनवरी में उसका जवाब भी इसी से सम्बन्धित था, वह भी मेरे हाथ में है और जो रात को एक बजे मुझे जवाब मिला, वह भी मेरे हाथ में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले भी आपके माध्यम से आग्रह था, मैंने इसमें जो पूछा है उसका उत्तर इन्होंने पूरा नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया, वह तो ये बताएंगे। मैंने लास्ट पूछा है कि निविदा की शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। इसका जवाब आप खुद ही देख लें। मेरे को एक तो एनक्सर दिया है और एक यह पेज दिया है, इसका जवाब नहीं दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैंने 1351 नम्बर का एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब भी मेरे हाथ में है यह दोनों कंट्राडिक्टरी है। मैंने पहले तो खाली डीडवाना विधान सभा क्षेत्र का ही पूछा था और फिर अबकी बार मैंने इसको घूमाकर नागौर जिला प्लस डीडवाना-कुचामन जिला का पूछा है तो मेरा यह आग्रह है कि ये इसको क्यों छुपाना चाहते हैं? यह 2006 में ही जब वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, तब प्रारम्भ कर दी और इन्होंने इसका जो मेरे को जवाब दिया है, वह अलग-अलग तारीखों का दिया है तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अभी अधूरा जवाब है, मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। मंत्रीजी से मेरा यह आग्रह है कि पूरा जवाब दे दें और इसके दो उदाहरण तो मैं आज लाया हूं, वैसे तो सारे ही लाया हूं, जो हाउस में बोला, मैं सारे ही लाया हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुन लें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): लेकिन मेरा यह आग्रह है कि उत्तर तो पूरा दिलाये फिर उसके बाद बहस करेंगे नहीं तो क्या बहस करेंगे?

श्री अध्यक्ष: तो क्या मैं अगला प्रश्न बोलूं? अगला प्रश्न, आप कह रहे हो तो श्री जुबेर खान। आप बोल रहे हैं? एक मिनट आप रुकिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो योजना 2016 में भी हुई है और 2003 में स्टार्ट हुई थी और हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी राजे ने नागौर के लिए पानी की योजना बनाई थी, राजस्थान कैनाल से लेने के लिए। अगर मैं इनके कामों की लिस्ट की बात करूं तो इनके कामों की लिस्ट मैंने इनको दी है। इनमें अलग-अलग कांट्रेक्टर का नाम भी दिया है। इनके एग्रीमेंट के अन्दर आपको यह लगता है कि कहीं न कहीं कोई इस एग्रीमेंट में कंडिशन में कोई गलती है या कोई गलत चीज है या किसी ने कोई बेईमानी की है तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे को उसका नाम बता दें, हंड्रेड परसेंट उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जो भी अधिकारी दोषी होगा उसको सस्पेंड करेंगे। कहीं आपको लगता है तो मुझे बतायें, क्योंकि यह टोटल अगर आपको गिनाऊं तो यह मैसर्स प्रतिभा कंस्ट्रक्शन, इसको आर्डर मिला था 15.01.2007 को, मैसर्स रामकी की मिला था 26.05.2011 को, ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो हो गया। हमारा भी प्रश्न है आगे।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह आप बताएंगे क्या? वे पूछ रहे हैं इसलिए मैं उनको जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दें। यह रिकार्ड पर आने दो न। आप जो चाहे वह तो रिकार्ड पर आ जाये और मंत्रीजी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड पर नहीं आये, यह तो नहीं हो सकता। रिकार्ड पर बात आनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको लगता है कि इसमें कोई तथ्य छिपाये हैं, आपको यह लगता है कि किसी ने टेंडर डाक्यूमेंट में गड़बड़ की है तो आप हमें बताइये, हम हंड्रेड परसेंट उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से कि निविदा की शर्तें मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि ...(व्यवधान)...

SSY/RTM/24.07.2024/12:00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की नगर पालिका मुण्डावर का परिसीमन कर सीमावर्ती गांवों को नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती गीता बरवड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बीमा कंपनी

द्वारा बिना किसी आधार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पॉलीसियों को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रामनिवास गावडिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पूर्ववर्ती सरकार की उप जिला अस्पताल एवं ट्रोमा सेंटर की घोषणा के संबंध में।

(4) श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलूवाला में अग्निशमन वाहन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के स्टेट हाईवे संख्या 20 के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में एम.जे.एम. कोर्ट के लिए स्थान आवंटित किए जाने के संबंध में।

(7) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों के हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतगनढ़ के कतिपय रास्ते राजस्व रिकार्ड में कटाणी दर्ज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव में शिक्षकों के रिक्त पदों से शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2024 को रात्रि में ट्रेन को पटरी से उतारने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भूमाफियाओं द्वारा चरागाह, सिवाय चक तथा श्मशान भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभ दीर्घावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जुबेर

खान, श्री गणेश घोगरा, श्रीमती इन्द्रा एवं श्री चन्द्रभान सिंह चौहान को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारा तो लिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। व्यवस्था है, नहीं आयेगा। स्थगन के लिए योग्य नहीं है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर की कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से नसीराबाद कन्टोनमेन्ट बोर्ड से सिविल क्षेत्र को अलग किए जाने के संबंध में।

(3) श्री रोहित बोहरा, सदस्य की ओर विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों के स्वीकृत पदों को भरे जाने के संबंध में।

(4) श्री कुलदीप, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में राजसेस के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों को राजकीय करने के संबंध में।

(5) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के सम्पन्न होने के उपरान्त प्रश्न डिलीट किये जाने से अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(6) डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज बाडमेर में रिक्त पदों पर कार्मिकों का पदस्थापन करने के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच किये जाने के संबंध में।

(7) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से बून्दी स्थित मीरा साहब दरगाह के स्वीकृत कार्यों की कार्यकारी एजेंसी बदलकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में।

(8) सुश्री नौक्षम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां की तहसील पहाड़ी के कस्बा कैथवाड़ा स्थित गुहली पोखर के जल निकास मार्ग पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण के संबंध में।

(9) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में।

(10) श्री अतुल भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नाना लाल निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से सलूम्बर जिले की झल्लारा तहसील की नव

सृजित ग्राम पंचायत का नाम निंबोदा से बदलकर पुनः लिम्बोदा लिखे जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में प्रस्तावित बाँधों एवं परियोजनाओं से पेयजल एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था करवाये जाने के संबंध में।

(15) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मिठोडा गांव में हुई पूर्व सरपंच श्री आम सिंह राजपूत की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 24.07.2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 45 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	पर्ची संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	6	श्री गोविन्द प्रसाद	प्रदेश में संचालित गोशालाओं में गौ संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रतिदिन अनुदान व गोवंश को समुचित संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा।
2.	26	श्री लालाराम बैरवा	विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में वन्य जीव काले हिरण (कृष्ण मृग) के संरक्षण के सम्बन्ध में।
3.	37	श्री अमृतलाल मीणा	सराड़ा को खण्ड बनाकर विभिन्न विभागों के कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।
4.	10	श्री ताराचन्द	विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत विस्तार के कार्य को एलएनटी कंपनी से जल्द पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा।

श्री जुबेर खान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं पर रोक

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनने के बाद में 22.12.2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त ने एक लेटर जारी किया कि अनेकों योजनाएं जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, जिनमें 2023-24 के बजट में राज्य सरकार के स्तर से जो अनुमोदन हो गये थे और जिलों में भेज दिये गये थे, स्वीकृति करने के लिए और काम चलाने के लिए, उन पर रोक लगा दी गयी है। रोक में यह लिखा कि सभी प्रशासनिक विभाग पूर्व में जारी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ऐसी स्वीकृतियां विभागीय मंत्री गण, माननीय मुख्य मंत्री महोदय के संज्ञान में लायेंगे तथा

सक्षम स्वीकृति निर्देश प्राप्त होने पर कार्य उपार्जन की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत जिले आते हैं। आपके जिले का भी कुछ हिस्सा आता है। इसमें मगरा योजना है, जिसमें ब्यावर आता है, पाली आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, भीलवाड़ा आता है और राजसमंद आता है। 2023-24 का 20 करोड़ रुपया अनयूज्ड पडा हुआ है। डांग योजना है जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, भरतपुर और धौलपुर हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस एरिये में सभी माननीय विधायक बिना किसी, इस तरह से थोड़े ही आ सकते हैं। कोई इधर से जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): डायस के ऊपर चढ़ गये, देखो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: यह क्या है? यहां पर क्यों आयेगा? आपको वहां से बात करनी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सेक्रेटरी महोदय, आप यहां कैसे अलाऊ कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: यहां नहीं किसी को।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अलाउ नहीं कर रहे हैं। यह तो आप ही आये हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, यहां से कोई बात कहनी है तो कह दो। हां, बोलिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): करौली, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर का हिस्सा आता है। इसमें भी लगभग 40 करोड़ का जो आवंटन था। 20 करोड़ रुपया अनयूज्ड पडा है। मेवात में भी भरतपुर का हिस्सा आता है। डीग का आता है। अलवर का आता है। खैरथल-तिजारा का आता है। इसमें 10 करोड़ रुपये का जो अनुमोदन राज्य सरकार ने कर दिया, वह जिलों में अनयूज्ड पडा है। काम शुरू नहीं हो रहा है। नवाचार योजना जो कलेक्टर के पास होती है, कहीं इमरजेंसी में लगाने के लिए, कंटीनजेंसी में लगाने की जरूरत पड़े, उसमें भी रोक लगा रखी है। माडा जो योजना है एसटी के लिए, उस पर भी रोक लगा रखी है।

Spp/Rtm/24.07.2024/12:10/1h

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मंत्रीजी को अधिकृत किया है कि मंत्रीजी लिखकर भेजें कि यह काम जरूरी है ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको करे। रूरल डवलपमेंट ने अपना सारा काम कर दिया है। अब फाइनेंस को करना है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। बजट दर बजट, तारीफ कर रहे हैं बजट आ रहा है। पिछला बजट तो यूज कराइये। इतना पैसा पडा हुआ है पिछले बजट का, वह इस्तेमाल कर नहीं रहे और इस साल सभी योजनाओं में आपने

10-10 करोड़ रुपये बढ़ाकर बजट आवंटन किया है। यह बजट कब खत्म होगा? अध्यक्षजी, आप सरकार को निर्देशित करें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सर्कुलर को विथ-ड्रा करें ताकि काम हो सके।

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आप गया, बिराजें। श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा
ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ..(व्यवधान).. माननीय मंत्रीजी, मैंने कल भी कहा था जीरो ऑवर के बाद दो-दो, तीन-तीन आकर बैठोगे तो मंत्री क्या सुनेंगे और क्या काम करेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप रोजाना कह रहे हो, लेकिन ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपको भी कह रहा हूं कि आप मत उठो। ...(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरी आपसे प्रार्थना है जो शिक्षा दे रहे हैं..(व्यवधान)..

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलो। आप अपना भाषण बोलो।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिले की बात करना चाहूंगा। 21.07.2024 को गुजरात असारवा से डूंगरपुर होते हुए जयपुर ट्रेन आ रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने कोटाणा के आसपास 16 एम.एम. के सरिये डालकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अप्रिय घटना होने की आशंका थी, उसमें लूटमार, डकैती, हत्या कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? यह डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? यह भजन लाल जी की सरकार क्या कर रही है? आये दिन डूंगरपुर जिला पहले ही अशांत एरिया था। 5-6 साल से वहां पर लूट, दंगे, मारपीट होती रहती है। कोई 8.00 के बाद निकल नहीं सकता है, ऐसी स्थिति हो गयी है। चार दिन पहले की बात है, उस महिला के पीछे आठ-दस नकाबपोश दौड़े, वह महिला अपनी जान बचाकर पहाड़ी के पीछे जंगल में छुपी। मुश्किल से एक बजे फोन किया फिर उसके घरवाले आये और उसको लेकर गये। लेकिन रामसर का थानेदार कहता है कि मेरे एरिये में नहीं है, कोतवाली थानेदार कहता है कि मेरे एरिये में नहीं है। वहां अशांति फैली हुई है। डूंगरपुर जिले में इस बात को जल्द से जल्द शांत किया जाये और जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा मीणा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): आप बैठ जायें, बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, सीधे संवाद नहीं करें। आप मत कहो, मैं कह दूंगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): इनको बाहर करो।

श्री अध्यक्ष: पहले मैं आपको करूंगा, फिर उनको भी करूंगा। क्या बात कर रहे हो?..(व्यवधान)... बैठिये माननीय सदस्य, नहीं। ...(व्यवधान)..

बामवास में भूमाफियाओं द्वारा चरागाह, सिवाय चक तथा श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि जिस तरीके से बौंली नगरपालिका में चरागाह भूमि पर वहां के स्थानीय प्रधान के द्वारा मॉडल स्कूल के सामने जो बेशकीमती जमीन है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। आज तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उसको नहीं हटाया गया है। उसी प्रकार रवासा गांव उसी के बगल में आता है। वहां पर आगे कॉलेज बना हुआ है, उस कॉलेज के आगे, जोकि एक भाई ADM हैं, एक भाई उनका अशोक राजौरा, जोकि अभियोजन अधिकारी है कोर्ट गुमानपुरा कोटा के अन्दर और एक भाई टीचर है, इन तीनों ने चार-पांच बीघा जमीन, जोकि कॉलेज के सामने पड़ती है और बेशकीमती जमीन है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। वहां के गांव वालों ने कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, लेकन वह नहीं हटाते हैं। इसी प्रकार राठौर, नीमोद, कराडी ऐसे गांव हैं, जिनके अन्दर काफी सारी भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस तरह के अतिक्रमणों को हटाकर लोगों को राहत दी जाये और सरकारी भूमि सरकार की है और चरागाह भूमि गोचर के लिये उपलब्ध हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ बजरी का जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, पुलिस और बजरी माफियाओं की मिलीभगत के होते हुए, आप सबको बताना चाहूंगी कि आज ही सवाई माधोपुर के अन्दर SDM ने 150 ट्रोलियां पकड़ीं और पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। इसी प्रकार मेरे बौंली के अन्दर भी ऐसे प्रकरण हुए जिनके अन्दर पुलिस नहीं पहुंची और अधिकारियों को पिटवा दिया। गांव वालों को भी पीटने के लिये माफिया मजबूर हो जाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह लैटर देखिये, इसके अन्दर फोटो स्पष्ट दिख रहा है पुलिस द्वारा ट्रकों से अपनी वसूली करते हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह और लैटर है, लोकेशन सहित सारे के सारे लैटर हैं। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपका विषय बजरी नहीं है। आपका विषय है भूमाफियाओं, चरागाह, सिवाय चक व श्मशान पर अतिक्रमण है। आप अतिक्रमण पर बात करो।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो दिया है, उसके नीचे लाइन लिखी हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप अतिक्रमण पर चर्चा करो। अतिक्रमण के अलावा नहीं बोलें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैंने जो कल दिया है, उसी के अन्दर यह भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस और बजरी वालों की मिलीभगत से इस तरीके से वह थाने के बाहर से भी निकल रहे हैं तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अतिक्रमण और बजरी माफिया सक्रिय हैं, उन पर कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्षः श्री चन्द्रभान जी। ..(व्यवधान)..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप बैठिये, आपको अभी अनुमति नहीं है। आप बैठिये। आपका नाम सचेतक महोदय की सूची में आयेगा तो आपको भी बुलवाऊंगा। ..;(व्यवधान).. यह विषय आज का नहीं है आपका, आप बैठिये। आप बोलिये।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को
विलम्बित सेवानिवृत्ति परिलाभ

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने नियम 50 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों की जो हालत खराब है, उसको सरकार को संज्ञान में लेने की जरूरत है। उनको डेढ़ साल से वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, बोनस नहीं मिल रहा, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, ओवरटाइम नहीं मिल रहा, पी.एफ. नहीं मिल रहा और वास्तव में फिर अपन कहते हैं कि रोडवेज के कर्मचारी कहीं न कहीं कुछ चोरी-चकारी करते हैं, कुछ और करते हैं। उनके भी बच्चे हैं, फैमिली है अगर डेढ़-डेढ़ साल से परिलाभ व वेतन नहीं मिलेगा तो उन कर्मचारियों की क्या हालत होगी, यह सरकार को देखने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सभी परिलाभ सेवा में रहते हुए तथा सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले परिलाभ बकाया हैं, क्या सरकार इन परिलाभों को देने की कोशिश करेगी? रोडवेज की खुद की हालत बहुत खराब है। रोडवेज की बसें बन्द हो चुकी हैं और रोडवेज बस स्टेण्डों की हालत बहुत ही खस्ताहाल में है। इसलिये जिन लोगों की पेंशन बाकी है, ग्रेच्युटी बाकी है या जिन कर्मचारियों को वह परिलाभी नहीं मिले हैं, क्योंकि यह कर्मचारी काफी धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन दे चुके हैं और सरकार को बार-बार संज्ञान में लाने के लिये इन कर्मचारियों ने काफी प्रयत्न किया है, क्योंकि सरकारें कभी आती हैं, कभी जाती हैं पर कभी भी किसी भी सरकार ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी बातों को संज्ञान में लेने हुए इनको पूरे परिलाभ दिलायें और सरकार खुद रोडवेज की हैल्प करे और इनको पैसा दिलायें। सरकार इस बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्षः आप बिराजें। 295, श्री अनिल कुमार शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
सरदारशहर की कतिपय मिसिंग लिंग सड़कों का निर्माण

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी अत्यधिक है। यहां पर मिसिंग लिंक सड़कों की नितान्त आवश्यकता है। मिसिंग लिंक सड़कों के अभाव में ग्रामवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ज्यादा दूरी तय करके जाना पड़ता है जिससे समय व धन की बर्बादी हो रही है। ये सब छोटी-छोटी दूरियों के गांव

हैं। सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है:-

कल्याणपुरा पुरोहितान से दुलरासर, कानड़वास से राजास, ढाणी पांचेरा से फोगों भरतरी, अजीतसर से देराजसर, मेहरी राजवियान से कोहिणा (सरदारशहर सीमा तक), नाहरसरा से रंगाईसर, मालसर से भानीपुरा, कीकासर से कंवलासर, पाटमदेसर से पनपालिया, घड़सीसर (मूलाराम की ढाणी) से अमरसर, मीतासर से गोमटिया/बंधनाऊ, घड़सीसर से कंवलासर, राजलवाड़ा से पाटमदेसर, मालासर (रतनगढ़) से आसलसर, अजीतसर से कांगड़, राजासर पंवारान से सोनपालसर, पुलूसर से करणसर, जयसंगसर स्टैण्ड से ढाणी पांचेरा, गिड़गिचिया से हरियासर घड़सोलान, बनियासर से नैणासर सुमेरियां, पाटमदेसर से अमरसर, ढाणी राणासर पंवारान से जैलसीसर, राजास/बलाल से भालेरी, पातलीसर बड़ा से मोमासर (सरदारशहर सीमा तक), हंसासर से हामूसर, गोलसर से गोगासर।

अतः मैं नियम 295 के तहत आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मंत्रीजी से उपरोक्त स्थानों पर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण करवाये जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

MLS/RTM/24.07.2024/12:20/1j

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

नसीराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से सिविल क्षेत्र का पृथक्करण

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद का नसीराबाद शहर, जो रक्षा मंत्रालय की छावनी परिषद के अधीन आता है, के नसीराबाद नगरपालिका में विलय की कार्यवाही चल रही है, जिसमें नसीराबाद कैंटोनमेन्ट बोर्ड से सिविल क्षेत्र को अलग किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2024 को रक्षा सचिव महोदय द्वारा वीसी बैठक का आयोजन किया गया।

उस बैठक के कार्यवाही विवरण के सन्दर्भ में नसीराबाद कैंटनमेंट बोर्ड से सिविल क्षेत्र को अलग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित सम्भावनाओं के क्रम में लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 8 द्वारा अवगत करवाया गया है कि छावनी परिषद नसीराबाद के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र में निवासरत आमजन के मकानों/भू-खण्डों का स्वामित्व भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) के अधीन रहेगा। नगरपालिका नसीराबाद के पास सिर्फ म्यूनिसिपल कवरेज रहेगा। ऐसे में यह एक टूटी-फूटी आधी-अधूरी नगरपालिका रह जायेगी और लोगों की समस्याएं पूर्व की भांति ही रहेंगी। उन्हें कोई भी ऋण नहीं मिलेगा और न ही भूमि नियमित होगी। ऐसी स्थिति से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। अत: आप तभी नगरपालिका करें जब टाइटल राइट भी राज्य सरकार के पास रहें ताकि हम एक सम्पूर्ण नगरपालिका का संचालन कर सकें।

इसी क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप तभी नगरपालिका में विलय करें जब बी-4 श्रेणी

की भूमि, जो 100-200 वर्षों से कृषि के रूप में यहां के रहवासियों द्वारा उपयोग की जा रही है, को भी शामिल किया जाये। इस सम्बन्ध में यहां की जनता ने आपत्ति भी डाली थी, परन्तु रक्षा मंत्रालय द्वारा उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। यह यहां की जनता के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी।

रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, वह भी वैधानिक नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं नहीं दर्शाया गया है कि नसीराबाद की जमीन बिना टाइटल राइट्स के राज्य सरकार को देंगे। इस तरह से रक्षा विभाग अपनी मनमानी न करे और देश के नागरिकों के साथ यह भेदभाव की नीति न अपनाये। इस तरह की नगरपालिका, जिसमें भूमि के अधिकार रक्षा सम्पदा अधिकारी, जोधपुर के पास रहेंगे, वहां अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऐसे निर्णय से यह कच्ची-पक्की नगरपालिका रह जायेगी। इससे अच्छा तो यहां के निवासियों के लिए नसीराबाद छांवनी बोर्ड ही सही रहेगा।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में नसीराबाद की आम जनता को ऐसी परेशानियों से बचाने के लिये अधिसूचित नागरिक क्षेत्र का सम्पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार के अधीन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रोहित बौहरा।

राजाखेड़ा में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों के रिक्त पद

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, स्पीकार साहब। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र, राजाखेड़ा (धौलपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनियां, मुरैना एवं उप जिला चिकित्सालय, राजाखेड़ा में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों के पदों को पूर्णतया नहीं भरने के कारण आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय यह भी है कि चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण रात्रि काल में रैफरल एवं अन्य रोगी जैसे- प्रसूती, घायल मरीज, हृदय रोग के मरीज इत्यादि को कार्मिकों की कमी के कारण समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्णित चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों के स्वीकृत पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः श्री कुलदीप धनखड़ (अनुपस्थित)।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, आपने डिमांडों पर याद दिलाने के लिए कहा था।

श्री अध्यक्षः हां, अलग से मेरे चैम्बर में दिलवाएं।

श्री मनीष यादव।

भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पश्चात् प्रश्नों का विलोपन

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया। महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पिछले कई वर्षों से आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही भर्तियों में पूछे जा रहे प्रश्न परीक्षा सम्पन्न होने के बाद बड़ी संख्या में डिलीट कर दिए जाते है।

श्री अध्यक्षः यह किधर से जा रहे हैं। माननीय, पीछे से जाएं। वापस लौटें। इधर से जाकर वापस जाएं। माननीय सदस्य, बीच वैल में नहीं आते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिये, आप तो मुझसे वरिष्ठ हैं।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): डिलीट किए जाने का कारण रहता है कि परीक्षा में पूछा गया अमुक प्रश्न सही नहीं था। इसका एक उदाहरण तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हाल ही में सम्पन्न करवायी गयी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा, 2023 के सम्बन्ध देख सकते हैं। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी, 2024 को किया गया था, जिसका परिणाम 27 जून, 2024 को बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इस परीक्षा के एक तथ्य के बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस परीक्षा के 23 प्रश्न बोर्ड द्वारा इसलिए निरस्त कर दिये गये कि अमुक प्रश्नों में त्रुटि थी, जबकि पेपर विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार करवाये जाते हैं। उसके बावजूद किसी एक परीक्षा से इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का डिलीट होना योग्य प्रतिभागियों के साथ अन्याय है। जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में एक-एक अंक के फेरबदल से पूरी मैरिट बदल जाती है, वहां इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का डिलीट कर दिया जाना बहुत ही शोचनीय विषय है।

इसी क्रम में मैं सदन का को अवगत कराना चाहूंगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाई कोर्ट में पिछले तीन साल का रिकॉर्ड पेश किया गया। पिछले तीन साल में राज्य कर्मचारी बोर्ड की ओर से 78 भर्ती परीक्षाएं ली गईं। इन परीक्षाओं में 10,204 प्रश्न पूछे गये। प्रतियोगिता परीक्षा होने के बाद बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी (आंसर की) जारी की जाती है। गत तीन वर्षों में बोर्ड ने अपनी आंसर की में 163 सवालों के जवाब बदले हैं और 215 सवालों को डिलीट किया है। डिलीट किये गये प्रश्न 2.10 फीसदी हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि पेपर बनाने वाले सब्जैक्ट एक्सपर्ट्स प्रश्न पत्र को कतई गम्भीरता से नहीं लेते हैं, जबकि हमें सोचना चाहिये कि परीक्षा में पूछा गया एक-एक प्रश्न किसी युवा के बेहतर भविष्य का द्वार खोलता है, इसलिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इस प्रकार की लापरवाही, योग्य प्रतिभागियों में भर्ती परीक्षाओं के प्रति अरुचि पैदा कर रही है, इसलिए हमें इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए कुछ मानक तय करने पड़ेंगे ताकि प्रश्नों के डिलीट होने से लाखों बेरोजगार युवाओं को कोर्ट कचहरी में न्याय के लिए गुहार ना लगानी पड़े। वहीं दूसरी ओर, इस लापरवाही के कारण ही भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं और नयी भर्ती प्रक्रिया पर संकट आ जाता है।

अतः मेरा आग्रह है कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न डिलीट होने वाली इस लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए योग्य प्रतिभागियों के हित में प्रभावी और सार्थक कदम उठाया जाये।

श्री अध्यक्षः डॉ. प्रियंका चौधरी।

इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में रिक्त पदों पर पदस्थापन व वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सीमावर्ती एवं मरू स्थलीय जिला बाड़मेर में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज 2018 में बीकानेर एवं फिर 2021 में एमबीएम कॉलेज, जोधपुर का संघटक कॉलेज बनाया गया। कॉलेज में बोर्ड ऑफ गवर्नेस से स्वीकृत पदों पर अस्थायी तौर पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ लगाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इस क्षेत्र की होनहार युवा प्रतिभाएं विकट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों एवं मुख्य रूप से शिक्षकों के अभाव की विकट समस्याओं से गुजर कर शिक्षार्जन करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, बाड़मेर की स्थिति यह है कि प्रशासक से लगाकर प्रशिक्षण देने वाले एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ 80 प्रतिशत अयोग्य भर्ति किये गये हैं और उनमें भी 80 प्रतिशत कार्मिक कॉलेज नहीं आते और घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। प्राचार्य जैसे जिम्मेदार पद पर भी स्थायी नियुक्ति न हो, प्राध्यापकों के अभाव में कक्षाएं नहीं लगें, किसी भी विषय के प्रायोगिक लैब नहीं होते हों, प्रयोगिक उपकरण उपयोग में नहीं लेने के कारण उन पर धूल जमकर कबाड़ बन गये हों, ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के विद्यार्थियों के लिए इस भयंकर प्रतिस्पर्धा के युग में इंजीनियर बनकर रोजगार प्राप्त करना काफी मुश्किल है।

यह अन्याय विगत 6 वर्षों से इस कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। उनको मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधनों के नाम पर छला गया है, जिसके लिए तत्कालीन स्थानीय जन प्रतिनिधि, जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन पूर्ण रूप में जिम्मेदार हैं, क्योंकि कॉलेज में लगे हुए ज्यादातर स्टाफ में तत्कालीन विधायक के निजी सहायक स्वयं तथा प्रिन्सिपल, प्रशासनिक पद पर रहे अधिकारियों एवं तत्कालीन विधायक के निजी सहायक के स्वजन हैं।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में रिक्त पदों पर स्थायी कार्मिकों का पदस्थापन किया जाये, साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति (जिसमें लेखा सेवा एवं भर्ती प्रक्रिया एवं नियमों के विशेषज्ञ हों) का गठन कर 2018 से आज दिन तक वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करवायी जाये एवं दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर त्रस्त जनता एवं अभिभावकों को न्याय प्रदान कराएं।

mkd/rtm/24.07.2024/12:30/1k

श्री अध्यक्षः श्री हरिमोहन शर्मा।

बून्दी स्थित मीरा साहब दरगाह का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नजरें मेरी ओर भी इनायत हुईं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साहब आपकी नजरें उधर ज्यादा क्यों जाती हैं?

श्री अध्यक्षः ये मेरे पुराने मित्र हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, बून्दी दरगाह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम 295 के अधीन राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं नियम के अन्तर्गत उल्लेख।

मान्यवर, बजट घोषणा संख्या 67.00 वर्ष 2017-18 दरगाह हजरत मीरा साहब, बून्दी व अन्य दरगाहों के लिए राशि स्वीकृत की थी और मीरा साहब दरगाह, बून्दी के लिए 98.27 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 12.07.2018 को निविदा आमंत्रित करने पर अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बून्दी में दिनांक 16.08.2018 को मैसर्स जनता कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर को स्वीकृत कर आदेश जारी कर कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 28.02.2019 नियत कर ली थी।

कार्य आरम्भ करने पर जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी ने और यह दरगाह वन्यजीव अभयारण्य में स्थित होने से वन विभाग और पुलिस विभाग ने संवेदक को कार्य नहीं करने दिया और वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने से संवेदक के कार्य पूर्ण की नियत तिथि समाप्त हो गयी और संवेदक ने कार्य करने से असहमति प्रकट कर दी।

जनहित में इस दरगाह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु अधिकारियों ने भी जनभावना के अनुसार इस कार्य को पुनः स्वीकृत करने हेतु कार्यालय राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस ने मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखकर अनुरोध किया। चूंकि, दरगाह के कार्य की कार्य एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग होने के कारण कार्य में बाधा आ रही है।

अतः इस कारण इसकी कार्यकारी एजेंसी बदली जानी चाहिए और कार्यकारी एजेंसी, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य विभाग को बना दिया जाये तो इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्षः सुश्री नौक्षम चौधरी।

कैथवाड़ा कस्बा स्थित गुहली पोखर (कामां) के जल निकास मार्ग पर अतिक्रमण

सुश्री नौक्षम (कामां): स्पीकर साहब, विधान सभा के कार्य व संचालन संबंधी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। कामां क्षेत्र के कस्बा कैथवाड़ा में गुहली नाम की प्राचीन पोखर पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र कामां के कस्बा कैथवाड़ा, तहसील पहाडी में गुहली नाम की प्राचीन पोखर हैं। उक्त पोखर पर पूरे वर्ष

पानी भरा रहता है तथा ग्राम के पशुधन एवं 50 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इसी पोखर के पानी का उपयोग करती है। हाल ही भू-माफियाओं के द्वारा पोखर एवं जल निकास मार्ग पर अतिक्रमण करने व मिट्टी डालकर पोखर को समतल करने का प्रयास किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया व स्थानीय प्रशासन से भी ग्रामीणों ने गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर आकर उनको अतिक्रमण करने से रोका। पूर्व में पूर्व विधायक द्वारा अवैध रूप से उक्त पोखर पर दुकानों का निर्माण किया गया है। जिसकी मौका जांच करवाई जावे तथा उचित कानूनी कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड में पोखर का अंकन किया जावे। चूंकि यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है।

श्री अध्यक्षः श्री कल्पना देवी।

लाडपुरा शहरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद।

मेरे लाडपुरा विधान सभा के शहरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन आफत बन गई है। कॉलोनियों में सीवरेज कार्य के नाम पर हाल में बनी नई-नई सड़कों को बारिश के समय खोद दिया गया है। कई कॉलोनियों में कार्य अधूरा छोड़ दिया है एवं कई में कार्य पूर्ण होने के पश्चात रोड को ऐसे ही खुदे छोड़ दिया है। सड़क नहीं बनने से बारिश में कीचड़ की समस्या होने से कॉलोनियों के लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर तक उनके वाहन ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों को कीचड़ में से होकर स्कूल आना-जाना पड़ रहा है, किन्तु प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बरसात के समय सड़कें खोदे जाने के उपरांत समय पर गड्ढे नहीं भरे गये हैं। संवेदक फर्म ने सीवरेज लाइन तो डाल दी लेकिन जो सड़कें क्षतिग्रस्त की हैं, उन्हें समय पर दुरुस्त नहीं करने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है।

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम कोटा दक्षिण, वार्ड नम्बर 16 की कॉलोनियां बालाजी नगर सेकण्ड, तृतीय, कौटिल्य नगर, ब्रिज बिला, काशी धाम, गणेश धाम, कनक विहार, गोदावरी रेजीडेंसी, रोशन विहार एवं नगर निगम कोटा उत्तर में वार्ड नम्बर 18 में स्थित कॉलोनियां उज्ज्वल विहार, उज्ज्वल विस्तार, मंशा नगर, अशोक विहार, श्रीरामनगर बारां रोड, विजय नगर, शिव विहार, अश्विनी विहार, अश्विनी विस्तार, ज्ञान कुंज, ज्ञान कुंज विस्तार एवं वार्ड न. 43 एवं वार्ड नं. 20 के कॉलोनीवासी सड़क नहीं बनने से काफी परेशान है।

अतः विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्र की खराब एवं क्षतिग्रस्त सडकों का शीघ्र निर्माण करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री अतुल भंसाली।

जोधपुर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): नमस्कार, अध्यक्ष महोदय। विधानसभा के कार्य संचालन एवं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव कर निवेदन है कि मैं आयुर्वेद एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के विकास हेतु समन्वित चिकित्सालय खोलने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

केन्द्र में जब से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र जी मोदी की सरकार आई है, तब से भारत की मौलिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रोत्साहन की नीति पर कार्य आरम्भ हुआ है। इसी कारण विगत दस वर्षों में आयुर्वेद के साथ परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के साथ नेचुरोपैथी के पुनरुत्थान का कार्य चल रहा है। इसी के तहत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवा कर 40 प्रतिशत व्यय वहन करने की सहमति देने पर 60 प्रतिशत स्वयं वहन कर एकीकृत आयुष चिकित्सालय की योजना पर सफलता पूर्वक कार्य कर रही है।

इसी कड़ी में मेरा निवेदन है कि जोधपुर में सम्भागीय मुख्यालय का सबसे बड़ा मथुरादास माथुर अस्तपाल, जोधपुर कार्यरत है। यह मेडिकल कॉलेज जोधपुर से सम्बद्ध एकमात्र अस्पताल है, जहां भूमि की अपार उपलब्धता है और यहां आमजन के हित में विशाल भवन परिसर की इकाइयां बनाई जा सकती हैं।

अतः यदि यहां उक्त आयुष मिशन अन्तर्गत एकीकृत आयुष चिकित्सालय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जावे तो यह सम्पूर्ण पश्चिम राजस्थान के निवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। जहां वे बिना साइड इफेक्ट वाली दवाओं के रोग के समूल निदान के साथ ही मनोकायिक रोगों के समूल निदान की हमारी भारतीय परम्परागत एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से रोगोपचार पा सकेंगे।

अतः मेरी मांग है कि मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में उक्त योजना के अनुरूप आकार एवं माप का एक भूखण्ड एकीकृत आयुष चिकित्सालय हेतु आरक्षित कर, तदनुसार प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाकर, उक्त योजना का एक केन्द्र संभागीय मुख्यालय जोधपुर में खुलवाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता पूर्वक संज्ञान लेते हुए भूमि आंवटनपूर्वक प्रस्ताव स्वीकृत करावें।

श्री अध्यक्ष: 295 में लिखा है, वही पढ़ना है। श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर का पर्यटल स्थल के रूप में विकास

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाने हेतु निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की प्राकृतिक छटाओं में मौजूद नदी, झरनें, अरावली की सुरम्य, रमणीय वादियों, नदी किनारे मौजूद प्राचीन स्नानाघाट, धार्मिक स्नान कुण्डों, देवी देवताओं के आस्था केन्द्र प्राचीन मंदिरों, विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिरों को देखते हुए जहाजपुर को राजस्थान प्रदेश के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने से देशी विदेशी

पर्यटकों व सनातन, हिन्दू, जैन मंदिरों में पहले से ज्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन प्रारम्भ हो जायेगा। प्रदेश के पर्यटन उद्योग की आय बढ़ेगी, रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा।

राजधानी जयपुर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर टोंक जिले के अटेचमेंट में ही जहाजपुर सीमा प्रारम्भ हो जाती है। पर्यटकों के लिये लुभावने बीसलपुर बांध के पास ही गोकनेश्वर महादेव जी का मंदिर, बोरडा देवली में नदी किनारे गणेशजी का मन्दिर, जहां झीलों की नगरी उदयपुर की भांति पर्यटकों को नाव में बोटिंग की सुविधा मिलेगी। गाडौली, जहाजपुर में तालाब किनारे महादेव जी का मंदिर एक बड़ा आस्था का केन्द्र है। घाटारानी माताजी जहाजपुर का मंदिर जो अरावली की सुरम्य पहाडियों के मध्य मनमोहक प्राकृतिक छटा के मध्य स्थित है। प्राचीन काल से चवलेश्वर जैन तीर्थ जहाजपुर में है। गाडौली और घाटारानी के मध्य जहाजपुर में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति भू-गर्भ से प्रकटित है। जहाजनुमा मंदिर सैकड़ों बीघा भूमि में फैला हुआ मंदिर परिसर, जहाजपुर मुख्यालय पर पहाड़ी पर मांगट जी महाराज का मंदिर, शाहपुरा में रामद्वारा धाम अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेह सम्प्रदाय की प्राचीन पीठ स्थित है, ऐतिहासिक बारहठ परिवार राजस्थान की सबसे छोटी रियासत यहीं मौजूद है। दांतडा धाम जहां रामस्नेही गुरु महाराज की गद्दी है। कोटडी में भगवान चारभुजानाथ जी का ऐतिहासिक मंदिर, जोगणिया माताजी का मंदिर, जोगणिया माताजी मंदिर के नजदीक मेनाल झरना, जहां सैलानियों का तांता लगा रहता है. तिलस्वा महादेव मंदिर, शक्करगढ़ में हनुवन्त धाम, छोटा पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध धारानगरी धौड़ महादेव, पास ही में हरी-भरी प्रकृति की गोद में रामेश्वर महादेव, हिंडोली, उक्त समूचे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अनुपम छटा लिये हुए है। एक तरफ बनास नदी की कलरव बहती धारा तो दूसरी ओर नाना प्रकार की वनस्पति से आच्छादित अरावली पर्वतमाला।

अतः सरकार से मेरा पुनः आग्रह है कि उक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए पर्यटन विकास के लिये एक रोडमैप बनाकर एक विशेष आर्थिक पैकेज इसी बजट सत्र के दौरान स्वीकृत किया जाकर जहाजपुर को पर्यटन स्थल घोषित किया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

Bhs/Rtm/24.7.24/12.40/1I

श्री अध्यक्षः श्री नानालाल निनामा।

घाटोल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के विशेष उल्लेख उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र, घाटोल में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग विगत कई वर्षों से चली आ रही है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से विभिन्न वर्गों के समाज के अध्यक्षों ने पूर्व में कई बार ज्ञापन तथा आन्दोलन कर महाविद्यालय खोलने की मांग सरकार के समक्ष रखी, किन्तु आज दिनांक तक उक्त स्थान पर राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला जा

सका, जिसके कारण यहां के छात्र-छात्राओं को तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बासंवाड़ा में अध्ययन करना पड़ता है जिससे इनको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उल्लेखनीय यह है कि प्राईवेट संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों में मनमानी फीस यहां के छात्रों से लेकर इनसे लूट-खसोट कर रहे हैं।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में एक राजकीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः श्री थावर चन्द। (अनुपस्थित) श्री ललित मीना।

किशनगंज में पेयजल एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि महत्वाकांक्षी ईआरसीपी परियोजना से राजस्थान के 21 जिले एवं मध्य-प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होने का प्रावधान है। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में पार्वती व कूनो नदी पर बांधों का निर्माण होना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार इसमें किशनगंज विधान सभा क्षेत्र को सिंचाई एवं पेयजल के पानी का प्रावधान नहीं किया गया है। परियोजना बनने पर क्षेत्र को ही पानी नहीं मिलने को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को सिंचाई एवं पेयजल का प्रावधान किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधा के अभाव में 79 हजार 734 हेक्टेयर में से 34 हजार 277 हेक्टेयर में एक से अधिक बार फसल हो जाती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज शाहाबाद की दोनों तहसील में वर्तमान राशन यूनिट के अनुसार कुल जनसंख्या 3 लाख 91 हजार 440 में से 2 लाख 73 हजार 779 लोग सरकारी राशन पर निर्भर है। जबकि स्वयं के पास कृषि भूमि है लेकिन सिंचाई सुविधा नहीं है, यानी करीब 70 फीसदी जनसंख्या गरीबी की श्रेणी में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती मध्यप्रदेश में ईआरसीपी में पार्वती, कूनो व सहायक नदियों पर छह बांध बनाये जा रहे हैं। जबकि शाहबाद क्षेत्र में कूनो, करई, रेपी सहायक नदियों के साथ बहाव पर रहती है। परियोजना में मध्यप्रदेश के किसानों को सिंचाई और पेयजल मिल रहा है। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में किशनगंज-शाहाबाद उससे वंचित रहेगा।

बारां जिले के आस्था के केन्द्र धार्मिक स्थल सीताबाडी को ईआरसीपी के तहत बनने वाले बांधों से जोड़ा जाये ताकि पर्यटन के रूप में विकसित हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय किसान संघ व क्षेत्र की जनता सिंचाई परियोजनाओं की लंबे समय से मांग करती आ रही है। कई बार पिछली सरकार में ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी थी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में राडी लघु सिंचाई परियोजना द्वारा ढिकवानी, रातईकलां, बिलोरा

के कुल 614 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत कुल लागत 4126.02 लाख है। परियोजना के रिवाइज्ड डी.पी.आर. 13 अक्टूबर 2021 को मुख्य अभियंता, जयपुर को भेजी थी। इस बांध में 157 हेक्टेयर क्षेत्र में से 133 हेक्टेयर क्षेत्र वन विभाग में आने के कारण परियोजना का कार्य रुका हुआ है। सरकार इस पर जल्द फैसला ले, जिससे मेरी विधान सभा में सिंचाई व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो सके।

परवन वृहद सिंचाई परियोजना का कार्य भी कई वर्षों से रुका हुआ है। इसकी जांच करवाकर कार्य प्रारम्भ कर परियोजना का लाभ जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना के मिठोडा गांव में हुई पूर्व सरपंच की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्राक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत आम सिंह मिठोडा जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने के सबंध में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के मिठोडा गाँव में पूर्व उप प्रधान, सरपंच श्री आम सिंह राजपूत की दिनांक 26 जून 2023 को रात में स्वयं के फार्म हाउस पर सोते हुए कोई हत्या कर गया। लोगों की रात में पता नहीं चला, सुबह पूरे क्षेत्र में घटना की जानकारी मिलने पर हजारों लोगों का आना और दो दिन तक शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखने के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा आश्वस्त किया था कि जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा लेकिन आज दिनांक तक कोई भी अपराधी पकड़ में नहीं आया है। क्षेत्र में बीते एक वर्ष से बड़ी दहशत का माहौल बना हुआ है कि घर में सोते हुए आदमी की हत्या कर ली गई है और कोई भी हत्यारा पकड़ में नहीं आया है। राजस्थान पुलिस द्वारा लगातार जांच पड़ताल करके सैकड़ों लोगों को पूछा लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है।

सिवाना पुलिस थाना में प्रकरण संख्या- 176/2023 दिनांक 27 जून 2023 को दर्ज है। अनुसंधान के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिलकर वार्ता की थी जिस पर पुलिस द्वारा अलग टीम गठित करके जांच का भरोसा दिलाया था। पुलिस द्वारा पूरा प्रयास किया होगा, लेकिन जनता में पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान पिछले एक साल से जगह-जगह से मुझे जापन दिया जा रहा है कि जघन्य हत्याकांड का खुलासा नहीं हो रहा है। आम लोगों ने अपनी खेतों में रहना बंद कर दिया है। क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक सभी पक्षों से मजबूत आदमी की हत्या हो सकती है तो एक सामान्य आदमी का तो जीना भी दूभर हो गया है। चुनावों के समय भी पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार किया था। प्रशासन द्वारा वार्ता और जल्दी ही हत्या कांड का खुलासा करवाने का वादा करके ही चुनाव भी सम्पन्न करवा दिया।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आम सिंह राजपूत निवासी मिठोड़ा तहसील - सिवाना जिला बालोतरा की नृशंस जो हत्या हुई है उसकी जाँच निष्पक्ष करवाकर जघन्य हत्याकांड का खुलासा करवा कर मेरे क्षेत्र में लोगों में फैले

दहशत के माहौल को ठीक करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद। पर्ची।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्रदेश में संचालित गोशालाओं में गौ संरक्षण और संवर्धन हेतु

दैनिक अनुदान व गोवंश को समुचित संरक्षण

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

समस्त चराचर जगत में विद्यमान भूत और भविष्य की माता होती है गोमाता जो आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में गोधन की स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है, परन्तु गोमाता इधर-उधर मारी-मारी फिर रही है और हम जान कर भी अंजान बन रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर इन्होंने गोशाला खोलने की घोषणा की थी। उसी तरह से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके मापदंड और प्रक्रिया कठिन थी इस कारण से नन्दी गोशालाएं इस प्रदेश में नहीं खुल सकी और इन्होंने एक भी गोशाला नहीं खोली ...

Kas/rtm/24.07.2024/12.50/1m

गोधन को बचाने के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर चरागाह भूमि से 5 बीघा भूमि जिला कलेक्टर को आवंटित करने का अधिकार दें, ताकि पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में पंचायत उसका प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्टर को भेज सके, इससे गोधन की स्थिति अच्छी होगी।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें अनुदान बढ़ाया जाये ताकि चारे-पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। प्रत्येक गोशाला पर एक संविदा कर्मी के रूप में पशुधन सहायक की नियुक्ति की जाये, ताकि गोधन को बचाने में हम सहायक हों और गोशालाओं का संचालन और संवर्धन अच्छा हो सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री लालाराम बैरवा।

शाहपुरा बनेड़ा में काले हिरण (कृष्ण मृग) का संरक्षण

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मेरी बात रखने का मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। शाहपुरा जिले में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर आसोप के वन क्षेत्र में पाये जाने वाले काले हिरण के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

शाहपुरा में एक अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह सम्प्रदाय की प्रधान पीठ है, उसी के पास कोटड़ी श्याम का स्थान है, जहां पर हजारों-लाखों श्रद्धालु आते हैं। दातड़ाधाम की गद्दी है। धनोप

माता की शक्ति पीठ है। प्रसिद्ध चलाण्या भैरूं जी का मन्दिर है। उसी के पास जहाजपुर में जैन मुनि सुब्रत मुनि का बहुत बड़ा विशाल मन्दिर है, वहां पर भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। शाहपुरा के आसोप वन क्षेत्र में काले हिरण पाये जाते हैं। कृष्ण मृग हमारी श्रद्धा केन्द्र भी हैं। इनको बचाने के लिये वन्य अधिकारी भी पूरा प्रयासरत रहते हैं। काले हिरण की प्रजाति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है और इनके शिकार करने की भी आशंका रहती है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन काले हिरणों के बचाव के लिये वहां पर एक अभयारण्य घोषित किया जाये और कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित करा कर वहां ट्यूरिज्म का एक साधन बने और वहां रोजगार मिले। इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री अमृतलाल मीणा।

सराड़ा में विभिन्न विभागों के कार्यालयों की स्थापना

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी उपखण्ड मुख्यालय का दर्जा प्राप्त है। रियासतकाल में सराड़ा जिला हुआ करता था, वहां मगरा हाकिम बैठते थे। वर्षों से सराड़ा उपखण्ड मुख्यालय बना हुआ है। वहां सहायक अभियंता कार्यालय ही है, जबकि उस क्षेत्र में 100 प्रतिशत जनजाति क्षेत्र आता है। मेरा निवेदन है कि सराड़ा उपखण्ड में एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन पीएचईडी, एक्सईएन आरएसईबी और एक्सईएन जल संसाधन कार्यालय खोला जाना अति आवश्यक है। पूर्ववर्ती सरकार में पीडब्ल्यूडी एक्सईएन कार्यालय तो खोल दिया था, लेकिन बाद में पता नहीं चला उसका क्या हुआ।

इसी तरह से सेमारी भी उपखण्ड है। सेमारी में सहायक अभियंता कार्यालय जलदाय विभाग, बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग और बाल विकास विभाग के कार्यालय खोले जाएं। सेमारी में एक रेंज कार्यालय भी खोला जाये। उपखण्ड कार्यालय झल्लारा में कार्यालय खोला जाये। गेंगला और जेसमन को उप तहसील से तहसील का दर्जा दिया जाये और जावत में उप तहसील बनाई जाये। साथ ही पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता का निर्धारण पंचायत समिति स्तर से ही किया जाये। कई जगह दो-दो पंचायत समिति का काम एक जेईएन देखते हैं, जिससे काफी दुविधा होती है। जिस पंचायत समिति में जो काम आ रहा है, वह उस पंचायत समिति से ही निर्धारित किया जाये। उदाहरण के लिये हमारा सेमारी एक उपखण्ड है, वहां जेईएन अलग है, एईएन अलग है और वह सराड़ा वाला जाकर देखता है, जिससे काफी दुविधा हो रही है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री ताराचन्द।

श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत विस्तार के कार्य में शीघ्रता

श्री ताराचन्द (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत विस्तार के लिये एल एण्ड टी कंपनी को ठेका दिया गया। हमारे विधान सभा क्षेत्र में

भारतीय जनता पार्टी के समय से ही 132 के.वी. के दो जी.एस.एस. मंजूर हुए थे। उसमें एक तो राजपुरा का है और दूसरा जाखासर का है। वह दोनों आज पांच साल से लंबित पड़े हैं। उसका सारा ठेका एल एण्ड टी कंपनी को दे रखा है। ट्रांसफर लगाना, आंधी में कोई छोटे-मोटे पोल गिर गये, वह भी उनको लगाना है, किन्तु एल एण्ड टी कंपनी के पास न तो कोई मैन पावर है, न काम करने वाले आदमी हैं। अभी मूंगफली बिजाई का समय है और किसानों की फसलें जल रही हैं। कहीं भी लाइन फॉल्ट हो जाये, तो उनके आदमी समय पर नहीं आते हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि यह एल एण्ड टी कंपनी काम को आगे बढ़ाने के लिये बार-बार टाइम लेती रहती है और काम आगे करती नहीं है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि एल एण्ड टी कंपनी को पाबंद करें कि जो काम आपको समय पर करना है, उसको आप पूरा करें, नहीं तो किसानों की हालत खराब हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर देने का समय है, किन्तु एक-एक महीने से किसानों को ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल रहे हैं, इससे किसानों की फसलें जल रही हैं। आज किसानों ने शायद कई जगह धरना-प्रदर्शन भी किया है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को ट्रांसफॉर्मर दिलाएं, ताकि उनकी फसल को नुकसान नहीं हो।

एक अभी एलडी कट रही है, इसके बारे में भी मेरा आपसे निवेदन है कि यह एलडी 4-4, 5-5 घंटे कट रही है। 5 घंटे एलडी कटने के बाद रात को भी लाइट नहीं मिलती और 4 घंटा दिन में काट देते हैं, तो लाइट नहीं मिलती। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप बिजली की ऐसी व्यवस्था करें ताकि एलडी नहीं आये। बार-बार एलडी आने से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बार-बार ट्रिपिंग होती है, किसान कुएं में मोटर स्टार्ट करता है, इतने में एलडी आ जाती है तो वह बंद नहीं कर पाता और मोटर जल जाती है। वापस उसको लोरिंग करने में उसके कई हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बुडानियां जी। पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन एक लाइन में।

सूचना

तारानगर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या की जांच व सहायता

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र तारानगर के गांव बाय में एक एस.सी. परिवार के व्यक्ति की हत्या हो गई। शव एसएमएस अस्पताल, जयपुर में रखा है। इसकी निष्पक्ष जांच कराएं तथा परिवरजनों को उचित मुआवजा दें व एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान करें।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन के व्यवस्थित संचालन के लिए दल अपने सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करें

श्री अध्यक्षः मेरा संसदीय कार्य मंत्री तथा विपक्ष के नेता से निवेदन है कि सत्र के बाद अपने-अपने विधायकों का दो दिन का प्रशिक्षण वर्ग रखिए। उनको सारी नियमावली याद भी कराएं, कंठस्थ भी कराएं, व्यवहार में लाने के लिये प्रेरित भी करें। माननीय रफीक खान जी, माननीय रफीक खान जी, आपको संबोधित कर रहा हूं, चूंकि विपक्ष के नेता नहीं हैं, मैंने यह आग्रह किया है कि इस कार्यवाही के बाद आप दोनों दल अपने-अपने विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग रखिए। जो प्रशिक्षण वर्ग में नहीं आएं, उसका आप बोलने में नाम नहीं लिखें। यह कम्पलसरी करेंगे तो व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी। 295 से लेकर अन्य भी, कोई बीच में से आ जाते हैं, कोई कहां जा रहा है, कोई मना करने के बाद भी बार-बार बोल रहा है। आप दोनों पक्ष इस तरह से करें।

सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

msk/rtm/24.07.2024/1400/2c

(समयः 14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के 20 लोग भी नहीं हैं। अगर आप बाहर चले गये तो कोरम के अभाव स्थगित करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्षः इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आ ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्षः सब आ गये। आपके भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फॉर्मेशन है।

श्री अध्यक्षः नहीं, बैठिये। नो। मेरे पास स्लिप भेजिये, आप क्या बोलने वाले हैं। बैठिये। कोई बात कहनी है, पहले मेरे पास स्लिप भेजे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आकोली नदी में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज प्राथमिकी की निष्पक्ष जांच

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका खूब-खूब धन्यवाद कि आपने नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण पर बोलने का अवसर दिया और चर्चा का विषय रखा।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अन्तर्गत आकोली नदी में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध किसानों द्वारा किये गये आन्दोलन के दौरान दर्ज की गयी असत्य एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में खान एवं पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान

आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जालोर जिले में आकोली नदी में 15.06.2022 को किसानों ने आन्दोलन किया। यह जो आन्दोलन था, यह वहां का बजरी और माइंस माफिया है, उसके विरुद्ध इन्होंने किया। वहां पर पथराव भी हुआ, हाई-वे को भी ब्लॉक किया। पुलिस स्टेशन बागरा में केस दर्ज हुआ, 101/2022, धारा 143, 283, 332 और 353, इसके अन्दर कुछ पुलिस कर्मी इन्जर्ड हुए और आपस में तनाव रहा। उसके पश्चात हनुमंत सिंह की याचिका 10.01.2023 को हाइकोर्ट जोधपुर में दर्ज की गयी और उसमें हाइकोर्ट ने चार्जशीट ईश्यु करने के लिए निर्देश दिये। भारतीय किसान संघ ने एसपी, जालौर को अपनी एप्लीकेशन 15.05.2024 को दी और कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है और पुलिस ने जो रिपोर्टिंग की है, वह गलत की है। पुलिस अधीक्षक ने डीवाई.एसपी को नियुक्त किया है और इसमें नये सिरे से पूरी जांच हो रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी तरह की किसान के अंगेस्ट अनियमितता या कोई वन-साइडेडनेस नहीं किया जायेगा, न्याय किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि उस समय किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच में हाथापाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब किसान धरने पर बैठे थे। पूरे गांव के किसान एक जगह, एक खेत किराये पर लेकर, रोड से करीब 200 फीट की दूरी पर थे। सबसे पहले तो प्रशासन ने जाकर उस खेत मालिक को धमकी दी कि या तो यहां से धरनार्थियों को हटा दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद मैं वहां पहुंचा। उस दिन की घटना में, मैं वहां पहुंचा। मैंने कहा कि धरने पर क्यों बैठे हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि जो बजरी माफिया है, जो बजरी ठेकेदार, बजरी तस्कर है, दोनों मिलकर पूरी नदी को चट कर गये हैं। बूरड तक उस नदी को पूरी तरफ कर लिया है। मैंने कहा कि चलो अपन मौके पर देखकर आते हैं। वे एक साइड में बैठे थे। हम लोग जब देखने जा रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखने जा रहे थे तो उस समय किसी भी प्रकार का, उस समय सरकार एवं प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी भी होती है। अगर कहीं पर रोड रोकी हुई हो तो बता दें, मैं भी साथ में था। हम पैदल जा रहे थे। हम उस जगह पर गये और आनन-फानन में वहां के थानाधिकारी ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज भी भयानक किया। फिर मैंने बीच में आकर उनको रोका कि ऐसा आक्रोश मत करो। फिर मैंने कहा कि अपन प्रशासन के पास जायेंगे और इसका निस्तारण करेंगे। जब हम एसपी के पास गये और जब किसान जब एफआईआर दर्ज कराने गये तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। रात को 11 बजे थानाधिकारी की रिपोर्ट दर्ज होती है और वह किसानों के खिलाफ होती है और उनके खिलाफ कार्यवाही होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो बात होती है कि किसान एक खेत किराये पर लेकर शान्तिपूर्वक धरना दे रहे थे। अगर कहीं पर भी रास्ता रोकने की बात हो। लाठीचार्ज की उस समय की वीडियो शूटिंग भी है। मैं खुद वहां पर आई-विटनेस हूं। मेरा भी कोई विटनेस नहीं लिया। आपके पास जो असत्य बातें आयी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के साथ न्याय किया जाये और इसमें एफआर लगायी जाये या यह केस डिजॉल्व किया जाये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय विधायक महोदय को आपके माध्यम से बताया कि यह पूरी जांच नये सिरे की जायेगी। हम सब लोग प्रोसेडिंग्स पर ध्यान रखेंगे। अगर पुलिस इसके अन्दर दोषी पायी तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला, श्री मनोज कुमार।

सिद्धमुख में मुआवजा प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि का आवासीय में नियम विरुद्ध रूपान्तरण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सिद्धमुख कस्बे में स्वीकृत बाईपास पर कृषि भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु नियम विरूद्ध आवासीय भूमि में परिवर्तन करने की जांच एसीबी से कराये जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में भू-अवाप्ति की प्रारंभिक सूचना दिनांक 28.03.2023 को जारी की गयी थी। तहसीलदार को अधिसूचना से पूर्व प्रारंभिक सूचना की जांच के लिए प्रकरण 22.12.2022 को प्राप्त हुआ था। तहसीलदार द्वारा दर्ज प्रकरणों में भू-रूपान्तरण के लिए 29.11.2022 से 19.12.2022 तक प्राप्त आवेदनों पर दिनांक 16.12.2022 से 28.12.2022 तक आदेश जारी किये। जिला कलेक्टर चूरू द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी है। तथा तहसीलदार सिद्धमुख को कारण-बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट ली जा रही है एवं दोषी पाये जाने पर तहसीलदार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रकरण है, एक तहसीलदार महोदय ने सरकारी मुआवजे के लिए अपने चहेते लोगों को, एसडीएम साहब को 07.11.2022 को भूमि अर्जन अधिनियम की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करवाया। माननीय एसडीएम साहब के पास 07.11.2022 को पत्र प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से 22.11.2022 को तहसीलदार, सिद्धमुख को इस भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गयी। उसके बाद भी आपके जांच करने वाले अधिकारी एडीएम, सुजानगढ़, एसडीएम राजगढ़ और पीडब्ल्यूडी ए.ईएन. द्वारा गोलमाल जांच

करना। जब तारीख क्लियर लिखी है। जहां तक अधिसूचना की तारीख को मानने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अधिसूचना की जो प्रारंभिक बात है, वह मैं बताना चाहता हूं। प्रारंभिक अधिसूचना तैयार कर वास्ते राजपत्र में प्रकाशन भिजवाया जाये। यह 07.11.2022 का ऑर्डर है। इसके बाद भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करवायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। फिर माननीय तहसीलदार महोदय ने 10 लोगों को, 22.11.2022 को तहसीलदार को अवाप्त भूमि की सूचना के बाद। इनको 22.11.2022 को अधिसूचना मिली। इन्होंने मिलकर अपने लोगों, 29.11.22 को ही भूमि का आवेदन ले लिया। 29.11.22 को लिया, 17.12.22 को लिया, 09.12.22 को लिया, 06.12.22 को लिया, 03.12.22 को लिया। एक ही परिवार के, पत्नी के, पति के, बेटे के नाम भूमि कन्वर्जन करने का काम किया।

mdp/rtm/24.07.2024/14:10/2d

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि इसकी जांच आप उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जिस तहसीलदार ने इतना बड़ा घोटाला करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं? मेरा एक सवाल तो यह है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके कारण जो उद्देश्य मूल रूप से बाइपास रोड़ बनने का था, वह बाईपास रोड रुकी पड़ी है। आज भी आपके अधिकारी वहां के तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर उस ठेकेदार फर्म की बेचारे की हालत खराब कर रखी है। अभी तक निशानदेही नहीं दी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से उस बाइपास रोड की जो नक्शा बना, उसके अनुसार आप उसको निशानदेही देकर रोड का निर्माण कराने की मंशा रखते है क्या?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, बिलकुल सही बात है क्योंकि इसमें भू-रूपांतरण होने से आवासीय दर और कृषि भूमि की दर, अगर इन दोनों में अंतर देखा जाए तो जो ये दस आवंटन किये गये हैं, उसमें 1 करोड़ 86 लाख 92 हजार 284 रुपये का अंतर आता है। इसमें जो प्रकाशन हुआ राजस्थान राजपत्र दिनांक 28/03/23 को इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें जो भी दृष्टिगत माननीय सदस्य महोदय ने बताया है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करके इसमें जो भी आवश्यक कार्यवाही है, उसको करने का काम हम करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा। हो गया। आपका विषय आ गया। संदीप शर्मा पूछिए। माननीय सदस्य, थोड़ा रहा गया तो आप बाद में मिल लेना।

कोटा में विभिन्न हाउसिंग योजनाओं में अनियमितताओं की जांच

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत कोटा में रानपुरा, भदाना, मोहनलाल सुखाडिया अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नगरीय विकास राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास कोटा द्वारा रानपुर, भदाना एवं मोहनलाल सुखाडिया योजना में 1580 आवासों का निर्माण हेतु विकासकर्ता मैसर्स नवभारत निर्माण कम्पनी कोटा के साथ अनुबंध किया गया। अनुबंध के अनुसार विकासकर्ता को रानपुर, भदाना एवं मोहनलाल सुखाडिया योजना में 1580 आवासोंके निःशुल्क निर्माण तथा प्रीमियम राशि रू 21.21 करोड जमा करवाने पर निम्नानुसार भूखण्डों का आवंटन किया जाना था-

राजीव गांधी नगर विस्तार में भूखण्ड संख्या- 12 एवं 13 6,300 वर्गमीटर

राजीव गांधी नगर में भूखण्ड संख्या- 2 B 13,292.00 वर्गमीटर

कर्णेश्वर ग्रुप हाउसिंग योजना में भूखण्ड संख्या- 1 5,902 वर्गमीटर

विकासकर्ता को अनुबंध शर्तो के अनुसार 400 आवासों का निर्माण कर सुपुर्द करने के एवज में सिर्फ राजीव गांधी नगर विस्तार में भूखण्ड संख्या 12 एवं 13 का आवंटन किया गया था। विकासकर्ता द्वारा उक्त आवासों का निर्माण स्वयं के संसाधनों से किया गया है, न्यास द्वारा विकासकर्ता को किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

योजनान्तर्गत निर्मित आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत आवास	निर्मित आवास	निर्माणाधीन आवास
1	मोहनलाल सुखाडिया अफोर्डेबल आवासीय योजना	464	464	0
2	भदाना अफोर्डेबल आवासीय योजना	540	444	96
3	रानपुर अफोर्डेबल आवासीय योजना	576	0	576
कुल		**1580**	**908**	**672**

उपरोक्त प्रकरण में संवेदक से परफार्मेंस गारन्टी के तौर पर जमा राशि रु 57.94 लाख की बैंक गारंटी भी नवीनीकृत करवाकर प्राप्त कर ली गई है एवं संवेदक द्वारा कार्य में

विलम्ब करने के फलस्वरूप 10 प्रतिशत की शास्ति लगाई जानी प्रस्तावित है। प्रकरण में नियम विरुद्व आवंटन एवं वित्तीय अनियमितताओं की प्रभावी जांच हेतु प्राधिकरण स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के निर्णय के उपरान्त शीघ्र ही संवेदक पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास द्वारा 2012 में रानपुर, भदाना और मोहनलाल सुखाडिया योजना में जो 1580 अफोर्डेबल आवास बनाने के टेंडर किये गये थे, उनकी डीपीआर 2015 में बनी। 2017 तक कार्य को पूर्ण करना था। 6 महीने का इसमें एक्सटेंशन लगना था, तब तक कोई पेनल्टी नहीं लगनी थी। परंतु अनुबंध के आधार पर 15 माह में संवेदक को जो कार्य पूर्ण करना था, वह 2024 तक भी पूर्ण नहीं हो पाया है। तीनों योजनाओं में जैसा मंत्री महोदय ने बताया, 1508 आवास बनाने थे, सिर्फ 908 आवास ही बने हैं।

अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों ने नियमानुसार आवास के लिए, छत के लिए अपनी राशि जमा करा रखी है, परंतु उनको अभी तक छत नहीं मिल पाई। अनुबंध के अनुसार जो दस परसेंट पेनल्टी लगनी थी, वह लगभग 6 करोड़ रुपये 2108 में वसूले जाने थे। संवेदक को जो प्रीमियम राशि 21.21 करोड़ जमा करवाकर शहर की पॉश कॉलोनियों में जैसा अभी आपने बताया राजीव गांधी नगर विस्तार भूखण्ड संख्या 12 एवं 13, कर्णेश्वर ग्रुप हाउसिंग में भूखण्ड संख्या 1 आवंटित किये जाने थे। काम पूर्ण नहीं किये जाने पर पेनल्टी लगायी जानी थी। लेकिन पिछली गत सरकार में आवासों से पिछली सरकार को कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ठेकेदार पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। न जाने ठेकेदार से क्या रिश्ता निभाया और गरीबों को नहीं देखते हुए पूरी तरीके से उसको बेशकीमती भूखण्ड, जो राजीव गांधी नगर का 12 व 13 नंबर है, इसको आवंटित कर दिया। इसमें भारी घोटाला हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि इन दोनों भूखण्डों का 2018 में 2012 की दर पर ही इनको दे दिया गया। इस भूखण्ड की बाजार दर इस समय 2018 में 66.11 करोड़ रुपये हो चुकी थी। वह उनसे वसूल नहीं की। यह भी देखने का विषय है, जांच का विषय है। तत्कालीन सरकार ने जो 50.59 करोड़ रुपये का अंतर था, यह सिर्फ एक भूखण्ड का अंतर है, ऐसे तीन उनको दिये गये हैं। तीनों में सिर्फ एक में काम हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदक इतना होशियार था कि एक भूखण्ड पर उसने काम करके, उस पर मल्टीस्टोरी बनाकर उससे भी पैसा लेना प्रारम्भ कर दिया। हालात यह है कि ये जो दोनों बेशकीमती भूखण्ड हैं, इनकी आज 200 करोड़ से भी अधिक कीमत हो चुकी है। वह भी उसको यूआईटी देने के, केडीए देने के पक्ष में है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि चूंकि यूं तो आप सीधे-साधे हैं, पहनावे में, परंतु आपकी जो इंटेलीजेंसी है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आपने पूरे राजस्थान को हिला कर रख रखा है, ऐसे मामलों में आप

स्ट्रिक्ट रूप से कार्यवाही कीजिए। मेरा निवेदन है कि जो कोटा कलक्टर, कमिश्नर है केडीए के, उनसे कार्यवाही करायी जाए। इसके उपरांत विभागीय स्तर पर आपकी निगरानी में इसकी जांच हो और दोनों, पेनल्टी भी ली जाए और जहां काम चल रहा है अनधिकृत रूप से, उस पर भी रोक लगायी जाए। उसको सीज किया जाए। दोनों प्लॉट निरस्त किये जाए। आज केडीए की यह स्थिति कर दी पिछली सरकार ने कि आज केडीए हमारी बहुत दयनीय स्थिति में है। ऐसे में 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाना, जो लोगों के लिए कितना भारी नुकसान है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आपसे अपेक्षा है कि इसमें सख्त कार्यवाही हो।

Ans/rtm 14.20 2e 24.04.2024

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत निर्माणाधीन रानपुर एवं मोहनलाल सुखाड़िया योजना के आवासों के निर्माण में दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को विकास कर्ता मैसर्स नव भारत निर्माण कम्पनी एवं नगर विकास न्यास कोटा के मध्य जो अनुबंध सम्पादित किया गया था, उस अनुबंध की बहुत सी शर्तों का उल्लंघन इस अवधि के दौरान हुआ है।

संवेदक द्वारा निविदा में राशि 21 करोड, 21 लाख 21 हजार 225 रुपये का प्रीमियम जमा करवाने का प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु संवेदक द्वारा विलम्ब से प्रीमियम राशि जमा कराने के कारण नगर विकास न्यास द्वारा ब्याज सहित कुल प्रीमियम राशि, 24 करोड़ 54 लाख 7 हजार 340 रुपये वसूल किए। डीपीआर के अनुसार परियोजना की कुल लागत 57 करोड़, 94 लाख थी।

भदाना एवं मोहनलाल सुखाडिया अफोर्डेबल आवासीय योजना की डीपीआर दिनांक 16 जनवरी, 2015 को स्वीकृत हो चुकी थी। संवेदक को कार्य 18 माह की अवधि अर्थात अगस्त, 2016 तक पूर्ण करना था, जो उसने आज दिनांक तक नहीं किया है।

रानपुर योजना की डीपीआर 2 जुलाई, 2015 को स्वीकृत की गई थी, जिसके अनुसार संवेदक को समस्त कार्य माह जनवरी,2017 में पूर्ण करने थे, जो आज तक नहीं किए गए हैं। दिसम्बर, 2018 में संवेदक द्वारा 400 मकानों का निर्माण पूर्ण कर न्यास को सुपुर्द करने की एवज में संवेदक को अनुबंध की शर्त के अनुसार भूखण्ड संख्या 12 एवं 13 राज़ीव गांधी नगर क्षेत्रफल 6 हजार 300 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। 2012 में उसकी डीएलसी रेट 2 हजार 323 रुपये प्रति स्क्वायर फिट थी, 2018 में 10 हजार 836 रूपये, 2024 में 11 हजार 978 रूपये थी। जिसके अनुसार प्लाट नम्बर 12 व 13 की वेल्यू 2012 में 15 करोड़ 74 लाख थी, 2018 में 75 करोड़ 45 लाख रुपये थी और 2024 में 81 करोड़ 19 लाख रुपये हैं। 10 परसेंट पेनल्टी ऑन कांट्रेक्टर वेल्यू के अनुसार 5 करोड़ 89 लाख रुपये उनसे वसूल किए जाने थे।

मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि शेष दो भूखण्ड जो रह गए थे, उनका आवंटन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। उन्हें हम निरस्त कर देंगे। जिला कलक्टर कोटा, जो आज की तारीख में आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण है, वह इस सम्पूर्ण मामले की जांच आने वाले दस दिन में करके, उसमें दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अनुबंध की किन-किन शर्तों का उल्लंघन हुआ, कौन-कौन कर्मचारी-अधिकारी थे जिन्होंने अनुबंध का उल्लंघन होने के बावजूद उनको राहत देने के लिए प्लाट का आवंटन किया, जिसमें उन्होंने एचआईजी के फ्लैट्स बनाना शुरू कर दिया। जब तक आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट नहीं आती है, मैं कोटा विकास प्राधिकरण को यह भी निर्देशित करता हूं कि जो प्लाट उन्होंने इस ठेकेदार को दिए थे, उस पर एचआईजी फ्लैट्स के निर्माण हो रहा है, उसको रोके रखा जाए।

जिला कलक्टर और आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इस प्रकरण में किस सक्षम एजेंसी से जांच करवानी है राज्य स्तर पर उसका निर्णय करके, जांच करवाई जाएगी। जो भी पेनल्टी उससे वसूल होनी है, जो भी उसके खिलाफ कार्यवाही होनी है, कर्मचारियों के खिलाफ जो भी कार्यवाही होनी है, उसका निर्णय किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। डा. मंजू बाघमार।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखती हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(वर्ष 2020-21)

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन,

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(वर्ष 2022-23)

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, एवं

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राजस्थान में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

समिति प्रतिवेदन

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'क', 2024-25 के निम्न प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन (क्रम संख्या-1)

(1) प्राक्कलन समिति 'क', 2022-23 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति 'क', 2024-25 का क्रियान्विति विषयक प्रथम प्रतिवेदन; एवं

प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन (क्रम संख्या-2)

(2) प्राक्कलन समिति 'क', 2022-23 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति 'क', 2024-25 का क्रियान्विति विषयक द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्षः याचिकाओं का उपस्थापन। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

याचिका

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

मुलेवा ग्राम (आहोर) में राशन डीलर के अभाव में समस्या

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम मुलेवा में राशन डीलर न होने के कारण उत्पन्न हो रही समस्या बाबत् एवं

मुलेवा (आहोर) के रा.उ.मा. विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम मुलेवा के रा.उ.मा. विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद भरने बाबत्।

श्री अध्यक्षः श्री ललित मीना।

किशनगंज शाहबाद को ईआरसीपी बारां के महलपुर व रामगढ़ बैराज से जोड़कर पेयजल व सिंचाई सुविधा

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार किशनगंज शाहबाद को ईआरसीपी बारां के महलपुर व रामगढ़ बैराज से जोड़ कर पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश मोदी।

नीमकाथाना ज़िले के बांधों में यमुना जल लाना

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार नीमकाथाना ज़िले के बांधों में यमुना जल लाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25
अनुदानों की माँगों पर विचार एवं मतदान
डा. प्रेमचंद बैरवा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा की प्रस्तुति

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-29 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,98,53,19,000 (तेरह अरब अठानवे करोड़ तिरेपन लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्षः डॉ. जोराराम कुमावत।

मांग संख्या 37 - देवस्थान की प्रस्तुति

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या- मांग संख्या-37 देवस्थान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,22,81,000 (पिचासी करोड़ बाईस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्षः डॉ. जोराराम कुमावत

मांग संख्या-47 पशुपालन एवं मत्स्य की प्रस्तुति

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या- मांग संख्या-47 पशुपालन एवं मत्स्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,58,15,40,000 (पन्द्रह अरब अठावन करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 47 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी, मांग संख्या 37 - देवस्थान एवं मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्त्य पर विचार

श्री अध्यक्षः बहस शुरू। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मांग संख्या-29 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी, मांग संख्या-37 देवस्थान, मांग

संख्या-47 पशुपालन एवं मत्स्य पर बोलने की इजाजत दी।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस आपा धापी के युग में हम है। हमें स्वास्थ्य की चिंता तो बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता के साथ हमारा दैनिक खान पान, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उसके बिलकुल विपरीत है। शास्त्र कहता है कि यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो फल भी हमें पाप कर्म के ही भुगतने होंगे। यदि हमने पुण्य किए हैं तो फल भी हमें पुण्य कर्म के ही भुगतने होंगे।

हम अपने शरीर के प्रति, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से,अपने खान-पान से जिस तरह की उदासीनता बरतते हैं

VPS-RTM-24.07.2024-14.30-2f

लेकिन हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम हो। आयुर्वेद एक सम्पूर्ण शास्त्र है, एक सम्पूर्ण विज्ञान है। आयुः+वेद, इति आयुर्वेद। जो आयु को समझने वाला हो वह आयुर्वेद है।

(समयः 14.30 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

लेकिन जिस तरह से हमारे इस शास्त्र का, हमारे इस विज्ञान का औपनिवेशिक काल से ही जिस तरह से इसका पराभव हुआ, जिस तरह से इसका पराभव किया गया, वह एक बड़ा चिंतनीय विषय था। तत्पश्चात्, आयुर्वेद बिना किसी राजकीय संरक्षण के पनप नहीं सकता और हमने यह देखा है कि तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने आयुर्वेद का संरक्षण किया, उन्होंने बड़ी-बड़ी भैषज्य शालाएं बनाईं और केवल भैषज्य शालाएं ही नहीं बनाईं बल्कि उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद को समझने वाले, आयुर्वेद के शिक्षक, उस वक्त उन्होंने उनका भरण-पोषण किया और उनको आगे बढ़ाने में हर तरह से प्रयत्न किया और जहां तक मुमकिन और सम्भव हो सका अनुसंधान कार्य भी किये और यही कारण है कि सदियों से, कोई दो-चार, दस-बीस, पचास-सौ वर्ष का यह नहीं है, सदियों से जहां चरक, वाग्भट्ट जैसे विद्वान इस भारत को मिले, इस भारत को दिये, इसके बावजूद भी आप जिस परिस्थिति में हम हैं, आयुर्वेद का जो पराभव हम देख रहे हैं, यह बड़ा चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जिस तरह से बजट में मैंने यह देखा कि कि मात्र दो-चार लाइनें लिखकर जिस तरह से इसकी इतिश्री की गयी 'आयुष' के नाम से, अच्छा होता कि आप इस पर विशद विवेचन करते, विद्वानों से इस पर सलाह लेते और हम आयुर्वेद का कैसे संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं, इस पर आप मनन करते। आपने यह सिर्फ तीन-चार लाइनों में, जिसमें भी इस आयुर्वेद के संरक्षण और संवर्धन की बात आपने नहीं की, आपने इसमें सिर्फ चर्चा की है कि इन-इन स्थानों पर आयुर्वेद चिकित्सालय बनाये जाएंगे, इन-इन स्थानों पर जो आयुर्वेद के

उप केन्द्र हैं, उनको क्रमोन्नत किया जायेगा। मात्र इतने से ही यदि आप यह समझते हैं कि आयुर्वेद का संरक्षण और संवर्धन हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, इससे नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह अपेक्षा करता हूं और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि कोरोना काल में हम जिस तरह से असहाय, निराश और अपने आप को एक ऐसे गर्त में पा रहे थे, सड़कों के किनारे लम्बी-चौड़ी लाइनें लगी हुई थीं, पूछने पर पता चलता था कि यहां पर क्या बन रहा है तो वे कहते थे कि यहां पर आयुर्वेद का काढ़ा बन रहा है। क्या हम केवल संकटकाल में ही आयुर्वेद को याद करते हैं? केवल आयुर्वेद की ही बात नहीं है, मैंने इसी सदन में जब मैं सभापति पैनल में था तो आपके आसन से ही मैंने एक बात कही थी, जब सदन में इस बात की चर्चा हुई कि होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन है तो मैंने अपनी तरफ से यह कहा कि यदि प्रिवेंटिव मेडिसिन है, अभी इसका कोई बहुत ज्यादा प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है, ज्यादा लोग इससे इफेक्टिव नहीं हुए हैं तो हमको प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए तो सदन में इस बात की उत्तेजना पैदा कर दी गयी कि होम्योपैथी में ऐसी कौनसी दवा हो गयी जो प्रिवेंटिव करेगी।

माननीय सभापति महोदय, कोई भी ज्ञान सम्पूर्ण नहीं होता है। ज्ञान की जब हम बात करें तो रामायण का एक उद्धरण है कि भगवान लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से घायल हो गये, वे मृतप्राय थे तब उन उच्च आदर्शों और उन उच्च मापदंडों को हमको महसूस करना होगा कि वैद्य जो सुषेण थे, जो रावण के वैद्य, राम के दुश्मन थे वे लेकिन वैद्य सुषेण ने जब यह कहा कि आप संजीवनी लाइये और भगवान हनुमानजी जब संजीवनी लाने गये तो वे अचरज में पड़ गये, वे संजीवनी को पहचान नहीं पाये। कितना विशद है हमारा यह शास्त्र?

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं

दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।

वे ज्ञानियों में अग्रणी थे लेकिन वे औषधि को नहीं पहचान पाये। हम क्या यह समझे कि ज्ञान समाप्त हो गया। इस पृथ्वी पर जो एक बार आया है वह समाप्त नहीं होगा, वह कहीं न कहीं है। मेरी दृष्टि यदि सिक्स बाई सिक्स की नहीं है तो यह मेरा दृष्टि दोष है। मैं यह कह दूं कि सिक्स बाई सिक्स के आगे दुनिया या धरती कुछ है नहीं तो यह मेरा दृष्टि दोष है, माननीय सभापति महोदय, ज्ञान का क्या दोष? हमने इस ज्ञान को मृतप्राय छोड़ दिया और अभी भी वक्त है कि केरल जो हमसे आबादी में, भौगोलिक दृष्टि से, सब तरह से हमसे बहुत पीछे है लेकिन केरल में हैल्थ टूरिज्म के नाम से जिस तरह से पंचकर्म और जिस तरह की इन विधाओं को उन्होंने अपनाया है और वे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास में अच्छे चिकित्सकों की कमी है? क्या हमारे पास में अच्छे गुणीजनों की कमी है? क्या हमारे पास में अर्थ का इतना अभाव है कि हम इतने अच्छे शिक्षक पैदा नहीं कर सकते? क्या हमारे पास में इतना अभाव है कि हम अच्छे चिकित्सालय नहीं बना सकते?

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद एक शास्त्र नहीं है बल्कि एक जीवन की पद्धति है

और आयुर्वेद तो हमारे घरों में इतना अन्दर तक बैठ गया कि आज हमारी किचन में पूरा आयुर्वेद है। हमारे जितने भी मिर्च-मसाले हैं, वे सब आयुर्वेदिक औषधियां हैं। परिवार में यदि किसी के जुकाम हो गया है तो यह परम्परा रही है कि इसको काढ़ा दे दो, यह हो गया तो इसको वह दे दो। हल्दी, जीरा, धनिया, कलौंजी, ये सारी की सारी औषधियां हैं लेकिन हमने आँख मूंद रखी है। आँख कब तक मूंदेंगे? क्या हमें इस शास्त्र को, इस विज्ञान को मृतप्राय छोड़ देना चाहिए?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप आपस में चर्चा नहीं करें। वे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, समय की अपनी सीमा है, मुझे बहुत ही संक्षेप में कहना पड़ेगा लेकिन मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया, यह नहीं किया, वह नहीं किया की बजाए प्रपंच में पड़ने के कोरोना में जिस तरह से इस आयुर्वेद ने अपनी महत्ता साबित की है, उसको देखते हुए हमें हैल्थ टूरिज्म पर ध्यान देना चाहिए। हमको अच्छे-अच्छे आयुर्वेद केन्द्र बनाने चाहिए जहां पर पंचकर्म जैसे अच्छे चिकित्सक बैठे, पंचकर्म जैसी अच्छी औषधियां हो। हमको सरकार के संरक्षण में आयुर्वेद पर अनुसंधान करके गुणवत्तापूर्ण अच्छी औषधियां बनानी चाहिए लेकिन इसमें मैं केवल सरकार का ही दोष नहीं मान रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद चिकित्सकों का भी दोष मानता हूं। आयुर्वेद चिकित्सक अपने आपको इतनी हीन भावना में महसूस कर रहा है कि वह अपने आपको आयुर्वेद चिकित्सक, वैद्य कहने में भी उसको लज्जा आ रही है, वह वैद्य नहीं कहलवाना चाहता है।

श्री सभापतिः डॉक्टर।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): हां, वह डॉक्टर कहलवाना चाहता है। जिस विधा में आपने अपना ज्ञान अर्जित किया है, जिस विधा से आप पारंगत होकर इस शास्त्र का आपने अध्ययन किया है, आज उस विधा से आपको लज्जा महसूस हो रही है तो आपको यह नहीं पढ़ना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से उनको भी यह संदेश देना चाहता हूं, कल से नहीं आज से और अभी से ही कि वे अपने आपको वैद्य कहलवाना पसंद करें, अपने आपको आयुर्वेद चिकित्सक कहलवाना पसंद करें ताकि आपकी विश्वसनीयता कायम हो।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद क्या कहता है?

'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं ।

आतुरस्य विकार प्रशमनं चः ॥'

स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर को निरोग करना, यह शास्त्र है आयुर्वेद लेकिन इस शास्त्र को हम यदि अब नहीं सम्भाल पाये तो माननीय सभापति महोदय, बहुत विलम्ब हो जायेगा। हमको कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जैसे आयुर्वेद चिकित्सा

पद्धति है, आर.जी.एच.एस. में उसको शामिल करना चाहिए। वह रिटायर्ड है, वह सर्विस में है, उसको अधिकृत किया जाना चाहिए और सारी औषधियां देनी चाहिए। उसको आपने केवल चूर्ण चटनी तक ही सीमित कर रखा है। लवण भास्कर चूर्ण ले लेना, समाप्त हो गयी बात। जब मेडिकल साइंस में आप उसको चालीस-चालीस हजार रुपये की दवा अपने सरकारी स्तर पर दे सकते हैं तो क्या अच्छी भस्में, पिष्ठियां जो आयुर्वेद की हैं, वह क्या किसी रोगी को नहीं दे सकते?

माननीय सभापति महोदय, इस पर मंथन होना चाहिए और सरकारी स्तर पर इस पर चिंतन और मनन करके हमको अच्छे चिकित्सकों का संरक्षण करना चाहिए।

SSY/RTM/24.07.2024/14:40/2g

अच्छे-अच्छे औषधालय खोलने चाहिंए। जहां-जहां मेडिकल कॉलेज हैं, सीकर में मेडिकल कॉलेज खोला, सीकर में अस्पताल खोला, 50 बैड का अस्पताल खोला। रोजमर्रा के जो पेशेंट आते हैं उन आउटडोर पेशेंट के लिए तो बना दिया, लेकिन 50 बैड का इंडोर पेशेंट के जो कक्ष थे, वह नहीं बन रहे हैं। सरकार बदल गयी, अब क्या करें? अब या तो 5 साल का इंतजार करें या आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सरकार ने आयुर्वेद औषधालय सीकर में खोला है, तो आउटडोर पेशेंट के साथ-साथ इंडोर पेशेंट की भी व्यवस्था आप वहां पर करिये। ना केवल वह व्यवस्था करिये बल्कि सीकर अपने आप में ट्यूरिज्म का इतना बड़ा हब बन रहा है, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। आपको टीवी चैनलों से पता चला होगा कि खाटूश्यामजी में 20 लाख यात्री वार्षिक मेले पर आते हैं। सालासर मेला, खाटूश्यामजी मेला, शाकम्भरी मेला, जीण माता मेला, यदि आप सीकर और आसपास के इलाके में अच्छे पंचकर्म के, प्राकृतिक चिकित्सालय के अच्छे सेंटर डवलप करेंगे, फाइव स्टार कल्चर के डवलप करेंगे तो निश्चित रूप से ना केवल आयुर्वेद का संरक्षण होगा, आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास में जंगल पड़े हुए हैं। आज हमारे वन मंत्री जी आये नहीं हैं। उन जंगलों में, माननीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नाम से जिस पौधे की बात की जा रही है, मैं उसका नाम तो ले लूंगा लेकिन मैं उसको जंगली बबूल कहूंगा। उस जंगली बबूल के स्थान पर हम वहां पर औषधीय पौधों को क्यों नहीं लगाते? यदि हम औषधीय पौधों को वहां पर लगायेंगे तो धीरे-धीरे पौधे पनपेंगे। उससे ना केवल किसानों की आय होगी बल्कि बहुमूल्य औषधियां, ऐसी औषधियां हैं जो लुप्त प्राय हो रही हैं, उन लुप्त प्राय औषधियों को भी हम दुबारा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाकर के उसका उत्पादन कर पायेंगे। निश्चित रूप से उससे आयुर्वेद का भला होगा।

आयुर्वेद एक विशद शास्त्र है। लेकिन इस शास्त्र को बिना सरकारी संरक्षण के मात्र हम यह छोड़ दें कि अपने आप यह अपना संरक्षण कर लेगा, यह संभव नहीं है। कोरोना में हमने जिस तरह से आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवाएं ली, हमने यह भी कहा कि जो मेडिकल

चिकित्सक कोरोना से प्रभावित होकर, जिनकी कैजुअल्टी होगी उनको हम 50 लाख रुपया देंगे। तो क्या वह आयुर्वेद चिकित्सक जो वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा था, जो होम्योपैथिक का चिकित्सक वहां पर सेवाएं दे रहा था, जो यूनानी चिकित्सक वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा था, उसके प्राणों की कोई कीमत नहीं। यूनानी भी विधा है।

हमको ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स के लिए अच्छी कॉलेजेज बनानी चाहिए। आज राजस्थान में मात्र 2 सरकारी कॉलेज हैं। हमको अच्छी कॉलेज बनानी चाहिए। अच्छी कॉलेजेज अगर होंगी तो अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कलकत्ता रहा हूं। मैंने लंबे समय तक वहां प्रवास किया है। वहां हर गली के नुक्कड़ पर आपको होम्योपैथी का डॉक्टर मिल जायेगा। सस्ती दवा, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, मेरा पौत्र है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मात्र 4 साल की आयु, लेकिन जब मैंने अपने इसी विधान सभा के जो होम्योपैथिक चिकित्सक थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है इसकी, दिखाया, ठीक हो गया। हमको बच्चों के लिए अच्छे होम्योपैथी के चिकित्सालय खोलने चाहिंए। जो स्पेशल रूप से बच्चों के लिए हों।

माननीय सभापति महोदय, एक शब्द है मसानिया वैराग्य, आप समझते हैं मसानिया वैराग्य? आदमी जब श्मशान घाट में जाता है तब अचानक दीन-दुनिया उसको बिलकुल अजीब लगने लगती है। क्या जीना, क्या मरना, काहे की दुनिया, क्या दुनिया।

श्री सभापति: वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): वह सब कुछ को त्याग देना चाहता है। लेकिन जब बाहर आता है तो वही जूतम पैजार। हम इस सदन में बैठकर जो चर्चाएं करते हैं, यह मसानिया वैराग्य है। सरकार जागे, मसानिया वैराग्य से बाहर निकले और हकीकत में इस बात का प्रण करे, निष्ठा पूर्वक प्रण करे कि हमारे इस ज्ञान-विज्ञान को हम मृत नहीं होने देंगे। हम इसको पनपायेंगे। हम इसको आगे बढ़ायेंगे। क्या सरकार के खजाने में कमी है? सरकार के खजाने में कमी है तो कंट्रीब्युशन कर लें। विधायकों से कंट्रीब्यूशन कर लें। माननीय सभापति महोदय, यह परंपराएं ऐसी रही हैं, जिनको संरक्षण मिला हो, चाहे सम्राटों का संरक्षण मिला हो या राजा-महाराजाओं का संरक्षण मिला हो, बिना संरक्षण के यह विधाएं नहीं पनप पाई।

सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के मेडिकल का एक बोर्ड बना हुआ है। उसमें आयुर्वेद चिकित्सक क्यों नहीं है? उसमें आयुर्वेद चिकित्सक भी होना चाहिए। जब आपके 4 डॉक्टर बैठते हैं तो 4 डॉक्टर्स के साथ में एक आयुर्वेद का चिकित्सक बैठ जाये, एक होम्योपैथी का भी बैठे और एक यूनानी का भी बैठे। इससे निश्चित रूप से उनके ज्ञान का भी लाभ होगा।

मेरा अपना मानना है कि मेरी इस आयु में, आयुर्वेद संपूर्ण शास्त्र है। उसमें सब कुछ है जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए जो ज़डियां, जो औषधियां चाहिए, वह हमारे पास औषधियां नहीं हैं। अब हम लवण

भास्कर और चूर्ण,चटनी खिलाकर यदि करना चाहें तो यह थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं सरकार से उम्मीद करता हूं और खास तौर से मंत्री महोदय मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि यह शास्त्र हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी थाती है। हमें इस बात के लिए प्रायश्चित्त करना पड़ेगा कि हमें जब अवसर मिला तो इस थाती को बचाने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए कुछ नहीं कर पाये। यह प्रायश्चित्त रहेगा। प्रायश्चित्त नहीं करना पड़े इसके लिए इसके लिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो भी आप कर सकें, वह सारा कुछ करिये।

इससे किसानों को रोजगार मिलेगा। यदि औषधीय फसलें होंगी तो सरकार को रेवेन्यु भी जनरेट होगी। यदि ट्युरिज्म डवलप होगा तो उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगी। किसानों की भी आय बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा विषय है जो गाय माता से जुड़ा हुआ है। पशु पालन के जो हालात आज हमारे यहां हैं, केवल यही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में हैं। इससे सम्बन्धित जो परेशानियां हैं, मैं आपके बजट को पढ़ रहा था, इसमें आपने उसके लिए क्या लिखा है? गो नृवंश जो है, आवारा गो नृवंश, क्यों भई वह आवारा कैसे हो गया? आवारा ही लिखा है आपने। जो नन्दी है वह आवारा हो गये। आवारा कैसे हैं? उन्होंने क्या कर दिया? वह किसी घर में पैदा हुए और आपने लाकर के सड़क पर छोड़ दिया। वह मूक पशु जो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। सिर्फ अपनी आंखों की भाषा से आपको समझा सकता है। उसको आपने आवारा बता दिया। मेहरबानी करके इसको आप निराश्रित गो वंश कहें। यह निराश्रित है। यह आवारा नहीं है। इसको आवारा कहकर आप लज्जित मत करिये। यह निराश्रित है।

सभापति महोदय, गाय के लिए शास्त्र क्या कहता है, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात्, सूखे तृण खाकर के, तालाब का पानी पीकर के हमें दूध देती है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय दुनिया की माता है। उस गाय की आज हमने हालत क्या कर रखी है? सड़कों के किनारे, हाईवे पर, क्या कभी हमने इस बात पर चिंतन-मनन किया है? जो भी सरकार आती है, अभी हमारी सरकार ने भी गोपालन विभाग बनाया, निदेशालय बनाया। निदेशालय बनने से गायों का संरक्षण हो जायेगा? उसको जमीन तक उतारिये। गावों में भी,शहरों में भी उसके छोटे-छोटे ऑफिसेज बनें। वहां इंफ्रास्ट्रचर हो और अच्छी गो शालाएं हों।

सभापति महोदय, जब तक इसको नरेगा से नहीं जोड़ेंगे, खास तौर से जो नन्दियों की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, इस नन्दी की समस्या को जब तक हम नरेगा से नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं होगा। हाईवे पर कितने एक्सीडेंट होते हैं? माननीय मंत्री महोदय, जब आप अपना रिप्लाई दें तो उसमें आप यह बताने की कृपा करें कि इन नन्दियों से हाई वे पर कितने एक्सीडेंट होते हैं? एक दिन अख़बार में छपता है या टीवी पर आ जाता है, एक्सीडेंट हुआ, 10 आदमी मर गये, 2 आदमी मर गये, 5 आदमी मर गये। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने भी अपने प्राण खोये थे। हाईवेज पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव है विनम्रता पूर्वक कि यदि हम इनको टोल से जोड़ दें कि जिन-जिन हाईवेज पर ज्यादा एक्सीडेंट पशुओं की वजह से हो रहे हैं, वहां टोल वाले उसके लिए कोई ना कोई चार्ज

करें, कोई मैकेनिज्म डवलप करें। उन गो वंश का वहां से मानिटरिंग करे और वहां से हटाये। फिर वह चाहे अपना कोई छोटा-मोटा बाड़ा बना लें या कुछ भी कर लें। जहां वह रखकर के उनका भरण, पोषण करें।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)ः माननीय सभापति महोदय, यह चीज रोजमर्रा बढ़ रही है। यह कम नहीं हो रही है। अभी मैंने आपके बजट में देखा कि आपने 400 करोड़ रुपये सोर्टेड सीमन के लिए आपने रखे हैं। मेरा इसमें सुझाव है कि सोर्टेड सीमन को जो आपने जनरलाइज कर दिया। इसको आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लें कि फलां जिले को हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। उसका फायदा यह होगा कि पर्टिकूलर उस जिले में सोर्टेड सीमन से जो गो वंश पैदा होगा, वह गायें पैदा होंगी।

Spp/Rtm/24.07.2024/14:50/2h

अधिकतर यह देखा गया है कि गायों को लोग बाहर नहीं निकालते, गायों को लोग अपने घरों में रख लेते हैं। यदि हम गायों को सॉर्टेड सीमन के माध्यम से किसी जिले को, पायलट प्रोजेक्ट पर लेकर हम यदि वहां पर रोज जो सड़कों पर आ रही हैं, वह धीरे-धीरे वैसे कम नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकेंगे कैसे? रोकने का एकमात्र जरिया है सॉर्टेड सीमन से पायलट प्रोजेक्ट बनाकर एक जिले को आप उसमें सम्मिलित करें। उसमें आप इस बात का आकलन करें कि एक वर्ष में जो यहां पर पैदा हुये हैं, उसमें गायें कितनी हैं और बछड़े कितने हैं? धीरे धीरे यह संख्या कम होगी।

श्री सभापतिः बिराजिये। श्री बाबूसिंहजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)ः एक और काम भी किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापतिः बस अब हो गया आपका।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)ः उनका बधियाकरण भी आप कर सकते हैं। धीरे-धीरे इनका बध्याकरण करेंगे।

श्री सभापतिः बिराजें, आपका हो गया माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)ः एक मिनट और लूंगा, माननीय सभापति महोदय, कुछ जरूरी बात कहनी है।

श्री सभापतिः आपको मैंने 25 मिनट दे दिये। आपके 20 मिनट लिखे हुये हैं और कुछ लोगों के नाम कट जायेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)ः कभी मैं उस आसन पर बैठा और आप यदि बोलने लगे तो मैं भी फिर यही कहूंगा। दो मिनट का समय दीजिये मुझे आप।

श्री सभापतिः जो समय दिया हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): प्लीज, +++ दो मिनट में बोल पाऊंगा मैं। आज पशुओं का जो परिवहन है। माननीय सभापति महोदय, पशुओं के परिवहन की एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। खास तौर से सीकर, झुन्झुनूं, चूरू, जोधपुर, नागौर यह कुछ ऐसे जिले हैं जहां से किसान के घर से अपनी भेड़ और बकरी व्यापारी लेकर आता है, उनको दिल्ली या कश्मीर भेजता है। रोजमर्रा उसके सामने यह समस्याएं आती हैं कि कभी तो पुलिस वाले और कभी आपके एन जी ओ बने हुए हैं, यह उनको रोकते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म आपको डवलप करना चाहिये माननीय मंत्री महोदय, कि रोजमर्रा ऐसी समस्याएं आ रही हैं। वह पशुओं को कहीं से उठाकर, चोरी करके नहीं लाये हैं। वह पशु वो हैं जो किसान की आय बढ़ाता है। किसान के घर से पशु लेकर व्यापारी आता है, उन पशुओं को वह दिल्ली, मुम्बई और कश्मीर तक भेजता है। रोजमर्रा जो परिवहन कर रहा है, उसमें किसी तरह की उसको परेशानी नहीं होनी चाहिये। अपने अधिकारियों के साथ बैठकर कोई ऐसा मैकेनिज्म डवलप करें कि उनको आप परमिशन दें। कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह इस तरह की अव्यवस्थाएं रूकें ताकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, वह रूके। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद साहब। श्री बाबूसिंहजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य यह फरमा रहे थे और वास्तव में यह बात सही है। राजस्थान विधान सभा का यह सदन राजस्थान के विकास का पवित्र सदन है और यहां पर जो चर्चा होती है, उस चर्चा पर अमलीजामा पहनाकर राजस्थान का विकास होना ही चाहिये। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां पर घी-दूध की नदियां बहती थीं और वह घी-दूध की नदियां तभी बहती थी जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों और खलिहानों में उष्ट्र वंश, गाय वंश, भैंस वंश, बकरी वंश, भेड़ वंश, पशुधन बहुतायत मात्रा में रहता था। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों की जो अर्थव्यवस्था थी, वह कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी और वही काम हुआ करता था। हमारे तो उस समय जिनके पास रेवड़ होता था, भेड़ वंश होता था और पशुधन बहुतायत होता था, उनके यहां ही हमारे विवाह-शादियां भी करते थे कि यह परिवार सम्पन्न है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य हंस रहे हैं, यह बात सही है कि 500 का रेवड़-पशु हैं इसी घर में बेटी देंगे। वह जमाना देखा और वास्तव में हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े-बड़े ओरण छोड़े, गोचर छोड़े, चारागाह छोड़े।, उन ओरण में, गोचर में, चारागाह में बढ़िया सेवण घास होती थी। आज भी होती है और जो गायें उस घास को चरती थीं और उस घास को खाने से जो घी होता था, वह वास्तव में सोना है और ऐसा घी तो पूरे विश्व में नहीं मिलता वैसा सेवण घास का घी होता है।

माननीय सभापति महोदय, अब स्थितियां यह हो गयी कि जो मुंह से बोलकर नहीं कह सकते, उनकी आवाज अगर कोई बन सकता है तो हम बन सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के जो हालात हैं, उन हालातों में तो सिंथेटिक की नदियां बहती हैं। आज बड़े-बड़े

समारोह होते हैं और बड़े-बड़े घी के टीन जाते हैं। पता नहीं इतना घी कहां से आता है और इतना दूध कहां से आता है। इतना तो गौवंश रहा ही नहीं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज के जो हालात हैं, उन हालातों में हिन्दुस्तान के अन्दर 246 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति और राजस्थान में 408 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति रह गया। लेकिन प्रदेश का हिस्सा 10 प्रतिशत है और आने वाली 21वीं सदी में 50 ग्राम प्रति व्यक्ति ही दूध मिलेगा। आज यह हालात हो गये हैं। इसलिये भगवान गोविन्द का जो नाम पडा, वह नाम इसलिये पडा, कि इन्द्र भगवान की कोप दृष्टि ब्रज पर पड़ी। खूब बारिश हुई और गायें बहने लगीं। उस समय गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण ने एक अंगुली पर उठाकर गायों की रक्षा की और गायों ने भगवान का अभिषेक किया। इसलिये वह गोविन्द गोपाल कहलाये।

माननीय सभापति महोदय, कहते हैं-

मन्दिर-मस्जिद दूर है,
कठिन जाप हरि नाम,
श्रीचरणों में गाय के,
बसे चारों धाम।।

33 कोटि देवी-देवता का निवास कहीं हैं तो हमारी गाय में है। इसलिये हम अपनी गाय को गाय माता कहते हैं। मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान की विधान सभा के सदन को सर्वसम्मति से संकल्प लेना चाहिये और भारत सरकार को भेजना चाहिये कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिये। यह मेरी विशेष मांग रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जो ओरण, गोचर और जो सिवायचक है, चारागाह है, इन जमीनों को सोलर और विंड वालों को अलॉट कर रखा है। मेरी विशेष मांग रहेगी कि यह जमीनें तो रोकें। हमारे पूर्वजों ने गायों के चरने के लिये, पशुओं के लिये छोड़ी थी। आप तो जो खातेदारी जमीनें हैं, उनको लीज पर लेकर यह काम करायें। गायों को बख्शें, पशुधन को बख्शें जिससे आने वाले समय में हमारा पशुधन जीवित रह सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का मुख्य योगदान है और 2019 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार 5 करोड़ 66 लाख पशुधन हैं। एक करोड़ 46 लाख कुक्कुट सम्पदा है। हमारा राजस्थान स्वदेशी पशुधन के लिये प्रसिद्ध है। यहां के नागौरी बैल, गिर, राठी, थारपारकर, कांकरेज गायें, मालानी घोड़े, बीकानेरी एवं जैसलमेरी ऊँट, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्ल की बकरियां तथा चोखला, मारवाड़ी एवं पूगल नस्ल की भेड़ें अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन रहेगा कि पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ऊन उत्पादन में प्रथम है। दुग्ध उत्पादन में द्वितीय है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत एवं ऊन का 30 प्रतिशत उत्पादन राज्य में होता है। राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद 11 प्रतिशत है इसलिये पशुपालन को विशेष

दर्जा देना चाहिये और कहा गया है-

उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न चाकरी।

आज स्थति यह हो गयी कि अब चाकर तो पहले नम्बर पर है और चाकरी भी पहले नम्बर पर है। दूसरे नम्बर पर व्यापार है और तीसरे नम्बर पर खेती है। इसलिये खेती तभी होगी, जब पशुपालन ज्यादा होगा और पशुपालन होगा तो अच्छा घी होगा, दूध होगा और खाद होगा। अपने अपन समझते ही नहीं थे सिंथेटिक क्या होता है, रासायनिक खाद क्या होता है? पहले तो सारा खाद पशुओं का होता था, उसी से खेती होती थी, लेकिन अब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ज्यादा पशुधन रखें। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पांच-सात परिवार मिलकर भी गायें रख सकते हैं। मैं तो यह चाहूंगा कि प्रत्येक परिवार को कम से कम गाय का पालन करना चाहिये जिससे 33 कोटि देवता-देवताओं की सेवा एक स्थान पर ही हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि गायों के नाम से जो धर्म का काम है, उनकी सेवा का काम है। वहां गौशालाएं खोली जा रही हैं। जैसे जैसलमेर जिले के मामले आपके पास आये हैं तो गायों के साथ जो इस प्रकार का भेदभाव करते हैं और उसमें कमाई का जरिया बनाते हैं, उस पर सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये और सख्त कार्यवाही करके जिन्होंने गौशाला खोलकर गायों के नाम से भ्रष्टाचार किया है और पैसा खाया है, उनका पूरा आप मुंह में हाथ डालकर आंतड़ियों में से वापस निकलवाओ और उनके खिलाफ कार्यवाही कराओ, तभी गायों को न्याय मिलेगा। इसलिये मेरा यह विशेष आपसे निवेदन रहेगा। साथ ही जो पशु शिविर होते हैं, वह गायों के लिये होते हैं अब उन पशु शिविरों में आपको ऊंटों को, बकरियों को, भेड़ों को भी शामिल करना चाहिये जिससे उनका भी संरक्षण हो पायेगा। साथ ही ऊँट हमारे रेगिस्तान का जहाज है। और हमारे राज्य का पशु है, राज्य पशु है इसलिये इसमें तो यह सैद्धांतिक सहमति भी बन गयी कि जब हृदयाघात होता है या डायबिटिज होती है तो उसके लिये कोई उपयोगी दूध है तो वह हमारे ऊँट वंश का है।

MLS/RTM/24.07.2024/15:00/2j

उसके दूध का उपयोग उस हेतु किया जा सकता है। अब ऊंटों की तस्करी हो रही है। 7 स्टार, 5 स्टार होटलों में जाता है बूचडखानों में कटकर। इसे खासतौर से रोकने की जरूरत है। एक बार अंग्रेजों के समय में हमारे यहां की गिर गाय को काटने के लिए ब्राजील भेजा गया। उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने उसे काटा नहीं। वह गाय ब्यान हो गयी और ब्यान होने के बाद में उसका दूध उन्हें अच्छा लगा। फिर दूध की एक अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई कि किसका दूध अच्छा है, उस प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर अगर कोई आयी थी तो हमारी गिर गाय आयी थी। गिर, थारपारकर, राठी, नागौरी, साहिवाल गायों का इतना महत्त्व है। राजस्थान में देसी गाय का पालन होना चाहिये। देसी

गाय की नस्ल में आप सुधार करें।

भ्रूण प्रत्यारोपण, जैसा सीकर से आने वाले सदस्य कह रहे थे, इस प्रकार से हमारे चांदन में भी है और कई पशु विश्वविद्यालय में है, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में हैं। जो चांदन फार्म की तर्ज पर जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और विशेष तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आप ऐसे फार्म खोलें और उनमें अच्छी ब्रीड के सांडों को रखें। उन सांडों के द्वारा अच्छी नस्लें पैदा हों। अतः मैं यह कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे गांवों में सबको 5 किलो गेहूं मिलता है, हमारी गायों को भी सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार, पौष्टिक चारा मिलना चाहिये, जिससे पशुपालकों को मदद मिले कि सरकार की तरफ से एक गाय को 5 किलो पौष्टिक आहार मिला है, चारा मिला है, जिससे उसे सहायता मिले। इस प्रकार का काम निश्चित रूप से होना चाहिये।

साथ ही, ये होल्स्टीन और जर्सी गाय है, इस जर्सी गाय के लिए एक टीका आया, अब उस टीके में 90 परसेंट बछ़डियां होती हैं। अगर ऐसा टीका हमारी देसी गायों के लिए आप परीक्षण कराकर वैज्ञानिकों से ले आएं तो ये जो कह रहे हैं कि निराश्रित हैं, वास्तव में यह सही बात है कि हमारा जो नन्दी है, उसे तिलक लगाकर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि यह आवारा है, आवारा क्या, हमारे घर का था और हमने ही छोड़ा है, उसकी भी रक्षा हो जायेगी। नन्दी कम होंगे और बछ़डियां ज्यादा होने से मालिक उन्हें रख पायेगा। साथ ही, जितने भी हमारे गांवों में नन्दी हैं और गायें हैं, जिन्हें निराश्रित करके छोड़ दिया है, जो बोलकर कह नहीं सकते, उनके लिए यदि आप अभयारण्य बना देंगे और वहां रखेंगे तो उनकी सेवा निश्चित रूप से हो पायेगी। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

आने वाले समय में नवीन टैक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं, इससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है और क्वॉलिटी भी इम्प्रूव होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होता है, इसे भी आप समय पर लागू करें। कृत्रिम गर्भाधान से बधियापन, बांझपन का निवारण होता है। यह नारवा में चालू किया गया था। इसे गति देने की आवश्यकता है। इसे आप गति दीजिये।

साथ-साथ में, एलोपैथी के शल्य शिविर चलते हैं, ऐसे आप अगर पशुओं के लिए शिविर चलाएं तो उनका सही समय पर इलाज हो जायेगा और उनकी बीमारियों को रोका जा सकेगा। यह मेरा आपसे खास आग्रह रहेगा। साथ में, मैं कुछ सुझाव आपको दूंगा। उन सुझावों पर आप गौर करें। मोबाइल यूनिट मॉनीटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करना एवं मोबाइल यूनिट को क्षेत्रानुसार दवाइयों की मांग पूरी करना। ममता कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों का एक कार्ड बनाया जाये ताकि पशुओं का पूर्ण रिकॉर्ड संधारण किया जा सके।

पूर्व में भेड़-ऊन विभाग चलता था, जिसे बाद में बन्द कर दिया गया। उसे पुनः शुरू करवाया जाये। भेड़-बकरियों का विस्तृत डेटा तैयार कराया जाये। पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की सप्लाई नियमित रूप से नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण पशुपालकों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र की मांग के अनुसार दवाइयों की नियमित रूप से सप्लाई की

जाये। पंजीकृत गोशालाओं को अभी 9 महीने के लिए अनुदान मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि गाय हमारी माता है, उसके लिए हमें खुले दिन से आज ही घोषणा करनी चाहिये कि यह अनुदान 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया जाता है। मुझे विश्वास है कि इसकी घोषणा मंत्री जी आज ही करेंगे।

भ्रष्टाचार को भी रोकने का आप कार्य करें। मेरा आपसे निवेदन है कि गायों के चारे के लिए, जहां लघु सीमान्त काश्तकार हैं, जमीनें छोटी हैं, उनको अगर कृषि का सिंगल फेज कनेक्शन दें तो वह चारा बोकर अपने पशुपालन का काम कर सकेगा। साथ ही, राजस्थान के गोवंश की उन्नत नस्लें देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी उत्पादकता में श्रेष्ठ साबित हो रही हैं, परन्तु इन देसी गोवंश की नस्लों को सुधारने के प्रयास आवश्यकतानुसार नहीं हो पा रहे हैं। आमजन को उन्नत नस्ल की गायें आसानी से उपलब्ध हों, इसका प्रावधान किया जाना चाहिये। उत्तम नस्ल के सांड ग्राम पंचायतवार दिये जाने चाहिये।

हालांकि, राज्य सरकार वैटरनरी यूनिवर्सिटी के मार्फत् थारपारकर के केन्द्र चांदन व सूरतगढ़ में चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार के केन्द्र शेरगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे अन्य जिलों में चलाये जाने चाहिये। पश्चिमी राजस्थान में दूध मार्केटिंग का उपयुक्त क्रय-विक्रय तंत्र विकसित नहीं हो पाया, जिसके चलते छोटे पशुपालकों को कम दाम में दूध बेचना पड़ रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध डेयरी सहकारी समिति बनाकर दूध खरीदा जाये व गुजरात मॉडल राजस्थान में लागू किया जाये।

पूर्व में पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल आधारित योजनाएं चलायी जाती थीं, जैसे- भेड़ पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। वर्तमान में इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार को सुझाव रहेगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर मोबाइल यूनिट भेड़ व बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत रहे, जिसमें इन छोटे जानवरों के सभी प्रकार के टीकाकरण व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। भेड़-बकरी पालकों के लिए गांवों में शिविर लगाये जाने चाहिये। गोशालाओं में मौजूद गोवंश के बांझपन का इलाज कराकर उन्हें दुधारू बनाया जाना चाहिये। इसमें नस्ल सुधार की कोशिश भी हो। इन दूध देने वाली गायों को गरीब पशुपालकों को कम कीमत पर उपलब्ध कराएं तथा पशुपालकों को उत्पादन वाली गायों की गोशाला में निःशुल्क प्रवेश दिलाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम सम्भागीय स्तर पर चलाया जाये, जिससे आवारा कुत्तों, सुअरों व रोजड़ों की संख्या पर नियंत्रण रहेगा। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते हिरणों, भेड़ों, बकरियों को अपना शिकार बना लेते हैं। आवारा श्वानों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इन श्वानों की नसबन्दी समयबद्ध करवायी जानी चाहिये। प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान का भी कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिये।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार के समय में कई योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार के समय चलायी जाती थीं, उन योजनाओं की भी फिर से आप समीक्षा करें और उन्हें वापस

लागू करने का प्रयास करें। साथ ही, मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि प्रदेश में पशुपालन की अपार सम्भावनाएं हैं, राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन की गतिविधियों पर निर्भर हैं। पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्य मंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किये जाने की इस बजट में घोषणा की गयी, इसके लिए हम हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजनलाल जी के आभारी हैं।

साथ ही, दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए सॉर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों का सृजन किया जायेगा। 500 पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने की घोषणा, नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा, 100 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा, इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा, पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय होंगे, गत कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा की गयी थी। अब हमारी भजनलाल सरकार ने पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रथम 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख ऊंट वंश का बीमा किया जायेगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसके लिए हम हमारे मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं।

पहले पशुपालकों की सुविधा के लिए प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किये जा रहे थे। अब सभी जिलों में आयोजित करेंगे। इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जायेगा। इस बार हमारे पशुपालन का विशेष ख्याल रखा गया है और पहली बार इतनी बड़ी घोषणा की गयी है। इससे हमारे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय शेखाला में पशुपालकों हेतु आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाना, चाबा, तेना, सुवालिया, धीरपुरा, बैलवा, खतरिया, कनोडिया पुरोहितान, देवातू, लोड़ता हरिदासोत को पशु उप-केन्द्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करनवाना।

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय शेखाला को कार्यालय उप-निदेशक पशुपालन विभाग में क्रमोन्नत करवाना। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बालेसर, शेरगढ़, आगोलाई, नाथरऊ एवं शेखाला के जर्जर भवनों की मरम्मत करवाना,

mkd/rtm/24.07.2024/15:10/2k

पशुपालन विभाग के पुराने भवनों का सर्वे कराकर किसी उपयुक्त संस्था द्वारा मरम्मत कार्य कराया जाये। पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जायें। पशु चिकित्सलाय, बालेसर परिसर में पशुधन सहायक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाये। आयुष में भी ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, शेखाला के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, परन्तु अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ब्लॉक आयुष चिकित्सालय के भवन का निर्माण किया जाये। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, शेखाला में 18 पद स्वीकृत हैं, उनमें से केवल चार कार्यरत हैं और 14 पद रिक्त हैं, इनको भरा जाये।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अधिकांश आयुर्वेद चिकित्सालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं एवं अधिकांश पद भी रिक्त हैं। भवन विहीन चिकित्सालयों का भवन निर्माण किया जाये एवं रिक्त पदों को भरा जाये। शेखाला में जिला आयुष चिकित्सालय खोला जाये। आयुर्वेद चिकित्सालय में नियमित रूप से दवाइयां सप्लाई नहीं होती हैं1। जिसके कारण ओपीडी कम रहती है और लोगों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। बालेसर मुख्यालय पर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी ये तीनों अस्पतला अलग-अलग जगह पर संचालित है, इनको एक स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जूनावास स्कूल परिसर में, जो अभी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मर्ज होने के कारण, यह भवन खाली है, इसमें संचालित किया जाये।

मंत्री महोदय, ऐसी खबरें छप रही हैं कि आपके पशुपालन के जितने भी भवन हैं, वे जर्जर हालत में हैं, इनका विशेष सर्वे करवाकर इनका काम करवाया जाना चाहिए। साथ ही, मेरा निवेदन रहेगा कि आयुष नर्सेज हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जो वेतन विसंगतियां हैं, प्रदेश में वर्ष 1998 से 2013 तक आयुष नर्सेज को मेडिकल नर्सेज के समान वेतन दिया जा रहा था, लेकिन जुलाई 2013 में मेडिकल नर्सेज को ग्रेड पे 4200 एवं आयुष नर्सेज को ग्रेड पे 3600 देते हुए, दोनों के मध्यम वेतन विसंगति को जन्म दे दिया गया। जबकि दोनों को प्रशिक्षण, भर्ती का तरीका एवं कार्य एक समान है। नर्सिंग भत्ता प्रदेश में आयुष नर्सेज को भी मेडिकल नर्सेज के समान नर्सिंग भत्ता दिया जाये। कैडर रिव्यू आयुष विभाग में नर्सेज पदों के अनुरूप नवीन कैडर रिव्यू कराया जाकर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कराया जाये। नर्सेज का पदनाम परिवर्तन कर नर्सेज ऑफिसर, आयुष विभाग स्तर पर वर्षों से लम्बित है। गैर वित्तीय विभागों को शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जाये। यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

सभापति महोदय, 2008 में स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण कैडर बनाया गया। जिसमें दोनों विभागों के डॉक्टर,नर्स, कम्पाउंडर की भर्ती की गई, परन्तु स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण कैडर को मूल विभाग में मर्ज कर रेगुलर कर लिया गया, लेकिन आयुर्वेदिक विभाग

में ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कम्पाउंडर को स्थाई तो किया गया, लेकिन मूल कैडर में शामिल नहीं किया गया। इसलिए, मंत्री महोदय तब से अब तक ग्रामीण कैडर के कोई रूल्स नहीं बने हैं, न ही कोई प्रमोशन पॉलिसी बनी है। 2008 में भर्ती हुए आयुर्वेदिक नर्सेज, चिकित्सक, कम्पाउंडर की 2015 में पुनः भर्ती की गई, तब से आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कम्पाउंडर की अभी तक कोई डीपीसी नहीं हुई है, कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनी है, वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं। जबकि, आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कम्पाउंडर की भर्ती 2018 में नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कम्पाउंडर को भी ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कम्पाउंडर से अधिक वेतन मिल रहा है एवं उनके प्रमोशन हो गये हैं। ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कम्पाउंडर आज भी प्रमोशन और वेतन विसंगतियों में सुधार का इन्तजार कर रहे हैं।

आयुष चिकित्सकों का भी प्रोबेशन काल दो साल का होता है, जबकि एलोपैथी चिकित्सक का प्रोबेशन एक साल का होता है, क्योंकि एक साल की इंटर्नशिप को प्रोबेशन काल में शामिल कर लिया गया है, वहीं आयुष चिकित्सकों की भी एक साल की इंटर्नशिप होती है, उसे प्रोबेशन काल में शामिल नहीं किया गया है। इस भेदभाव को खत्म किया जाये। आयुष चिकित्सकों का एक साल का प्रोबेशन काल किया जाये। एलोपैथी चिकित्सक की तरह एनपीए नॉन प्रेटी अलाउंस, 62 वर्ष का कार्यकाल और डीपीसी 6, 12 और 18 वर्ष पर हो, यह मेरा खास निवेदन रहेगा।

मुझे विश्वास है कि हमारी राजस्थान सरकार इन पांच साल के कार्यकाल में पशुपालन को बढ़ावा देने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29, 37 और 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

मुझे बिठाने से पांच मिनट पहले आप घंटी मारना। आप कहीं घंटी पर घंटी मानते रहो।

श्री सभापतिः ये बात पक्की।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मायूस मत होना जिन्दगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलन्द तो एक दिन अख़बार बेचने वाला कलाम बन सकता है और मुख्य मंत्री भजनलाल जी भी बन सकते हो, कलाम ही नहीं। वे भी सरपंच से सीधे मुख्य मंत्री बने हैं।

जो इंसान पानी से नाहता है, वह लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाते हैं, वे इतिहास बदलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज आप भी कह रहे थे, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार। कह रहे थे ना, एक बार यहां नरेगा पर डिबेट चल रही थी तो सारे सदन रात को 11 बजे, 12 बजे, ढाई-ढाई बजे तक चलता था, अब तो 10 बजे ही छूट जाता है। 9 बजे भाषणा हो रहा था कि नरेगा

में अपार भ्रष्टाचार है। जब मेरा नम्बर आया तो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार करता कौन है, भ्रष्टाचार यह सदन करता है तो सब चौंक गये। मैंने कहा, तुम यह बताओ, मंत्र और तंत्र दो केस हैं। मंत्र तो मंत्री होते है और तंत्र अफसर होते हैं। अगर मंत्री का मंत्र ठीक लगेगा तो तंत्र अपने आप फड़फड़ायेगा, पर मंत्र वाला क्या सोचता है कि भाभी रांड हो जाये और भाई जिन्दा रह जाये कि मैं तो किब खा लूं और नीचे वाला खाये नहीं, दोनों मिलकर काम गड़बड़ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो और यह जो सारा सिस्टम कोलेप्स हो रहा है, वह भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है। हॉ, हमारे कारण हो रहा है। ..(व्यवधान).. बाबा जी, आपको कहां तो मुख्य मंत्री बना रहे थे, मंत्री को ही नाको नहीं रहो, क्यों इनकी सेवा करने में लगे हो, आप जाकर धूणी में बैठो, आराम से भगवान का नाम तो लोगे।

मेरे को मंत्री कहां से बनायेंगे। मैं ऐसे बोलूंगा तो मंत्री बनायेंगे? मंत्री उनको बनायेंगे, जो अच्छे चमचे होते हैं, मैं चमचागिरी नहीं करूंगा, इसलिए तो नहीं बन रहा हूं। मंत्री कौन है, मंत्री वो है, जिसके दिल में आम अमान होता है। जिसकी आत्मा हर मर जाती है, वह मंत्री बने चाहे प्रधान मंत्री बने, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को इस बात की परवाह नहीं है, मंत्री बनने से, मैं संत्री पक्का बनता हूं और जब तक संत्री रहूंगा तब तक हमारी जनता की सेवा करूंगा। आप यह कह रहे हो कि हमारे यहां भ्रष्टाचार बहुत है। आज पूरा सदन है, मुख्य मंत्री जी भी 29 तारीख को जा जायेंगे, सारा सदन बैठेगा। उस दिन सारे कह दो कि एक पैसा नहीं खायेंगे, अपने आप नीचे का तंत्र बन्द हो जायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय भूल रहे हैं। आयुर्वेद पर है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): विषय तो यही बढ़िया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप सबके दिल में भावना हो जाये कि राजस्थान को हमें पवित्र बनाना है, राजस्थान को सुदृढ़ बनाना है और राजस्थान की प्रत्येक स्कीम को क्रियान्वति करनी है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। आज ये कहते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। एक हजार आयुर्वेद हॉस्पिटल हैं, 83 यूनानी, 355 होम्योपैथिक है। आप यह बताइये कि एक जमाना था कि वैध हाथ की नाड़ी देखकर बता देता था कि तूने पांच दिन पहले क्या खाया था। अबका वैद्य करता है, गोडा पारण गोली लाता है और पीसकर पुडिया बना लेता है और उसको दे देता है और बोलता है कि अब तुम ठीक हो गये। ठीक तो होना ही था, गोडा पारण गोली गर्मी लायेगी, ठी हो जाऊंगा।

अभी हमारे पारीक जी ने बताया था कि वैद्य अपना नाम लेने से भी शरमाने लग गये हैं। मैं एमएलए कहने से शरमाने लग जाऊं या जनता का सेवक कहने से शरमाने लग जाऊं तो मैं क्या काम करूंगा। मुझे अपने कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। मैं जिस कर्म पर जीतकर आया हूं, मैं जिस सब्जेक्ट से डिग्री करके आया हूं, उस डिग्री के प्रति हमारा उत्साह होना चाहिए। वैद्य कहता है, मुझे डाक्टर कहा करो। डॉक्टर बनने के बाद, तू भगवान बन जायेगा क्या। तुम अपने वैद्य के नाम से लोग, वैध को श्रद्धा से मानते थे। वैद्य खत्म हो

गये, यूनानी खत्म हो गये, होम्योपैथिक वाले सफेद गोली दे देते हैं, फिर कहता है गोडा पारण ले लोगे क्या तो गोडा पारण से दु:खी होकर ही तो आपके पास आये थे। आप फिर गोडा पारण देने लग गये।

हमारे उप मुख्य मंत्री जी मैं बता रहा हूं कि आज जो सिस्टम है, वह सिस्टम कॉलेप्स हो गया है। यहां उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। वैद्य खत्म हो गया, वह तो हो गया, पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया। कौन जाकर चैक करता है, कौन कहता है वैद्य टाइम पर आया या नहीं आया। दवाई टाइम पर आई या नहीं, किसको दिया या नहीं दिया, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको भी हमने ड्यूटी दी, वह ड्यूटी वाला मिलकर अपनी ड्यूटी को भूल जाता है और गांधी की चिट्ठी से लग जाता है, जब तक यह गांधी वाली चिट्ठी धूमिल नहीं होगी तब तक यह मामला हल नहीं होगा। इसलिए आप सब कहते हो कि हॉस्पिटल और खुलवा दो। हॉस्पिटल तो एक हजार बहुत है, 2400 पीएचसीज खुली हुई हैं।

Bhs/Rtm/24.7.24/15.20/2I

कई कहते हैं कि 6 सौ आदमियों पर एक हॉस्पिटल है। मैं हिमाचल गया था, वहां गोली की जरूरत पड़ गई मुझे, मैं बीस किलोमीटर तक चला गया मुझे हॉस्पिटल नहीं मिला। केरल में चला गया, वहां भी यही हालत है। अगर सबसे ज्यादा इस राजस्थान की 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 234 जनता है इसमें हमारा हिन्दुस्तान में आठवां नम्बर है और बीमारियों में हम एक नम्बर पर आने को तैयार हो रहे हैं। क्यों, कोई व्यक्ति अपने शरीर को, एलेपैथिक गोली तो ले लेगा, जेब में डालेगा और चलता-चलता मुंह में लेगा पानी पी लेगा और चल देगा लेकिन कभी आपने सोचा कि योग करेंगे। आयुर्वेद के प्रति आदमी को जागरूक होना चाहिये। आयुर्वेद में इतनी ताकत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी भी पत्ते को आप खाओगे तो वो ही आयुर्वेद है।

सभापति महोदय, एक आदमी ने तीन साल तक डॉक्टर्स के चक्कर में सात ऑपरेशन करा लिये उसके पेट में गड़बड़ थी। हमने उसे चार-पांच चीजें बताई कि सहजन के पत्ते, बील के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते दस पत्ते तुम डेली बना कर खा लिया करो ठीक हो जाओगे। वह ठीक हो गया और बोला, भाई साहब, वास्तव में ठीक हो गये हम तो। मैं कह रहा हूं कि हर आदमी में आयुर्वेद है पर कोई यूज ही नहीं करता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः शान्ति से सुनें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): केवल गोली लिया, पत्ता देना, पत्ता लेते जाओ और पत्ता आगे चढ़ता जायेगा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य हंस रहे हैं। कोई भी इनके बीमारी आये तो आप इलाज बताना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये तो हंसने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप हंसते रहना

फिर मेरे को फायदा मिल जायेगा चार-पांच मिनट का।

अब आपको मालूम है कोरोना में बगैर पैसे की चीज थी गिलोय। गिलोय का पत्ता और गिलोय की जड़ का, गिलोय एक ऐसी बेल है कि अगर 6 महीने तक आपने फर्श पर भी डाल दी तो भी नहीं सूखेगी, उसका गुण-दोष खत्म नहीं होगा। उसका काढ़ा बना कर पीया लोगों ने तो कोरोना ठीक हो गया। ...(व्यवधान)... क्या तकलीफ है, अगर तकलीफ है तो 15 मिनट बाद मिलना और दिल में कोई गड़बड़ है तो दिल में रखना, बोल कर समय खराब मत करना, घंटी बजा देंगे।

सभापति महोदय, संजीवनी को तो हम भूल गये और हम उन चीजों में लग गये जो मिलावट वाली है। मिठाई खाने लग गए, पनीर खाने लग गए। अगर हमने जड़ीबूटियां खाई, अगर हमने खींप की पत्तियों की सब्जी खाई तो बीस रोग खत्म होते हैं, पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी।

श्री सभापतिः क्या नाम बताया आपने?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)ः खींप। खींप की खिपोली बोलते हैं उन फलियों को। अगर हमने करेले खा लिये बाड़ पर से उतार कर तो पचास रोग खत्म हो जायेंगे पर पनीर बहुत अच्छा लगता है और चाउमिन बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता हूं कि अगर चाउमिन खाओगे तो चाउमिन हो जाओगे। कलकत्ता का एक सेठ मिला, उसकी घरवाली में 110 किलो वज़न था और उसका 115 किलो वज़न और उसके पोते का था 90 किलो वज़न। मैंने पूछा सेठ जी तुम्हारे क्या हाल है, बोले कि तीनों के घुटनों में दर्द है तो मैंने पूछा कि क्या खाते हो तो बोले कि चाउमिन खाते हैं, बर्गर खाते हैं तो मैंने कहा कि दर्द मेरे आयेगा क्या, तेरे नहीं आयेगा तो, बर्गर खायेगा तो दर्द ही आयेगा तो मैंने उसको तीन-चार योग करके बता दिये तो बोला कि ये तो हम अगले जन्म में ही करेंगे अब तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जीभ का स्वाद और जीभ की गड़बड़ आदमी को खत्म कर देती है। जीभ से कोई गलत बोल दोगे तो दुनिया कूटेगी और जीभ से ज्यादा खा जाओगे तो मरोगे इसलिये जीभ का ध्यान रखना है आपको तो। आप यह कह रहे हो कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आदरणीय वैद्य श्रवण कुमार बोलिये, साहब।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)ः देखो, मंत्री जी, क्या हो रहा है, 'हम तो आहें भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती।' हम तो कुछ भी कर दें तो हमारे तो दुनिया भर के लांछन लगा देंगे कि तुमने यह किया, तुमने यह किया और आप लोग कुछ भी कर दो क्योंकि राज में हो, आधे से ज्यादा तो डर के मारे बोलेंगे ही नहीं। यह हिन्दुस्तान कमजोर देश है जिसमें अगर किसी का राज आ जाता है तो रात के 12.00 बजे ही मिल कर आ जाते हैं। राज से मत डरो, इंसान की इंसानियत से डरो। राज किसी का भी आ सकता है। राज आ जाये तो क्या होगा, हम कोई गड़बड़ ही नहीं करेंगे, हम कोई अपराध ही नहीं करेंगे तो क्या पुलिस हमको पकड़ कर ले जाएगी और पुलिस में तो इतना दम ही नहीं रहा है जो किसी को पकड़ ले। पुलिस तो अपना टाइम पास करती है।

सभापति महोदय, अब सदन में मुख्य मंत्री जी कम आते हैं। गृह मंत्रालय का जवाब भी एक ही देते हैं, आंगनबाड़ी का जवाब भी वो ही देते हैं, सबका जवाब अलग-अलग देते हो। नॉलेज तो प्राप्त करना पड़ेगा, नॉलेज नाम लेने से नहीं आयेगा। स्वामी विवेकानन्द जी हिन्दुस्तान में जब निकलते थे तो पूरा देश देखता था और जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे। सुबह जवाब नहीं आ रहे थे। जवाब नहीं आ रहे थे तो मंत्री जी चुप, अध्यक्ष साहब कितने दिन बचायेंगे। पत्ते की ओट में बैठ कर कितने दिन राज करोगे, नहीं कर सकते। दम पर करो। फौजी कहा करते हैं कि एडी और पंजे के पास नौकरी करोगे तो हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सोल्जर बन जाओगे और किसी के आशियाने में खाना बनाओगे तो सैनिक नहीं बन सकते वो बेड मैन ही बन सकते हैं। इसलिये आदमी के पास यह नॉलेज होना चाहिये और सबसे बड़ा तो आत्मबल होना चाहये।

सभापति महोदय, आत्मबल जिसके पास नहीं है वह व्यक्ति दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है और आत्मबल कब आयेगा जब उसके दिल में सत्यता होगी। सत्यता नहीं होगी कमजोर होगा, आदमी कमजोर वो ही होता है जो रिश्वतखोर होता है, अपराधी होता है और दूसरों की चापलूसी करता है। चापलूसी करने वाला आदमी डेली मरता है। चापलूसी करने वाला सुबह से शाम तक सौ बार मरता है और बहादुर आदमी जिन्दगी में एक बार मरता है। आपको मालूम है कि शेर अगर जंगल में मर भी जायेगा तो गीदड़ 6 महीने तक उसके पास नहीं जायेंगे। उनको क्या मालूम मर गया, देख तो सकते ही नहीं न और गीदड़ मरेगा तो हजारों मक्खियां उसके पास आ जायेगी क्योंकि मरा हुआ तो है ही पहले से ही और मर ही गया। आप देखो आप अभी बात कर रहे हो यह आयुर्वेद वाली बात तो बहुत ज्यादा लम्बी है पर मैं कह दूंगा।

सभापति महोदय, अब आप आइये गाय माता पर। गाय माता है ही कहां। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं उप मुख्य मंत्री जी, हमारे सिंघाना में एक गाय थी। एक खाती के 16 गायें थी, वो पहाड़ पर चरने के लिए चली गई और गाय वहां ब्या गई वहां पर रात को और वह रात को नहीं आई तो घर वालों को चिन्ता हो गई औ रात को उस गाय के बछड़े को खाने के लिए जरख आ गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि उस गाय ने उस जरख का सींग डाल कर मार दिया और जब सुबह गये तो देखा जरख मरा हुआ था और गाय थी और उसको लेकर आ गये, उनमें भाव था और वो अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायी थी। आज की ये जर्सी गायें जो देश में गन्दा ब्रीड आ गया इसके बछड़े को चाहे कुत्ता पास में बैठा-बैठा खाता रहे, परवाह ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसमें भावना ही नहीं है, उसमें दया ही नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है और जिस दिन से हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे जर्सी गायों को दूध पीने लग गये उस दिन से गांव की शर्म, लिहाज, लज्जा, प्रेम, भाव सब खत्म हो गया। बेटा बाप को नहीं मानता, घरवाली पति को नहीं मानती, भाई को भाई नहीं मानता क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): यह कांग्रेस की सरकार लेकर आयी थी पूर्व में जर्सी गाय

को ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने तो सुना है कि बाबा लेकर आया था। बाबा विदेश गया था वहां से गाय ले आया। मैंने वही सुना था बाबा गये थे विदेश में अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बैठाया तो बाबाओं ने बैठाया है। एक गाय ये लाते हैं और बंदर बना कर डाल कर मंजीरे और जगह-जगह, एक तो वह आसाराम तो जेल में पड़ा ही है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राम रहीम पड़ा ही है, आसाराम पडा ही है। हरियाणा में तो 32 जेल में हैं। ...(व्यवधान)...

महन्त बालकनाथ (तिजारा): वो साधु नहीं है जिनकी बात आप कर रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेहरबानी करके उत्तेजित मत होओ, गुस्सा मत करो। बाबा गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा आशीर्वाद देते हैं।

श्री सभापति: विराजिये।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आसाराम जेल में जोधपुर में पडा है और अभी तक मंजीरे नहीं निकाले हैं।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैं क्या कह रहा हूं कि यह जो मैंने बोला है न आप करेक्ट कर लेना यह जो जर्सी गाय है यह अमेरिकन ब्रीड है यह कांग्रेस सरकार ही लेकर आयी थी और किसानों को दुःखी करने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और ये बाबा कौन लेकर आये हैं?

महन्त बालकनाथ (तिजारा): ये किसानों को परेशान करने के लिए कांग्रेस घास भी है जो आपके खेतों में होता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये अपने-आप ही आते हैं देश में ...(व्यवधान)... बाबा अपने आप आ गये।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): देखो, मेरा समय खराब किया है। माननीय सभापति महोदय, कोई खड़ा नहीं होगा। मेरे दो-तीन मिनट खा गये हैं।

श्री सभापति: विराजिये। आ गई आपकी सारी बात।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह बता रहा हूं आसाराम बाबा को जेल में किसने डाला, खुद ही पडा है।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): वो साधु नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाह रहा हूं हिन्दुस्तान में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दया भाव, भावना, आज आप में क्या घुस गया, क्या खाकर आये हो।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): वो साधु संन्यासी नहीं है।

श्री सभापतिः श्री गोपाल शर्मा। विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे तीन मिनट खा गये।

श्री सभापतिः सारी दवाइयां बता दी आपने। विराजो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये जो जर्सी गायें हैं, भाव भावना खतम है और जो इनका दूध पीया उस आदमी में जर्सी गायों जैसा काम ही हो जाता है। आप यह बताओ कि आपके मोदी जी ने कहा, इन बछड़ों को अगर आप बेचोगे नहीं, तो बेचोगे नहीं तो पाडे ही नहीं बनाओगे। पूरी हिन्दुस्तान की गायों को ...(व्यवधान)...

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): श्रवण जी, मैं आपकी बात की पुष्टि करूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेहरबानी करें, मैं दो मिनट और लूंगा बाद में बैठ जाऊंगा अपने आप ही। मेरे बाबों बैठ जाओ। चारों तरफ बाबा ही बाबा हो रहे हैं बैठ जाओ।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): श्रवण जी, मैं आपकी बात ही समर्थन करूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सारा देश दुःखी है बाबाओं आपसे। दो मिनट बैठ जाओ।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): चलिये, श्रवण जी का समर्थन करता हूं। श्रवण जी को बोलने दें।

Kas/rtm/24.07.2024/15.30/2m

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। श्री गोपाल शर्मा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शर्मा जी, आप तो मेरे गांव के ही हो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): हम लोग तो एक ही गांव के हैं, आप बोलते रहिए।

श्री सभापतिः लम्बी लिस्ट है। आपको समय से भी ज्यादा बुलवा दिया। आप इतना खुल कर बोलें, आपको समय से ज्यादा समय दे दिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं जिले के 32 लोग हैं। झुंझुनूं जिला हिन्दुस्तान का नंबर वन जिला है। क्रांति में एक नंबर पर है, शिक्षा में एक नंबर पर है, झुंझुनूं जिले को क्या मानते हो? यह कोई कोटा थोड़े ही है जो अब जाकर शिक्षा आई है। झुंझुनूं जिला शिक्षा का केन्द्र है। मैं यह कहना चाह रहा था कि आज हिन्दुस्तान में दया भाव, भावना खतम हो गई है। अब मंदिरों की बात करते हैं, हमारे राजस्थान में पूरे हिन्दुस्तान से सबसे ज्यादा मन्दिर हैं।

श्री सभापतिः आज मन्दिर का विषय थोड़े ही है, विराजो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): देवस्थान पर बोलूंगा।

श्री सभापतिः देवस्थान पर बोल लिये आप, गाय पर बोल लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मन्दिर देवस्थान में नहीं आते हैं क्या?

श्री सभापतिः आते हैं, पर समय पूरा हो गया। अब आप लम्बा ही करते जा रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके प्रधान मंत्री जी ने अधूरे मन्दिर का निर्माण क्यों कर दिया? मंदिरों का निर्माण किया, वह तो अच्छा किया, लेकिन आज हिन्दुस्तान के सबसे

ज्यादा मन्दिर हमारे राजस्थान में हैं। राजस्थान में मंदिरों के नाम जमीन भैरोंसिंह जी ने कर दी थी। 100-100 वर्ष से जो किसान जमीन जोत रहे हैं, उनके भी पंडित जा कर कह रहे हैं।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री गोपाल शर्मा जी। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांगों का बोलने का अवसर दिया जा रहा है, इसके लिये मैं बहुत ही आभारी हूं।

परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम

सभापति महोदय, आज सौभाग्य की बात है कि आपकी कृपा से ऐसी मांग पर बोलने का अवसर मिल रहा है जो देवस्थान से जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले खाटू श्याम जी मन्दिर के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने और दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्यौहारों पर 600 मंदिरों के लिये 13 करोड़ रुपये की साज-सज्जा और आरती की व्यवस्था करने के लिये माननीय श्री भजन लाल जी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी और हमारे सम्बन्धित मंत्री श्रीमान जोराराम जी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, श्रीनाथ जी और तीर्थ राज पुष्कर, यह चारों पूरे विश्व में अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिये और विचार करना चाहिये कि इनको तीर्थ नगरी घोषित किया जाये और यहां पर मांस और शराब का बेचना और ग्रहण करना, दोनों अवैध घोषित हो। इस पर सारे सदन को एकजुटता दिखानी चाहिये। ऐसे बहुत से मौक़े आये हैं जब सदन ने एकजुट होकर अपना विचार व्यक्त किया है और एकजुटता दिखाई है।

आदरणीय सभापति महोदय, यह धन जनता का है। सरकार उसकी ट्रस्टी है और देवस्थान के मामले में हमारी भूमिका सिर्फ सेवक की है। न कोई देने वाला है, न कोई लेने वाला है। जनता का पैसा है, जनता के पास जाना है, लेकिन अगर ठीक से आय-व्ययक का पूंजी प्रबंधन हो जाये और उचित आवंटन हो जाये तो जनता हमेशा खुशहाल रहती है, सुखी रहती है, आगे बढ़ती है और ऐसा नहीं लगता कि हम टाइमपास कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के पचासों ऐसे स्थान हैं, जहां के लिये राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उनका उद्धार किया जायेगा, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा। सभापति महोदय, समय-समय पर देवालयों के नाम पर, देवस्थानों के नाम पर ऐसी कार्यवाही होती है जो लोगों को बांटने का काम करती है, दिलों में दर्द पैदा करने का काम करती है और आगे बढ़ते हुए देश को रोकने का काम करती है। जैसे आदरणीय गहलोत

सरकार के समय मंदिरों के पुजारियों की परीक्षाएं लेकर नौकरी देने का काम किया गया। यह गलत नहीं था, लेकिन उसकी भावना तुष्टिकरण से प्रेरित थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे बाबा जी बोल रहे थे, इनका मुख्य गोरक्ष धाम पीठ गोरखपुर है, हमारे उदयपुर से गये हुए महात्मा जी ने गोरक्ष धाम पीठ की वहां पर स्थापना की थी, जिसका सम्बन्ध गुरु गोरक्षनाथ जी से जुड़ा हुआ है। भारत के प्रसिद्ध मन्दिर विंध्यावासिनी देवी की पुजारिन अनुसूचित जाति की एक महिला पार्वती हैं। हमारे खाटू श्याम जी मन्दिर के पुजारी हमेशा से राजपूत होते आये हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मन्दिर हैं, सांगानेर में हमारे सांगा बाबा की पूजा का काम एक माहेश्वरी परिवार करता है। यह सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति की देन है। इसलिए इसको कभी भी राजनीति में डालने का काम करते हैं तो हम राष्ट्र के साथ अनर्थ करते हैं। जिस देश में प्रभु श्री राम के मन्दिर का शिलान्यास एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री कामेश्वर चौपाल के हाथों हुआ हो, उस देश में जातिवाद के नाम पर धर्म को बाटना, देवस्थानों को बाटना अपराध से कम नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 500 साल की सबसे बड़ी घटना रामलला के मन्दिर का प्रतिष्ठापन हुआ है, उनके पुजारियों में अनुसूचित जाति के पुजारी रखे गये हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2018-23 के बीच में जयपुर जिले में 29 धार्मिक स्थल चयनित किये गये, जिन पर 35,26,84,471 रुपये का स्वीकृतीकरण हुआ और 25,01,2471 रुपये खर्च किये गये। हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज के मन्दिर के लिये 20 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रोजेक्ट 2023-24 में बना और कार्यकारी ऐजेंसी जेडीए थी। हुआ क्या, जेडीए को ढाई करोड़ रुपये दे भी दिये गये, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और आज की तारीख तक गोविंद देव जी का काम, जिसके लिये हमारे आदरणीय गहलोत साहब 100 करोड़ रुपये की परियोजना बनाने के लिये कह रहे थे, वह होल्ड पर रखा हुआ है। जिस गोविंद देव जी की छत्रछाया में सारा जयपुर निवास करता है, उनके मन्दिर के लिये स्वीकृत की हुई राशि और जेडीए को दिया हुआ पैसा होल्ड पर रखा जाये, यह हमारे पूर राजस्थान के लिये अन्याय की बात है।

msk/rtm/24.07.2024/1540/2n

हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे सदस्य भी बैठे हैं, जो इस समय यहां पर नहीं हैं। लेकिन जब श्रीनाथ जी को वृंदावन से लाया गया तो राजाओं ने जगह देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक मेवाड़ था, जिसने कहा कि किसी भी कीमत के ऊपर चाहे कितनी जानें चली जायें, श्रीनाथ जी की स्थापना नाथद्वारा में होगी। इस तरह का राजस्थान का इतिहास है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं। इसके अन्दर मैं हमारे माननीय सदस्य रफीक खान जी से माफी चाहूंगा कि कृपया साम्प्रदायिकता का रूप देने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यह जो देवस्थान से रुपया आया, देवालयों से जो चढ़ावे के

रूप में रुपया आया, वह रुपया कहां गया? गोविन्द देव जी के बाद में 9 करोड़ 82 लाख रुपये बिना किसी परियोजना के लिए.. ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसे डिलीट करायें। ऐसे कैसे बोल सकते हैं?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसे डिलीट करायें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मैं खुद रफीक खान जी से मांग कर उनका नाम वापस करवाता हूं। बस। इसमें क्या बात है? ...(व्यवधान)... आपके इतिहास में जाना नहीं चाहता। राजस्थान के इतिहास में बजट एक बार लीक हुआ है, धौलपुर के जरिये। बैठ जायें।

आदरणीय सभापति महोदय, संरक्षण दें। जिन्दगी भर ऐसी आदत पड़ी रही कि मरने के बाद भी शराब के लिए आंखें खुली रहीं। आदरणीय सभापति महोदय, ईदगाह के लिए 9 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किये हुए दिया गया।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): क्या यहां पर मन्दिर-मस्जिद ही करेंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): बैठिये। देवस्थान की बात चल रही है। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

एक माननीय सदस्य: मंदिरों की बात चल रही है, मंदिरों का पैसा इधर-उधर दे रहे हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): मंदिरों से लिया हुआ पैसा, 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपये ईदगाह के लिए दिये गये। 1 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च भी हो गये। देवालयों का पैसा गोविन्द देव जी के लिए होल्ड और ईदगाह के लिए समर्पण, यह कौनसा न्याय है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं पहले ही कह रहा था ...(व्यवधान)... देशद्रोह ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ईदगाह मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नहीं है। ईदगाह हवा महल में है। मैंने गलता पीठ में दिये हैं, मैंने दिये, खोले के हनुमान जी में। ईदगाह मेरी कांस्टीट्यूएंसी में नहीं है। ...(व्यवधान)... जातिवाद की बात करते हो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय सभापति महोदय, संरक्षण दीजिये। दरगाह चार दरवाजा को मंदिरों का 95 लाख रुपया दिया गया। दरगाह, सांभर को 70 लाख रुपये। जामा मस्जिद जौहरी बाजार पर प्रोजेक्ट राशि का कुछ अता-पता नहीं और 1 करोड़ 62 लाख रुपये दिये गये। जब मस्जिदों से पैसा आता नहीं, मन्दिरों की भावना का चढ़ावा, मस्जिदों के लिए खर्च करना, यह कहां का न्याय है?

एक माननीय सदस्यः इससे बाहर आओ।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ये ही बात करके आप अयोध्या में हार गये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): अब मैं वहां से बाहर आ रहा हूं। अब असली जगह पर आ रहा हूं। रफीक जी, आपका आखिरी कार्यकाल है। वहीं आ रहा हूं, चिन्ता मत करिये। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे पता था कि तकलीफ होगी। घाव का ऑपरेशन करने पर तकलीफ स्वाभाविक है। इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा। जब दर्द होगा तो सिसकारी निकलेगी

और सिसकारी निकलेगी तो जुबान खुलेगी, जुबान खुलेगी तो आह निकलेगी।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का दु:ख है कि यह पैसा खर्च करते समय गहलोत सरकार ने पांच साल तक कोई सर्वेक्षण करवाने का काम नहीं किया। कोई सर्वे नहीं। इधर से आओ और इधर ले जाओ। कहीं से 50 लाख आये और किसी को दे दो। दो एमएलए खड़े हैं, दे दो, दे दो। किसको दे दो, हत्यारों को दे दो।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं एक ऐसा विषय लाना चाहता हूं, जिस जगह से यहां की विधान सभा भी जुड़ी हुई है। बहुत-सी मन्दिर माफी की जमीनें, कांग्रेस के राज में, जिनको बेचा नहीं जा सकता है, उनको गैर-कानूनी तरीके से, परिवर्तित करके समर्पित करवाया जाता है और मंदिरों की भूमि हाथ से निकलती जा रही है। जल महल के पास में एक होटल बनी। एक बड़े नामी गिरामी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी से जुड़े व्यक्ति ने मन्दिर माफी की जमीन पर होटल बनवाया। सरकार को जमीन समर्पण करवायी और सरकार ने उनको अलॉट करने का काम कर दिया। अपनी विधान सभा के बगल में श्मशान है। विधान सभा के बीच में मन्दिर माफी की जमीन थी। बेचारे मुआवजे मांगते रह गये, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः क्या यह देवस्थान की बात हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): समाप्त कैसे करूं? मैं मेरा समय लूंगा। मैं कोई जबरन बोलने वाला नहीं हूं। मेरा, मुझे समय चाहिए।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): सभापति महोदय, समय हो गया।

श्री सभापतिः आप विराजिये, यह मेरा काम है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, पुजारी जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही हैं। उनके पास भगवान का भोग लगाने के लिए भी पैसा नहीं है। उनके पास ठाकुर जी की पूजा करने के लिए पैसा नहीं है। खुद के पास भी परिवार की पालना करने के लिए पैसा नहीं है। एक कमेटी बनाकर ऐसी व्यवस्था की जाये कि पुजारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाये।

अब मैं दूसरी मांग, जिसको मैं संक्षिप्त में पढ़कर खतम करना चाहता हूं। आप कहेंगे तो टेबल कर दूंगा, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापतिः आप टेबल कर दीजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): दो-तीन मिनट और लेता हूं।

श्री सभापतिः एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): ठीक। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 09 मार्च, 2018 को इसी सदन में राजस्थान

इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट, 2018 सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 11 अप्रेल, 2018 को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। 05 अक्टूबर, 2018 को मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन करने के लिए 7 सदस्यों का चयन किया गया, लेकिन इसके बाद यह ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। यह सौभाग्य की बात है कि इलेक्ट्रोपैथी विद्या के सम्बन्ध में परीक्षण करके नियम बनाने की घोषणा इस बार की गयी है। इससे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास का द्वार राजस्थान सरकार ने खोलने का काम किया है। आखिरी दो वाक्य हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि ये जो 7 सदस्य बनाने का काम है, यह भी किया जाये। बोर्ड को अमलीजामा पहनाया जाये। शिक्षा और अनुसंधान के लिए बजट का आवंटन किया जाये। इतना ही कहकर अब मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने भवन के अन्दर प्रवेश करते समय अनुसूचित जाति की बच्ची को सबसे पहले प्रवेश करवाया था। यह है, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि ...(व्यवधान)... नमस्कार, श्रीराम।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापतिः आप विराजिये, सदस्य बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा। आपका नंबर आये, तब आप बात करना। आपके नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया, आप विराजिये। श्री रतन जी देवासी। अब आपका समय चालू है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

mdp/rtm/24.07.2024/15:50/2o

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति जी, मांग संख्या 29, 37 व 47 पर बोलने के लिए आपने अनुमति दी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग पशुपालन, आयुर्वेद, देवस्थान, उन विषयों पर बात कर रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कहने को बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बजट भी देते हैं, मगर वह मूर्त रूप ले नहीं पाती। आज भी पूरे प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से हो सकती है, सबसे ज्यादा जिस वर्ग का हम लोग ध्यान रख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके बारे में सरकारों को सोचने की आवश्यकता थी और समय-समय पर हम लोगों ने अपने हिसाब से, बजट के माध्यम से या दूसरे माध्यम से घोषणाएं की, उनको वह लाभ नहीं मिल सका। उनके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग खड़े हैं।

सभापति जी, पशुपालन और पशुधन, हमारे प्रदेश का मुख्य स्त्रोत रहा है। आज हमारी क्या स्थिति हो गयी है? पशुपालन में हमारे दो प्रकार के पशुपालक हैं। एक पशुपालक, जो खुद के खेत पर खेती करता है और खेती के अलावा अपने पास में दुधारू पशु रखता है, भैंस रखता है, गाय रखता है। एक पशुपालनक जो पशुधन लेकर जगह-जगह जाता है। अलग-अलग जिलों में या प्रदेशों के बाहर उस पशुधन को लेकर जाता है, चराई कराता है, कठिन

जीवन जीता है और पूरे क्लस्टर में बाड़े में रहता है, भले ही वह भेड़ हों, बकरी हों, ऊंट हों, वह पशुपालक है जो उस पशुधन को लेकर जाता है। इस वर्ष हम लोग ऊंट का वर्ष मना रहे हैं। यूएनओ ने भी यह बात कह दी। पूरे विश्व के अन्दर जो 90 देश हैं, उन 90 देशों में भारत तीसरे नंबर पर है, जिसमें सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। आज हमारे यहां क्या स्थिति है? आप 2012 की जनगणना देखिए, 2012 की जनगणना के अन्दर हमारे करीब तीन-साढ़े तीन लाख की जनसंख्या ऊंटों की आयी थी। आज हमारी स्थिति, 2 लाख से भी कम हो गये। इसका क्या कारण रहा? इस पर हमको सोचना पड़ेगा। हमने यहां बिल पास करके ऊंट को राजस्थान का प्रदेश पशु घोषित कर दिया, मगर उसके साथ-साथ हमने क्या किया? हमने उस पशुपालक के साथ अन्याय कर दिया।

सभापति जी, आपने बजट के अन्दर दस हजार रुपये को बीस हजार रुपये किया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। मगर उसमें दो कमियां हैं। एक तो उसको इंस्टालमेंट, माननीय मंत्री महोदय को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि वह बीस हजार रुपये आप एक साथ दीजिए। आप दस हजार दे रहे हैं, वह भी दो इंस्टालमेंट में दे रहे हैं। पांच हजार आता है और वह उसका काम शुरू करता है, तब तक वह दूसरा पांच हजार आता ही नहीं है। बीस हजार रुपये क्या होते हैं? बीस हजार आप उसको एक साथ में देंगे, तब जाकर वह काम शुरू करेगा।

दूसरा, आपने उसको राज्य पशु घोषित कर दिया, मगर उसमें इतने राइडर्स डाल दिए, अभी हमारे सम्माननीय साथी पारीक साहब जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने कुछ पशुओं के बारे में, जो बाहर जाते हैं प्रदेश से, उनके बारे में भी उन्होंने कहा था। आपने जो राज्य पशु घोषित किया, उसके अन्दर आपने एक राइडर डाल दिया। राइडर में आपने क्या लिखा 7 नंबर पर "(7) The Competent Authority may issue special permit in the prescribed manner for export of animal from Rajasthan for agricultural or dairy farming purposes or for participation in animal fair, and before granting such permission the Competent Authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such animal below the level of actual requirement of the local area.", अब इसमें आपने क्या किया? आपने ये राइडर डाल दिया कि वह पशु मेले में जा रहा है प्रदेश के बाहर, वह प्रदेश के बाहर कृषि के काम से।

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य। माननीय सदस्य, बोल रहे हैं। कृपया आप थोड़ा इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखिए।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): आपने ये राइडर डाला है, कैसे वह ले जायेगा? कैसे कृषि कार्य के लिए उसको बाहर भेजेगा? कैसे खरीददार आयेगा? मादा तो ठीक है, परंतु नर ऊंट, जिसको वह पाल रहा है, आप मात्र बीस हजार रुपये दे रहे हैं। अभी आपने बजट में किया है, दस हजार हमारे समय में हुआ था। जब वह उसके काम नहीं आयेगा, आगे कृषि के काम में नहीं आयेगा, आगे उसको भेज नहीं पायेगा, आपने इतने सारे राइडर लगा दिये तो मैं समझता हूं इस विधान सभा में वापस इसका अमेंडमेंट बिल आना चाहिए। मंत्री महोदय,

उसमें जो अमेंडमेंट जरूरी है, जो पशुपालक के हित में है, वह अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान ही है कि ऊंट को आपने भले ही बीकानेर में लगा दिया हो, डेयरी परपज से, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वह देने के लिए। आपके सरस डेयरी की सब जगह सारी व्यवस्था है, डेयरी के आप मंत्री भी हैं। सब जगह इनके बूथ खोलिए। जो आपके एनिमिया की कमी है, हड्डियों की तकलीफ है, एक इंसुलिन के बराबर ऊंटनी का एक गिलास दूध होता है। यह प्रूव हो चुका है। इसका लाभ सबको देना है ताकि उनकी चिकित्सा व्यवस्था भी तय हो जावे तो इन सबको उन बूथों पर ले जाना पड़ेगा। वह बाय प्रोडक्ट वहां देने पड़ेंगे। यह प्रोडक्ट वहां जायेंगे तब जाकर उसको आमदनी भी प्राप्त होगी, डेयरी को भी होगी और आम व्यक्ति भी लाभान्वित हो पाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गायों की बात की। यह बात सही है कि 2008 और 2013 के कार्यकाल में पूरे देश के अन्दर राजस्थान सबसे पहला राज्य था, जिसने गायों के लिए निदेशालय बनाया। डायरेक्ट्रेट बनाने की घोषणा की और 100 करोड़ रुपये से वह कार्य उस समय कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। पूरे देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। अनुदान मिल रहा है। महीने भी बढ़ाते गये हम अनुदान के, मगर उस पशुपालक का क्या जो बड़ी संख्या में गाय लेकर एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, राजस्थान के बाहर अन्य प्रदेशों में भी जाता है और गायों को संभालता है। वह सर्दी में, गरमी में, बरसात में, उन पशुओं के लिए खुले खेत में सोता है। बारिश सहन करता है, गरमी, सर्दी सहन करता है और उसको आप कुछ नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि आप यह हिम्मत दिलाओ, बाकी तो कांग्रेस की सरकारों ने सब्सिडी भी कर दी, अनुदान देने की बात कर दी, डायरेक्ट्रेट बना दिया, मगर आज आप घोषणा करेंगे, आप मारवाड़ से आते हैं, पशुपालक आपके इलाके मैं हैं। आपके वहां भी जनसंख्या उनकी बढ़ी है। आप सब जानते हैं। मैं विश्वास करता हूं, उम्मीद रखता हूं, आपकी शक्ति है, आज जवाब देते समय आपकी शक्ति का आप उदाहरण पेश करेंगे। जो गाय लेकर विभिन्न जिलों में, प्रदेशों में घूमते हैं, उन गौपालकों के लिए आप अनुदान देने की आज घोषणा करेंगे और राजस्थान में, हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम करेंगे। यह मेरा निवेदन और आशा आपसे है।

सभापति जी, इसके अलावा आज पशुपालकों की क्या समस्या है? मंत्री महोदय, मैंने आपको पहले ही कहा है कि उस इलाके को आप जानते हो। जो लोग भेड़ लेकर, बकरियां लेकर, विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं। मध्य प्रदेश जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। आज दिल्ली के बॉर्डर के पास एमसीडी इलाके के बॉर्डर के पास में और हरियाणा के अन्दर करीबन 2 लाख गायें राजस्थान की बैठी हैं। एक लाख गायें तो आपके आसपास के क्षेत्र की दो-तीन जिलों की हैं। उनके बारे में कौन सार-संभाल करेगा। जो भेड़ बकरियां लेकर जा रहे हैं, पहले सिस्टम था चीफ सेक्रेट्री के निर्देश पर मीटिंग्स होती थी। उनके रूट तय थे कि उनको किस रूट से जाना है, क्या सुरक्षा उनको दी जायेगी। वह मध्य प्रदेश से आ रहा है तो उसका ये रूट

रहेगा, गुजरात जा रहा है तो ये रूट रहेगा, हरियाणा जा रहा है तो ये रूट रहेगा। पुलिस की सुरक्षा उनको उपलब्ध होती थी। चीफ सेक्रेट्री मीटिंग लेते थे। उसके बाद में डिपार्टमेंट मीटिंग लेता था। उनके खाद्य की क्या प्रॉब्लम आ रही है। खाद्य सामग्री उनको नहीं मिल रही है। बारिश के लिए त्रिपाल मांग रहे हैं। देश आजाद होने के इतने वर्षों के बाद भी, जो पशु को अपनी संतान की तरह प्रेम करता है, वह आज त्रिपाल मांग रहा है। एक्सीडेंट रोड पर हो जाते हैं, हम देखते हैं कि ट्रक ने इतनी सारी भेड़ मार दीं, बिजली गिर गयी उसकी भेड़ें मर गयीं। उस परिवार की तो खुद की मौत उस दिन हो जाती है, जब एक साथ में उसकी 50-50 भेड़ और बकरियां मर जाती हैं। हम उसका ज्ञापन लेते हैं। आगे कुछ नहीं हो पाता।

सभापति महोदय, आप फौरन सिस्टम तय कीजिए। रोड एक्सीडेंट में इंसान की मौत होती है, हम 50 हजार-लाख रुपया उसी समय उसको वहां जाकर देते हैं। आप ये भी घोषणा कीजिए की इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है और वेरिफाई हो जाता है कि भेड़ कहां की है, क्या है, उसके पश्चात् जिला कलेक्टर के ऑफिस से ही उसका अनुदान या मुआवजा उसको मिल जाए तो परिवार को संबल मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो यह व्यवस्था है, जैसे कोटा की तरफ से जाते हैं, जंगलों में सैंक्चुरी आ गयी, रोड आपने बंद कर दिये, रास्ते बंद कर दिये। पानी की बीच में व्यवस्था थी, वह सारी बंद कर दी। जो मीटिंग होती है, अभी जून, जुलाई महीने में सब लोग आएंगे वापस राजस्थान, अक्टूबर, नवम्बर में वापस चले जाएंगे राजस्थान के बाहर, आप कलक्ट्रेट में उस मीटिंग की व्यवस्था तय कराए। यहां जयपुर के स्तर पर वह मीटिंग हो जाए ताकि उनको पूरी सुरक्षा उपलब्ध हो पाए। मेरा आपसे यही निवेदन है।

सभापति जी, आपके विभाग के अन्दर जो पद हैं, आपका खुद का जो प्रतिवेदन 2023-24 का है, उसमें आपने सारी जानकारी दी है। उसमें 139.58 लाख में से 2 लाख ही खर्च हो पाए। बताइए क्या स्थिति है? कैसे हम उन पशुपालकों की या पशुधन की बात करेंगे। यह तो एक दो ही मोटी बात बता रहा हूं। जो पद रिक्त हैं, उनको भरिए तभी आगे काम हो पाएगा।

Ans/rtm 16.00 2p 24.07.2024

माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक-एक विषय देवस्थान पर व आयुर्वेद पर निवेदन करना चाहता हूं। देवस्थान विभाग हमने बना तो दिया, देवस्थान विभागों में ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और भी सारी प्रक्रिया हो रही है, पर आज हमारे डिपार्टमेंट की क्या हालत है, आज वह देवस्थान विभाग काम आ सकता है। यहां हमारे परम पूज्य साधुगण, मठाधीश भी विराजे हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य। सदस्य बोल रहा हैं, अगर मीटिंग करनी है तो आप अगर लॉबी में जाकर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। आज राजस्थान की जनता आपको यूटयूब पर देख रही है। आप बातें कर रहे हो, आपका सदस्य सारी बात रख रहा है और आप बातें कर रहे हो। इधर तक आवाज आ रही है। यहां पर दर्शक देख रहे हैं कि आप यहां क्या कर रहे हो। यूट्यूब पर जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। मैं पक्ष और विपक्ष, दोनों के ही सदस्यों को

कह रहा हूं, अब की बार बात करेंगे तो नाम लेकर पुकारूंगा। आपकी बात आपके क्षेत्र में जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे दो मिनट जोड़ देना, यह आप वाले भी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं, देवस्थान पर मेरे से पूर्व पक्ष और ना पक्ष के सदस्य बोल रहे थे। पक्ष और ना पक्ष में राजनीतिक व्यवस्था भले ही बांट लें लेकिन उसके बांटने से किसी का धर्म, किसी की जाति छिप नहीं सकती। उसका धर्म, उसकी जाति और उसका समाज के प्रति, जाति व धर्म के प्रति कर्तव्य है, वह काम चलता रहेगा। यह हमारी राजनीतिक विचारधारा है जो हम हां और ना पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं।

हमारे यहां मठों की परम्पराएं हैं। आप जानते हो, आप भी वहां से आते हैं। हमारे यहां नई प्रथा चली है। जब लगा कि मठों के अन्दर व्यवस्था बहुत तगड़ी चल रही है, कोई भी आपके विभाग में आकर कागज दे देता है कि इस मठ पर मेरा अधिकार है। मठ पर किसी का अधिकार नहीं है। मठ पर उसका अधिकार है जो वहां मठाधीश है और उस मठाधीश ने गुरु दर गुरु और शिष्य दर शिष्य, जिसने चादर बदली है और उनकी समाधियां हुई हैं, उस मठाधीश की उस मठ में व्यवस्था है। आप संरक्षण देना ऐसी बातों में, ताकि हमारे धर्म की व्यवस्था खराब नहीं हो सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार मिनट लूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति जी, मेरे मुंह से अध्यक्ष महोदय निकला है, भविष्य में शुभकामना आपको भी कभी।

सभापति जी, मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। आप देवस्थान विभाग के अन्दर फोरेस्ट, रेवेन्यू, टयूरिज्म की कमेटी बनाकर आप देवस्थान से जो मन्दिर संचालित हो रहे हैं, उनकी आप रिव्यू कराइये। होता क्या है कि आपने तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दिया, ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट ने मन्दिर को अपनी बपौती बना दी। जब चाहे उस ट्रस्ट की इतनी मोनोपॉली हो जाती है कि जो वहां चने बेचने वाला गरीब आदमी है, खिलौने बेचने वाला गरीब आदमी है, उसको आकर कभी भी उठा देते हैं। कहते हैं कि हमने नहीं उठाया। फोरेस्ट वाले ने उठाया। फोरेस्ट के पास जाओ तो कहते हैं कि देवस्थान विभाग की भूमि है, उनसे बात करो, तो फिर कैसे काम चलेगा। जब तक आप फोरेस्ट, रेवेन्यू, टयूरिज्म, देवस्थान की टीम गठित नहीं करेंगे तो यह कार्य नहीं हो पाएगा।

अंत में मैं आपसे आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं। आपके विभाग के अन्दर हमारी सरकार ने और सबने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का भी आयोजन शुरू किया था, उसको प्रमोट कराइये। 100 लाख का बजट था, 1 लाख खर्च हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। आपके प्रतिवेदन में है, मैं जो बोल रहा हूं।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, आपके पास एक प्रस्ताव माउण्ट आबू नगरपालिका

से आया हुआ है। सरकार भी शायद यह विचार रखती है। अगर आपको उसका नाम आबू राज रखना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कैबिनेट में, हाउस में, जहां से भी लाना चाहें हम उस नाम का समर्थन करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके आप देवस्थान विभाग को देखिए।

श्री सभापतिः श्री प्रताप पुरी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा):इसकी भूमियां उपयोग में नहीं आ रहीं, गड़बड़ हो रही है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): सभापति महोदय आपने मांग संख्या 29,37 व 47 पर बोलने का मुझे सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूं।

चूंकि अभी-अभी हम सबने बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस परिसर में बैठे हुए, परिसर से बाहर बैठे हुए, जिनकी जिज्ञासा थी कुछ सीखने की, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, निश्चित ही किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी को जरूर गुरु बनाया होगा। हां, हो सकता है साकार, निराकार, प्रकृति, अन्य अन्यान, जहां-जहां उनकी श्रद्धा है, वहां-वहां उन्होंने शरण लेकर, अपना अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का प्रयास किया होगा।

भगवान ने जब सृष्टि रची तो सबसे पहले मनुष्य आया, उससे पहले भगवान ने प्रकृति पर सारी वस्तुएं पहले लाकर दी। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा कोई मुख्य मेहमान आता है तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग पहले कर लेते हैं कि कहां बैठेगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे। ठीक ऐसे ही भगवान ने जब इस पूरी प्रकृति की रचना की तो सब चीजों को बनाया।

मेरी एक अवधारणा ही नहीं है, हम सबकी अवधारणा है। सबको ज्ञान चाहिए, परन्तु गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो आज इस परिसर में बैठे हैं, आप सभी के गुरुजनों को भी मेरी तरफ से वंदन करता हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को आध्यात्मिक गुरु चाहिए, किसी को व्यापारिक गुरु चाहिए, किसी को राजनीतिक गुरु चाहिए, पर गुरु के बिना तो कहीं ज्ञान आएगा नहीं।

मैं कटाक्ष तो नहीं करुंगा, परन्तु यह जरूर कहूंगा कि गुरु वह हो जो हमें समरसता का संदेश दे, जिसके अन्दर समभाव हो, समदृष्टि हो और सबको लेकर चलने की क्षमता हो, तो निश्चय ही वह गुरु हम सबको तारेगा। पुनः मैं ऐसे गुरूजनों को वंदन करता हूं।

सभापति महोदय, आज के तीनों विषय बहुत अच्छे हैं। जिसमें गौ माता है, आयुर्वेद है और हमारे देवालय हैं। मैं यह मानता हूं कि तीनों हमारे जीवन के लिए मूल आधार है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि मानविक, तीन ताप है, तीन कष्ट हैं, तीनों कष्टों से अगर मुक्त होना है तो यह तीनों हमारे साथ हैं। इसलिए आज का विषय अच्छा है। मुझे सौभाग्य भी मिला है। मेरे से पूर्व जितने भी सम्माननीय सदस्य, मेरे से ज्यादा अनुभवी, पारीक साहब

और अन्य, जितने भी बोले, मैं उनको हृदय से साधुवाद भी करता हूं।

चूंकि मैं पहली बार विधान सभा में आया हूं, परन्तु मेरे सामने बैठे चेहरे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इनके अनुभव से मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है कि विधान सभा के अंदर हम सब लोग एक भाव के साथ आए हैं और एक भाव के साथ राजस्थान की जनता ने हमें यहां भेजा है।

मैं उस विषय को भी कहूंगा कि जो बजट आया है, सौभाग्य से आप और हम सब लोगों को इस विधान सभा में, इस बजट का साक्षी होने का सौभाग्य मिला है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी का नाम है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनका प्रारब्ध का कोई भजन था, उसके कारण उनका भाग्य उदय हुआ और वह भागीरथ बनकर, एक भागीरथ गंगा की तरह, एक बहुत अच्छा बजट लाए हैं, इसलिए मैं उनका साधुवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ही नहीं, अब दिया कुमारी जी का नाम भी देख लो। दिया ही दिया, उनका दीपक ही दीपक है। परन्तु एक पाथेय के पीछे बैठकर, इस बजट को सुचारु और सही देने वाले कोई कर्मवीर हैं, जो परदे के पीछे बैठकर काम करते हैं, दिन-रात काम करते हैं और बहुत बुद्धिजन हैं, सुदिजन हैं, परिश्रमी हैं, कर्मवीर हैं जो सचिवालय में बैठकर, हमारे सामने बैठकर दिन-रात राजस्थान की प्रगति के लिए हमारा सहयोग करते हैं, मैं उनका भी साधुवाद करता हूं।

केवल वह ही नहीं, पूरे प्रदेश के अन्दर, प्रत्येक ज़िले में जो जिला पदाधिकारी है, कर्मचारी हैं, राजस्थान का साकार सपना देखने वाले युवा हैं, ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, वह सब आज हम सबको आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। उन सबने एक आशा, एक सपना देखा है कि मेरा राजस्थान कैसा हो, मेरा भारत कैसा हो। यह सत्य बात है, आज के सब कुछ हम हैं।

इतिहास में जितने महापुरुष हुए उनका एक कार्यकाल था। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया, आज इतिहास गवाह है। जिसका जितना क्षेत्र और जितनी सीमा है, कोई गांव का होगा, कोई ज़िले का होगा, कोई प्रदेश का होगा, कोई देश का होगा, जिसका जो उत्तरदायित्व बनता है, उसने उस समय उसने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। निर्वहन किया है तो आज भी हम उसको उस भाव से देखते हैं।

VPS-RTM-24.07.2024-16.10-2q

इस युग के विवेकानंद भी हम हैं, इस युग के लाल बहादुर शास्त्री भी हम हैं, इस युग के श्यामा प्रसाद भी हम है, इस युग के सब कुछ हम है इसलिए इस युग में जो निर्णय करना है, वह हमें करना है इसलिए आने वाले इतिहास में हम सबको आने वाली पीढियां उस भाव के साथ देखें कि जब देश एक अंगड़ाई के साथ विश्व गुरु बनने जा रहा था, देश जब अग्रसर हो रहा था तब हम कहां पर खड़े थे, हमारे पूर्वज कहां पर खड़े थे, हमारी आने वाली पीढियां उस समय हमें श्रद्धा के साथ देखें। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आज चाहे पक्ष हो या चाहे

विपक्ष हो, हम सब लोग एक सपना लेकर यहां पर पहुंचे हैं और सपनों के साथ जनता ने हमें भेजा है। वह जनता हमारे ऊपर आशा रखती है। बहुत आशा और विश्वास के साथ हमको यहां पर भेजा है कि हमारे विधायक महोदय वहां पर जाएंगे और राजस्थान के लिए स्वर्णिम सपने हमारे साकार करेंगे और वह विश्वास आज हम सबको पूरा करना है।

मैं यह कहता हूं और यह आप भी मानते हो कि यह क्षणभंगुर शरीर है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय के अग्रभाग में एक बिंदु है, आया और पकड़ लिया और सदुपयोग किया तो आपका रहेगा और पीछे फिर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मात्र पांच साल ही ऐसे हैं कि उसके एक-एक पल को सदुपयोग करने के लिए हम लोग इस जनता के लिए यहां पर आये हैं और जनता का हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है इसलिए इस विधान सभा के अन्दर बैठकर हम वह नीति निर्धारण करें जिससे स्वर्णिम राजस्थान, स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत और विकसित भारत बने, उसमें हम सबका योगदान रहेगा इसलिए मैं इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, निश्चय ही आज का जो विषय है वह गौ माता का विषय है। 'गावो विश्वस्य मातरः' यह क्यों कहा है? वह पूरे विश्व की माता है। न हिंदू की माता, न मुसलमान की, न इसाई की, किसी की नहीं, गाय पूरे विश्व की माता है और प्रमाण के साथ आप माने तो हिंदू शास्त्रों में सर्वोच्च कोई शास्त्र है और सबसे ऊपर किसी देवी-देवता, महापुरुष, शूरवीर, बलिदानी, किसी ने भी गाय से बड़ा अपने आपको नहीं माना और सबने कहा कि गाय सबसे बड़ी है इसलिए सबने गाय की पूजा की और गाय को भगवान ने इतना पवित्र बनाया कि उससे पवित्र कोई प्राणी ही नहीं है। आप यह देखिये कि किसी भी महापुरुष का, किसी भी देवी-देवता का, किसी भी मानव का मल और मूत्र पवित्र नहीं है, अपवित्र होता है परंतु गौ-माता का मल और मूत्र भगवान ने इतना पवित्र बनाया कि वह अपवित्र को भी पवित्र करता है। इतना है? आयुर्वेद के अन्दर पारीक साहब बहुत अच्छे जानकार हैं। आयुर्वेद में हलाहल विष जिसको कुचिला कहते हैं, उससे ज्यादा भयंकर विष नहीं होता है, तो उसको शुद्ध करने में भी गौ-मूत्र डाला जाता है। कितनी भी कोई विषम बीमारी है, आजकल कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी, आज अंग्रेजी डॉक्टर भी गौ-मूत्र पिलवाकर ठीक कर रहे हैं। केवल मात्र गौ-मूत्र ही नहीं, 'गोमय वसते लक्ष्मी', यह किसको कहा है? देवी-देवताओं का निवास गाय में, इसको केवल एक प्राणी मत समझो, एक पशु मत कहो इसको, यह भगवान की श्रेष्ठतम कृति है जो पृथ्वी पर हमारे कल्याण के लिए भेजी है और यूं भी हमारे शास्त्र को जो जानते हैं कि नंदी के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, जो इस विषय को जानता है वह जानता है। वह यह जानता है कि नंदी का सिर क्या है, नंदी क्या है और यह पृथ्वी कैसे टिकी हुई है इसलिए 'गोमय वसते लक्ष्मी', क्या मतलब हुआ? गोबर में लक्ष्मी। लक्ष्मी माता का निवास गोबर में बता दिया। ये अभी उपहास करेंगे, अभी श्रवणजी तो चले गये, वे साधु महात्मा के नाम पर भी उपहास कर रहे थे। गुरु में श्रद्धा नहीं रखते हो आप लोग? बाबा आया बिगाड़ दिया, एक तो मोदी बाबा आ गया, एक योगी बाबा आ गया और अब एक

राजस्थान में फिर बाबा आ गया, तो कांग्रेस को बाहर निकाल देंगे इसलिए डर गये क्या? नहीं, संत सबका अच्छा भाव रखता है। बहुत प्रेम से मैं यह कह रहा हूं कि यह सामने बैठी हुई लॉबी है न, मैं जब यहां पर घूमता हूं तो मुझे बहुत आदर और सम्मान देती है और मैं भी आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आज जूली साहब नहीं हैं? जूली साहब आज यहां पर नहीं हैं परंतु मैं यहां पर नहीं था और जब मैं गुरुपूर्णिमा मनाने गया था तो पीछे से एक कटाक्ष हुआ था कि मेरे नाम से भी आप एतराज उठाते हो। जूली साहब, आप तो हैं नहीं पर आपकी कुर्सी की तरफ ही इंगित करके यह कहता हूं कि आपको मैंने हंसता हुआ देखा है। आपका चेहरा हंसता हुआ देखा है, मैं आपको हंसते हुए ही देखना चाहता हूं परंतु आपके नाम में मैं एक सुधार करना चाहता हूं कि आप जूली नहीं, आप जूही हैं जो एक खुशबू देंगे हम सबको प्रतिपक्ष में बैठकर, यह भाव रहना चाहिए हमारा। हमारा तो यह भाव रहना चाहिए। एक दूसरे का आदर करेंगे, अपने आप अपना-अपना आदर करेंगे।

मैं यह कह रहा था कि- 'गोमय वसते लक्ष्मी', गोबर में लक्ष्मी? हां, है गोबर में लक्ष्मी। कैसे है? यदि गोबर हम हमारी मातृभूमि के चरणों में, मां भगवती जमीन के चरणों में चढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं? 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः', हे मां भूमि मैं तेरा पुत्र हूं, वह मां है हमारी। गौ-माता और भूमि माता दोनों को पवित्र करने के लिए गोबर यदि भूमि में डालेंगे तो वहां पर उर्वरक पैदा होगी और वहां से अनाज पैदा होगा और अनाज पैदा होगा तो देश सम्पन्न होगा और किसान सम्पन्न होगा तब जाकर कहा- 'गोमय वसते लक्ष्मी', गोबर में लक्ष्मी इसलिए है। अब आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डी.ए.पी., यूरिया, पेस्टिसाइड आदि डाल-डालकर भूमि माता को हमने बीमारू माता कर दिया है। आप पंजाब की हालत देख लीजिए जहां पर बहुत बुरी हालत है। गंगानगर, हनुमानगढ़, हम लोगों ने इस भूमि के अन्दर उर्वरा शक्ति ज्यादा करने के लिए डी.ए.पी., यूरिया डालकर उसको बीमार किया है और अपने स्वास्थ्य को भी बीमार किया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से है कि जिस प्रकार डी.ए.पी., यूरिया पर सब्सिडी देते हैं तो इससे कौन पोषक होंगे? बड़े मिल फैक्टरी वालों को लाभ मिलेगा, उनको सब्सिडी देकर हम खाद लेते हैं और वह खाद हम किसान को देंगे, किसान उसको जमीन में डालेगा, जमीन बंजर होगी और पूरा का पूरा इस प्रकार से चलता रहा तो एक दिन हम तरसेंगे शुद्ध खाने के लिए और उसकी जगह यदि गाय का गोबर हम इस जमीन में डालेंगे तो जमीन भी शुद्ध रहेगी, बीमारू नहीं रहेगी और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके अलावा और सुनिये आप, सब्सिडी देते हैं न, उसके बाद में कितना नुकसान उठा रहे हैं? मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वहां से एक कैंसर नाम की ट्रेन आती है बीकानेर में, उसका कैंसर ट्रेन नाम हो गया है क्योंकि हमने उस जमीन को बंजर कर दिया है। अब यदि स्वास्थ्य चाहिए आपको, आपको अनाज चाहिए तो गाय की शरण में आना पड़ेगा और गाय दुःखी तो पूरी दुनिया दुःखी रहेगी, गाय सुखी तो हम सब सुखी रहेंगे। यह गाय को आप केवल एक प्राणी ही मत समझो और केवल अध्यात्मिक और

आर्थिक दृष्टि से भी नहीं बल्कि सर्वांगीण गाय है, सब कुछ है। अर्थ का आधार मत मानो गाय को, यह भी मनुष्य का पक्ष है कि गाय दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ देते हैं। पहले तो जयघोष करते हैं कि गौ-माता की जय और जैसे ही गाय बीमार हुई, गाय ने दूध देना कम किया तो वे ही हमारे पास आते हैं गौ-शाला में लेकर और कहते हैं कि हमारी गाय को रख लो। क्यों भाई? दूध तो आपने पिया और अब गौ-शाला की शरण में क्यों जाते हो? तुम्हारी मां की सेवा करते हो तो इसकी भी सेवा करो।

तो मेरा इतना ही निवेदन है आपसे कि गाय के निकट जाओगे, जिस प्रकार से एक सिद्ध साधक संत के पास बैठने से ध्यान लगता है, ठीक वैसे ही गौ-माता के पास उसकी आंखों में जाकर देखना, ठीक से आपका ध्यान लगेगा। गौ-माता के ऊपर आप हाथ घूमा देना, आपका बी.पी. ठीक हो जायेगा। आपके अन्दर सात्विक भाव आयेगा। आपके अन्दर एनर्जी आयेगी। नकारात्मक भाव आप में से निकलेगा तो आप गौ-माता को समझो और गौ-माता की सेवा करो।

माननीय सभापति महोदय, कुछ मेरे सुझाव है, आप मुझे थोड़ा समय देना। थोड़ी मैं धृष्टता करूं तो आप मुझे क्षमा करें।

श्री सभापति: एक मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): मैं एक मिनट में समाप्त नहीं कर सकता हूं। यह मेरा विश्वास है कि कांग्रेस वाले भी मेरा समर्थन करेंगे, मेरे बोलने के लिए साथ देंगे और ये भी मुझे बोलने के लिए साथ देंगे।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, इनको दो मिनट का टाइम और दे दो।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

देखिये, गाय का सबसे बड़ा संकट का समय क्या है? जब अकाल पड़ते हैं। राजस्थान गौ आधारित प्रदेश है और सबसे सुंदर गाय और सबसे उच्च कोटि की गाय यदि देखनी हो तो राजस्थान में मिलेगी आपको और वह भी थारपारकर के बराबर कोई गाय नहीं है। देखिये, मैं आपको थारपारकर की गुणवत्ता बताऊं कि सबसे ज्यादा रोग-प्रतिरोधक क्षमता उसमें हैं। वह दूध देती-देती ही ब्याती है और वह सबसे सुंदर है। हर तापमान में वह रहने वाली है। सुंदरता में, गुणवत्ता में जिसका कोई मुकाबला नहीं है और वह गाय हमारे पास में है परंतु जो सात-आठ किलो गाय दूध देती थी वह आज दो किलो ही दूध देने लग गयी है इसलिए किसान विवश है कि अब मैं गाय कैसे रखूं? मैं बकरी रखूं या गाय रखूं? तो मेरा आपको यह सुझाव है कि आप जबरदस्त अपना एक अभियान चलायें जो नस्ल सुधार का अभियान हो और हमारी देसी नस्लें जहां-जहां पर भी हैं उन सबको संरक्षण देकर जगह-जगह नस्ल सुधार पाइंट खोले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात मैं यह कहता हूं कि अकाल पड़ते रहते हैं,

राजस्थान का यह क्षेत्र तो अकाल ग्रसित ही है। जहां से मैं आया हूं वहां तो हमारा चोली-दामन का साथ है। बाड़मेर, जैसलमेर वह एरिया है जहां पर अकाल पड़ता है। आप तो भाग्यशाली हो कि ऐसे अच्छे एरिये में आपने जन्म लिया है परंतु वह जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में गौ आधारित हमारा जीवन था परंतु अब हम विवश हैं। मैं धन्यवाद देता हूं वहां के गौपालकों को आज भी, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली के उन गौ-पालकों को, मैं अभी हरियाणा गया था तो वहां पर गौ-पालक सब कष्ट सहकर भी अपनी गायों को लेकर वहां पर गये हैं। आज उनके लिए रतनजी ने जो आवाज उठाई है, वह मैं भी उठाता हूं कि उन गायों के गौ-पालकों को विशेष संरक्षण दिया जाये और विशेष सुविधा दी जाये। गौ-शाला में गाय नहीं है पर तीन-तीन सौ, चार-चार सौ गाय एक किसान लेकर वहां पर खड़ा है और कोई भी परिस्थितियां आईं, अपने झोंपड़े की छत उतारकर भी गायों को खिलाया परंतु उसने उन गायों को भूखा नहीं मरने दिया, ऐसे गौ-पालकों को संरक्षण देना चाहिए।

SSY/RTM/24.07.2024/16:20/3a

मैं अंत में एक बात कहूंगा कि यह जो अभयारण्य है, पश्चिमी सीमांत का सबसे उर्वरा पैदा करने वाला, सेवण घास, जैसलमेर बॉर्डर के अन्दर है। सम, घोटारु, लोगेंवाला एरिये में सेवण घास है। सेवण घास की जो जमीन है, आज वहां लैंड जेहाद के माध्यम से लोग कब्जे कर रहे हैं। यह सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों ना सरकार उसको गो अभयारण्य घोषित करे और अकाल में घास पैदा करके जो चारा हमें बाहर से लाना पड़ता है, उसका हमें एक रास्ता मिलेगा।

दूसरा मेरा सुझाव है, जो पारीक जी ने रखा था कि गाय को जब तक आप नरेगा से नहीं जोड़ोगे तब तक समस्या का कोई विशेष समाधान नहीं है। यह बहुत सहज है।

श्री सभापतिः श्री मुकेश भाकर।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): सरकार के ऊपर भार पड़ता है। अकाल, वकाल यह करने में, उसको यदि किसान को जोड़ोगे तो किसान को अनुदान दिया जाये और गाय को चारा दिया जाये। इससे गाय बचेगी। चूंकि विषय बहुत हैं। मेरा केवल गौ माता का विषय भी पूरा नहीं हुआ। फिर भी मैं निवेदन करुंगा कि गाय माता को धुरी मानकर के चलेंगे, तब हम पूर्ण करेंगे। गो संरक्षण और संवर्धन करके हम केवल अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, वह विश्व का कल्याण करेगी। अतः मेरा ऐसा मानना है कि विशेष योजना बनाकर के इस विषय में काम किया जाये।

मेरी विधान सभा में भी आप सब जानते हो, 300 किलोमीटर में मेरी विधान सभा है।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): 300 किलोमीटर लंबी विधान सभा में मैं पुनः आप सभी को कहूंगा कि आप कभी ट्यूर करने जाते हो तो सह सादर निमंत्रण है कि उस क्षेत्र में आकर के उस राजस्थान को भी आप देखिये। वहां की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों को देखकर

विकास की बात करेंगे। पुनः आपने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया। देवस्थान विभाग और आयुर्वेद रह गया। फिर भी, 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्', शरीर है तो सब कुछ है।

गाय, प्रकृति और आयुर्वेद तीनों की शरण लीजिये। अपने गुरु में विश्वास कीजिये। श्रद्धा कीजिये और कर्तव्य का निर्वहन कीजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आशीर्वाद।

श्री सभापतिः हां, भाटी जी।

सूचना

शिव में विद्युत कर्मी की करंट से मृत्यु

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में अजबपुरा हाथमा गांव में एक तकनीकी कर्मचारी संतराम जी थे, उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गयी। जीएसएस ठेकेदार और एफआरटी की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। मेरा आपसे निवेदन है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो और संतराम जी के परिवार को उचित मुआवजा मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अनुदान की मांग

अनुदान की मांग संख्या 29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा,
मांग संख्या 37- देवस्थान व मांग संख्या- 47 पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री सभापतिः श्री मुकेश भाकर।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आयुर्वेद, देवस्थान और पशु पालन पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व में आदरणीय पारीक साहब ने, बाबूसिंह जी ने, महंत प्रताप पुरी जी ने बहुत ही सकारात्मक विचार इस सदन में रखे, बहुत ही सकारात्मक सुझाव इस सदन को दिये। मैं समझता हूं कि उन तीनों की बात पर पक्ष-विपक्ष दोनों ने तालियां बजायी, टेबल थपथपायी। क्योंकि हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं, पूरी 8 करोड़ जो जनता है, उसका भरोसा हम लोगों पर है, वह उम्मीद करते हैं कि सदन में हम वह चर्चा करेंगे जिससे जनता का भला होगा। आज जिन बिन्दुओं पर हम लोग अपने विचार रख रहे हैं, उसको लेकर फायदा जनता को मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके बीच में गोपाल जी ने अपनी बात को रखा। जब भी खड़े होते हैं तो सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम, मन्दिर-मस्जिद के अलावा उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है।

श्री सभापतिः आप अपनी बात रखो। आपके पास 8 मिनट हैं।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): ऐसा लगता है कि हिन्दुओं का पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है। देवस्थान विभाग पर हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि खाटू श्याम धाम को एक कॉरिडोर बनाने के लिए बजट में घोषणा हुई। इसके साथ अगर सालासर धाम, रामदेवरा, खरनाल वीर तेजाजी महाराज और अन्य जितने भी प्रसिद्ध मन्दिर हैं, उनको भी

अगर इस बजट में मिलता तो वहां की जनता जो श्रद्धालु है, जिनकी आस्था उन मंदिरों में है, उस जनता को खुशी मिलती।

सभापति महोदय, अभी पूरी बात हिन्दुओं की ठेकेदारी को लेकर इस सदन में हो रही थी। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बात से इस राजस्थान की जनता, इस देश की जनता भरोसा रखती तो अयोध्या आप नहीं हारते। सालासर धाम आप नहीं हारते। मेंहदीपुर बालाजी आप नहीं हारते और बद्रीनाथ आप नहीं हारते। यहां हम लोग कोई भी बात करें, उसका सकारात्मक पहलू हम रखें। उस पर विचार हो, नियम बनें, जनता को फायदा मिले। इन सब पर काम हो तो मैं समझता हूं कि हम लोग उस जनता के साथ न्याय कर पायेंगे।

सभापति महोदय, देवस्थान विभाग में जो मन्दिर और मठों की जमीनें हैं, डोली विवाद जो लंबे समय से चलता आ रहा है, मैं चाहता हूं कि यह सरकार पूरे राजस्थान में इसके जो विचार हैं, उन लोगों से राय-मशविरा लेकर इस डोली विवाद को यह सरकार खत्म करेगी। ऐसी उम्मीद मैं आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पशुपालन जब बजट पढ़ा गया 131 नंबर बिन्दु से शुरू हुआ। 250 करोड़ के प्रावधान से पशुपालन विकास कोष का गठन किया जायेगा। जो गो वंश की समस्या के लिए राशि 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गयी। इसके साथ ही पशु चिकित्सकों की भर्ती को लेकर घोषणा इस बजट में हुई। लेकिन अगर हम लोग जमीन पर जाकर वास्तविकता देखने की कोशिश करें तो आज क्या स्थिति है?

पिछले बजट में हमने नन्दी शाला की घोषणा की, उसको लेकर इस बजट में कुछ नहीं था। हमने जो 40 हजार का मुआवजा था, उसका नाम बदलकर दूसरा कर दिया गया। लेकिन क्या वह धरातल पर हम उन पशु पालकों को रियायत दे पा रहे हैं, वह सुविधा दे पा रहे हैं? इसको लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गयी।

सभापति महोदय, आज भी नये पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा इस बजट में हो गयी। लेकिन आज भी स्थिति क्या है? नये पद सृजित किये जायेंगे,उसकी घोषणा हो गयी, लेकिन आज भी वास्तविकता यह है कि 60 प्रतिशत से अधिक पशु चिकित्सालय जो हमने गांवों में खोल दिये, वह खाली पड़े हैं, उनमें पशु चिकित्सक नहीं हैं। 2019 में जो 900 पदों को लेकर भर्ती आमंत्रित की गयी थी, उसके साक्षात्कार हो गये हैं लेकिन अभी तक उनको जोइनिंग नहीं दी गयी है।

2012 में हमारी सरकार ने पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू की। आज वह योजना पूर्णतया ठप पड़ी है। किसी भी जगह पशुओं के लिए निःशुल्क दवा वहां मौजूद नहीं है। पशु पालक परेशान होकर निजी खर्चे से अपने पशुओं को जब बीमार होता है, उसका इलाज करवा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इन बातों पर हम लोग ध्यान दें।

इस बजट में हर जिले में मेला लगाने को लेकर बात सामने आई। उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम लोग जो प्रसिद्ध मेले हैं, उसके अलावा हर जिले में भी पशुओं के लिए मेले लगायेंगे। उन मेलों को प्रोत्साहन देंगे।

सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से नागौर जिले में पाबोलाव जो लाडनूं का प्रसिद्ध पशुओं का मेला था, परबतसर का तेजाजी मेला था, नागौर का रामदेवरा मेला था, उन सब जगह आज भी स्थिति यह है कि जो बाहर से पशु पालक आते हैं, जहां लाखों पशु आते थे, उन जगह आज भी स्थितियां हम लोग ठीक नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदय, समय आपने दिया है।

श्री सभापतिः श्रवण कुमार जी, आप पीछे लॉबी में जाकर बात कीजिये। आप इधर से जाकर उधर बैठे हैं। जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मुर्रा नस्ल की भैंस संरक्षण के लिए भैंस प्रजनन फार्म बाकलिया में खोला था। जिसकी आज स्थिति यह है कि जितने भी वहां पशु थे, उनको नीलाम कर दिया गया और उस फार्म पर 28 फरवरी, 2024 के बाद एक भी कर्मचारी और चिकित्सक कार्यरत नहीं है। वह भैंस प्रजनन केन्द्र पूर्णतया बंद होने की स्थिति में आ चुका है।

सभापति महोदय, पिछले बजट में एक जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय की घोषणा लाडनूं में हुई। पॉली क्लिनिक की घोषणा हुई। उसकी जमीन आवंटित हुए डेढ़ साल हो चुका है, उसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो मोबाइल यूनिट पशुओं की बीमारी के लिए डाइग्नोस्टिक लैब की घोषणा हुई, वह अभी तक जमीन पर नहीं उतरी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जब मंत्री जी इस पर बोलें तो जो पशु पालकों की समस्याएं हैं, इनको केन्द्रित करके कुछ न कुछ उनको रियायत जरूर दें। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री जितेन्द्र कुमार जी।

Spp/Rtm/24.07.2024/16:30/3b

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 37-देवस्थान विभाग, मांग संख्या 29 और मांग संख्या 47 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बार-बार विपक्ष एक ही बात कहता है अयोध्या चुनाव हारे, मेंहदीपुर बालाजी हारे, लेकिन मैं इनको यह कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था रखती है, वह चुनाव जीतने के लिये मन्दिर का निर्माण नहीं कराती, वह सिर्फ और सिर्फ जन भावनाओं के लिये और श्रद्धा के लिये मन्दिर का निर्माण कराती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः प्लीज आपका सदस्य बोल रहा था, जब उधर से आवाज आयी। आपका नम्बर आये तब बोलिये। डिस्टर्ब न करें। वह बोल रहे हैं, उनकी बात सुनें। आप बोल रहे थे उन्होंने किसी ने डिस्टर्ब किया? आप बोलिये प्लीज।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब-जब भी मन्दिर की बात करते हैं तो हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाता है। मुझे याद है जब रामसेतु की बात होती थी तो इनके राष्ट्रीय नेता, क्योंकि नाम लेने के लिये सदन में मना किया है, इसलिये जिनको +++ के नाम से भी जानते हैं सब लोग, वह कहा करते थे कि रामसेतु नाम की कोई चीज है ही नहीं। .(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज आप सुनिये। जब आपका नम्बर आयेगा तब आप बोलना।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार):और जब वैज्ञानिकों ने शास्त्रों में जब यह तय किया कि रामसेतु श्रीराम के समय वानर सेना के द्वारा बनाया गया था, तो उसको सब लोगों ने स्वीकार किया, उसको साइंस ने भी स्वीकार किया। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार में, भजन लाल जी की सरकार ने देवस्थान विभाग को केन्द्रित करते हुए पूरे राजस्थान की श्रद्धा का केन्द्र, पूरे देश की श्रद्धा का केन्द्र खाटू श्यामजी के लिये जो 100 करोड़ की घोषणा की गयी है, पूरे देश भर में, प्रदेश भर में सभी प्रान्तों से हमारे पास फोन आते हैं, लोग उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो निस्वार्थ, बिना सोच के, बिना राजनीतिक कारणों से मन्दिर का निर्माण करने के काम करती है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को भली-भांति जानता हूं कि पिछली सरकार ने मंदिरों के लिये 553 मंदिर पूरे राजस्थान के अन्दर रंग-रोगन मरम्मत इत्यादि के लिये तय किये गये थे। इन लोगों ने मात्र 217 मंदिरों में काम कराया था। यह इनकी भगवान के प्रति आस्था को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने, भजन लाल जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं, जिसमें सावन मास में या विभिन्न त्योहारों में दीवाली, होली, इन सभी त्योहारों पर पूरे राजस्थान के अन्दर 600 मंदिरों को लगभग 13 करोड़ की लागत से सजाने का, उनके डेकोरेशन का काम किया जायेगा। यह भजन लाल जी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि यह मंदिरों के बारे में सोचने का काम कतई नहीं करते। इनका दृष्टिकोण मात्र राजनीतिक रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई सारे प्रसिद्ध मन्दिर है और उन मंदिरों में त्रिनेत्र गणेश, हिन्दू धर्म में भगवान त्रिनेत्र गणेशजी को निमन्त्रण देकर, प्रणाम करके और किसी भी शुभ कार्य को प्रारम्भ करने से पहले त्रिनेत्र गणेशजी की जय बोलते हैं और उनको भोग लगाकर उस कार्य का शुभारम्भ करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने पांच साल के अन्दर उस त्रिनेत्र गणेशजी के मन्दिर में एक रुपये का भी विकास कार्य नहीं करवाया। यह इनकी मंशा को दर्शाता है और यही कारण रहा, जिन्होंने भगवान गणेशजी को नहीं पूजा, वह वहां बैठ गये और हम यहां पर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में त्रिनेत्र गणेशजी के मन्दिर में विकास की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की ओर भी आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। लगभग सात किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं और फोरेस्ट के कारण वहां पर कोई विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाते। माननीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर विकास कार्यों के लिये एक अलग मुहिम बनाये, अलग कानून बनायें ताकि फोरेस्ट उसमें बार-बार अड़चन पैदा करके उस कार्य को रोक नहीं पाये।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में कई सारे कामों के बारे में जब लोग बात करते हैं तो उनके पीछे उनकी मंशा रहती है कि मैं एक रोड बनाऊंगा तो मुझे इतने वोट मिलेंगे, मैं एक जल योजना लाऊंगा तो मुझे इतने वोट मिलेंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ इस मंशा के साथ काम करना चाहता है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र के कई मंदिरों की ओर देवस्थान विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक शिवाड़ मन्दिर है, जिसका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है और उस उल्लेख में 12वें ज्योतिर्लिंग को शास्त्र में कहा गया है कि शिवाड़ में स्थापित है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से देवस्थान विभाग के माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस स्थान को भी देवस्थान विभाग के अन्दर जोड़कर उसके भी विकास कार्य की घोषणा आपके द्वारा की जाये।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद मेरे क्षेत्र के अन्दर शंकर भगवान के मन्दिर के बाद 20 किलोमीटर बाद चौथ माता का मन्दिर आता है और वह मन्दिर 557 साल पुराना है। हमारी बहिनें जिस चौथ माता की पूजा करती हैं, पूरे देशभर में चौथमाता का इतना प्राचीन मन्दिर सिर्फ चौथ का बरवाड़ा में है, जो खण्डार विधान सभा में आता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं देवस्थान विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग बैठकर एक कलस्टर बनायें चौथ का बरवाड़ा मन्दिर, शिवाड़, भगवतगढ़ और रामेश्वर धाम, जिसकी स्थापना भगवान परशुराम जी ने की थी और वहां पर यह नजदीक लगता हुआ एक सीता माता मन्दिर है। माननीय सभापति महोदय, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मन्दिर स्वयं सीता माता वनवास के समय यहां पर आयी थीं और इस तरह का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बनाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे देवस्थान विभाग के मंदिरों को जोड़ने के बाद मैं बिना वोट की कल्पना के यह बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में, भारतीय जनता पार्टी के मन में और हम सबके मन में एक ही भाव है कि भगवान पूजनीय है, भगवान के कारण ही यह सृष्टि चल रही है। गौमाता के कारण, कहते हैं कि पृथ्वी को एक सींग पर उन्होंने रखा हुआ है, गौमाता के कारण ही यह सृष्टि चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के द्वारा पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत भी किये गये और नये खोले भी गये। लेकिन उन्होंने इसका बिलकुल प्रावधान नहीं रखा कि उनमें

डॉक्टर लगेंगे या नहीं लगेंगे, कम्पाउंडर हैं या नहीं, पशुओं के प्रति इतनी गंभीरता इससे नजर आ जाती है कि इनके द्वारा सिर्फ खोलने का काम किया गया, कहीं पर भी अधिकारी लगाने का, डॉक्टर और कम्पाउंडर लगाने का काम नहीं किया गया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो इनके किये गये कर्म थे, जिनके कारण जनता दु:खी हो रही है, उनको सुधारने का काम भी हमारी भजन लाल जी की सरकार करे, ऐसा उनसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः अगर +++ नाम का कोई शब्द आया है तो उसको इस कार्यवाही में से निकाला जाये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, किसी का नाम नहीं था।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मेरे बेटे का नाम भी +++ ही है।

श्री सभापतिः प्लीज बैठें। ..;(व्यवधान).. श्री गणेश घोगरा।

MLS/RTM/24.07.2024/16:40/3c

श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज पशु पालन पर इस सदन में चर्चा हो रही थी। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की लगभग 2/3 आबादी खेत-खलिहान, किसान, किसानी और पशु पालन पर निर्भर है। राजस्थान इस देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज पशु पालन को लेकर हम सब एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं, किसान खेती और पशु पालन के जरिये अपना जीवन यापन करता है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से हर बार उसे फसली मुआवजा या फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो भगवान के हाथ में है वह तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार के हाथ में है, उस चीज के लिए हमें किसान के प्रति सहानुभूति रखते हुए वह फैसला लेना चाहिये, जिससे उसे पशु पालन में फायदा मिले और उसकी आय दुगनी हो। उसे सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन मिले, उसके लिए बीमा लागू किया जाये।

आज इस प्रदेश में हर वर्ग यह कहता है कि मैं किसान हूं। मेरे परबतसर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला लगता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर आप लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको हर किसान वर्ग का

व्यक्ति यह कहेगा कि नागौरी बैल पूरे देश में जोत के लिए काम आता रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट द्वारा तीन साल तक के बछड़ों के परिवहन पर रोक लगायी गयी, उसके बाद उस मेले का पतन हो गया और आज दुर्गति यह है कि जब बाहर से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड के किसान यहां आते हैं बैल लेने और जब वे यहां से जाते हैं, उनके पास रवन्ना भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, चाहे वे बजरंग दल के लोग हों, चाहे अन्य किसी दल के लोग हों, वे उन्हें रोककर उनके साथ मार-पीट करते हैं और प्रदेश की पुलिस उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती, जिसका खामियाजा उस किसान को इस बात के लिए भुगतना पड़ता है कि आज उस मेले में राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों से कोई भी किसान नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े विश्वास और दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से पूरे प्रदेश का सर्वे करवा लें, जो लोग गाय माता के नाम पर राजनीति करके उसके प्रति हमदर्दी जो यहां इस सदन में और इस सदन के बाहर प्रकट करते हैं, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे करवा लें कि गाय माता और गोशाला को कौन लोग चलाते हैं। गांवों में जो किसान, जो दलित, जो मजदूर, जो किसान का बेटा है, वह गोशाला को चलाता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मैं किस धर्म का हूं, मेरी जाति कौन सी है। यहां वोट के नाम पर उसे यूज नहीं किया जाता।

यहां सदन में जब हम लोग आते हैं तो धर्म की बात, गोशाला के नाम की बात, अगर आप गाय माता के इतने ही बड़े भक्त हैं तो मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन रहेगा कि जब माननीय मंत्री जी इसका रिप्लाई दें तो चरागाह में जो जमीन पर गोशाला का अलॉटमेंट हो रखा है, उनका आप पंजीयन करें और उन्हें उचित मुआवजा और अनुदान राशि प्रदान करें ताकि इस बात पर मुहर लग सके कि आप लोग सच में गौ भक्त हैं। माननीय मंत्री जी, आज जब सदन में आप रिप्लाई देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश में हजारों-लाखों ऐसी गोशालाएं हैं, जो चरागाह की भूमि पर बनी हुई हैं, उन्हें सरकार अनुदान नहीं दे पाती।

सभापति महोदय, इन्होंने एक प्रावधान बना रखा है कि 200 गायें होंगी तो ही अनुदान मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उसकी संख्या को कम करके जो छोटे-छोटे कस्बों, छोटे-छोटे गांवों में जहां 100 या 50 गायें भी रखकर गोशालाएं चलायी जा रही हैं, उन्हें भी अनुदान राशि दी जाये। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम सब लोग पशु पालन पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है, सरकार को पंचायत समिति स्तर पर जो दुग्ध प्रतियोगिताएं हैं, हाट बाजार हैं, उन पर प्रतियोगिताएं करवानी चाहिये ताकि किसान को प्रोत्साहन मिले। इससे प्रभावित होकर वह पशु पालन में रुचि ले। इस पर हम सब लोगों को ध्यान देना होगा।

साथ ही, जो डॉक्टरों के 65 परसेंट पद खाली हैं, जो एलएसए के 35 परसेंट पद खाली हैं, उन्हें भरे जाने के लिए सरकार जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई करे। साथ ही, माननीय

सभापति महोदय, कई बहुद्देशीय हॉस्पिटल और लैब्स हैं, वहां इस विभाग द्वारा जो विषय विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। उसका परिणाम जनता को, पशु पालकों को भुगतना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि वहां विषय विशेषज्ञों को ही लगाया जाये।

साथ ही, कोर्ट का फैसला आया हुआ है, डॉ. चन्द्रशेखर साहुकर बनाम यूनियम ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया है कि जो आयुर्वेद और एलोपैथिक डॉक्टर्स को एनपीए के अलाउंस और सुविधाएं मिलती हैं, वे पशु पालन विभाग के वैटरनरी डॉक्टर्स को भी मिलनी चाहिये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिये।

साथ ही, आज मन्दिर और देवस्थान की बात हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, परबतसर में वीर तेजाजी महाराज का मन्दिर है, उस पर हमारी सरकार ने 2 करोड़ 34 लाख रुपये का जीर्णोद्धार करवाया, कैवाय माता का मन्दिर है, वहां एक करोड़ की राशि से जीर्णोद्धार करवाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानाबाईजी हरनावा का प्रसिद्ध स्थान है, हरियाजून में भोलेनाथ जी का मन्दिर है, साथ ही, खुंडियास में हमारे बाबा रामदेव जी का मन्दिर है, उनके ऊपर सरकार ध्यान दे। इसके साथ में, देवनारायण भगवान का मन्दिर और श्योजी बाबा का मन्दिर परबतसर मुख्यालय पर है, सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसे देवस्थान विभाग में जोड़कर वहां का जीर्णोद्धार करवाने का कष्ट करें, हम सबको अनुगृहीत करें।

इसके अलावा, खड़नाल में हमारी सरकार ने वीर तेजाजी महाराज के मन्दिर के ऊपर, सुरसुरा में वीर तेजाजी महाराज के मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने हमारे बजट स्वीकृत किये, उसका काम चल भी रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन दोनों मन्दिरों पर आपके द्वारा कॉरिडोर बनाकर उन्हें और भव्य बनाया जाये। आज हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज की पूरे प्रदेश और देश में एक मान्यता है। उसे आप आगे लेकर जाएं, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा, हमारी सरकार ने भी उसे लागू किया, उसे आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों को इस प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के नाम पर आगे लेकर जाना चाहिये।

साथ ही, राजस्थान के देवस्थान विभाग की जो अन्य प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखण्ड है, हिमाचल है, वहां हमारी कई आवासीय भूमि, दुकानें और कई जमीनें हैं, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सदन की मेज पर वह विवरण रखें कि हमारी जमीनें, दुकानें, आवासीय भू-खण्ड कहां-कहां हैं ताकि वह सदन को भी पता लगे और प्रदेश की जनता को भी पता चले कि हमारे देवस्थान विभाग की जमीनें पूरे देश भर में कहां-कहां हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अशोक जी कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अनुदान की मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। 2024-25 का बजट पेश हुआ, बजट निःसन्देह बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक रहा। घोषणा के साथ उसकी क्रियान्विती भी शुरू हो गयी। 10 को बजट पेश हुआ, 14 को प्रभारी मंत्री जी की मीटिंग अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय पर हुई। ऐसा आज तक इतना जल्दी कभी नहीं हुआ। मैंने बजट अनुदान पर सभी मंत्रियों को सुना। ऐसा लगा कि जो बजट दिया गया है, उस पर पूरा काम होगा। बजट में आपने सभी वर्ग-विशेष का पूरा ध्यान रखा, पर आपको गोमाता नहीं दिखी, क्योंकि गोमाता वोट नहीं देती है।

आप वह हम सब वोट लेने जाते हैं, तब गोमाता की जय बोलते हैं। यह कितनी विचित्र बात है, सबसे अधिक पीड़ा में गाय है। सरकार द्वारा गोमाता की उपेक्षा व अनदेखी की गयी है। गोमाता ने आपसे क्या मांगा? रूखा-सूखा भोजन दे दें, सभी विकास, ऐश्वर्य, योजनाएं मानव के लिए रखें, पर आपने वह भी नहीं दिया। और तो और गो सैस के नाम से जो पैसा आया, आपने 2021 संशोधित नियम के तहत और किसी मद में ले लिया जो कि आपका अधिकार नहीं था। इसी के साथ, पूर्ववर्ती सरकारों ने तो गोमाता की गोचर भूमि अन्य कार्यों में ले ली। अब आपसे रोड पर खड़े नन्दी व गोमाता पूछ रहे हैं, मेरी क्या गलती है? आप लोगों द्वारा मुझे आवारा करके रोड पर छोड़ दिया गया भूखा-प्यासा मरने के लिए। उसके बाद लोग हमें मारते-पीटते, फिर कत्लखाने की पीड़ा सहन करनी पड़ती, वह अलग। आप हमें न्याय दें।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप राजा हैं, पहले के राजा राम थे। उन्होंने कुत्ते को भी न्याय दिया और इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई ने तो गोमाता को न्याय देने में अपने बेटे तक को सज़ा दे डाली। वे गोमाता थीं, जिन्होंने महारानी से बेटे को सज़ा न देने की अपील की और क्षमा कर दिया। वही करुणामय गौ माता है।

mkd/rtm/24.07.2024/16:50/3d

क्या आप भी न्याय करेंगे व गोमाता की सुनेंगे? सबसे पहले आप गोशालाओं का अनुदान 9 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दें। अभी वर्तमान में बीस और चालीस रुपये ही अनुदान मिल रहा है। 2018 के बाद बढ़ाया नहीं गया है, जबकि केन्द्र में 2015 से ही 45 व 80 रुपये था।

जिला कलेक्टर को निर्देशित करें कि ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि को जेसीबी से साफ करवाकर घास उगाये और पशुपालक को पाबन्द करें कि वह गाय को रोड पर नहीं छोड़े या जुर्माना राशि बढ़ाये। गाय के टैग लगाकर चिन्हित करें, गाय रोड पर नहीं आयेगी तो दुर्घटना भी नहीं होगी।

पं. मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, भारतीय संविधान का पहला खंड गोवंश हत्या

निषेध पर होना चाहिए। दूसरा परम पूज्य देवरहा बाबा ने कहा, जब तक गोवंश का रक्त भूमि पर गिरता रहेगा, कोई भी धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठान सफल नहीं होगा। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में गो-हत्याएं हो रही हैं। हमारे राजस्थान में भी इतनी गो-तस्करी होती है। गोमाता की तस्करी को रोकने के लिए कानून को सख्त करने की आवश्यकता है। गौ तस्करों की सज़ा बढ़ा दी जाये। गौ तस्करों के द्वारा जो गाड़ी काम में आती है, उसको राज साफ करा दिया जाये। जैसे अफीम की गाड़ी छूट नहीं पाती है, वैसे ही करें। गोमाता की तस्करी करने वाले कितनी पीड़ा देते हैं। हम कल्पना करें तो कांप जायेंगे।

जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाये। छतीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण स्तर पर दो रुपये किलो में गोबर खरीदकर व जैविक खाद बनाकर किसानों को कम दर पर दी है, जिससे वहां जैविक खेती शुरू हो गई। देश में जैविक खेती एक नम्बर पर है। जैविक खेती शुरू होने से कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो पायेंगे। मानव स्वस्थ एवं सुखी होगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है। नई सरकार ने बैठते ही गोमाता के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, जिसके अन्तर्गत अनुदान को डबल कर दिया गया। गोचर भूमि को साफ करने का काम किया गया और गो तस्करी के लिए कानून को सख्त किया जिससे वहां गो तस्करी कम हो गई। चाहे तो आप वहां की गौ माता पर बनी पॉलिसी मंगवा लें। हम भी आपको कुछ फोटो और डिटेल प्रस्तुत कर रहे हैं।

आपसे निवेदन करते हैं कि आप अनुदान बढ़ाने के साथ एमपी व छतीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गोमाता का कार्य करेंगे तो आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। साथ ही, आपका विकसित राजस्थान का संकल्प व माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना 2047 तक विकसित भारत पूरा होगा। साथ ही, मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि गोशालाओं को अनुदान समय पर नहीं आता है। उसको भी आप समय पर करवायें, जिससे गोशाला सही ढंग से चल सके। आपका भी गोमाता के प्रति पूज्य भाव है।

साथ ही, हम पिछली सरकार का भी आभार व्यक्त करेंगे, आपने भी गत वर्ष गोशालाओं का अनुदान 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया। वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता का भी ह्दय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप बजट भाषण पर गोमाता पर अच्छा बोले और सरकार से निवेदन किया। आपने समय प्रदान दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज के जो ये विषय हैं, ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से संगठित है। हमारे पूर्व के सभी विधायकों ने, जिन्होंने यहां पर अभी चर्चा की, काफी पोजिटिव चर्चा और बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन सरकार को दिये है। वाकई में यह बात तो माननी पड़ेगी कि कल हमारे मंत्री महोदय राज्यवर्धन जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से

इतने अच्छे सुझाव हमें अब मिल रहे हैं, अगर ये सुझाव वे अपनी सरकार को देते तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती थीं।

जिस तरीके से हम देखें, मैं गोमाता से ही शुरू करूंगी। भीलवाड़ा से आने वाले विधायक ने अपनी पीड़ा को रखा है। लम्पी के दौरान पूरे राजस्थान ने देखा कि किस तरीके से गायों की मेडिसिन समय पर पहुंचनी चाहिए थी, वह उस समय नहीं पहुंची, जिसकी वजह से गोमाता को हमें खोना पडा। इन्होंने हर गांव के अन्दर कहा कि हम चालीस हजार रुपये प्रति गाय देंगे, वह भी सभी को नहीं मिल पाये हैं। इस तरीके की कांग्रेस सरकार और इनकी असत्य नीतियों पर क्या कहना है। जनता ने तो इनको जवाब दे दिया है, मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करनी हैं। क्योंकि, सभापति महोदय, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं।

नये विधायकों को थोड़ा ज्यादा समय दें। यह बात मैं अपनी चर्चा से पहले कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तीन मुद्दों पर बोलना है।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय की जानकारी में एक विषय लाना चाहूंगी कि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, राजसमन्द पिछले 13 वर्षों से कार्यरत था, उसकी भूमि भी आवंटित हो गई थी।

स्व. श्री किरण माहेश्वरी जी, जब वहां से विधायक थे, उस समय भूमि आवंटित हो गई थी, लेकिन वहां पर उस वक्त अतिक्रमण था, जिसकी वजह से कार्य चालू नहीं हो पाया था। पूर्ववर्ती सरकार ने एक मुहिम चालू की थी कि जो-जो भी 2018 में हुए हैं, वे सारे कार्य बन्द होने चाहिए। उसी के अन्दर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का कार्य और उसके लिए जो पैसा डीएमएफटी फंड से आवंटित था, वह फंड कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर, कोरोना आने की वजह से वापस कार्यवाही में दिक्कत हुई, लेकिन पिछले दो वर्षों में हमने उसके पीछे लगकर, सभी लोगों ने संघर्ष करके, राजसमन्द के पूरे परिवार ने मिलकर संघर्ष किया इस बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए और वह भूमि अब अतिक्रमण मुक्त है।

आज भी वहां बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नहीं बन पाया है तो मैं सबसे पहले हमारे राजसमन्द की एक प्रमुख मांग मंत्री महोदय के सामने रखूंगी कि वे हमारे राजसमन्द को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय वापस दे, क्योंकि जिला मुख्यालय का हक होने के साथ-साथ एवं राजसमन्द के आसपास के गांव किसान बाहुल्य होने के कारण यह चिकित्सालय बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने सबसे पहले तो यह मांग रखूंगी।

दूसरी एक बड़ी मांग मैं आपके सामने यह रखना चाहूंगी कि जिला मुख्यालय पर हमारे यहां पर सहकारी डेयरी संघ नहीं होने के कारण पशुपालन का जो व्यवसाय है, उसमें जिस तरीके का विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हो पाया है।

मंत्री महोदय, इसके अलावा भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जितने भी डेयरी उत्पादक हैं, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, वहां पर किसानों के पास दो गाय, तीन गाय, चार गाय इससे ज्यादा गाय नहीं हैं। बड़ी-बड़ी डेयरियों में आधुनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मिल

जाती है, लेकिन ये जो माइक्रो लेवल पर, हम स्मॉल स्केल कह सकते हैं, ऐसे डेयरी संघ बनाये, जिसमें माइक्रो डेयरी या स्मॉल स्केल डेयरी हो, उनको भी आधुनिक व्यवस्था दी जाये और उनका दूध उत्पादन कैसे बढ़ सकता है और गायों को किस तरीके से अच्छे से रखा जा सकता है, इसकी भी उनको सुविधा मिले। इससे न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि महिलाओं को भी हम रोजगार से जोड़ पायेंगे। ये दोनों चीजें हमारे वहां बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ हमको दिया है, इस बजट के अन्दर। मुख्य मंत्री जी के द्वारा भी बहुत सारी हमको सौगातें मिली हैं। फिर भी, वह कहते हैं ना, मांगना बन्द नहीं करना चाहिए, जितना मांगेंगे, उतना हमें मिलेगा। हमें आप पर यकीन है कि आप राजसमन्द का विशेष ध्यान रखते हुए हमें सुविधाएं देंगे।

मैं आपसे यही कहूंगी कि पशु चिकित्सकों की भर्ती पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पद रिक्त हैं, वे आज तक नहीं भरे गये हैं। कितनी ही जगह जो छोटे चिकित्सालय चल रहे हैं, छोटे गांवों में जो हमारे पशुपालक हैं, वे किस तरीके से अभी भी, क्योंकि पद रिक्त हैं तो उनको सही समय पर चिकित्सा प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने पशुधन को भी खोना पड़ता है। ये तीन मुख्य राजसमन्द के इश्यूज हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन पर जरूर विशेषकर ध्यान दें।

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा के विषय के अन्दर मैं यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसके अन्दर राजस्थान को आरोग्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने 2024 के बजट में आयुष सेवाओं के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का आवंटित किया है।

इसके साथ-साथ हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने और उनके साथ हमारे उप मुख्य मंत्री प्रेम चन्द बैरवा जी ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है, उसका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

राजसमन्द के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने इसी सदन में एक घोषणा की थी कि हर जिला मुख्यालय पर एक आयुष महाविद्यालय बनेगा, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा। राजसमन्द इकलौता, एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां पर आज भी जिला मुख्यालय की जो सुविधाएं होनी चाहिए वे नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि हमारे यहां महाविद्यालय खोलें। इसके लिए हमने 11 बीघा भूमि भी आवंटित कर रखी है। हमने उसको ब्लॉक कर रखा है। उसके अन्दर जो भी प्रक्रिया है, उसको आप चालू करके उस महाविद्यालय को हमारे यहां जल्द से जल्द खोलें। मुझे यकीन है कि आप उसमें कार्यवाही करते हुए हमारे यहां देंगे।

Bhs/Rtm/24.7.24/17.00/3e

इसके साथ ही, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत

ज्यादा भरोसा है। आज भी अगर आप देखेंगे, हमारे पूर्व में जो विधायक यहां पर बोल रहे थे आदरणीय राजेन्द्र जी ने भी बोला कि किस तरीके से आज भी गांवों में आयुर्वेद का एक अच्छा प्रचलन है। अभी भी अगर बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को काढ़ा देते हैं। अभी भी अगर कोई छोटी-मोटी समस्या होती है तो हम आयुर्वेद, होम्योपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा से उसका उपचार करते हैं। भले ही अजवायन का पानी हो या कुछ भी तो मैं आपसे यह विशेष करके निवेदन करूंगी कि आयुष को, आयुर्वेदिक चिकित्सा को गांवों के अन्दर एट लीस्ट हम इतना करें कि हर एक पंचायत स्तर पर एक-एक नर्सिंग स्टाफ आयुर्वेदिक रहे ही रहे, ताकि यह जो छोटी-छोटी बीमारियां हैं इनका उपचार आयुर्वेदिक तरीके से कर सकें जिससे कि हमारे चिकित्सा विभाग पर भी जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कम हो सकता है। हमारे गांवों में भी यह मान्यता है कि इन छोटी-छोटी चीजों के लिए हमें यह विदेशी उपचार नहीं करना है हमारे को तो देशी उपचार चाहिये तो इसलिये मैं आपसे यह विशेष करके आग्रह करूंगी कि या तो नर्सिंग स्टाफ बढ़ायें या डॉक्टर्स प्रोवाइड करें लेकिन हर पंचायत मुख्यालय पर आप एक आयुर्वेद चिकित्सक जरूर रखें।

सभापति महोदय, नर्सेज की भर्तियों के लिए भी मैं आपको कहूंगी कि पहले 2013 तक जो आयुष की नर्सेज थी उनको मेडिकल नर्सेज के समान ही वेतन दिया जाता था लेकिन जुलाई, 2013 के बाद इनको 4,200 रुपये तो मेडिकल नर्सेज को मिलने लगा है और आयुर्वेदिक नर्सेज को 3,600... (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि तीन बोलने हैं इसलिये मैं...।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये। आप अपनी बात रखिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल मैं रख रही हूं आप मुझे मौका दीजिये पूरा बोलने के लिए। मैं यह चाहूंगी कि इन आयुर्वेदिक नर्सेज को भी मेडिकल नर्सेज के समान वेतन जरूर दिया जाये क्योंकि वो भी उतना ही काम करते हैं और उतना ही हमारे लिए सहयोगी होते हैं।

सभापति महोदय, देवस्थान विभाग के लिए मैं सबसे पहले हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी भजन लाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने द्वारिकाधीश मन्दिर के जीर्णोद्धार की बात सोची क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत ज्वलंत समस्या थी। द्वारिकाधीश मन्दिर में बहुत आस्था है लोगों की लेकिन आज भी वहां पर पहुंचने का जो मार्ग है वो इतना सकड़ा है कि आये दिन वहां पर ट्रेफिक जाम हो जाता है। आपने जो द्वारिकाधीश मन्दिर को बजट में लिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं, लेकिन मैं विशेष करके आग्रह करूंगी कि एनएच और भीलवाड़ा कांकरोली मुख्य मार्ग इन दोनों को अगर द्वारिकाधीश मन्दिर से जोड़ दिया जाए तो द्वारिकाधीश मन्दिर का रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा साथ ही राजसमन्द में भी छोटे-छोटे उद्योगों को, छोटे-छोटे गाइड्स को आमदनी बढ़ाने का एक नया मौका मिलेगा तो उसके लिए हमें जरूर सोचना चाहिये कि इस द्वारिकाधीश मन्दिर का जीर्णोद्धार करके एक ऐसा वे बनाया जाए जिससे कि नाथद्वारा, द्वारिकाधीश

मन्दिर, चार भुजानाथ और सांवलिया सेठ इन चारों मन्दिरों के बीच में विशेष करके रोडवेज बसेज के द्वारा कुछ ऐसा चालू किया जाये कि इन चारों मन्दिरों में जो भी यात्री आते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो इन चारों मन्दिरों में दर्शन भी कर सकें और उसके साथ हमारे द्वारिकाधीश मन्दिर में भी आ सके।

सभापति महोदय, खाटूश्याम जी के लिए जिस तरीके से सौ करोड़ रुपये आपने इस बजट के अन्दर प्रावधान करके उस मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए दिये हैं मैं आशा करती हूं कि द्वारिकाधीश मन्दिर में भी आप इसी तरीके का अच्छा बजट हमें देंगे जिससे कि हमारे वहां पर बहुत अच्छे से सुविधाएं बढ़ सकेंगी।

इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में यह होता है कि एम.एल.ए लैड के द्वारा हम मन्दिरों पर रुपये लगा सकते हैं जो भी मन्दिर देवस्थान विभाग के अन्दर आते हैं वहां पर तो रुपये देवस्थान विभाग के द्वारा लग सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे मन्दिर, आज भी पंचायत स्तर पर सौ-दो सौ साल पुराने चार भुजानाथ के मन्दिर हैं जिनके ऊपर पैसे नहीं लगा सकते जिनका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता। वहां पर उनकी इतनी इन्कम भी नहीं है मन्दिरों को कि वे स्वयं कर सकें।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक मिनट मैं और लूंगी बस, सभापति महोदय। छोटी विधायक होने के नाते आप इतना सा मुझे दें, आपके सम्भाग की हूं। तो उन मन्दिरों पर भी एम.एल.ए लैड का रुपया हम लगा सकें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मेरे समय में से पांच मिनट इनको दे दो, सभापति महोदय। ...(व्यवधान)...

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद। एम.एल.ए. लैड में आप यह इन्क्लूड करें कि हम इन मन्दिरों पर डाइरेक्टली पैसा लगा सकें ताकि इन मन्दिरों का जीर्णोद्धार हो सके।

सभापति महोदय, पूर्णकालिक पुजारियों पर भी मैं यहां पर बात रखना चाहूंगी कि उनका मानदेय बढ़ा कर तीस हजार रुपये करना चाहिये और उनके साथ-साथ जो उनके सहायक और अंशकालीन पुजारी होते हैं उनके लिए भी हमें व्यवस्था सोचनी चाहिये। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है पुजारियों को मन्दिरों में अच्छे से मानदेय नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारे को ही दिक्कत होगी क्योंकि लोगों का जो रुझान है एक जो व्यवस्था है कि पुजारी बनने के लिए जितनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है वह नहीं हो पा रही है।

श्री सभापतिः श्री सोहन लाल जी नायक। (अनुपस्थित)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दो पाइंट और बचे हैं और बाकी का मैं टेबल कर दूंगी मैं नहीं बोलूंगी। आप मुझे अनुमति दें, मैं अपना टेबल कर सकूं। मन्दिर प्रबन्धन के लिए जो पैसे देवस्थान विभाग...।

श्री सभापतिः श्री सुरेश गुर्जर।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक पाइंट और बोलूंगी भाई साहब, एक सेकंड। इनको एक मिनट और ज्यादा देंगे। मन्दिर प्रबन्धन के लिए देवस्थान विभाग अपने रुपये हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार में लगाये न कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अभी एक मुद्दा यहां पर विधायक साहब ने उठाया था कि किस तरीके से होटल बन रहा है। मैं यही कहूंगी कि जो इन्कम मन्दिरों की हो रही है वह हिन्दू धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए होनी चाहिये, उसमें यूज होनी चाहिये, न कि सरकारी बिल्डिंग्स के लिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद लेकिन मेरे पाइंट्स बाकी रह गये आप मुझे परमिशन दें कि मैं बचे हुए पाइंट्स टेबल कर दूं।

श्री सभापतिः टेबल कर दीजिये आप।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 29,37 और 47 आयुष चिकित्सा, देवस्थान विभाग और पशुपालन पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज जिन मांगों पर चर्चा है वे सभी राजस्थान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि के बाद पशुपालन हमारे ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। आयुर्वेद स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की कला है यह हमारी संस्कृति और जीवनशैली से उपजा विचार और सोच है। साथ ही, देवस्थान आमजन की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, राजस्थान में हमारी सरकार द्वारा पशुपालकों की समस्या को समझा और गोवंश संवर्द्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये। गाय का गोबर और गोमुत्र खरीद कर प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की योजना बनाई। गोबर और गोमूत्र खरीदने का संकल्प आपने भी अपने संकल्प पत्र में किया हुआ है। मेरी मांग है कि गोबर और गोमूत्र खरीदने को धरातल पर लायें। व्यवस्थित पशु आहार, पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयां और मोबाइल चिकित्सकों द्वारा पशुओं का इलाज आज अत्यंत जरूरी है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर साल हजारों की तादाद में भेड़, ऊंटों का निष्क्रमण होता है जो गांव रीछवा और अठलई से होकर मध्य प्रदेश की सीमा की ओर निकलते हैं। रास्ता सिंगल रोड होने के कारण पूरी तरह से जाम रहता है। ग्रामीणों और पशुपालकों के बीच कई बार टकराव हो जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि रीछवा से और अठलई से मध्य प्रदेश की सीमा तक सड़क का दोहरीकरण कर दिया जाये। साथ ही साथ पशुपालन विभाग एवं प्रशासन सुरक्षित निष्क्रमण का प्रबन्ध करे।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सरकंडिया, खंकरिया, गोरधनपुरा, नोलाव, हींचर बोरदा में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की मैं मांग करता हूं।

आज देवस्थान विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से मन्दिर माफी और डोली भूमि के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मन्दिर माफी या डोली भूमि एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे रियासत काल से ही जागीरदार एक्ट में पुजारियों से लगान नहीं वसूला जाता था। बाद में सम्वत् 2011 से सम्वत् 2040 तक इन लोगों से लगान वसूला गया। जब 1963 में भूमि सेटलमेंट हुआ उस दौरान जमाबन्दी में काश्तकार का नाम दर्ज हुआ तो पुजारियों को भी खातेदारी दी गई लेकिन राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1991 में आदेश जारी करके इन पुजारियों को उनकी खातेदारी से बेदखल कर दिया और जमाबन्दी में काश्तकार खाने में मन्दिर व मूर्तियों के नाम इन्द्राज कर दिये। मन्दिर और मूर्तियों को नाबालिग भी बता दिया गया। इसके बाद आज तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई और पुजारी शोषण का सामना कर रहे हैं। पिछले चालीस सालों में कभी भी इस मामले में चर्चा नहीं हुई। पुजारियों के पास खातेदारी अधिकार नहीं होने की वजह से उनको किसी भी राजकीय सुविधा का लाभ नहीं मिलता और उनके परिवार और पिछड़ते जा रहे हैं। उसको किसी प्रकार की बैंक से ऋण सब्सिडी, फसल बीमा, के.सी.सी., राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। आज के समय में पुजारियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है। इनको बेदखल कर दिया गया, कहीं उनके खेतों के रास्ते रोक दिये गये। किसी भी परिवार के साथ मारपीट, हत्या, हत्या के प्रयास जैसे प्रकरण भी सामने आये हैं। मन्दिर माफी से जुड़े हजारों मामले आज भी कोर्ट, कचहरी और थानों में दर्ज है इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। निचली अदालतों और राजस्व अदालतों में मन्दिर माफी या डोली भूमि की सुनवाई नहीं हो पाती है। वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं और हाई कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हैं। एक तरफ तो सरकार पांच साल तक कोई कब्जा कर लेता है तो उसको खातेदारी का अधिकार, पट्टा दे देती है वहीं दूसरी ओर पुजारी वर्ग पीढियों से मन्दिर माफी की जमीनों पर खेती कर रहा है जिसके पूर्वज सम्वत् 2091 से 2047 यानी 1991 तक राजकीय भूमि के जमा बन्दी में उनका नाम काश्तकार कॉलम में इन्द्राज होने के बावजूद भी...

(समय:)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

Kas/rtm/24.07.2024/17.10/3f

उन्हें खातेदारी के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि पुजारी की इस समस्या का समाधान निकाला जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सारोला के पास कल्ला जी महाराज, तारज के भराड़ा भैरूं जी, दोनों स्थान लोक आस्था के केन्द्र हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से मन्नत मांगने और दर्शन करने आते हैं। मेरी मांग है कि सरकार इन दोनों स्थलों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करें। वहां यात्रियों को आने-जाने में भी परेशानी होती है, तो वहां

सड़क निर्माण कराया जाये।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर की आयुर्वेद चिकित्सा से सम्बन्धित मांगे आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल का भवन निर्माण बजट के अभाव में रुका हुआ है। मेरी मांग है कि इस बजट को जारी किया जाये। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाएं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सालय को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाये। राजस्थान में आयुष चिकित्सकों के ट्रेनिंग पीरियड को एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर के समान दो वर्ष से एक वर्ष किया जाकर एलोपैथिक और आयुष चिकित्सकों के भेदभाव को समाप्त किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापतिः महन्त बालकनाथ। (अनुपस्थित), श्री जेठानन्द व्यास।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, 47 और 37 पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग मन्दिर संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का विभाग है। इस विभाग का गठन भूतपूर्व राजपूताना राज्य की छोटी-बड़ी 22 रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात पूर्व देशी राज्यों द्वारा राजकोष के माध्यम से संचालित मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं, आदि के प्रबंधन एवं सुचारु संचालन हेतु वर्ष 1949 में किया गया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान गौरवशाली अतीत पूर्व शासकों की धार्मिक निष्ठा एवं धर्म पालन के बलिदानों के लिये विख्यात है। देशी राज्यों के अनेक रियासतों में मोहरें एवं राजपत्र अपने देवी-देवताओं के चित्र के साथ होते थे। ऐसे में राजस्थान के राजाओं और राजकुलों ने विपुल संख्या में मंदिरों, धार्मिक स्थलों एवं धर्मशालाओं का न केवल राजस्थान में निर्माण किया, अपितु राज्य के बाहर भी अनेक मंदिरों एवं धर्म स्थानों का निर्माण किया था। विभिन्न तीर्थ स्थलों पर बने राज्य के मन्दिर एवं पूजा स्थल मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों के केन्द्र थे। इनके माध्यम से ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, भजन, नृत्य परम्परा आदि का संरक्षण, प्रसार और प्रशिक्षण भी होता था। इस प्रक्रिया में अनेक धर्मज्ञ विद्वानों, निराश्रितों, विद्यार्थियों एवं साधु-संतों को सहयोग, प्रोत्साहन एवं संरक्षण भी मिलता रहा है। समय के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों के उपरान्त भी ये मन्दिर एवं पूजा स्थल आज भी धार्मिक सौहार्द व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्राचीन स्थापत्य कला, शिल्प कला व चित्र शालाओं के अनूठे अर्वाचीन भारत की अमूल्य निधि हैं। नवीन राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात इस विपुल मन्दिर संपदा के प्रबंध व संरक्षण का उत्तरदायित्व वर्तमान देवस्थान विभाग के पास है। देवस्थान विभाग के पास आने के बाद इनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब-तब देवस्थान विभाग के मंदिरों की तरफ पूरा ध्यान दिया गया।

मेरे बीकानेर जिले में आज 110 मन्दिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं और ये सभी मन्दिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। पिछली सरकार का ध्यान अन्य धार्मिक स्थलों पर तो बराबर गया, लेकिन मंदिरों पर नहीं गया। मेरे क्षेत्र बीकानेर में 5 मंदिरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिये बजट दिया गया है, इसके लिये मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे मन्दिर भी हैं जो बड़ी आस्था के केन्द्र हैं। जैसे मुरली मनोहर मन्दिर भीनासेन में, शीतला माता का मन्दिर शीतला गेट में, हनुमान जी का मन्दिर, ऐसे मन्दिर में भी बहुत से लोग जाते हैं। आज उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। कई मंदिरों में पुजारी नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में श्री कोलायत जी एक ऐसा तीर्थ स्थान है, हमारे यहां मान्यता है कि जब भी कोई हरिद्वार जाता है, तो हरिद्वार से आने के बाद उसको कोलायत जी जाना अनिवार्य है। लेकिन आज वहां की स्थिति यह है कि वहां जो देवस्थान के मन्दिर हैं, उन मंदिरों में एक-दो मन्दिर ऐसे हैं जहां पुजारी भी नहीं है और उनकी स्थिति भी खराब है। ऐसे मंदिरों के लिये मैं मांग करता हूं कि उनका भी जीर्णोद्धार किया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज मंदिरों के पुजारियों को 5 हजार रुपये दिये जाते हैं। आप मानते हो कि क्या 5 हजार रुपये में कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है? अंशकालीन पुजारियों का कम से कम 30 हजार वेतन होना ही चाहिये। कुछ मंदिरों में पुजारी नहीं हैं, उनकी नियुक्ति हो और नियुक्ति हमारे सनातन धर्म के अनुसार हो, यह भी मेरा आपसे निवेदन है। मंदिरों में चौकीदारों की सारी पोस्टें रिक्त पड़ी हैं, उनका वेतन भी तीन हजार रुपये हैं। क्या हम मान सकते हैं कि तीन हजार रुपये में कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है? सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, उतना वेतन तो कम से कम उनको दिया ही जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर की तासीर को देखते हुए देवस्थान विभाग जिले का महत्वपूर्ण विभाग है और सनातन धर्म के संस्कारों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिये इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि बीकानेर एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और इस संभाग केन्द्र पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की है, इसलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहां प्राइवेट वैध शालाएं कई वर्षों से लगातार चल रही हैं और उसमें हमारे कई युवा शिक्षा ले रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का आभार जताना चाहता हूं कि आपने मंदिरों की साज-संवार के लिये 13 करोड़ रुपये दिये हैं। सभापति महोदय, मैं नया सदस्य हूं और मुझे तीन विषयों पर बोलना है, इसलिए आप थोड़ा समय दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार मंदिरों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बीकानेर क्षेत्र में लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर जो बीकानेर के सेठ के नाम से जाना जाता है, उस मन्दिर के चारों तरफ कब्जे हो गये हैं और जो पुराने रास्ते से पहले लोग जाते थे, उस रास्ते पर तो सब ने कब्जा कर लिया है। अगर मैं बात करुंगा तो

सब नाराज होंगे कि आप हिन्दू-मुसलमान की बात करते हो। वहां कब्जे करने वाले सारे मुसलमान लोग हैं। पूर्ववर्ती मंत्री ने वोट के लालच में उनको सहयोग किया है। शीतला गेट में शीतला माता के मन्दिर के चारों तरफ कब्जा कर लिया, यहां तक कि उसकी फेरी में भी उन्होंने खिड़कियां निकाल ली हैं। हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन राज्य के संरक्षण के कारण वह टूटे नहीं हैं।

msk/rtm/24.07.2024/1720/3g

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सदस्य ने पूर्व मंत्री का नाम लेकर कि उन्होंने कब्जा कर लिया, मंत्री स्वयं उपस्थित नहीं हैं, न वे जवाब दे सकते हैं, कृपया इसको विलोपित करें।

श्री सभापति: जांच हो जायेगी, कोई दिक्कत नहीं, जांच करा लो ना।...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जांच कहां की करायेंगे, आप विलोपित करें। माननीय सभापति महोदय, इसे विलोपित करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया बतायें?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): पूर्व मंत्री का नाम लिया है। जब मंत्री उपस्थित नहीं है तो आप कैसे करेंगे?

श्री सभापति: नाम नहीं लिया है। माननीय सदस्य, यह कोई विषय नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): मेरा आपसे निवेदन है कि कब्जा किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और उनको राजनीतिक संरक्षण भी बराबर मिल रहा है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: कई पूर्व मंत्री रह गये, किसका नाम लिया? आप विराजें। आपका समय हो गया।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): यह वोट के लालच में हो रहा है। अभी मेरा समय नहीं हुआ। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे यहां लक्ष्मी नाथ मन्दिर, मुरली मनोहर मन्दिर, हनुमान जी का मन्दिर, सियाराम जी की गुफा, शीतला माता मन्दिर, आदि जो मन्दिर हैं, उनके लिए बजट दिया जाये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा आपसे निवेदन है कि हम पशुपालन की बात करते हैं। जितने भी गोचर हैं, उन गोचर का सीमा ज्ञान किया जाये और वहां उनको संरक्षित किया जाये। जिनका कब्जा है, उनको हटाया जाये।

श्री सभापति: आप मंत्री जी से चेम्बर में मिल लेना। श्री हाकम अली खां।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): जब तक हम वहां नहीं करेंगे तब तक हमारी गोचर नहीं बचेगी। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा को भी पूरा, जिस प्रकार से

एलोपैथी को महत्व दिया जा रहा है, उनको भी दिया जाये। मेरे बीकानेर में आयुष महाविद्यालय की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी। लेकिन हमारे पूर्व मंत्री लोभ में आकर ऐसे स्थान पर जमीन अलॉट करवायी थी, जहां सरकारी रास्ता नहीं था। इस सरकार के आने के बाद हमने उनसे निवेदन किया, कलेक्टर साहब ने दूसरी जमीन दी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उस जमीन का जो प्रस्ताव आया है, उसे तुरन्त पारित करके वहां भेजें, जिससे हमारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन जाये। यही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।

श्री सभापतिः श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): थारी भी जय हो, आप बैठे तो सही। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29- आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मांग संख्या 37- देवस्थान और मांग संख्या 47-पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुबह से पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा की है। पशुपालकों का भी किसानों की तरह अर्थव्यवस्था व समाज में बड़ा योगदान रहा है। किसानों में तो अधिकतर पुरुष होते हैं, लेकिन पशुपालकों में अधिकतर महिलाएं होती हैं। इसमें भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। इस सरकार की योजना, पशुपालकों की मेहनत का नतीजा था कि हमारे कार्यकाल में दूध और ऊन के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया था। दूध संकलन में आरसीडीएफ भारत में तीसरे स्थान पर आ गया। सभापति महोदय, 2008 से 2013 वाली सरकार के दौरान आरसीडीएफ को दूध बेचने पर दो रुपये की सब्सिडी शुरू की थी, परन्तु वसुन्धरा राजे की सरकार बनी तो सब्सिडी बन्द कर दी और पशुपालकों की आय घटा दी। हमारी सरकार ने आते ही दो रुपये सब्सिडी के शुरू किये, जिसको बाद में बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया, इससे दूध का उत्पादन एवं संकलन बढ़ा। इस योजना से करीब 1200 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान पशुपालकों को दिया जा चुका है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मंत्री जी इसे जारी रखें।

पिछली सरकार ने गोशाला के लिए पांच साल के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, जबकि हमारी सरकार ने पांच साल में 3 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। यह आंकड़ा है। राजस्थान में पशुओं के लिए इलाज पूरा फ्री हमारी सरकार ने किया। 1219 ग्राम पंचायतों पर पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोले गये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पशुपालकों में गाय बहुत महत्वपूर्ण होती है और सुबह से हम लोग गाय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोपालक कौन है? गोशालाएं तो कमर्शियल बन चुकी हैं। माननीय मंत्री महोदय, चाहे आप पूरे राजस्थान की जांच करा लें। अभी जैसा कि पोकरण से आने वाले प्रताप पुरी जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि पशुपालकों को गायों के अनुदान, किसानों को अनुदान दो गायों के लिए। गाय को सब मानते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो गाय नहीं पालता है। गाय सब पालते हैं और इसका गवाह मैं हूं, आपके सामने खड़ा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप भी गाय को माता मानते हो?

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मानते हैं। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनें। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। सन् 1474 की बात कर रहा हूं। सन् 1474, संवत् 1531 में फतेहपुर के नवाब जलाल खां जी हुआ करते थे। उन्होंने उसी टाइम गोहत्या बन्द कर दी थी। गोहत्या पर बैन लगा दिया था कि कोई भी मेरी रियासत के अन्दर गोहत्या नहीं कर सकता। आप क्या बात करते हैं? फिर उसने क्या किया? 13 हजार बीघा 24 मील के फेरे में एक जगह को चिह्नित किया और कहा कि यह जगह हमेशा गायों के लिए रहेगी, मैं इसे गोचर भूमि में घोषित करता हूं। आज भी वह गोचर भूमि है। राजस्थान में अगर कहीं इतनी बड़ी जगह है तो फतेहपुर में गायों के चरने के लिए है। आप गायों की बात करते हैं। वे थे गौ भक्त।

श्री सभापति: हाकम जी, गायों की बात तो सब करते हैं, करनी भी चाहिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): करनी भी चाहिए। आज भी, मैं कहता हूं कि मेरे समाज के लोग गाय का न मांस खाते हैं, न गाय काटने का काम करने वालों को बख़्शते हैं। अगर हमारे एरिये में कोई गौ काटने वाला मिल जाये तो सबसे पहले हम उसको मारते हैं। यह है, गौ भक्त। बात सब करते हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आवारा पशु नाम लेते हैं, पशु आवारा नहीं है। आदमी आवारा है, जो दूध निकालकर छोड़ देता है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): हमीर सिंह जी, मैं उस पर आ रहा हूं, आप चिंता मत करो।

श्री सभापति: गाय के लिए पूरा सदन एक है। गोमाता के लिए पूरा सदन एक है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आप जो गोशालाओं को अनुदान दे रहे हैं। उसी तरह से जो पशुपालक हैं। जैसा कि अभी महाराज कह रहे थे कि एक-एक किसान के पास, हजार-हजार गायें हैं, 500-500 गायें हैं, उनको अनुदान दें। एक गाय है तो उनको अनुदान दें। उनको अगर मेहनताना मिलेगा तो वे गायों का खयाल रखेंगे और गाय बचेंगी। हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसा कि महाराज ने कहा था, गोमूत्र एवं गोबर के लिए। हमारी सरकार ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम गाय को गोबर खरीदेंगे। माननीय मंत्री जी, आप भी घोषणा करें कि हम भी गाय का गोबर खरीदेंगे। इससे जो गोपालक हैं, उनको फायदा मिलेगा। अभी जैसा कि माननीय पारीक साहब कह रहे थे, महाराज भी कह रहे थे कि गाय को नरेगा से जोड़ दिया जाये। जब आप गाय को आर्थिक से जोड़ेंगे तो सब गाय पालेंगे। कोई भी गाय को आवारा नहीं छोड़ेगा, गाय को नीरस कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब अपने-अपने घरों में। जैसे हम इलेक्शन में कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो हम गोबर खरीदेंगे तो गाय के पीछे लोग घूमेंगे कि कहीं हमारी गाय दूसरे के घर के सामने जाकर गोबर न कर दे, नहीं तो वह मेरे को लाने नहीं देगा। सब गाय अपने घरों में रखेंगे और गाय को पानी पिलायेंगे, चारा खिलायेंगे। यह मैं गायों के बारे में बताना चाहता हूं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के बारे में पारीक जी से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आयुर्वेदिक औषधालय है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदिक औषधालयों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिये। आयुर्वेदिक औषधालयों के भवन बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। या तो हैं ही नहीं, है तो जर्जर हैं। आयुर्वेदिक के जो कम्पाउंडर हैं, वैद्य हैं, वे दूसरी जगह बैठ-बैठ कर, अपने घरों में या किराये के मकान में बैठकर औषधालय चला रहे हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ का आपको वाकया बता दूं। रामगढ़ में एक दानदाता ने नया औषधालय बना दिया, शानदार बिल्डिंग बना दी। सिर्फ उसको शिफ्ट करना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आप अधिकारियों को कहकर उस रामगढ़ के आयुर्वेदिक औषधालय को उस नये भवन में शिफ्ट करा दें। बना-बनाया तैयार है। विभाग को उसने हैंडओवर भी कर दिया। जिस भवन में आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है, वह भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुर, खोटिया, साबसर, बेसुआ, ठिमोली में भवन नहीं है, तो प्लीज उसके लिए बजट दिया जाये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

फतेहपुर शहर में यूनानी हॉस्पिटल चल रहा है। उसमें डॉक्टरों की कमी है। कोई है नहीं। गफ्फार खां यूनानी हॉस्पिटल है। उसके अन्दर एक भी डॉक्टर नहीं है। बहुत अच्छा भवन नहीं और दवाएं नहीं मिल रही हैं। तो दवाएं उपलब्ध करायी जाएं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है। यूं तो हमारे धर्म और संस्कृति में आयुर्वेद की यह विद्या, देवों से आयी विद्या मानी जाती है। जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने संकलित किया और मानव जाति के लाभकारी स्वास्थ्य के लिए उन्होंने विद्या को संकलित करके उसका उपयोग किया।

mdp/rtm/24.07.2024/17:30/3h

जीवन पद्धति कैसी हो तथा कैसे दीर्घ आयु मानव जाति को मिल सके, यह उद्देश्य चिकित्सा पद्धति का रहा है। मनुष्य का खान-पान, रहन-सहन, दिनचर्या, जिससे वे बीमार ही नहीं पड़े। यदि वह रोगी हो भी जाते हैं तो निरापद रूप से कैसे आयुर्वेद की पद्धति इस बात की ओर इंगित करती है कि कैसे उनका बिना किसी साइड इफेक्ट के हम उपचार कर सके। मनुष्य शीघ्र रोगमुक्त हो जाए।

वर्तमान में खाद्य पदार्थों में मिलावट, जीवन शैली में बदलाव, प्रकृति के विरूद्ध आचरण, जीवन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव और सबसे प्रमुख पेस्टीसाइड और यूरिया का अंधाधुंध उपयोग, बिगड़ता हुआ पर्यावरण, ये सब कारक हैं जिनकी वजह से आज तेजी के साथ रोग बढ़ते जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली में भी हम कैसे स्वस्थ रह

सकें ये आयुर्वेद का प्रमुख सार है कि हम किस प्रकार आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखे। यम, नियम, योग, आहार, विहार, प्रत्याहार, मेडिटेशन ऐसी कई चीजें हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति निरोगी रह सकता है। 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुर्वेद और योग की महत्ता को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया है। भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति के आधार इस चिकित्सा पद्धति को आज वैश्विक स्तर पर नये आयाम मिले हैं। 21 जून, 2014 से योग जो आयुर्वेद से ही सम्बन्ध रखता है, संपूर्ण विश्व में कई देशों में इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को योग दिवस के रूप में विश्व के अधिकांश देश मनाते हैं। भारत में 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गयी। 150 से भी अधिक देशों में जो भारतीय आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनका निर्यात किया जा रहा है। एक बड़ा मार्केट आयुर्वेदिक औषधियों का भारत के अन्दर स्थापित हुआ है। केन्द्र सरकार 2014 से लगातार आयुर्वेद के महत्व को समझते हुए इसके व्यापक प्रसार और पद्धति से देश और विदेश के लोगों को इसका लाभ पहुंच सके, लगातार हमारे केन्द्रीय बजट में इसके लिए बढ़ोतरी हुई है।

सभापति जी, आयुष मंत्रालय के अंतरिम बजट आवंटन में 2023-24 में 3 हजार करोड़ रुपये संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 3,712.49 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 23.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, हमारे माननीय सीकर से आने वाले जो विधायक हैं, वे बता रहे थे कि किस प्रकार जो औषधीय पौधे हैं, वे कितने कारगर हैं। बहुत सारी औषधियां हमारे इर्द-गिर्द हैं, जिनका हम जाने-अनजाने में उपयोग करते हैं। हमारे परिवार में ही हल्दी, धनिया, मिर्च, लाल मिर्च को सबसे ज्यादा जो हर्ट ब्लॉकेज आने वाले कारक हैं, उसको तेजी के साथ खतम करने वाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में हम लगातार वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। इनका लाभ लेते आ रहे हैं।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस प्राचीन धरोहर तथा इसके संरक्षण हेतु औषधीय पौधों की खेती पर बहुत जोर दिया है। केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों के विकास और खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की। दिल्ली में 2017 में जिस तरीके से एम्स है, वैसे ही एआईआईए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की। यह पहला ए प्लस ग्रेड का आयुष शिक्षण संस्थान है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष बहुत उपेक्षा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लेकर हुई है। चिकित्सालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई, आयुर्वेद के चिकित्सालयों में आउटडोर लगातार घटा। 2014 में हमारी सरकार ने एक ही छत के नीचे (समय समाप्ति सूचक घंटी) एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सालय प्रारंभ किये थे। ऐसा कोई सराहनीय कार्य आप नहीं कर पाए।

सभापति जी, आपने घंटी बजा दी, मैं कोटा शहर के विषय में डायरेक्ट आता हूं। कोटा शहर के अन्दर मेरे दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में महावीर नगर, आर के पुरम, सुभाष नगर,

दादाबाड़ी, गुमानपुरा में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएं। कोटा में वर्धमान आयुर्वेदिक महाविद्यालय का उद्घाटन अभी पेंडिंग पडा है, उसमें शिक्षक एवं अन्य पदों पर पदस्थापित किये जाएं। अभी सभी पदों पर अस्थाई लगा रखे हैं। स्थाई पद वहां पर सृजित करके पदस्थापन किए जाएं।

महोदय, होम्योपैथी चिकित्सा भी ऐसी चिकित्सा है, मैं होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना साइड इफेक्ट्स इससे रोग को पूर्णतः ठीक किया जाता है। कोरोना में, हमने कोविड के समय में देखा था कि न जाने कितने लोग इन चिकित्सा पद्धतियों से लाभ प्राप्त करके सही हुए। होम्योपैथी की हमारे कोटा शहर में आवश्यकता है कि कोटा शहर के अन्दर होम्योपैथी का एक महाविद्यालय खोला जाए। होम्योपैथी में कोटा के अन्दर एक भी महाविद्यालय नहीं है। होम्योपैथी के अन्दर आज आवश्यकता है कि हम आरजीएचएस में जर्मन दवाइयां और अन्य जो दवाइयां हैं, उनको इससे जोड़ा जाए जिससे लोगों को उनका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज गौ को लेकर, गौ को हमने माता के स्वरूप में देखा है। गौमाता के संवर्द्धन के लिए अनुकरणीय प्रयास की आवश्यकता है। कहा जाता है कि गिर गाय का जो दुग्ध है, उसके अन्दर स्वर्ण की भी मात्रा सम्मिलित पायी गयी है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कोटा शहर में मथुराधीश जी, जो वल्लभ सम्प्रदाय की प्रथम पीठ है, उसके कॉरिडोर की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब को, जो राजस्थान के 15 प्रमुख मन्दिर थे, उनमें लेते हुए उसके विकास के काम को हाथ में लिया है, परंतु इसके कॉरिडोर में और अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोटा का यह मथुराधीश जी का कॉरिडोर बनता है तो निश्चित रूप से कोटा धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे वैष्णव सम्प्रदाय के बंधु और धार्मिक श्रद्धालु इसके दर्शन हेतु पधार सकेंगे। इतनी बात कहकर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गणेश घोगरा। पांच मिनट में बात पूरी कर लें क्योंकि आप पहले भी मिस हो गये थे। वैसे तो नाम कट गया।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, इन सबको टाइम दे रहे हैं मुझे भी दीजिए। माननीय सभापति जी, अनुदान की मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। कृषि व पशुपालन दोनों साथ-साथ होते हैं। कृषि के लिए पशु भी जरूरी है और पशु के लिए कृषि भी जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा। पशुओं को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है, प्यार करता है तो वह है आदिवासी समाज। होली, दीवाली पर, होली माफ करना, दीवाली पर, जिस तरह होली, दीवाली और कुछ त्यौहारों पर इंसानों के कपड़े लिए जाते हैं, उसी तरह से आदिवासी समाज में होली पर उनके ऊपर सींगों पर कलर किये जाते

हैं और उनके गले में जो हमारा कपड़ा आता है, जो काठी आती है, वह बांधते हैं। उनका धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं और उनको पालते हैं हम आदिवासी समाज। अगर किसी आदिवासी समाज के घर में गाय मर गयी या भैंस मर गयी या बकरी भी मर गयी तो एक टाइम चूल्हा भी नहीं जलता है, ये है आदिवासी समाज, पशुपालक। यह आप भी जानते हैं क्योंकि आप कपासन से आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह हो गयी है कि पशुओं के रहने के लिए घर नहीं है। उनके लिए केटल शेड नहीं है। उनकी छाया के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में हर पंचायत में जो पशुपालक हैं, उनके लिए जितने भी पशु हैं, उनके हिसाब से पशुओं के रहने के लिए केटल शेड बनाने की व्यवस्था की जाए।

Ans/rtm 17.40 3j 24.07.2024

आदिवासी समाज, जहां खांट लगाकर सोता है, गाय हो या भैंस, वह उस पशु को अपने पास में बाँधता है। भले ही पशु गोबर करता है, फिर भी वह पशु से इतना प्यार करता है कि उसको धूप में नहीं रखता है। फिर भी आज कई पशु बारिश में बाहर है, गर्मी में भी बाहर है और सर्दी में भी बाहर रहते है। हम यहां बात तो कर रहे हैं गाय माता, गाय माता लेकिन गाय के लिए, पशुओं के लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इसलिए माननीय मंत्री महोदय जी, आप कैटल शेड की व्यवस्था जल्दी कराए। ...(व्यवधान)... देखो कैलाश जी, यह बीच में बोलना ठीक नहीं है। हम भी बोलना जानते हैं। हर बार बोलते हो, गलत बात है।

श्री सभापति: डिस्टर्ब नहीं करे।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): गाय माता की बात करते हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आपके घर में गाय है क्या, हम तो गोबर उठाते हैं। गाय को चारा खिलाते हैं, हमको पता है कि गाय की सेवा कैसे की जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कई पंचायतों में आज भी पशु चिकित्सालय नहीं है। पशु चिकित्सालय खोले जाए। पशु चिकित्सक के रिक्त पद है, उनको भी भरा जाए। डॉक्टर की कमी है, कंपाउंडर्स की कमी है तो उनको भी भरा जाए। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने इंसानों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था की थी।

सभापति महोदय, पशु के मरने के बाद, कोई उसे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप भी देखते हैं। भले ही रोड पर, गांव में, कुत्ते खींच रहे है उसके चमड़े को। पहले गांव का हमारा एक समाज था, वह उसकी चमड़ी उतारता था, उसको रखता था, उसको बाहर बेचता था। यह बहुत ही जरूरी है। लेदर के बैग लेकर घूम रहे हैं, लेदर की बैल्ट पहनते हैं, वह इस चमड़े से ही बनते है। मैं कहना चाहूंगा कि इस उद्योग को वापस बढ़ावा दे। जो समाज इससे दूर गया है, उनको वापस रोजगार मिले। जो पशु मर जाए, उसका चमडा उतरकर कुछ ना कुछ काम आए, मैं यह मांग करना चाहूंगा।

मंदिरों के बारे में बात की। इस बजट में, हमारे टीएसपी क्षेत्र में प्राचीन काल के मन्दिर है लेकिन एक रुपया नहीं दिया। देव सोमनाथ जो प्राचीन मन्दिर है, 12वीं शताब्दी में बना है। देव सोमनाथ मन्दिर नदी के किनारे एक दिन में बना है। पत्थरों पर बना है, ना उसमें कंकरीट है ना उसमें चूना है, ना उसमें रेती है। जो रोज भगवान की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, ऐसे प्राचीन मन्दिर के लिए एक रुपया नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा कि उस मन्दिर के लिए, सौन्दर्यकरण के लिए, वहां आप कुछ ना कुछ बजट दे। वैशाख हो, श्रावन हो, वहां हर समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करने जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं और पूरी भी होती है।

उदयपुर में, टिढी में झावर माता जी का मन्दिर है, देवस्थान विभाग ने उसको ले लिया। जब से देवस्थान विभाग ने उस मन्दिर को लिया है, तब से वहां कोई साफ सफाई नहीं है। वहां कचरा ही कचरा है चारों तरफ। अन्दर कुत्ते घुस रहे हैं, गाय घुस रही है, गोबर कर रही है। पहले समाज की व्यवस्था थी, उसमें अच्छी व्यवस्था थी। समाज वाले चला रहे थे, अच्छी व्यवस्था थी, चौकीदार भी था, साफ-सफाई वाले भी थे, उनको पैसे देते थे। देवस्थान में जाने से उस मन्दिर का डवलपमेंट नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में कहूंगा। जो रोज राम भगवान की बात करते हैं, राम भगवान के नाम पर वोट लिए, आज अयोध्या में जहां राम भगवान का मन्दिर बनाया, +++ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मुंह में राम, बगल में छुरी वाले यह मेरे सामने बैठे हुए हैं।

श्री सभापतिः ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): +++ आप लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा ...(व्यवधान)... वहां का पुजारी कह रहा है। +++ राम के नाम पर करोड़ों खा गए। भ्रष्टाचार किया है, इनकी जांच होनी चाहिए, मैं यह मांग करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): पुजारी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः महंत बालकनाथ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): व्यवस्था का प्रश्न है। हम डिमांड पर डिबेट कर हैं। डिमांड पर हो सकता है कुछ छोटी-मोटी इधर-उधर की बात हो, लेकिन किसमें कहां भ्रष्टाचार हुआ, +++ ...(व्यवधान)... ना तो आज तक अयोध्या गए, ना अयोध्या को मानते हैं, ना अयोध्या को देखा है। क्या लेना देना अयोध्या से। इसको डिलिट किया जाए।

श्री सभापतिः डिलिट कर दो इसको। माननीय बालक नाथ जी ...(व्यवधान)... आप विराजिए। विराजिए सब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): हम भी मानने वाले हैं ...(व्यवधान)...राम को मानते हैं।

श्री सभापतिः मिस्टर गणेश घोगरा ...(व्यवधान)... आप विराजो। माननीय सदस्य। सब विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): राम को मानने वाले हैं ...(व्यवधान)... +++

श्री सभापति: विराजो।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। आज हमारी अपनी राजस्थान विधान सभा में पशुपालन, आयुर्वेद विभाग ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): राम को अलग कर दिया ...(व्यवधान)... राम-सीता को अलग कर दिया, यह ऐसे लोग हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): भगवान राम और सीता का हमेशा साथ रहा है। राम, लक्ष्मण, सीता ...(व्यवधान)... यह ऐसे लोग हैं। पाखंडी लोग हैं, जिन्होंने राम को अलग कर दिया।

श्री सभापति: वह बाल रूप का मन्दिर है। भगवान का जन्म स्थान है, जन्म स्थान ...(व्यवधान)... उस समय सीता जी नहीं थी। आप विराजिए। आपको पता ही नहीं है अभी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह लोग प्रेम भाव नहीं जानते। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मिस्टर गणेश घोगरा, आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... विराजिए। उत्तेजना तो यह दे रहे हैं, गलत बात है। आप ऐसी चर्चा ही नहीं करें, जिससे सदन में उत्तेजना हो। ...(व्यवधान)... आप विराजिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भगवान को नहीं मानते ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बात हो गई। मंत्री जी विराजे। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): राम-सीता को अलग कर दिया ...(व्यवधान)... इनको श्राप लगा है।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)... माननीय विधायक जी, बैठिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पशुधन और आयुर्वेद विभाग पर बोलने का अवसर दिया है

श्री सभापति: कैलाश जी, बैठो। हो गई बात।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): पशुधन और आयुर्वेद विभाग पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रावण के वंशज ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, क्या-क्या कह रहे है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक्सपंज करा देंगे। ऐसा कोई शब्द होगा तो एक्सपंज करा देंगे। ...(व्यवधान)... ऐसा किसी ने बोला होगा तो एक्सपंज हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा तो एक्सपंज हो जाएगा। ...(व्यवधान)... बैठिए। हो गई बात।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह नफरत पैदा करते हैं ...(व्यवधान)... और कुछ नहीं करते।

श्री सभापति: विराजो। ...(व्यवधान)... यह अच्छा नहीं लग रहा है। यदि शब्द गलत होगा तो एक्सपंज हो जाएगा। यहां खड़े हो, मेरी बात सुनो, अगर कोई शब्द गलत होगा तो एक्सपंज करा देंगे।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ऐसा कुछ नहीं है। विराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नफरत पैदा करते हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सीनियर है। आप उत्तेजना कराएंगे तो कैसे काम चलेगा सदन में।आप सीनियर मैम्बर है, विराजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे तक बढ़ाया जाता है।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा, मांग संख्या 37 - देवस्थान एवं मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आपने पशुपालन, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजस्थान में गो पालन रहता है, उसी के साथ आयुर्वेद विभाग, देवस्थान विभाग, इन सभी विषयों पर हमें चर्चा करने का अवसर दिया है और मुझे भी बोलने का अवसर दिया है।

मैं सबसे पहले तो गौ माता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मुझे अच्छा लगता कि सदन में पक्ष-विपक्ष के माननीय विधायकों ने गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा और सेवा की भावनाओं को यहां रखा।

VPS-RTM-24.07.2024-17.50-3k

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में बहुत ही बड़ी संख्या में गौ-शालाएं हैं और मुझे यह अच्छा लगा कि सभी माननीय विधायकों ने जो गो-पालक है हमारे राजस्थान में जो एक बड़ी संख्या में गोपालन करते हैं जिसमें विशेष रूप से हमारा देवासी, रबारी समाज है जो हजारों की संख्या में गोपालन करता है, उनको भी राज्य सरकार की ओर से एक सहायता

मिलनी चाहिए। इसका समर्थन सभी माननीय विधायकों ने किया है और माननीय मंत्रीजी ने इस बात का संज्ञान भी लिया होगा और मुझे यह विश्वास है कि हमारी यह सरकार, माननीय भजन लालजी की सरकार आने वाले समय में इसके लिए जरूर न जरूर कोई व्यवस्था करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के अन्दर यह भी कहना चाहता हूं कि गौ-शालाओं को जो अनुदान मिलता है वह गौ-शालाओं के संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं सदन के बीच में आप सभी विधायकों एवं मंत्रीगणों से यह कहना चाहता हूं कि गौ-शालाओं को जो अनुदान मिलता है, उसमें भी हमें चिंता करनी चाहिए और गौ-शालाओं को जो अनुदान मिलता है, उसको बढ़ाने की तरफ भी हम सबको मिलकर कदम बढ़ाने चाहिए ताकि गौ-शालाओं को गायों के चारे के लिए समस्या का जो सामना करना पड़ता है, उनको हाथ फैलाने पड़ते हैं, उनको इन समस्याओं को सामना न करना पड़े और अपनी-अपनी गौ-शालाओं को चलाने के लिए सरकार उनको जो अंशदान देगी, उसके माध्यम से गौ-शालाओं की व्यवस्था और भी अच्छी आने वाले समय पर चले।

अभी बहुत सी जगह समस्या है कि गौ-शालाओं की भूमि, जहां पर गौ-शाला संचालित है, वह भूमि कहीं न कहीं गोचर भूमि है, सिवायचक भूमि है, चरागाह भूमि है तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए कि जो चरागाह भूमि है, गोचर भूमि है, उस पर अधिकार गायों का है। उस पर अधिकार गायों का है, उस पर नाम रेवेन्यू म्यूटेशन में भी गोचर भूमि लिखा है, चरागाह भूमि लिखा हुआ है तो सरकार को यह विचार करना चाहिए कि वह भूमि उसके नाम न कराये लेकिन उस भूमि का उपयोग गौ-चारे के लिए वह सम्बन्धित गौ-शालाएं, उसके आसपास की गौ-शालाएं कर सके, ऐसी परमिशन, ऐसा आदेश सरकार को लाना चाहिए जिसके माध्यम से गौ-शालाओं को चारे की व्यवस्था में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले यहां पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक थे, जिन्होंने यह कहा कि जो बाहर की नस्ल, हमारे देश के बाहर की नस्ल यहां पर आयी, किसी देश का नाम मैं लेना नहीं चाहता तो उसके कारण हमारे संस्कार खराब हुए हैं, हमारी बुद्धि खराब हुई है। मैं तो उनको यह धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह माना तो सही कि जो कांग्रेस की गलतियां थीं, उन गलतियों के कारण आज देश को यह भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने माना तो सही कि यह कांग्रेस की गलतियां थीं। उन गायों के दूध से हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज साइंस जगत ने भी यह माना है लेकिन उनको यह भी मानना पड़ेगा कि आज जो संस्कारों का अभाव हमारे को गांव और गली के अन्दर देखने को मिलता है, उसका एक मात्र कारण है मैकाले की शिक्षा पद्धति। कौन लाया है यह मैकाले की शिक्षा पद्धति? वे उस समय के देश प्रथम प्रधान मंत्री जिन्होंने सत्ता के लालच के लिए देश के टुकड़े किये, उन लोगों ने मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाया और जिसके कारण आज देश में इस प्रकार की व्यवस्था हम सबको देखने को मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, आज देश के अन्दर वर्तमान समय में मोदीजी की सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने नई शिक्षा नीति लाकर देश के इतिहास को, देश के उन वीरों को, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और उन सभी वीरों को सम्मान देने का काम किया है और वह मैकाले की शिक्षा नीति जिसके अन्दर हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि बाबर ने आकर देश में क्या किया? मोहम्मद गोरी ने आकर देश में क्या किया और आने वाले समय में हमारे बच्चों को पढ़ाया जायेगा कि झांसी की रानी ने देश में क्या किया है और हमारे देश के अन्दर छत्रपति शिवाजी ने क्या किया है, महाराणा प्रताप ने क्या किया है, उनकी वीर गाथाओं को हमारे बच्चों को पढ़ाया जायेगा तब ही देश में आने वाले समय में सुधार आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज आयुर्वेद विभाग पर भी बहुत बड़ी चर्चा हम सबको सदन में करने का अवसर मिला है। अभी कोरोना के समय पर हमने देखा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया आज आयुर्वेद की तरफ दौड़कर भागी, आयुर्वेद को अपनाने के लिए सब लोग आतुर हुए और आयुर्वेद को इस कोरोना काल खंड के अन्दर बहुत बड़ा अवसर मिला अपनी सेवाओं को, अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा सम्बन्धी सभी योजनाओं को, सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का लेकिन आज राजस्थान में जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो औषधालय हैं, मैं सरकार का ध्यान और माननीय मंत्रीजी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर आज औषधालयों के अन्दर औषधि नहीं है। आज उन औषधालयों के अन्दर हमारे जो डॉक्टर है, वैद्य है, वे एलोपैथिक दवाई नहीं लिख सकते हैं, उनके पास कोई औषधि नहीं है तो हम सबको यह विचार करना चाहिए कि भरपूर मात्रा के अन्दर उनको औषधियां प्रदान सरकार की ओर से कराई जाये जिसके माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके क्योंकि औषधि के माध्यम से जो आयुर्वेदिक पद्धति है, उसमें व्यक्ति को, मनुष्य को एक निरोगी काया मिलती है, उसमें मनुष्य का जीवन और भी सुरक्षित होता है। एलोपैथिक में जाने के बाद में तो मनुष्य का जीवन इस चक्र-जाल में फंस जाता है कि उससे कभी दवाइयां छूटती ही नहीं है तो इस ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए।

अभी मेरा विषय है, जिस प्रकार से हम सबने यहां पर रखा देवस्थान विभाग का तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान के अन्दर लगभग पचास हजार से अधिक मन्दिर, देवालय जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें से 390 मन्दिर हमारे ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से संचालन देवस्थान विभाग करता है। मेरा देवस्थान विभाग से यह कहना है कि देवस्थान विभाग के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष रूप से मन्दिर आते हैं, उनको पुजारियों को वेतनमान भी दिया जाता है लेकिन जैसे कि पहले हमारे से पूर्व विधायकों ने कहा कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाये तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं कि उनका वेतनमान भी बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः विराजिये, साहब।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): इसी के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, अभी पांच मिनट और दीजिए, अभी मेरी प्रमुख बातें नहीं आयी हैं।

श्री सभापति: आप समय से अधिक बोल लिये, साहब।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): नहीं सर, मेरा तो समय वे ले गये न। एक मिनट।

श्री सभापति: नहीं, वह काउंट कर लिया सब।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): मैंने यह कहा कि उनको वेतनमान के साथ-साथ जो व्यवस्था है, उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे जो पौराणिक मन्दिर हैं वे आज बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालात में हैं। उनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार को विचार करना चाहिए और उनकी एक समिति वहां पर उस लेवल पर बनानी चाहिए ताकि उस समिति की देखरेख में उन मंदिरों का और भी विकास हो सके।

अभी बजट के अन्दर हमारी सरकार ने, माननीय भजन लालजी की सरकार ने 23 मंदिरों को इस सरकार ने आने वाले समय पर डवलपमेंट करने का बजट दिया है, उसके माध्यम से भी हमारे इस क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा आने वाले समय में, जिस प्रकार से हमारे काशी के अन्दर है, जिस प्रकार से अयोध्या के अन्दर है, जिस प्रकार से केदारनाथ के अन्दर है, जिस प्रकार से महाकाल का मन्दिर है तो ऐसे कॉरिडोरों का निर्माण भी आने वाले समय में हमारे राजस्थान प्रदेश में होगा।

श्री सभापति: श्री पितराम सिंह काला।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़ा सा विषय बाकी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारे अलवर के अन्दर भी भर्तृहरि बाबा का मन्दिर है और साथ-साथ के अन्दर मोहनराम बाबा का भी मन्दिर है। ...(व्यवधान)...

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 47- पशुपालन एवं मत्स्य पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और।

श्री सभापति: हो गया, साहब। ...(व्यवधान)...

महन्त बालकनाथ (तिजारा): उसके भी परिक्रमा मार्ग का विस्तार करना चाहिए जो हमारी बहुत बड़ी संख्या में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): 000

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूर्णतया पशुओं पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर, दलित, किसान बकरी भेड़, गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं का पालन करके अपना दैनिक व आवश्यक खर्चा चलाते हैं। पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत है इस वजह से कृषि कार्य होना लगभग समाप्त हो चुका है। पशु ही एक मात्र उनका सहारा है। पशुओं की बीमारी या अन्य

आकस्मिक कारणों से जो मृत्यु हो जाती है तो वह पूर्णतया असमर्थ हो जाता है। इसकी आजीविका का जो साधन हैं, वे पूर्णतया खतम हो जाते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी में ग्राम पंचायत नारी के ग्राम बृजलालपुरा में एक जंगली जानवर भेड़िया ने 24.12.2023 को 108 भेड़ों को मार दिया, जिनमें बकरियां भी सम्मिलित थीं। पशुपालक ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर पशु चिकित्सका अधिकार, बख्तियारपुर द्वारा यह रिपोर्ट आयी और उसमें यह माना कि जंगली जानवर था, उसकी वजह से यह भेड़-बकरियां मारी गईं। पशुपालक सुरेश कुमार पुत्र गुरदयाल को आज दिनांक तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है। अतः मेरी मांग है कि बकरी-भेड़ तथा अन्य पशुओं का बीमा करवाया जाये एवं प्राकृतिक कारणों से पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा दिया जाये, इस प्रकार की व्यवस्था की जाये।

SSY/RTM/24.07.2024/18:00/3I

माननीय सभापति महोदय, पशु पालकों को भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी व सूअर पालन पर सस्ती दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये। बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनको बिना कोई गारंटी लिये बहुत कम दर पर ऋण दिया जाता है। जबकि जो पशु पालक हैं, उनको चक्कर काटने के बाद भी ऋण नहीं मिलता है। उस ऋण का सरलीकरण किया जाये। आसान किश्तों पर उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाये, जिससे उनकी आजीविका चल सके।

विभाग में जिला एवं संभाग स्तर पर वरिष्ठता को ताक पर रखकर, बिना किसी वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों को कार्य व्यवस्था के लिए लगाया जाता है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उनको वरिष्ठता के आधार पर व्यवस्थार्थ लगाया जाये। झुंझुनूं जिले के अन्दर संयुक्त निदेशक पद पर डॉ. सुरेश सूरा को लगा रखा है, जबकि डॉ. शिवरतन हैं, वे उनसे काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं। वरिष्ठ को लगाये जाने पर उनके अनुभव का लाभ मिलेगा व कार्य-कुशलता में इससे इजाफा होगा।

माननीय सभापति महोदय, विभाग में जो विभिन्न संवर्ग हैं, उनकी डीपीसी काफी समय से लंबित है। जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, उसकी 7 वर्ष से डीपीसी बकाया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से उप निदेशक है, उसकी 14 साल से डीपीसी बकाया है। उप निदेशक से संयुक्त निदेशक उसकी 4 वर्ष से बाकी है। संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक है उसके 2 वर्ष की बाकी है। निदेशक की एक वर्ष की डीपीसी बकाया है। अतः मेरी मांग है कि इन पदों की डीपीसी शीघ्र संपन्न करवाकर कार्मिकों को राहत प्रदान करें। इससे इनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी।

विभाग में रिलीफ सोसाइटी बनायी गयी थी। वर्तमान में उनकी स्थिति अक्रियाशील है। इन सोसायटियों को क्रियाशील किया जाये। इसी के साथ पशु मित्र योजना के तहत 5 हजार पशु मित्र लगाये हैं, उनको समय पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उनको मानदेय देने की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, ब्लॉक वैटनरी हैल्थ अफसर को नियंत्रण के अधिकार नहीं दिये गये हैं। अन्य विभागों में जो ब्लॉक लेवल पर अधिकारी है, उसको नियंत्रण के सारे अधिकार दिये गये हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अन्य विभागों की तरह से उसको भी नियंत्रण के संपूर्ण अधिकार दिये जायें। जिससे विभाग में कार्य अच्छी तरह से संपादित होंगे।

नोडल अधिकारी का जो पद है उसको नोटिफाइड नहीं करवाया गया। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि समस्त नियंत्रण के अधिकार उनको दिये जायें और नोडल अधिकारी को नोटिफाइड करवाया जाये। संभाग स्तर के कार्यालयों, जिला स्तर के कार्यालयों, बहूद्देशीय पशु चिकित्सालयों व अन्य समस्त स्तर की संस्थाओं में पदों का समानीकरण किया जाये। यह 2012-13 में समानीकरण किया गया था। आज तक नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इन पदों का समानीकरण किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जो निदेशक, गोपालन विभाग है, पूर्ववर्ती गो सेवा निदेशालय था, उसका पद पशु पालन सेवा कैडर में नोटिफाइड है। प्रशासनिक सेवा में नहीं है। केवल वित्त विभाग के एक नोट के आधार पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगाये जा रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): जब इनकी बात हो जाये तो थोड़ी पशुओं की बात भी कर लेना।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): पशुओं की ही कर रहा हूं। सुनो आप। पशुओं की तो आप सभी लोगों ने कर ली। इन कर्मचारियों की भी कर लेने दो। आप बीच में मत बोलो। अब मैं बोल रहा हूं। आप बीच में मत बोलो। पशुपालन सेवा संवर्ग का होने से गो शालाओं को अधिक लाभ होने की संभावना है।

गो सेवा संरक्षण, संवर्धन एवं नस्ल सुधार के साथ ही निराश्रित गो वंश के रख-रखाव आदि के कार्य, जिसमें पशु पालन विभाग के अधिकारी वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। अतः उक्त को अधिक बेहतर करने के लिए निदेशक, गोपालन विभाग के पद पर तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति की महती आवश्यकता है।

गोपालन विभाग में प्रत्येक जिले में वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है। गो सेवा के हक में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक स्तर का एक पद सृजित किया जाये। उक्त पदों के सृजन से गोपालन विभाग की जिला स्तर पर इकाई होने से जिले के गो सेवा संरक्षण, संवर्धन एवं नस्ल सुधार के साथ ही निरीक्षण, अनुदान व भुगतान आदि में गुणात्मक सुधार होगा तथा साथ ही कार्य की मॉनिटरिंग भी सुचारु रूप से हो सकेगी।

गोपालन विभाग में तहसील स्तर पर वर्तमान में कोई पद स्वीकृत नहीं है। तहसील स्तर पर एक पद वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी का सृजन किया जाये। तहसील स्तर पर पद सृजन से गोपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा गो सेवा, संरक्षण, संवर्धन एवं नस्ल सुधार के साथ ही गो शाला निरीक्षण, अनुदान व भुगतान आदि में समस्या का समाधान व गुणात्मक सुधार होगा।

गोपालन विभाग में तहसील स्तर पर गो शाला निरीक्षण हेतु कोई वाहन स्वीकृत नहीं है। अधिकारियों को स्वयं के साधनों से सब करना पड़ रहा है। अभी आप लोग बता रहे थे कि इस प्रकार की गड़बड़ी कर दी, यदि निरीक्षण के अधिकार और साधन उपलब्ध होंगे तो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं होंगी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): गोपालन विभाग में गो शाला निरीक्षण हेतु यथा संभव तहसील स्तर या जिला स्तर पर वाहन स्वीकृत किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 आयुर्वेद, होम्योपैथिक व यूनानी, मांग संख्या 37 देवस्थान और मांग संख्या 47 पशु पालन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं आयुर्वेद पर बोलना चाहूंगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमनं चः, अर्थात आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करता है एवं पीड़ित व्यक्ति के विकारों का शमन करता है।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद दिनचर्या, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य पालन करने एवं स्वस्थ जीवन का मार्गदर्शन करता है। आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखित रूप से उल्लेखनीय लगभग 6 हजार वर्षों पुरानी चिकित्सा पद्धति है। जिसे हाल ही में डब्ल्युएचओ ने भी निरापद चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है।

आयुर्वेद भारत वर्ष में प्राचीन काल से है। आज जन-जन तक आयुर्वेद जुड़ा है। आज भी हमारे देश में कई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां हैं, इंसान उनको उपयोग में लेता है। गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी उसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की हमारे पास नीमच में मंडी लगती है। आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां वहां बहुत बड़ी मात्रा में वहां बिकती हैं। जंगल में जो जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं, वह नीमच मंडी में जाकर बेचते हैं। उससे दवाइयां उपलब्ध होती हैं। आयुर्वेद के माध्यम से हमें वनों को भी बचाना चाहिए ताकि वन में जो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां मिलती हैं, वह उन्हीं से उपलब्ध होती हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल आधार औषधीय पादप हैं। राजस्थान की जलवायु में अनेक प्रकार की वनौषधि उत्पन्न होती हैं। जिनके पर्याप्त संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए आम जन के स्वास्थ्य के साथ ही कृषक व मजदूर वर्ग को भी रोजगार प्राप्त होता है। संरक्षण के अभाव में हमारी बहुत सी बहुमूल्य अनेकों औषधियां नष्ट होने के कगार पर पहुंच गयी हैं। जिनके संरक्षण की अति आवश्यकता है।

आयुष्मान योजना में आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी को

शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र डग में ब्लॉक स्तर पर 12 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। एक होम्योपैथिक औषधालय है। एक यूनानी औषधालय है। परंतु एक छत के नीचे एक ब्लॉक स्तर पर औषधालय बनना चाहिए ताकि तीनों एक ही छत के नीचे चल सकें। इसलिए ब्लॉक स्तर पर डग में एक चिकित्सालय स्वीकृत कराया जाये। इससे आम जन को काफी फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, पशु पालन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डग में एक पशु अनुसंधान केन्द्र है जो 300 बीघा जमीन पर बना हुआ है। उसमें 700 के लगभग गायें हैं। 70 गाय दूध देती हैं। करीब 140 लीटर दूध प्रति दिन जो आसपास के गांव वाले हैं, उसका उपयोग करते हैं।

Spp/Rtm/24.07.2024/18:10/3m

उस दूध के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां उस गौमाता के दूध से नष्ट होती हैं और गौमाता के मूत्र से दवाइयां बनती हैं। बाबा रामदेव, जो तरह तरह की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी में भी गौमूत्र काम में लेता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एक बहुत बड़ा पशु विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर में पिछली सरकार ने घोषणा की थी। मात्र एक विश्वविद्यालय है हमारे बीकानेर में पूरे राजस्थान में, मैं आज माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जोबनेर, जयपुर में पशु विश्वविद्यालय खुला है, उसको चालू किया जाये ताकि पूरे राजस्थान में आने वाली यूनिवर्सिटीज और इस पशु अनुसंधान केन्द्र को उसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, डग में एक पशु अनुसंधान केन्द्र है, उसमें हमारी पिछली सरकार ने, वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने उस पशु अनुसंधान केन्द्र को क्रमोन्नत करके बहुत अच्छा मॉडल पशु अनुसंधान केन्द्र बनाया। वहां पर वेटरनरी जो बच्चे पढ़ते हैं, उसकी मैं मांग करता हूं कि उस पशु अनुसंधान केन्द्र को क्रमोन्नत करके डिग्री कॉलेज बनाया जाये। माननीय मंत्रीजी, अगर डग में पशु अनुसंधान केन्द्र में हम अगर क्रमोन्नत करते हैं और डिग्री केन्द्र अगर बन जाता है तो वहां राजस्थान के करीब बहुत कम ऐसे डिग्री कॉलेज होंगे, जहां पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़-लिख जायेंगे, क्योंकि बिल्डिंग भी बनी हुई है, 300 बीघा भूमि वहां पर उपलब्ध है। अगर डग में हमारे डिग्री कॉलेज बनता है तो वहां के कई बच्चे हमारे यहां से डिग्री प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। हमें पशुओं को पालने के लिये सरकार को बहुत बड़ी योजना सोचनी पड़ेगी क्योंकि हम गायों के लिये 40 रुपये प्रति गाय के हिसाब से गौशालाओं को देते हैं। आज किसानों ने गायें छोड़ दी हैं, हमारी गाय, हमारी गौमाता है। पहले हम गाय के बछड़े बेचते थे, गाय से दूध बेचते थे और गांव में आदमी स्वस्थ रहता था। बाकी आज देखा जा रहा है कि गाय जब तक दूध देती है, तब तक किसान उस गाय को पालता है। जैसे ही गाय ने दूध देना बन्द कर दिया, उस गाय को हम घर से बाहर

निकाल देते हैं। आज गायों की यह हालत है कि सड़कों पर गायें बैठे हुए मिलती हैं। उनके कारण आज एक्सीडेंट होते हैं। कई नन्दी सड़कों पर घूमते रहते हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुदान हम गौशाला में देते हैं, इसी प्रकार का अनुदान अगर प्रत्येक किसान को हम 40 रुपये गाय के हिसाब से अगर देंगे तो प्रत्येक किसान उस गाय को रखेगा और कोई किसान गाय नहीं छोड़ेगा। एक नियम बनाना चाहिये कि गाय माता को रखने के लिये, कि प्रत्येक किसान को एक गाय अनिवार्य रूप से रखनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार विधान सभा में यह प्रश्न भी लगाया था कि एक गाय प्रत्येक किसान रखे तो जो गायें रोड पर घूम रही हैं, जो नन्दी रोड पर घूम रहे हैं, वह गौमाता को किसान अपने घर पर रखेगा तो जो उर्वरक खेती कर रहे हैं उससे हमारे कई बीमारियों बढ़ रही हैं तो वह गाय माता का गोबर उस किसान के खेत में डलेगा और जैविक खेती अगर गाय रखेंगे और हम गौपालन की ओर बढ़ेंगे तो हम जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। अगर जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। इसलिये हमें सबसे ज्यादा गौपालन के ऊपर ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आप जो पशु शैड दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से, वह सिर्फ नाममात्र के पशु शैड उनको दे रहे हैं तो हम यह योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक किसान को उसके लिये पशु शैड देना चाहिये ताकि वह अपने पशुओं को उस पशु शैड के अन्दर रख सके। खेती का संरक्षण कर सके और पशु शैड भी अपन रख सकें।

माननीय सभापति महोदय, देवस्थान के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग की भी आज मांग है तो देवस्थान विभाग में हमारे क्षेत्र में बड़े अच्छे मन्दिर हैं और प्राचीन मन्दिर है। इसमें भम्भोरी बालाजी, मंशापूर्ण, अन्नपूर्णा माताजी, भूतेश्वर महादेव, उमरिया, कोलवी बौद्ध गुफाएं और बिनयागा बौद्ध गुफाएं हैं। इन बौद्ध गुफाओं और पर्यटन स्थान को बढ़ावा देने के लिये हमें देवस्थान विभाग से इनमें राशि देनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने क्यासरा महादेव में 80 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। पिछली कांग्रेस की सरकार ने उस राशि को कैंसिल कर दिया। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मंदिरों के मैंने नाम लिये हैं, जो बौद्ध गुफाओं के मैंने नाम लिये हैं, इनमें आप अपना बजट दें और इन देवस्थान मंदिरों को आप बढ़ावा दें ताकि हमारे आने वाली संस्कृति और देवस्थान के द्वारा जो मंदिरों में आप राशि देंगे तो इसमें काफी फायदा मिलेगा और इससे क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिलेगा। जो भी देवस्थान विभाग में छोटे-मोटे मन्दिर आते हैं उन छोटे-मोटे मन्दिरों की, जैसे कि अभी एक सम्माननीय साथी कह रहे थे कि विधायक कोष से उसका जीर्णोद्धार होना चाहिये तो यह भी होना चाहिये कि हम विधायक कोष से कुछ फण्ड देकर वहां पर टूटे-फूटे मंदिरों में हम काम करा सकें और उसका जीर्णोद्धार करा सकें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः श्री गणेशराज। ..(व्यवधान).. आपका हो गया?

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): नहीं हुआ, जी। नहीं हुआ, साहब।

श्री अध्यक्षः आपका हो गया?

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): नहीं हुआ। अब बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मांग संख्या-29 आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक, मांग संख्या-37 देवस्थान विभाग और मांग संख्या-47 पशुपालन विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज के समय में एलोपैथिक दवाइयां बहुत मंहगी होती है, इसलिये हर व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाता। आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार बहुत कम होने के कारण व आयुर्वेद के अस्पताल बहुत कम होने के कारण और आयुर्वेदिक वैद्य भी बहुत कम होने के कारण लोग आयुर्वेद व होम्योपैथिक की दवाइयां नहीं ले पा रहे हैं। यह दवाइयां बिना साइड इफेक्ट की हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करके व आयुर्वेद के ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोले जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हनुमानगढ़ टाऊन में मात्र एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वह भी बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उनकी स्थिति भी काफी चिन्ताजनक है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जंक्शन में नगरपरिषद द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल के लिये जगह रिजर्व की हुई है। वहां पर भी आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण करवाया जाये तो जनता को इससे लाभ होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा देवस्थान विभाग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ में माता भद्रकाली जी का बहुत प्राचीन मन्दिर है और देवस्थान विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस मन्दिर में बिलकुल भी सुविधाएं नहीं हैं। यहां तक कि महिलाओं के लिये वहां शौचालय की सुविधा नहीं है। वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं के बैठने के लिये जगह नहीं है। देवस्थान विभाग की 40-45 बीघा जमीन भी है जिसे ठेके पर दिया जाता है, लेकिन मन्दिर के निर्माण में कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता। गत भाजपा सरकार के द्वारा गोगामेडी मन्दिर के लिये दो करोड़ रुपये लगाकर पैनोरमा का निर्माण किया गया था। अगर उसी तर्ज पर माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी की सरकार भद्रकाली जी के मन्दिर पर 2-3 करोड़ रुपये खर्च करके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये कोई कार्य करती है तो श्रद्धालु इसमें बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा फतेहगढ़ गोदाराबास में माता करणी जी का प्राचीन मन्दिर है। वह राजाओं के समय का मन्दिर है। वहां पर भी सुविधाओं का काफी अभाव है। अगर राज्य सरकार और देवस्थान मंत्रीजी उस ओर कोई ध्यान दें तो उस मन्दिर

के जीर्णोद्धार से वहां के क्षेत्र के श्रद्धालुओं को भी अच्छी सुविधा मिलेगी और श्रद्धालुजन अच्छा महसूस करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पशुपालन विभाग में गौशालाओं को अनुदान, जो नौ माह का दिया जा रहा है, उसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्रीजी से और राज्य सरकार से, कि उसका अनुदान बारह माह का किया जाये और वर्तमान में जो अनुदान पेंडिंग है, वह अनुदान भी शीघ्र से शीघ्र गौशालाओं को दिलाया जाये। गौशालाओं की हालत आज दयनीय हैं। गौपालकों के शहर में जो पशु हैं, वह सड़कों पर विचरण करते रहते हैं जिससे दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं और जान-माल की हानि भी होती है।

MLS/RTM/24.07.2024/18:20/3n

मैं माननीय पशु पालन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो शहर में गोपालक हैं, उन्हें कोई स्थायी जगह आवण्टित कराने के भी राज्य सरकार द्वारा कोई प्रावधान कराये जाएं ताकि वे गोवंश की सेवा के लिए स्थायी जगह लेकर अपने परिवार का जीवनयापन कर सकें। जो मुख्य मंत्री दुग्ध पालक सम्बल योजना है, उसमें 5 रुपये प्रति लीटर दूध की गोपालकों को सहायता राशि, अनुदान राशि दी जाती है। उस राशि में भी घालमेल होता है, क्योंकि जो दूध इकट्ठा करने वाली समितियां हैं, वे गोपालकों को दूध की नगद राशि दे देती हैं और जो राशि 5 रुपये आती है, वह अपने परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से खाता खुलाकर उसमें रुपये इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे दुग्ध पालक को लाभ नहीं मिल पाता है। इसमें गबन हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी भी जांच करायी जाये। इसमें आपको बहुत घपला मिलेगा। मेरा निवेदन है कि आप भद्रकाली मन्दिर की तरफ विशेष ध्यान दें। देवस्थान विभाग द्वारा वहां कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाये। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुश्री नौक्षम।

सुश्री नौक्षम (कामां):

ये जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं, मेरी तस्बीह के दाने हैं।
निगाहें फिरती रहती हैं और इबादत होती रहती है।।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि मांग संख्या 29, 37 और 47 पर आपने आज मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। राजस्थान प्रदेश अपने आप में अपने इतिहास, अपनी विरासत, समृद्ध विशाल कथाएं, अपने शौर्य और अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाना जाता है। आज इस सदन में जब हम बात रख रहे हैं, जो हिन्दुस्तान का मरकज है, तीन ऐसे विषय जो हिन्दुस्तान के मरकज में अपनी बहुत बड़ी भूमिका देते हैं- चिकित्सा, आस्था और गोमाता, यह एक ऐसा मिश्रण है, जो हिन्दुस्तान के

विचार में, उसकी सांस्कृतिक कला में, उसकी सामाजिक भागीदारी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी देता है।

आज इस अद्भुत मिश्रण पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। मुझसे पूर्व सभी सम्मानित विधायकों ने बहुत शानदार तरीके से, चाहे विपक्ष में हों, चाहे पक्ष में हों, कई तरह के सुझाव रखे हैं। एक बात बार-बार आ रही थी कि सभी को गोमाता की सेवा करनी चाहिये। बिलकुल करनी चाहिये। गोमाता हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वोच्च है, पर उसमें जाति, धर्म, मजहब का क्या लेना-देना है? यह तो मानव का, मनुष्य का करम है, यह तो इंसानियत का करम है। आपको एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक मानव होने के नाते गोमाता की सेवा करनी चाहिये। किसी धर्म और जात में डालकर नहीं।

इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देती हूं। ब्रज-मेवात क्षेत्र से आती हूं। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से हम सुनते थे कि मेवात में गोहत्याएं बहुत हो रही हैं, गोकशी के बहुत सारे मुद्दे सामने आते थे। आज वही ब्रज-मेवात का क्षेत्र है और वही मेव समाज के सरपंच हैं, जो एकजुट होकर गोकशी न हो, गोहत्या न हो, इसके लिए पंचायत करते हैं। यह वही मेवात का क्षेत्र है, जिस ब्रज को, जिस मेवात के क्षेत्र को, जिस ब्रज-मेवात को आपकी सरकार ने जर्जर कर दिया था, बंजर कर दिया था, आज वहीं के रहने वाले लोग एक होकर यह कहते हैं कि इस इलाके में गोकशी नहीं होनी चाहिये, गोहत्या नहीं होनी चाहिये।

सर्व धर्म एक होकर गोमाता की पूजा करें, इबादत करें। मुझसे पूर्व बहुत सारे विधायकों ने हर तरह की बात रखी। जब देवभूमि की बात आती है, देवस्थान की बात आती है तो ब्रज का नाम अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। जो कामां नगरी है, वह चार युगों की नगरी है, 84 कोस, 84 मन्दिर, 84 कुण्ड, 84 खम्भे एकजुट होकर ऐसी नगरी है, जिसका संरक्षण मेवात अपनी तहजीब और संस्कार से भी करता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि इस सदन में तकरीबन 15 साल बाद देवस्थान विभाग की मांग रखी गयी है, 15 साल बाद।

यह हमारी सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री जी का एक विजन है, डिजिटल इंडिया में इन्क्लूड करने का विजन है कि जहां 15 साल बाद देवस्थान विभाग, जो राजस्थान प्रदेश के लिए इतना महत्त्वपूर्ण विभाग है, जहां राजस्थान की धरती पर, इस जमीन पर इतने मन्दिरों की, इतने देवालयों की हम बात करते हैं, 15 साल तक उसकी मांग इस सदन में नहीं रखी गयी। हमारी गत सरकार के विचार को इन्हीं बातों से समझ लीजिये। जितने रजवाड़े शासक रहे, उन्होंने जो मन्दिर बनाये, आजादी से पूर्व जो मन्दिर बने, रख-रखाव, देखभाल, उनकी मिल्कियत की ख़ैर-मक़्दम करना, ख़िदमत करना देवस्थान विभाग का बहुत बड़ा कार्यभार है।

देवस्थान विभाग एक बहुत व्यापक रूप में अपने आपको पेश करता है। हजारों करोड़ की सम्पत्तियां हैं। न केवल राजस्थान, पर पूरे देश भर में देवस्थान विभाग की सम्पत्तियां हैं।

उनकी क्या दशा है, किस हिसाब से वे चल रही हैं, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। वृन्दावन में जो जयपुर घराने के मन्दिर हैं, उनके पास बहुत जमीन है, उस पर अतिक्रमण हुआ है। ऐसे ही, जयपुर में जल महल के सामने जो बलदेव जी का मन्दिर है, वहां पिछली सरकारों ने होटल आदि का निर्माण किया था, लेकिन वे सब व्यर्थ हो गये हैं। गलता के कॉरिडोर का निर्माण महाकाल और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किया जा सकता है। जोधपुर में रणछोड़ भगवान का मन्दिर है, उसकी सम्पत्ति पर बहुत सारे विकास कार्यों की सम्भावना है।

गुजरात के द्वारिका धाम में बीकानेर राजघराने का मन्दिर है, जिसका पुनर्निर्माण करवाकर उससे आप एक अच्छी आय ले सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी का मन्दिर है, वहां पर सभी असामाजिक तत्वों ने कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक यहां पर बहुत बड़ी बात रखना चाहती हूं कि तकरीबन 7200 हैक्टेयर कृषि भूमि देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों में है। इनमें आधे से ज्यादा हैक्टेयर पर अतिक्रमण हुआ है। भू-माफिया उन पर अतिक्रमण करते हैं।

जो विभाग के अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता के कारण वहां पर किसी भी तरह के कब्जे को मुक्त कराने की ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे को सदन में रखना चाहती हूं। उसके साथ-साथ, ऐसी कई सारी भूमियां हैं, ऐसे कई सारे देवस्थान विभाग के मन्दिर हैं, जहां पुजारी वंशानुगत सेवा करते हैं। मन्दिरों की कृषि भूमि के साथ ही पुजारियों को जागीरी भूमि प्रदान की गयी थी, जिस पर पुजारी अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं। उनको पुजारी किराये पर नहीं दे सकते हैं, उन्हें गिरवी नहीं रख सकते हैं और न ही उनका बेचान कर सकते हैं।

देवस्थान विभाग की कृषि और चरागाह की भूमियों में से काफी भूमियों का नामान्तरण पुजारियों और अतिक्रमियों के नाम पर करवाया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से एक अपील है कि वे जितने भी अतिक्रमण हुए पड़े हैं, भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उन पर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिये। मैं उन पर से कब्जा हटाने की मांग रखती हूं।

मैं इस सदन में अपने ब्रज क्षेत्र से, जो हमारे 84 मन्दिर हैं, 84 खम्भे हैं, 84 कोस हैं, वहां पर कामां कॉरिडोर के तहत विकास की एक बात यहां रखती हूं। हमारे यहां पंचम पीठाधीश्वर गोकुलचन्द्रमा मन्दिर है, साथ-साथ सप्तम पीठाधीश्वर मदन मोहन मन्दिर है, नृसिंह भगवान का मन्दिर है। देवस्थान विभाग के तहत इनका विकास किया जाये, इनकी वृद्धि की जाये, यह मैं आपसे डिमांड रखती हूं। साथ में ही, यह डिजिटल इंडिया का युग है। हम चाहते हैं कि जो राजस्थान प्रदेश की पौराणिक कथाएं हैं, वे युवा पीढ़ी तक जानी चाहिये, युवाओं को पता लगना चाहिये कि यहां पर ये जितने बड़े-बड़े महल हैं, जितने बड़े-बड़े शासक रहे हैं, इनकी शौर्य गाथाएं क्या हैं।

mkd/rtm/24.07.2024/18:30/3o

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, देवस्थान विभाग या या शिक्षा विभाग से जोड़कर उसी तरीके से वहां पर गुरुकुल खोले जायें। गुरुकुल के माध्यम से उन बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब के साथ जोड़कर, उनको अपनी पीढ़ियों की जो शौर्य गाथा है, उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। उसके साथ-साथ जो विज्ञापन है, इनको प्रचार-प्रसार में लेना चाहिए। सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार में लेना चाहिए। देवस्थान विभाग से, ताकि उनसे रेवेन्यू जनरेट हो सके, पर ज्यादा से ज्यादा जो हमारा विज्ञापन है, उसका सनतान धर्म में उपयोग हो, प्रयोग हो, इसकी भी मैं आपसे यहां उम्मीद रखती हूं।

हमें बहुत सारे आध्यात्मिक केन्द्रों का निर्माण करना चाहिए। हमें देवस्थान विभाग को टूरिज्म डवलपमेंट के साथ लेकर इनका निर्माण करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी रखना चाहती हूं कि अगर हम अपने गुरुकुलों की डिमांड करेंगे, गुरुकुलों को देवस्थान के साथ जोड़ेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को देवस्थान विभाग के साथ जोड़ेंगे, कला और पर्यटन को देवस्थान विभाग के साथ जोड़ेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जो इतने सालों से किसी के भी माध्यम से नहीं हो पा रहा है। हमें रेवेन्यू जनरेट करने का मौका भी मिलेगा।

इसके साथ-साथ मैं अपने क्षेत्र की डिमांड रखना चाहती हूं। हमारे यहां पर जो पशु चिकित्सालय है, उनमें न तो कोई चिकित्सक हैं, न ही कोई स्टाफ है। आपके माध्यम से मैं यह उम्मीद रखती हूं कि हमारे विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति हो, ताकि जितने भी हमारे पशु हैं, वे वहां पर अपना उपचार करा सकें।

दूसरा, मैं यह भी रखना चाहती हूं कि आप देवस्थान विभाग के साथ, आपके सारे विभागों के साथ, शिक्षा विभाग, कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और रेवेन्यू के साथ इसको जोड़कर रेवेन्यू जनरेट करने की सोचें ताकि जो नई पीढ़ी इस प्रदेश की है, वह अपनी गाथाओं को समझ सके और आगे चल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री पूसाराम।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 47, 37 और 29 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि जिस समाज में, जिस देश में, जिस प्रदेश में गाय और मां का सम्मान होता है, वहां सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। प्रचार और प्रसार के तर्ज पर हम गोमाता की सेवा करें। यह अपना पहला धर्म है। मां और बाप का सम्मान करें।

ऐसी स्थिति में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पिछली सरकार ने बजट में साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का पशुधन के लिए प्रावधान किया था। आपकी सरकार ने घटाकर चार सौ करोड़ कर दिया है। यह खेद का विषय है। इसके अलावा हमारी सरकार ने, माननीय अशोक जी गहलोत ने गोशालाओं का अनुदान 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया। हम अपेक्षा कर रहे थे कि आपकी सरकार 12 महीने के अनुदान की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होकर

मायूसी हाथ लगी।

(बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की स्थान पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की, कोई बात नहीं, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने गाय, भैंस और बकरी का बीमा करने की बात कही है, इस प्रदेश को देखते हुए वह संख्या बहुत कम है। हमारे किसान के लिए कृषि और पशुपालन ही दो ऐसे साधन हैं, जो उनकी आजीविका का आधार हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सुबह दूध की आवश्यकता महल से लेकर झौपड़ी तक होती है। पुशधन से बढ़कर कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, जिसके प्रति हमको संवेदनशील होकर चलना चाहिए। वह मूकदर्शक है, हमारा धर्म बनता है कि हम उनका मैनेजमेंट करें, उनके चारे, पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि आज आवारा पशु हमारी सड़कों पर, हमारे बाजारों में, हमारे गांवों में घूम रहे हैं, जिनमें सांड भी हैं। उसके अलावा हमारी गोमाता भी है।

बहुत से विधायक महोदय ने कहा कि जब तक गाय दूध देती है, तब तक ठीक, नहीं तो उसको निकाल दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी सब लोगों की होनी चाहिए।

मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पास 20 गाय और भैंस हैं। मैंने जब से जन्म लिया है, तब से लेकर आज तक मैंने मेरे घर में गाय देखी है। हम बात करते हैं, इसका धर्म और सम्प्रदाय से मलतब नहीं है। गाय को मन्दिर और मस्जिद से जोड़कर नहीं देखना है। हमें निश्चित तौर से यदि गाय की सेवा करनी है, गाय को माता मानते हो तो फिर चाहे वह आवारा हो, चाहे घर बंधी हो, उसके लिए व्यवस्था करने की हमारी भी जिम्मेदारी है, मालिक की भी है और सरकार की भी है।

ऐसी स्थिति में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी आवारा पशु हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नगरपालिकाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को पाबन्द करें। उनको बजट भी दें, हालांकि नगरपालिकाओं को आप बजट देते हो, लेकिन पंचायतों को कोई बजट नहीं देते हो। यदि उनकी व्यवस्था हो जायेगी तो वे परेशान नहीं होंगी। किसान की खेती बच जायेगी, खाली तारबन्दी और फेंसिंग से आवारा पशुओं से खेती बचाई नहीं जा सकती है।

इसलिए उनके लिए अलग से पंचायत लेवल पर कैटल कैम्प होना चाहिए। अपन गोशालाओं को अनुदान देते हैं, गोशालाओं को पाबन्द करना चाहिए कि इन पशुओं को लें, लेकिन उसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करें, चाहे पंचायतों में करें, चाहे गोशालाओं में करें।

आज बाजार में कहीं पर भी निकाल जायें, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस प्रकार से सांड घूमते हैं, नन्दी घूमते हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोग

घायल हो जाते हैं। मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मैंने देखा है कि पिछले एक महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सात-आठ आदमी घायल हो गये। इतने आवारा नन्दी घूम रहे हैं। इसके लिए नगरपालिका ने कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि उनके पास बजट है। उन नगरपालिकाओं को पाबन्द किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता कि वे जन, धन की हानि नहीं करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से जो डेयरी योजनाएं चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा, आपने शहरी क्षेत्र में चिलिंग प्लांट खोले, जहां दूध का कलेक्शन होता है। पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है।

मैं चाहता हूं कि कम से कम दस हजार की पोपुलेशन के हर गांव में चिलिंग प्लांट खोले जाने चाहिए, ताकि हमारे किसान को, पशुपालक को वहीं दूध बेचने का और सही दाम मिलने का, जो हमारी सरकार ने पांच रुपये लीटर अनुदान शुरू किया, उससे उसको लाभ मिल सके और उसको चरी लेकर घूमना नहीं पड़े। उसके ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी बच जाये। आप यह व्यवस्था भी करने की कोशिश करेंगे और इस अनुदान को जारी रखेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लम्पी से मरने वाली गायों के लिए हमारी सरकार ने पशुपालकों को चालीस हजार रुपये दिये। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस योजना को जारी रखें। व्यक्ति और पशु, दोनों में ही महामारियां आती हैं तो महामारियों के लिए यह अलग से होना चाहिए।

इसके अलावा जो पशु मेलों का आयोजन होता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। पशुपालकों और व्यापारियों को सरकार और विभाग की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए ताकि पशु मेले लग सके और किसानों को उनका लाभ मिल सके, व्यापारियों को उनका लाभ मिल सके। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले डेढ सौ दिन का गोशालाओं का अनुदान बाकी है। माननीय गोपालन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अनुदान गोशालाओं को उपलब्ध करायें ताकि वे अपनी व्यवस्था सुचारु रूप से चला सके।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में चार प्रथम श्रेणी के पशु हॉस्पिटल है, एक खाली है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कम से कम 15-20 पशु हॉस्पिटल हैं, जिनमें से 5 में डॉक्टर हैं, बाकी 15 खाली हैं। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पशु उप केन्द्र हैं, बहुत सी जगह, उनमें 60 परसेंट पद आज की तारीख में खाली हैं। आज यदि यह स्थिति है तो हम पशुपालन और पशुधन का संरक्षण और व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं।

Bhs/Rtm/24.7.24/18.40/3p

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनके प्रावधान करें कि जो व्यक्ति गाय, भैंस, बकरी खरीदे उसको भी अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाये, सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाये

और कम ब्याज में उपलब्ध कराया जाना चाहिये और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मुख्यालय पर कम से कम एक बहूद्देशीय हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया जाना चाहिये।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। श्री लक्ष्मण राम।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): 000

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29,37 एवं 47 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बोलो-बोलो, आप बोलो। उनका अंकित नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी, बोलिये।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): देवस्थान के मामले में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, देवस्थान पर चर्चा होती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र का सर्वप्रथम आता है मेड़ता सिटी मीरा बाई का प्रसिद्ध मन्दिर। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी भक्त शिरोमणि मीरा बाई को जगह दी थी।

सभापति महोदय, हर वर्ष मीरा महोत्सव होता है। आज देश भर में मीरा बाई की ख्याति है लेकिन जब भक्तगण मेड़ता पहुंचते हैं तो अव्यवस्थाओं का आलम नजर आता है। रात्रि विश्राम, पार्किंग साइन बोर्ड सहित विभिन्न सुविधाओं का अभाव है। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप इन पर ध्यान देकर के इन पर काम करेंगे। वहीं आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भंवाल जहां प्रदेश भर, देश भर से नवरात्रि सहित पूरे वर्ष श्रद्धालु आते हैं और भंवाल माताजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं लेकिन मुख्य सड़क भंवाल ग्राम तक श्रद्धालुओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी मांग है भंवाल माता मन्दिर से मुख्य नेशनल हाईवे जो जसनऊ गुजरता है भंवाल मन्दिर से जसनऊ तक का टू लेन हाईवे निर्माण देवस्थान विभाग करवाये, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके।

सभापति महोदय, अभी बजट 2024-25 में मेड़ता उपखण्ड पर स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया, इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद। इससे मेड़ता सहित आस-पास के करीब तीस किलोमीटर क्षेत्र के पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पशुपालन खेती के साथ किसानों का मुख्य व्यवसाय है। देश की जी.डी.पी. में 13 प्रतिशत योगदान पशुपालन का है। इसलिये पशुपालकों को पशु चिकित्सा, पशुओं की नस्ल सुधार, बीमारियों से रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण चीजों पर सुविधाएं मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पशुओं से जुड़ी बीमारियों की जांच हेतु तहसील स्तरीय जांच लैब स्थापित की जाये, ताकि पशुओं की हर बीमारी का समय पर इलाज चले, उनका इलाज हो सके। मैंने पहले भी एक मुद्दा उठाया था कि तीन वर्ष से छोटे गोवंश, मेड़ता का प्रसिद्ध मेला स्वर्गीय बलदेव मिर्धा के नाम से, तो तीन वर्ष के बछड़े किसानों की आय का स्रोत हैं उस पर पिछली सरकारों ने रोक लगा रखी है जो व्यापारी आते

हैं एम.पी. से, यू.पी. से, नागौर की नस्ल पूरे देश में प्रसिद्ध है नागौर का बैल, तो वह रोक हटे तो व्यापारी ले जायें उनको और किसान की आमदनी बढ़ सके। मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि हम सब गाय की बात करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज मंत्री महोदय, थोड़ी आवाज धीमी।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): लेकिन गाय की सेवा कमाने में बहुत दुर्लभ है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रदेश में गाय जिसके घर में है उसका सरकारी व निजी टैग लगे और उसकी गणना हो, जो टैग लगे उसकी गणना हो बाकी जो गोवंश बचे उसको गोशाला में डालें और जो अनुदान सरकार दे रही है गोशालाओं को वो अनुदान राशि उस किसान को भी मिले जो घर पर गाय है उस किसान को भी मिले ताकि उस गाय की सेवा हो सके और किसान को दूध की व्यवस्था हो सके उसका वो पालन कर सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा अभी नन्दीशालाओं की बात चल रही है जितने आवारा पशु शहर में होते हैं, गांव में होते हैं किसान की फसल का नुकसान करते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं तो आप इसका भी ध्यान रखें। नन्दीशालाओं, महादेव पशु मेलों में किसानों का व्यवसाय जुड़ा है, खेती किसानी से जुड़े औजारों की इन मेलों में भरपूर बिक्री होती है अगर यही हाल रहा तो मेड़ता नागौर से राजस्थान भर के पशु मेले लुप्त हो जायेंगे और एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हो जायेगा।

सभापति महोदय, आज पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों के करीब पचास प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं यह रियल बात है क्योंकि पिछली सरकार ने भर्ती की नहीं पशु डॉक्टरों की तो उनको भरा जाये ताकि हमारे पशु ठीक हो सके। पशु चिकित्सकों के अभाव में नीम हकीमों और झाड़फूंक के चक्कर में आकर स्वयं का आर्थिक नुकसान कर रहे हैं उससे निजात दिलायें। साथ ही, मेरी मांग है कि मेड़ता में ग्रामीण अंचल में नवीन डेयरियां खोली जायें और सरस डेयरी का प्लांट मेड़ता में लम्बे समय से बन्द पड़ा है मैंने पहले भी मांग रखी है मंत्री महोदय विराजमान हैं। जमीन बहुत पड़ी है, प्लांट आपका है उसको चालू करवायें।

सभापति महोदय, पशुपालकों को लोन देने की प्रणाली में शिथिलता बरती जाये ताकि आसानी से लोन मिले और उनका रुझान दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़े। मेरे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में ग्राम छापरी, गोटन रैण, राइका बाग़, रियांबड़ी में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय जर्जर अवस्था में हैं उनकी मरम्मत करायी जाये तथा ग्राम कलरू, लाडवा टालमपुर, लाम्बा जाटान, गडिया खेडूली, डावारिणया सहित विभिन्न गांवों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र चिकित्सालय किराये के भवनों में संचालित हैं वो बनाये जायें। अतिशीघ्र इन गांवों में वो बनाये जाये। वहीं गोटन मेड़ता रोड, जारोड रेण अंचल के पशुपालक लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि इन चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये। पशु उप चिकित्सा केन्द्र कलरू, कोडाया, रोइसा, हरसोलाव, खाकड़की, काटियासनी, चावण्डिया,

लांपोलई, नेदड़िया को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के गांव चूंदिया, भैसड़ा, मोरा, जाटावास में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोला जाये ताकि आसपास के क्षेत्र में पशुपालकों को सुविधा हो सके, किसानों को फायदा मिले। वहीं नवम्बर से मार्च तक का गोशालाओं को अनुदान नहीं मिला है अभी तक कल भी आये थे किसान मेड़ता से, वो अनुदान मिला नहीं अभी तक, और वो गोशालाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वो भी आप दिलाने का काम करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री सुभाष जी गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27,37 और 29 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मेरे जो अनुभव पूर्व मंत्री के रूप में रहे हैं उनको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा और पॉलिसीज की बात करूंगा। मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा।

पहले तो मेरा आपको यह सुझाव है कि इस विभाग का नाम आयुर्वेद, होम्योपैथी से हटा करके आयुष कर दिया जाये क्योंकि भारत सरकार में भी आयुष है, जिसमें आयुर्वेद भी है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। मैंने देखा है इस आयुर्वेद के प्रभाव में क्या होता है कि होम्योपैथी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी की हम उपेक्षा करने लग जाते हैं, इन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तो एक तो मेरा सुझाव है कि आयुष को लेकर चलें और आयुष के लिए एक इंटिग्रेटेड पॉलिसी, एक आयुष पॉलिसी 2021 सरकार ने डिक्लेयर की है, आपने उसको भी देखा होगा। उसके तहत इंटिग्रेटेड कॉलेजेज की बात कही थी कि एक ही कैम्पस में होम्योपैथी कॉलेज भी खुले, नेचुरोपैथी का भी खुले, आयुर्वेद का भी खुले और हो सके तो यूनानी और उसका भी खुले तो उस रूप में मेरा एक सुझाव है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि आयुष की जो इम्पोर्टेंस है बहुत सारे लोग सदन में चर्चा कर रहे थे अगर इसका आंकड़ा देखा होगा आपने कि आप देखिये आयुर्वेद में लगभग 7 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग ओ.पी.डी., आई.पी.डी. में आये हैं। यह है 2022-23 का आंकड़ा और आप देखेंगे होम्योपैथी में 1 करोड़ 29 लाख लोगों ने दवाइयां ली हैं। इसी तरह से यूनानी की 46 लाख लोगों ने ली है। योग एवं नेचुरोपैथी क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट लिया था तो भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि योग एवं नेचुरोपैथी को उसमें शामिल किया है आयुष के अन्तर्गत उसमें 61 हजार समथिंग तो इसको अगर पूरे आंकड़े को देखें तो मेरा यह कहना है कि जहां सरकारें चाहे वो केन्द्र की हो हमारी हो, आपकी हो, मेडिकल हैल्थ पर हम 26-27 हजार करोड़ खर्च करते हैं लेकिन आयुष पर हम 1358 करोड़ रुपये कर रहे हैं। हमारे टाइम में 1311 करोड़ रुपये था शायद 1300 कुछ होगा अब हम 1358 कर रहे हैं तो मेरी तो गुजारिश है और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा और आपके माध्यम से भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश के लिए जो

बजट दिया है अगर उसको देखें, अभी बहुत सारे लोगों ने उठाया भी था कि चार हजार करोड़ रुपये आयुष का जो बजट है वह है 4 हजार करोड़ और हम चाहते हैं कि इस भारत को फिट इंडिया बनाना चाहते हैं तो आयुष को आपको अपनाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आजकल जो इंफेक्शियस डिजीज फैल रही है, फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनका अगर इलाज है क्योर है तो वह आयुष में है तो मेरी यह गुजारिश है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े-लिखे मंत्री हैं डॉक्टरेट हैं इस पर ध्यान देंगे, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट भारत सरकार से भी करें। मैंने भी पिछली बार की थी। आयुष मंत्री जी से मैं मिल कर आया था, इस पर ध्यान दीजिये और जरूरत है कि सम्भागीय स्तर पर आप इंटिग्रेटेड कॉलेज खोलें। जो भी 7-8 संभाग स्तर पर है उसमें यूनानी का कॉलेज भी हो, यूनानी का मैं जिक्र और जरूर करना चाहूंगा। पूर्व सरकार ने केवल देश में एक ही था सेन्टर जिसको रेजीमेंटल हिजामा थैरेपी सेन्टर कहते हैं, दूसरा हमारी सरकार ने खोला भरतपुर में और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसकी ओ.पी.डी. और जिस पर 90 परसेंट लोग, कई बार हम यूनानी का एक धर्म, सम्प्रदाय से जोड़ देते हैं ऐसा नहीं है यूनानी में करीब 90 परसेंट लोग, हमारे लोग, मतलब जो कहते हैं कि हिन्दू या जो भी कहें वो लोग आते हैं और इतना लोकप्रिय है कि गांव की महिलाएं मेरे से मिलती हैं। अभी मैंने खुद विधायक कोष से पैसा दिया है, बजट नहीं आ पाया था और करीब 10 लाख रुपये मैंने विधायक कोष से भी दिये कि इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, तो यूनानी का जो हिजामा थैरेपी सेन्टर है उसको खोलिये ...

Kas/rtm/24.07.2024/18.50/3q

और मसाज और फिजियोथैरेपी की बात करते हैं, उससे बढ़िया पद्धति और विधाओं में नहीं है।

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि आप पिछले 15-20 सालों का आंकड़ा देखे लेना, संस्थात्मक विस्तार काफी किया है। इसमें मैं न कोई आलोचना कर रहा हूं, न मैं किसी तरह का वो कर रहा हूं, इसे और बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो जो पॉलिसी के तहत है कि पंचायत स्तर पर आयुर्वेद और होम्योपैथी को मुख्यालय पर ले जाइए। 2021 की पॉलिसी है, उसमें हमने कहा था कि हर ब्लॉक स्तर पर होम्योपैथी का हॉस्पिटल हो, आयुर्वेद का हो, योगा का है और इसके लिये भर्तियां भी की गई थीं। आपके सामने आंकड़ें हैं, आप देख सकते हो। मेरी एक गुजारिश है कि आयुष की इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिये इसको और बजट की जरूरत है, जिससे हम इंस्टीट्युशनल डवलपमेंट कर सकें, क्योंकि इसकी बड़ी सस्ती दवा है। मेडिकल हैल्थ की इतनी कॉस्ट आती है, मैं बता रहा हूं कि मैं यूनानी लेता हूं। मैं ज्यादातर होम्योपैथी यूज करता हूं और अभी यहीं से लेकर आया हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी उन्होंने यहां एक बहुत अच्छा होम्योपैथी का डाक्टर लगाया है, आप भी अगर जरूरत पड़े तो उसकी सेवाएं ले सकते हो। होम्योपैथी की बहुत

सस्ती दवाएं हैं, आयुर्वेद की भी सस्ती हैं। आयुर्वेद मेडिसन के लिये थोड़ा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर करें, क्योंकि उसमें कई बार कहते हैं कि मिलावट बहुत आती है, उसको भी चैक करवा लें और लैब स्थापित करें।

चौथा, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी फॉर्मेसी है। अगर हमारी फॉर्मेसी उसको डवलप कर देगी तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं भरतपुर के संबंध में कहना चाहूंगा, हमने सभी संभागीय स्तर पर कॉलेज लिये हैं, इसके अलावा और जगह भी खोले हैं। भरतपुर में एक होम्योपैथी का कॉलेज, भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उस पर आप देख लें। एक आयुर्वेद इंटीग्रेटेड कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, उसको भी देख लें।

श्री सभापतिः प्लीज, सहयोग करें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): लास्ट में पशु पालन के लिये कहना चाहूंगा, पशु पालन व्यवसाय पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी पूरी इकॉनामी इस पर डिपेंड करती है, इसका भी विस्तार करने की जरूरत है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती रमीला खड़ीया।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37 और 47 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार। आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग आयुर्वेद पर चर्चा हो रही है। जब कोरोना काल आया तब इस आयुर्वेद का पता चला कि आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या-क्या उपयोग होता है। उस समय गिलोय का काड़ा पीया। डाक्टरों ने भी पीया और लोगों को भी पिलाया और हमने भी पीया। भीलवाड़ा से कुशलगढ़ के वार्ड नंबर 12 में कोरोना आया था, तब हमें महसूस हुआ कि आयुर्वेदिक दवाइयां कितनी अच्छी होती हैं। गिलोय तो हमारे छोटे-मोटे बगीचे में लगी रहती हैं। आयुर्वेद ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम आया।

देवस्थान विभाग में मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, उस समय मंदिरों में लाखों नहीं, करोडों का बजट दिया। अभी कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने क्या किया? सभापति महोदय, मैं मेरी बात करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक डेढ सौ साल पुराना मन्दिर था राम जी मन्दिर, इसमें ढाई करोड़ रुपये दिये और मठ मंगलेश्वर में ढाई करोड़ रुपये दिये, इस तरह पांच करोड़ रुपये मुझे मिले। बीजेपी सरकार मंदिरों के नाम से सिर्फ वोट बटोरना चाहती है और बातें करना चाहती है। हमारी सरकार ने मंदिरों के लिये कलर के पैसे दिये, कलर करवाया। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी, आप जब उत्तर दें, केलापानी और घोटिया मां हमारे बहुत पुराने मन्दिर हैं, इनके लिये आप जरूर घोषणा करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई मन्दिर ऐसे हैं, इन मंदिरों में हमें बजट देने की आवश्यकता है। आप देना चाहते हो तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जोगणिया माता, केलापानी, घोटिया मां, नल महादेव, ये बहुत पुराने मन्दिर हैं, इन मंदिरों के लिये आप जरूर बजट की घोषणा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में

कांग्रेस सरकार ने देवस्थान के नाम से पांच करोड़ रुपये दिये, आप देना चाहते हो तो दस करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में दें। मंत्री जी जब रिप्लाई दें, उस समय जरूर घोषणा करें। ...(व्यवधान)... मांग ही कर रहे हैं।

पशु पालन विभाग में मैं कहना चाहूंगी कि गाय माता को हम माता कहते हैं। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब मां का दूध नहीं आता है, तब गाय माता का दूध हम पीते हैं। हम किसान हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हम गौ माता की देखभाल करते हैं। बीजेपी सिर्फ भाषण देना चाहती है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आपका समय हो रहा है, आप तो बोलते रहो।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): गौ माता के नाम पर सिर्फ वोट बटोरना जानती है और बड़े-बड़े भाषण देना चाहती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, सदस्य को डिस्टर्ब ना करें।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): पशु पालन के भवन नहीं हैं, आप उसके भवन की जरूर घोषणा करें और डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने का भी काम करें। कांग्रेस सरकार ने 600 से ऊपर पद निकाले थे, उनकी भर्ती करने का काम करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री समाराम जी।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं देवस्थान विभाग की बात करूं, मंत्री महोदय विराजे हैं, पूरे राजस्थान में लाखों मंदिरों के अधीन जो जमीन आती है, वह जमीन बड़े रसूखदारों के हाथों में है। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि उस जमीन को विकास के लिये लगाया जाये या फलदार पौधे लगाकर डवलपमेंट किया जाये, ताकि देवस्थान विभाग का और मान बढ़े। सिरोही जिले में लगभग 52 से अधिक मन्दिर हैं। सभापति महोदय, वे मन्दिर देवस्थान में हैं या प्राइवेट में हैं, इसका पता नहीं है।

msk/rtm/24.07.2024/1900/4a

इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी करें, देवस्थान बोर्ड में है तो इसकी जानकारी लें। सरकार में है या प्राइवेट में है? जिस प्रकार से देवस्थान विभाग में, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय देवस्थान बोर्ड को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का भी दिया था, देवस्थान जाने के लिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार तो कभी देवस्थान बोर्ड की चर्चा करती ही नहीं है। मेरी एक मांग है कि देवस्थान बोर्ड में जाने के लिए सड़कें नहीं हों तो वहां पर सड़कें बनायी जाएं। देवस्थान बोर्ड के अन्दर कई प्राचीन मन्दिर हैं, उनमें लाइट डोमेस्टिक दें, क्योंकि कॉमर्शियल से मंदिरों में अधिक भार आता है। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे मंदिरों में सुबह-शाम आरती करते हैं तो विद्युत विभाग को ये निर्देश दें कि इनका डोमेस्टिक किया जाये, कॉमर्शियल नहीं। यह मेरी विशेष तौर पर मांग है।

अब मैं पशुपालन विभाग में कहना चाहूंगा। ये कहते हैं कि हम गौमाता के बारे में, लम्पी के बारे में इतने इलाज किये, इतनी गायों का दान दिया। जब उस समय लम्पी की बीमारी आयी थी तो उस समय इनके पास में पैसे नहीं थे। एमएलए फंड से दस-दस लाख रुपये लिये, लेकिन फिर भी दवाइयां समय पर नहीं आयीं और सारी गायें मर जाने के बाद इस प्रकार का यह काम कर दिया और कहते हैं कि हमने पैसे दिये। मंत्री महोदय जी, मैं यह भी कहूंगा कि सिरोही जिले के अन्दर शायद एकमात्र निर्दलीय विधायक थे, सलाहकार थे, वे शिवगंज-सिरोही आये होंगे, लेकिन रेवदर और आबूरोड विधान सभा में, दोनों विधान सभा सदस्य भाजपा होने के नाते एक भी गाय.. गोपालकों के साथ में धोखा, इस प्रकार की ये नीति रखने वाले हैं। आप इनके भी आंकड़ें बता दें।

जिस प्रकार से डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में गोमाता की पूजा करते हैं, क्योंकि जब दीपावली आती है तो धनतेरस के दिन गोमाता को नदियों, नालों में स्नान करवाया जाता है, उसकी सुबह आरती की जाती है, तो आदिवासी वास्तव में गौ भक्त हैं। वनवासी क्षेत्र में गायों की पूजा की जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि कम से कम, वास्तव में गोपालक तो वे हैं जो दस से बीस गायें रखते हैं, उनको अनुदान दिया जाये तो गोमाता की ओर अच्छी सेवा हो सके।

पूर्व सरकार ने तो घोषणा की थी कि हर पंचायत मुख्यालय पर नंदी शाला खोलेंगे, पर कहीं नंदी गोशाला नहीं खोली। वे सारे नदी में गये। मैं मांग करता हूं कि जितने भी नंदी हैं, उनको या तो उनके लिए एक गोशाला मुख्यालय बनाया जाये या उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाये, ताकि एक्सीडेंट न हो। यह मैं मांग करता हूं। विशेष रूप से गोपालक, जो गांवों में रहते हैं, गोपालकों की कोई जाति नहीं होती है। जो पशु रखते हैं, वे गोपालक होते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि उनको कुछ अनुदान दिया जाये। आपने मुझे समय दिया, इसके बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं।

गाय एक पूजनीय पशु है। हम इसे बड़े आदर व भाव से पूजते हैं। गाय से दूध, दही एवं घी प्राप्त होते हैं। गाय के घी को नवरत्न कहते हैं। इससे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। गाय की कई प्रजातियां हमारे भारत में पायी जाती हैं, जैसे नील गाय, देशी गाय, राठी गाय, थापर गाय, नागौरी। पशुओं की खाद के खेत में होने से यूरिया छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस अनाज में कीड़े लगने की संभावना नहीं रहती है। गाय एक ऐसा पशु है जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी को गायों की पूजा की जाती है और बड़े मनोभाव से उस गाय की पूजा करते हैं और सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख-शान्ति रहे और हमेशा हरियाली बनी रहे।

ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट की बहुत देखभाल करते हैं और ऊंट के दूध

से शुगर कन्ट्रोल होती है। यह एलोपैथिक डाक्टरों ने यह घोषित कर दिया है। ऊंट को रखने वालों में शुगर की बीमारी नहीं होती है।

लेदर के प्रोडैक्ट को बढावा देना चाहिए। इससे बैल्ट बनते हैं। इससे कई प्रोडैक्ट तैयार होते हैं। डैकोरेशन के लिए भी लेदर का काम बहुत आगे बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र नोखा बीकानेर जिले के अंतिम छौर पर स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहां की अधिकांश आबादी की आजीविका का साधन कृषि एवं पशुपालन है। यह क्षेत्र किसानों व पशुपालकों की बहुतायत वाला क्षेत्र है, परन्तु यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहां पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली की स्थिति में हैं। माननीय सभापति महोदय, एक किसान के लिये पशुधन की चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी हमें खुद अपने लिए चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है।

पशुधन किसान की पूंजी होता है, किसान का पशुधन स्वस्थ और निरोग रहेगा तभी प्रदेश के किसान की खुशहाली संभव है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का जिक करूं तो हाल यह है कि आंकड़ों के मुताबिक जहां प्रदेश में 7000 पशुओं पर 01 पशु चिकित्सक है, वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में यह आंकड़ा लगभग दोगुने से भी ज्यादा है, मतलब 15,000 पशुओं पर भी एक पशु चिकित्सक नहीं है। प्रदेश में आंकड़ों के मुताबिक पशु चिकित्सकों के 2000 से भी अधिक पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। सरकार उक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का काम करे।

वर्ष 2019 में निकाली गयी 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती भी आज तक लंबित ही चल रही है। सरकार तत्काल उक्त भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कर प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को राहत देने का काम करे। खोखले वादे और घोषणाओं से प्रदेश का विकास व प्रदेश के किसान, मजदूर व आमजन की खुशहाली संभव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के 10 से भी अधिक बड़े ग्राम हिंयादेसर, मान्याणा, बंधड़ा, चिताणा, साजनवासी, रायसर, गुन्दुसर, धुपालिया, घट्टू, पारवा, भींयासर, कंवलीसर आदि तो ऐसे हैं जहां पशुओं की संख्या तो अधिक है परन्तु यहां न तो कोई पशु चिकित्सालय है और न ही कोई सरकारी, पशु धन के स्वास्थ्य की सुध लेने वाला है। इन ग्रामों में पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की नितांत आवश्यकता है। सरकार जल्द से जल्द मेरे विधान सभा क्षेत्र के उक्त ग्रामों में कम से कम पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति तो आवश्यक रूप से इसी वित्तीय वर्ष में जारी करे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्रामीण अंचल में जहां सबसे अधिक पशुपालकों व किसानों की आबादी है और जहां पशुधन भी बहुतायत में है वहां या तो पशु चिकित्सालय अथवा पशु चिकित्सा उप केन्द्र हैं ही नहीं और यदि हैं तो वहां चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त चल रहे हैं। मेरे विधन सभा क्षेत्र नोखा के पशु चिकित्सा उप केन्द्र धरनोक की स्थिति तो यह है कि वहां कोई पशु चिकित्साकर्मी पदस्थापित नहीं है और यह बंद पड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा में राजकीय पशु चिकित्सालय

सारूण्डा, भादला, व काकड़ा में न ही पशु चिकित्सक पदस्थापित है और न ही वहां पर कोई पशुधन सहायक पदस्थापित है। इसके अलावा राजकीय पशु चिकित्सालय ढींगसरी, जयसिंहदेसर मगरा, मुकाम व उड़सर में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। और तो और ब्लॉक पशु चिकित्सा कार्यालय पांचू का भी यही हाल है, वहां पर भी केवल एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अलावा कोई कार्मिक नहीं है। यहां पशु चिकित्सा अधिकारी व पशुधन सहायक दोनों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नोखा में भी पशुधन सहायक का पद रिक्त पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के पशु चिकित्सालयों व पशु चिकित्सा उप केन्द्रों में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों व पशु चिकित्साकर्मियों के पदों को शीघ्र भरवाकर नोखा के किसानों व पशुपालकों को राहत देने का काम करे। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, वर्षों पहले सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बीरमसर, साधुणा, केड़ली, गजसुखदेसर, जैसलसर व धरनोक में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले थे। इन ग्रामों की आबादी आज से पहले आधी थी और इन ग्रामों में पशुओं की संख्या भी आज के मुकाबले उस समय आधे से भी कम थी। वर्तमान में पशुओं की संख्या को देखते हुए इन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करवाने की महती जरूरत है। राज्य सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के उक्त पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करवावे। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंह जी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मान्यवर, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री को, उप मुख्य मंत्री को, जिन्होंने पशुपालन विकास कोष गठन किया।

mdp/rtm/24.07.2024/19:10/4b

उसके साथ ही पशु मेले के आयोजन की भी दस जिलों में घोषणा की और आगे और बढ़ेगा, इससे पशुओं को विचरण करने के लिए और जगह मिलेगी। इसके साथ में देवस्थान का आज तक नाम नहीं आया। इस बजट घोषणा में देवस्थान का नाम लिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चर्चा हो रही है पशुपालन पर। विशेषकर पशुपालन पर हम सब ने ओत-प्रोत दोनों तरफ से यही बातें कहीं कि गाय माता है। मैं मानता हूं कि माताएं हमारे इस जीवन में तीन हैं, एक माता वह जिसने जन्म दिया है, दूसरी माता गौमाता है और तीसरी माता अपनी पृथ्वी, धरती है, जिस पर हम चलते हैं, विचरण करते हैं। इन सबको देखते हुए इंसानियत के हिसाब से हमारा यह बहुत बड़ा फर्ज

बनता है, क्योंकि मैं राजस्थान के रेगिस्तान इलाके के सीमांत जैसलमेर इलाके का हूं और वहां का आजीवन पशु बाहुल्य क्षेत्र है। सभी लोग कृषि के क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इतना शौक नहीं था, केवल पशुओं पर ही हमारी आजीविका का हिसाब-किताब वहां था।

आदरणीय, पशुओं में यदि देखा जाए तो अच्छा पशु कहां मिलेगा, अच्छी गाय कहां मिलेगी, अच्छा ऊंट कहां मिलेगा, तो उसके लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। यह ही नहीं जब हम एक-दूसरे से मिलते थे, हम कुशलक्षेम पूछते थे, हालचाल पूछते थे, सबसे पहला यही फर्ज होता कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। दूसरा पूछा जाता था कि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए धीणा वगैरह क्या है? ये दूसरी चीज थी। ये पूछते थे, इससे ही विकास होता था।

महानुभावों ने कहा है कि अपने जीवन के अन्दर आप सुबह मोर्निंग में दही खाइए और शाम का ब्यालू, हम मारवाड़ी में कहते हैं कि शाम का भोजन दुधारू से कीजिए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नाम की चीज नहीं होगी। हमारे इधर तो सिस्टम ही यही था, क्योंकि हम गायें रखते थे, दूसरे कई प्रकार के भेड़, बकरी, ऊंट सब रखते थे तो हमारा आजीवन, विचरण, सब व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी। मेहमान आता था तो घी ले जाकर देते थे। वह कहता कि पानी चाहिए, कहते कि पानी नहीं घी का लोटा पडा है, पी लो। ये व्यवस्थाएं थी। पानी का बहुत बड़ा मूल्य समझते थे, लेकिन आज नई पीढ़ी का भाग्य है कि नहर आ गयी। हमारे धरातल में पानी हो गया। समय के हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। जीरा उत्पन्न होता है, जो हम सगेर में देते थे। आज चाहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी भूलें हैं, इसलिए भी कि खेती होती ही नहीं थी। चार किलो बाजरी बोते थे तो बहुत होती थी। वह ऊंट पर लादते और आदान-प्रदान से हमारा घर चलता था। जमीनें भी इतनी ही रखते सीमित, बाकी हमने हमारे हिसाब से आरक्षित लैंड करके रखी थी, पशुओं के विचरण के लिए। उसको बोलते हैं ओरण। ओरण हर गांव में थी, लेकिन भूल ये थी कि उस ओरण को हम राज रिकॉर्ड में नहीं करा पाए। हमने देखा ये हमारी ही है, जमीन कौन ले जाएगा? एक लाख बीघा, मेरे गांव की मैं हिस्ट्री बताता हूं, एक लाख बीघा सिवाय चक जमीन है और हमारे पूर्वजों ने हमारे नाम से साढ़े चार हजार बीघा है। साढ़े पचानवे हजार बीघा खाली लैंड है, जिसमें केवल विचरण है।

आदरणीय, आज व्यवस्था ऐसी हो गयी है कि वहां पशुओं के लिए भी विचरण को जगह नहीं रही है, क्योंकि सूर्य की किरण केवल जैसलमेर में आती है। जितनी भी फैक्ट्रीज आ रही हैं, जितनी भी सोलर की कंपनियां आ रही हैं, उनको जैसलमेर दिखता है। मैं मानता हूं कि लाइट भी जरूरी है, बगैर प्रकाश के जीवन अंधेरा है, होनी चाहिए। मेरे राजस्थान में भी पहुंचे, मेरे भारत में भी पहुंचे, पूरे में लाइट पहुंचे। हम उसके लिए भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र से जा रही है, लेकिन अफसोस है कि जो विचरण की जगह है सेवण घास, जिसकी घास खाने से थारपारकर का घी होता है, चाहे आप उसको फ्रीज में रख लो, वह जमेगा नहीं। उस पर मलाई आयेगी, दूसरी घी की मलाई आयेगी। वह घी लगाने के लिए वह चिट्टा लगाना

पड़ता है और आपकी आंख में लगाइए, आपकी नाक में लगाइए, आपकी नाभि में लगाइए, जो बीमारी होती है वह खतम होती है, वह आज भी विद्यमान है। बहुत अफसोस है कि आज पशुओं पर उतना ध्यान नहीं रह रहा है। सरकार का नहीं रह रहा है और हमारा खुद का भी कम हो गया। मैं खुद भी गौ पालक हूं। मेरे पास सौ गाय हैं। मैं रखता हूं।

आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आ रहा हूं हर प्रकार की गाय नस्ली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि गौ रक्षा से धर्म रक्षा और धर्म रक्षा से राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र रक्षा से संस्कृति की रक्षा संभव होगी। ये मुहावरे थे। बहुत अच्छी बात की थी। गाय माता के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भंडारण जगह ही नहीं थी कि हम रख सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर जिस हिसाब से गायों का जो विचरण है, गायों की जो सोच है, इस क्षेत्र के अन्दर आरक्षित लैंड रखी जाए, क्योंकि आज है। गाय को आधा बीघा जमीन देते हो, क्या पूरे 12 महीने के अन्दर आधा बीघा में गाय फिर सकती है, चर सकती है? यदि आधा बीघा में चरती है तो इसके लिए विचार किया जाए। सन 1947 में, ये पता नहीं कैसा कानून बनेगा कि गाय है उसके लिए आधा बीघा जमीन छोड़ते हैं, मैं मानता हूं दूसरे जिलों में नहीं होगी, लेकिन हमारे जिले में विद्यमान है। सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान, इंडिया में और उससे बड़ा यदि कोई जिला है तो उसका नाम जैसलमेर है। जहां हर प्रकार का फल होता है, हर प्रकार का घास होता है, उस विचरण से हर पशु, हर इंसान हृष्ट-पुष्ट रहता है। हॉस्पिटल्स की भी जरूरत नहीं रहती। आज वक्त ऐसा आ गया है कि हमने भी हमारी जो पूर्ववर्ती सोच थी, उसमें बदलाव कर दिया। नई पीढ़ी के साथ आधुनिक युग में आ गये। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट इस इलाके पर पड़ गया।

आदरणीय, मैं चाहता हूं पशुपालन के लिए विशेषकर मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गौशाला खोल दी। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उनकी इंक्वायरियां हो रही हैं। फर्जीवाड़ा हो रहा है। आदरणीय साहब, थोड़ी-सी घंटी को रेस्ट देना। ये जैसलमेर के सीमांत का आदमी है। इसको भी आराम की जरूरत है। छोटू को तो आराम मिला हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी गौशालाएं खोली हुई हैं, सैकड़ों पशु होते हैं, उसको आप 40 और 20 रुपये दे रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि 100 गाय वाले को आप अनुदान दीजिए। आप चार गाय वाले को, पांच गाय वाले को अनुदान दो ताकि यह भावना चेंज हो कि मैं गाय रखूंगा तो मुझको चारा तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी दे रही है और आने वाली सरकार, जो भी आयेगी वह परिपाटी में चलेगी। गाय सबके लिए बराबर है। मैंने दोनों ही पक्षों से बात की। सबकी सोच ये थी कि गाय माता बचनी चाहिए। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाय और नंदी बैल से मिलता कुछ नहीं है। यदि गोबर बिक जाएगा तो खेती अच्छी हो जायेगी। हम हृष्टपुष्ट हो जाएंगे। पूर्वज कहते थे कि गोबर सुखा कर उसको जला दो, अनाज के अन्दर रख लो, पांच साल तक भी वह खराब नहीं होता है। यह उसकी खासियत थी। उसमें ऐसा कौनसा विटामिन था, जिससे अनाज भी खराब नहीं होता है ता शरीर तो क्या खराब होगा।

आदरणीय, निवेदन करना चाहता हूं कि गोबर की बिक्री होनी चाहिए। गोबर की बिक्री बगैर गाय आदमी रखेगा नहीं। गाय रखने के लिए उसको कुछ तो आय होनी चाहिए। बगैर आय के गाय कौन रखेगा? एक आदमी तो रखकर दिखाए। शहर का आदमी भी एक रख सकता है चाहे तो, नहीं रख सकता, मजबूरी है, चारा लाना है, दाला लाना है, सेवा करनी है। सेवा ही सबसे महंगी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गौ पालक गांवों में रहते हैं और गांवों में सब्सिडी आप यदि हर गरीब परिवार को देंगे, आदिवासी लोगों ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं, हम भी पूजा करते हैं भैया दूज के अन्दर, गाय की पूजा करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान में 36 कौम गाय की बाकायदा पूजा करती है। इसे ध्यान में रखते हुए गाय का आप विशेष ध्यान रखे।

आदरणीय, मेरा दूसरा निवेदन है कि (समय सूचक समाप्ति घंटी) मन्दिर के लिए देवस्थान, आदरणीय, एक मिनट, मैं सीधा आपको बॉर्डर पर ले जा रहा हूं, जहां फोर्ट बने हुए हैं, जहां मन्दिर बने हुए हैं, उन मंदिरों पर 1947 के बाद किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। मन्दिर जर्जर हो गये, फोर्ट जर्जर हो गये। जैसलमेर जिला इतना शांत और शुद्ध वातावरण का इलाका है, हर कोई वहां बाजरे की रोटी, घी, दूध, दही से मजबूत हृष्ट-पुष्ट होता है। राजस्थान सहित पूरे भारत के लोग जैसलमेर भ्रमण के लिए आया करते हैं।

Ans/rtm 19.20 4c 24.07.2024

जैसलमेर में प्रसिद्ध सोनार किला है, हवेलियां हैं, पुराने मन्दिर हैं। लाखों पर्यटक वहां उमड़ कर आते हैं। यही नहीं, पालेवाल के 80 गांव वासी जैसलमेर में विचरण करते थे। 47 के बाद आए।

श्री सभापतिः श्री डूंगरराम जी गेदर।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): मैं निवेदन करना चाहता हूं बोर्डर सीमांत की दीवार पर जिसको बोले गोठारू, दूसरा किशनगढ़।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37 व 47 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री सभापतिः आप टेबल कर दीजिए।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सदस्यों की ओर से बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छी बातें कही गई। सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि हमारी योजनाएं यह नहीं थीं, वह नहीं थी। इस तरह से योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया गया।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): 000

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष

से कहना चाहता हूं कि आप यदि हमारी योजनाओं को लागू करें और उन्हें चालू रखें, उन योजनाओं को थोड़ा-थोड़ा भी अगर आगे बढ़ाते रंहे, तो भी आपके लिए बहुत है। आपके 2013 से 2018 तक के जो आंकड़ें है, वह बिलकुल सही नहीं हैं। आप जो बोल रहे हो, वह आपके विपरीत है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आयुर्वेद की स्थिति पिछले पांच साल बहुत बुरी थी, उपेक्षा की गई। माननीय हमारे जो पूर्व मंत्री रहे, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, कुछ तो आपकी आंखें खोलने का काम किया है। आपकी थोड़ी सी आंखें और भी खोलना जरूरी है।

2013 से 2018 के बीच आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर जीरो खोले। 2018 से 2023 के बीच 1 हजार खोले। 2013 से 2018 के बीच ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल जीरो खोले। 2018 से 2023 के बीच ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल 83 खोले और 355 होम्योपैथी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम हर ब्लॉक पर किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि राज्य की सभी आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा व जांच योजना का लाभ देना शुरू किया गया। गाय हमारी माता है और गाय के प्रति हमारी सबकी श्रद्धा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग गाय के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, जो लोग सिर्फ गाय की बात करते हैं, 2013 से 2018 तक उन्होंने पांच साल में गोशालाओं को 500 करोड़ रुपये अनुदान दिया। 2018 से 2023 के बीच, अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, गोशालाओं को 3 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया। यह आंकड़ें इस बात का जवाब है कि गोशालाओं और गायों को किसने संभाल कर रखा है। गोशालाओं को अनुदान देने का काम 6 महीने होता था, उसको 9 महीने करने का काम अशोक गहलोत साहब ने किया। इसके साथ-साथ नंदी शालाओं को 12 महीने, जो विकलांग, बुजुर्ग गायें हैं, उनको 12 महीने अनुदान देने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया। एक महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कहा है, इस देश के अन्दर असली कोई गौ भक्त है तो वह अशोक गहलोत है और यह बात उन्होंने साबित भी की है।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि कामधेनू बीमा योजना की शुरूआत करके हर परिवार को, दुधारू पशुओं का 40 हजार का बीमा शुरू करने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया। लम्पी में मारी गई गायों को 40-40 हजार रुपये देने का काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है।

आज भी भेड़, बकरी, गाय, यह सारे के सारे पशु हैं, इन पशुओं को आपदा राहत में देकर, बहुत सी बीमारियों की वजह से, कई बार और भी आपदा आने की वजह से इनका बहुत भारी नुकसान होता है, पशुपालकों का इसके अलावा और किसी भी तरह का जीवन यापन का साधन नहीं हैं, इनको आपदा राहत में लेकर तुरंत सहायता दिलवाने का काम करना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, पशु चिकित्सा वाहन का आपने 1962 नम्बर दिया है, उसकी राजस्थान में हालत खराब है, वह लगता नहीं है। उसको दुबारा दिखाकर, आपने जो वाहन

शुरू किए हैं, उनको दुरुस्त करने का काम आपको करना चाहिए। इसके साथ-साथ पूरे प्रदेश के अन्दर लगभग 1 करोड़ 10 लाख गाय व भैंस हैं, आपने 5-5 गाय, भैंस, भेड़, बकरी का बीमा करने की बात कही है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में 2013 में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाने की शुरूआत पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने की और एक ही साल में 41 हजार 390 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई। जबकि 2013 से 2018 तक यह यात्रा पांच साल में सिर्फ 47 हजार रही। जितनी यात्रा यह पांच साल में करवा पाए, उतनी यात्रा हमने एक साल में करवाई। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह याजनोएं जो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब की शुरू की हुई है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम आपको करना चाहिए।

गाय के नाम से कैटल शेड के पैसे राजस्थान में पिछले ढाई साल से नहीं आए हैं। सेंट्रल सरकार से वह भी लाने का काम आपको करना चाहिए। यह भी सभी को विदित है कि चुनाव के अंदर बीफ कम्पनी से सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया। यह बात भी सर्व विदित है, यह बात भी आंकड़ों में आनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र में जो नंदी शालाएं हैं, गोशालाएं हैं, उसके बावजूद भी बहुत आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे रोजना एक्सीडेंट होते है। एक्सीडेंट के कारण बहुत सी जानें भी जाती है, बहुत घायल भी होते हैं। इन गोशालाओं को नंदी शालाओं में, नंदी शालाएं जो विशेष तौर से पंचायत समिति हैडक्वाटर पर खुली हुई है, वहां उनको पाबंद करना चाहिए। जो सरकारी है, उनको पाबंद करना चाहिए कि सारे पशु जो शहरों में घूम रहे हैं, उन सबको नंदीशालाओं में लिया जाए, ताकि एक्सीडेंट से बच सके।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): यह सारी की सारी आप लोगों के लिए जरूरी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके धन्यवाद। जयहिन्द, जय भीम, जय संविधान।

श्री सभापतिः श्री गोपाल लाल जी शर्मा, **44.**

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29,37 व 47 पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार। आयुर्वेद अपने जीवन का मूल आधार है। आरोग्य के लिए आवश्यक भी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्युनिटी पावर के नाम से भी जानते हैं, इसे बढ़ाने में योग, आयुर्वेद की अहम भूमिका है। कोरोना महामारी के बाद इस निर्बाध सत्य को सभी ने स्वीकार किया है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिनकी पहल पर 21 जून को विश्व भर योग दिवस मनाया जा रहा है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त योग को आज दुनिया में सम्मान मिला है, माननीय मोदी जी का बहुत-बहुत आभार।

आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वन्तरी जी थे। समुद्र मंथन से धन्वन्तरी भगवान प्रकट हुए थे। उस धन्वन्तरी तेरस को धनतेरस के रूप में पूरा देश मनाता है। मान्यवर, इतनी प्राचीन

एवं निरापद चिकित्सा पद्धति को आज संरक्षण विकास की दरकार है।

विगत सरकारों ने आयुर्वेद चिकित्सक बनने के लिए संस्कृत के अध्यापन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ संस्कृत से जुड़े हुए है।

VPS-RTM-24.07.2024-19.30-4d

आयुर्वेद चिकित्सकों की नई पीढ़ी प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों से दूर हो चुकी है, यह अपने लिए बहुत ही चिंता का विषय है। प्रदेश में आयुर्वेद की पांच राजकीय रसायनशालाएं हैं लेकिन प्रतिवर्ष के आकड़ों की समीक्षा करें तो यह स्पष्ट होता है कि औषधि निर्माण पर व्यय बहुत ही कम हो रहा है और वेतन-भत्तों पर व्यय बढ़ रहा है। अपने यहां पर वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 में 228.55 लाख कुछ का व्यय हुआ था, उसमें से 132.84 लाख रुपये तो वेतन-भत्तों पर ही खर्च हुआ और 95.71 लाख रुपये केवल औषधि निर्माण में लगे तो यह सोचने का विषय है। रसायनशाला में दवा निर्माण के लिए आवश्यक वन औषधियों की उपलब्धता का भी संकट बहुत भारी पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि वन औषधियों के लिए वन विकसित करने के काम को भी प्राथमिकता दी जाये।

इस बजट में अजमेर में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि ग्रामीण आयुष चिकित्सकों की डी.पी.सी. विगत वर्षों में नहीं हुई है, तो उसे शीघ्र ही करवाया जाये। वर्ष 2022-23 के बजट में तारानगर, चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी लेकिन यह घोषणा अभी क्रियान्वित नहीं हुई है और वहां पर शिक्षण सत्र भी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

इसी प्रकार से विगत वर्षों के बजट में आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी व प्राकृतिक चिकित्सा से सम्बन्धित विभिन्न घोषणाएं आज भी क्रियान्विति की राह देख रही हैं। विगत सरकार ने बिना वित्तीय प्रावधानों के घोषणाएं की थीं। नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय सहित पूर्व सरकार के पांचों सालों के बजट में कई घोषणाएं हैं जो अभी भी अधूरी हैं, अभी तक नामकरण भी उनका नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में पशुपालन संवर्धन व विकास के लिए 250 करोड़ रुपया का मुख्य मंत्री पशुपालन विकास कोष स्थापित करने के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी और हमारे माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटी-छोटी गौ-शालाएं हैं और उनमें गायों को पूरा अनुदान दिया जाये, पूरे हमारे क्षेत्र में आम किसान गाय पालता है, तो मैं आपसे यह मांग करता हूं कि हर गाय को, बछड़े को या नंदी को, सबको 40 रुपये के हिसाब से भी दिया जाये तो शायद यह जो गायें रोड पर हमेशा खड़ी रहती हैं, उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं तो इससे हमें निजात मिलेगी और आदमी को थोड़ा पैसा मिलेगा तो उस गाय को वह

पालेगा, उसकी हर तरह से रक्षा करेगा तो बहुत अच्छा होगा। आज रोड पर हम निकलते हैं तो रात को गायें ही गायें नजर आती हैं और आज बारिश के समय में तो पूरा रोड ही जाम रहता है और आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

हमारे 125 पशु चिकित्सकों के व 522 पशुधन सहायकों के पद हैं एवं साथ ही नये जो 45 पद सृजित किये गये हैं, इस निर्णय का भी मैं स्वागत करता हूं।

गोपालन हमारी संस्कृति तो है ही, वह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी है। विगत सरकार ने पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की थी मगर एक भी जगह पर वह नंदीशाला नहीं खोली है। मेरा यह निवेदन है कि छोटे-छोटे खेतों में बैल आधारित कृषि को प्रोत्साहन दिया जाये और पंचकर्मों के चिकित्सकीय महत्व से जनता को अवगत कराने की योजना बने जिससे गौ संरक्षण हो सकेगा। विगत सरकार ने स्टाम्प पर वसूले जाने वाले गौ-संरक्षण सेस का समुचित वितरण भी गौ-शालाओं को नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह ऐसी विडंबना है कि देश की आजादी के बाद शासन करने वाले दल ने राज्य को तो धर्म-निरपेक्ष घोषित किया लेकिन प्रमुख धर्म स्थानों को जहां पर चढ़ावा व सम्पत्ति आती है, उनको सरकार के नियंत्रण में ले लिया और जहां पर चढ़ावा नहीं आता है, जहां पर दान-पात्र में पैसे नहीं आते हैं, उस एक भी मन्दिर को सरकार ने अपने स्वामित्व में नहीं लिया है, तो मेरा यह निवेदन है कि देवस्थान मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाये।

मेरे माण्डलगढ विधान सभा क्षेत्र में सिंगोली श्याम का एक बहुत ही बड़ा प्राचीन मन्दिर है जो तीस साल से देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ और करोड़ों रुपये वहां से दान-पेटी से निकाल कर ले जाते हैं। वहां पर सुबह अभिषेक होता है और वहां पर मन्दिर की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं, उसका पैसा भी पूरा नहीं मिलता है और जो आदमी वहां पर नौकरी करता है, कुछ पैसे देकर उसको सैलेरी दी जाती है तो मैं यह मांग करता हूं कि हमारा जो मन्दिर है सिंगोली श्याम चारभुजा नाथ का, जो पूरा जीर्णशीर्ण अवस्था में हो चुका है, कम से कम डेढ़ सौ साल पुराना वह मन्दिर है तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया जाये और वहां पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थी बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं तो उनके रहने के लिए धर्मशाला भी बनाई जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पूरे क्षेत्र में सिंगोली श्याम एक ऐसा मन्दिर है जो केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा से एवं सौ-सौ, दो-दो सौ किलोमीटर दूरी से वहां पर दर्शनार्थी आते हैं, वह एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है पर सरकार के द्वारा वहां पर ध्यान नहीं देने से वहां का विकास बिलकुल रुका हुआ है और करोड़ों रुपये सरकार के खजाने में वहां से आ चुके हैं।

इसी तरह से हमारा त्रिवेणी संगम है, जहां पर तीन नदियों का संगम है और प्राचीन शिव मन्दिर है। वह वर्षों पहले का, हजारों साल पहले का मन्दिर है। त्रिवेणी नदी में आप उस जगह का विकास करने के लिए, वहां पर कोई घाट बनाया जाये, वहां पर जो दाह संस्कार

होता है, उसके लिए दाह संस्कार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाये और वहां पर पार्क और धर्मशाला का निर्माण सरकार के द्वारा करवाया जाये। वहां पर बहुत अच्छा विकास होगा तो टूरिज्म भी वहां पर पनपेगा।

इसी तरह हमारे तिलस्वां नाथ मन्दिर है, जोगणिया माताजी का मन्दिर है, हमारे बाण माताजी है, हमारे माण्डलगढ का ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग है जो हमारी प्राचीन संस्कृति को भी दर्शाता है तो वहां पर एक बड़ा चारभुजा का ऐतिहासिक मन्दिर है, तो उसका भी जीर्णोद्धार करवाने का आदेश करें। मैं मेरे क्षेत्र में ओर भी जैसे- बाण माताजी और हमारे सिंगोली श्याम, देवनारायण भगवान के मन्दिर हैं तो उनका भी जीर्णोद्धार होना बहुत ही जरूरी है। वे बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे जर्जर अवस्था में हैं तो सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर आने वाले समय में पूरी व्यवस्था अच्छी की जाये।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में और भी जो पुराने मन्दिर है, पुराना माण्डलगढ का किला ऐतिहासिक किला है और किले के नीचे आपके जालेश्वर नाथ का मन्दिर है, वह भी बहुत प्राचीन है तो उसका भी जीर्णोद्धार करायें। मंत्रीजी अपने जवाब में इसकी घोषणा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमारजी।

सूचना

राजगढ़ शहर में संदिग्ध अवस्था में छात्रा की मृत्यु

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर मृत पायी गई छात्रा के मृत्यु के कारणों की त्वरित जांच के बाबत।

कल सुबह राजगढ़ शहर के बहल फाटक के पास, मोहल्ला स्वामियान निवासी निजी कॉलेज की छात्रा मनीषा पुत्री कालू स्वामी, नेशनल हाईवे के पास संदिग्ध अवस्था में मृत पायी गयी। परिवारजन मृतका के साथ कोई सुनियोजित घटना के मार्फत हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। क्षेत्र में उक्त घटना को लेकर असंतोष व्याप्त है। मामला अति गम्भीर होता जा रहा है और पुलिस मामले की वास्तविकता उजागर करने में सफल नहीं हो पायी है। अत: पुलिस को आप सूचित करें, पुलिस से इसकी जानकारी लेकर मुझे अवगत करायें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसकी पूरी जांच करेंगे। कल आदेश देंगे अधिकारियों को और माननीय सदस्य को अवगत करवा देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भगवाना राम सैनी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा, मांग संख्या 37- देवस्थान व मांग संख्या 47- पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आपने मांग संख्या 29, 37 एवं 47 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब से टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, खातेदारी किसानों के नाम से आयी तब तक वे अपने घरेलू कनेक्शन या खेती का कनेक्शन अपने नाम से लेता रहा लेकिन शायद 1979-80 महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे उस समय तो उन्होंने एक नियम लागू किया कि मन्दिर की जमीन मन्दिर के नाम, मूर्ति के नाम। उसके बाद में किसान को बिजली का या घरेलू कनेक्शन कुछ समय तक तो उपखंड न्यायालय पर उन फाइलों का निस्तारण कर दिया जाता था और उनको कनेक्शन मिलता था लेकिन उसके बाद में कुछ दिन इन फाइलों का, जैसे कृषि कनेक्शन है या चाहे घरेलू कनेक्शन है, उसको लेने के लिए कलेक्टर के यहां पर एक कमेटी बनायी गयी और वह कमेटी यह डिसाइड करती थी, उसके बाद में वह कनेक्शन दिया जाता था।

SSY/RTM/24.07.2024/19:40/4e

लेकिन वर्तमान में हमारे एरिये की गंभीर समस्या है। आज भी किसान उस जमीन पर बैठा है। खेती कर रहा है और आवास भी उन्हीं में हैं। लेकिन जब वह फाइल पेश करता है तो कलेक्टर के वहां ना डिसाइड होकर के देवस्थान, जयपुर में भेज दी जाती है। साधारण किसान को उस फाइल का पता ही नहीं लगता है कि वह फाइल कहां गई।

मेरा आपसे निवेदन है कि शायद यह मेरी ही समस्या नहीं, दूसरे एरियों की भी समस्या है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सामान्य किसान को आवासीय कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है और कृषि कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है। मेरा एक सिंपल सा निवेदन है कि आप व्यवस्था दें। सरकार से निवेदन करता हूं कि उन फाइलों का निस्तारण करें। किसानों को कैसे कनेक्शन मिलें, चाहे कैम्प कोर्ट कलेक्टर के यहां लगायें, चाहे एसडीएम के यहां, जिससे किसान को घरेलू कनेक्शन मिल सके और कृषि कनेक्शन मिल सके।

दूसरा, मैं देवस्थान के बारे में बता रहा हूं, सभी को पता है, मेरे यहां बिना व्यवस्था के उदयपुर वाटी में, बिना दीवार के, बिना चारदीवारी के, बिना तारबंदी के, बिना पानी की व्यवस्था किये, बिना खाने की व्यवस्था किये वहां हिंसक जानवर छोड़ दिये गये हैं। वहां बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। मैं बार-बार बोल रहा हूं लेकिन उसके बाद में भी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारा वह नुकसान तो हो गया, लेकिन जंगल का जो हमारा बहुत बड़ा एरिया है, वहां मनसा माता का मन्दिर है, उसके साथ एक भालका मन्दिर है, हमारे बाहुबली का बालाजी का मन्दिर है, हमारे जवाई माता का मन्दिर भूड़की में है, उसको तो देवस्थान के अंडर में लें जिससे वहां के पर्यटन में विकास हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य। अगर बात करनी है तो आप लॉबी में जा सकते हैं। मगर जहां वक्ता बोल रहा है, आप तो सीनियर हैं। हमारे विधायक हैं। बार-बार कहने के बावजूद भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो वह अच्छा नहीं लगता है।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): वह व्यवस्था करें जिससे स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिल सके। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को भी उसमें आमदनी मिलती है।

इसके अलावा उदयपुरवाटी में पशुपालन के बारे में बोलता हूं। वहां 3 प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय हैं उदयपुरवाटी, बड़ा गांव और गुढागौड़जी, तहसील हैडक्वार्टर पर एक भी बहुद्देशीय चिकित्सालय नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उदयपुरवाटी नगरपालिका में बहुद्देशीय चिकित्सालय खुले। इसके अलावा हमारे प्रथम श्रेणी के जैसे पौंख है, बाघोली है, दमोरा है, ऐसी जगह वह चिकित्सालय खुले हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे जो छोटे औषधालय हैं, हमारे नांगल है, छापौली में शोभलाल की ढाणी है, उधर पतरंगी में जड़ाया नगर है, पापड़ा में कोई चिकित्सालय नहीं है। मेरा निवेदन है कि वह व्यवस्था कर दें तो सुविधा और बढ़ जायेगी।

इसके अलावा मैं गो शाला के लिए निवेदन कर रहा हूं। अभी बहुत चर्चा हो रही थी कि गायों की कैसे सेवा की जाये। गायें सड़कों पर खड़ी रहती हैं, उनके छोटे बछड़े होते हैं, बहुत एक्सीडेंट हो जाती हैं। लेकिन जैसे 108 की सुविधा आदमियों के लिए है, तो गायों के लिए क्यों नहीं मोबाइल गाड़ियों की व्यवस्था हो? कोई घायल हो, बीमार हो या बूढी गाय हों तो उनकी व्यवस्था हो जाये।

दूसरा, इसमें यह है कि अगर गौ शालाओं की दशा सुधार दी जाये, थोड़ा सा ध्यान उनकी तरफ दे दिया जाये तो गायों की व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से हो सकती है। हम सभी जानते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गायें कितनी परेशान हैं, राजस्थान में, हिन्दुस्तान में भी होंगी। राजस्थान में बुरी दशा है। सभी जानते हैं कि गायों की क्या दशा है। सर्दी के मौसम में हो, चाहे गर्मी के मौसम में हो, मैं तो यह भी कह रहा हूं कि गायें जो बाहर घूमती हैं उनके बछड़े तो अलग बात है, छोटे-छोटे 15 दिन के बछड़ों को भी गायों के दूध के लालच में सड़कों पर छोड़ देते हैं।

सारी बातें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बजट, चाहे नरेगा का बजट हो, राजेन्द्र जी सीनियर लीडर बता रहे थे कि नरेगा का थोड़ा सा बजट भी उधर डायवर्ट कर दें और गो शालाओं की स्थिति सुधार दें तो मैं समझता हूं कि बहुत शानदार व्यवस्था हो सकती है। इसके ऊपर चाहे ना पक्ष हो, चाहे हां पक्ष हो, थोड़ा ध्यान दें तो गायों की दशा सुधारी जा सकती है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री विरेन्द्र सिंह जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। हमको पक्का था कि आप कहेंगे। शेरगढ़ से आने वाले हमारे साथी बहुत अनुशासन में रहने वाले हैं। कृपया कृपा दृष्टि बनाये रखें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, आपने इन्हीं के लिए कहा था। आपने शेरगढ़ वालों का नाम नहीं लिया। आप वैसे ही कह रहे हो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरे को तो घोल रहे हैं वह।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आयुर्वेद, आयु का वेद, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद संहिता में भी आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताया है। आयुर्वेद देवताओं की चिकित्सा पद्धति थी। इसका उल्लेख रामायण काल में भी जब प्रभु श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण जी पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय लंका से सुषेण वैद्य को लाकर, उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाये थे।

आयुर्वेद पद्धति बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि आयुर्वेद में क्या है? बहुत समय पहले चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद का नाम था। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर जोड़कर उस समय चिकित्सा का एक चमत्कारी उदाहरण पेश किया था।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद के माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। मसूदा विधान सभा में आयुर्वेद चिकित्सालय की जमीन आवंटित हो चुकी है। मैं आग्रह करूंगा कि भवन निर्माण की स्वीकृति निकालकर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, इसका चिकित्सालय भवन तैयार हो जाये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

आयुर्वेद के माध्यम से जो चिकित्सा उपचार होता है, इसमें बीमारी को रोकना ही नहीं, बीमारी जड़ से खत्म होती है। कोरोना काल इसका उदाहरण था। गिलोय जिसको अमृता कहा जाता है, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, गो धन अर्क, यहां गाय, गो माता की बहुत बात हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि गो धन अर्क, गो मूत्र से कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी है, उसका समाधान भी आयुर्वेद में और गो धन अर्क में है।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत त्रि दोष, वात, पित्त और कफ पर आधारित हैं। जब इनका शरीर में अनबैलेंस होता है तो शरीर में बीमारी होती है। इस संतुलन को बनाये रखने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां हैं, जिसका हम प्रयोग करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद के डॉक्टर लगें, उनको पाबंद किया जाये। आजकल होता क्या है कि आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लिखते हैं। कम से कम आयुर्वेद विभाग के वैद्य और डॉक्टर आयुर्वेद की दवाइयां लिखें। अगर आयुर्वेद के चिकित्सालय में दवा उपलब्ध नहीं है तो बाहर की भी लिखें। लेकिन आयुर्वेद की दवा लिखें।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य।

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): जंगल में बहुमूल्य जड़ी-बूटियां पुष्प और पौधों से तैयार होती

हैं। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं। एलोपैथिक जरूरी है, लेकिन हम एलोपैथिक का उपचार लेते हैं तो एक बीमारी की दवा लेते हैं, 10 नई बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो 10 प्रकार की और दवाइयां लेनी पड़ती हैं। सभी जो आयुर्वेद के चिकित्सालय हैं, उनमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पद भरे जायें। आयुर्वेद की दवाइयां उपलब्ध करायी जायें।

माननीय सभापति महोदय, देवस्थान विभाग में हमारी मसूदा विधान सभा में भगवान देवनारायण जी का मन्दिर मसूदा के पास में स्थित है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे राजस्थान से वहां आते हैं।

Spp/Rtm/24.07.2024/19.50/4f

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उस देवनारायण मंदिर को देवस्थान विभाग में लिया जाये, क्योंकि वहां लाखों और हजारों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो वहां कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा इसके साथ मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि भगवान देवनारायण का मन्दिर बहुत ऊंचे स्थान पर है तो वहां जो वृद्धजन आते हैं तो उनको दर्शन के लिये ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, अगर वहां पर एक रोप-वे की व्यवस्था हो जाये तो वृद्धजन भी ऊपर जाकर भगवान देवनारायण के दर्शन कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पशुओं के लिये पशु चिकित्सा वाहन सभी विधान सभाओं में लगाये हैं। हर पंचायत में एक दिन में दो पंचायतों पर जाकर वह पशु चिकित्सा वाहन गांवों में जो गरीब पशुपालक हैं, उनके पशुओं का इलाज करते हैं। इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पशु चिकित्सालय में बहुत से डॉक्टरों के पद रिक्त हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब पशुओं में बीमारी आती है तो पशुपालन विभाग के चिकित्साकर्मी टीकाकरण का काम समय पर नहीं करते हैं, तो वैक्सीन समय पर लगायें और गांव के जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनको भी इसकी जानकारी देवें जिससे वह पशुपालक जागरूक रहें और अपने पशुओं का टीकाकरण करा सकें।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सालय में दवाइयों की उपलब्धता रहती है, लेकिन चिकित्साकर्मी पशुपालकों को बाहर की दवाइयां लिखते हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि सभी डॉक्टरों को पाबन्द किया जाये कि जितना संभव हो सके और जो दवाइयां चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, उनकी पशुपालकों को नि:शुल्क व्यवस्था की जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

विधान सभा की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः क्या सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्रीमती गीता बरवड़।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा, मांग संख्या 37- देवस्थान व मांग संख्या 47- पशुपालन एवं मत्स्य पर विचार

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29, 37 एवं 47 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय आयुष चिकित्सा सुविधा के बारे में बात करें तो कई जगह आपने जिले स्तर पर आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं कई जगह आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की घोषणा की है और कई जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तरीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालय को चिकित्सालयों को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने घोषणा की है, अच्छी बात है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आयर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 6 राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन महाविद्यालय में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण कराने हेतु इसी विधा के B.N.Y.S. उपाधिधारियों को नियुक्ति दी जावे।

माननीय सभापति महोदय, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तीनों के पद सृजित हैं, चूंकि आयुष में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है, अतः प्रत्येक ब्लॉक पर योग व प्राकृतिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

सभापति महोदय, N.H.M. के अंतर्गत विगत वर्षों में आयुष की तीन विधाओं की भर्तियां निकली हैं। आयुष की चौथी विधा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भर्ती भी N.H.M. के अंतर्गत निकाली जाए। साथ ही, नवसृजित जिलों में भी 33 जिलों की भांति योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाए।

सभापति महोदय एक बताना चाहूंगी कि राजस्थान में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (M.D.) डिग्री प्रारंभ की जाए एवं राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड का पुनः गठन किया जाए।

आदरणीय, वर्तमान में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की ओर आमजन का झुकाव बढ़ा है

इसलिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगी कि इस ओर ध्यान दें ताकि इन चिकित्सा पद्धतियों का भी समुचित विकास हो सके और ये सुलभ उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलवाना चाहती हूं कि परिवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) ऐलोपैथी चिकित्सकों का एक वर्ष का है, परन्तु आयुष चिकित्सकों का परिवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) दो वर्ष का है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आयुष चिकित्सकों का परिवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) भी एक वर्ष का किया जाये। ऐलोपैथी चिकित्सकों की पदोन्नति 6,12,18 वर्षों मे होती है, जबकि आयुष चिकित्सकों की पदोन्नति 9,18,27 वर्षों में होती है। एक तो आयुष चिकित्सकों की भर्ती निकलती कभी कभी है और पदोन्नति के अवसर भी कम मिलते हैं, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आयुष चिकित्सकों को भी 6,12,18 वर्षों में पदोन्नति दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, वेतन विसंगति को दूर किया जाये एवं ऐलोपैथी चिकित्सकों के समान वेतन श्रृंखला ही आयुष चिकित्सकों को प्रदान की जाये ताकि समस्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, जो कि मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उनमें समानता का भाव हो।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर जोकि लगभग 700 बीघा के विशाल परिसर स्थित है। इसी में यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा को एक वर्ष हो गया है, परन्तु अभी तक विभागीय उदासीनता के चलते इसे खोलने सन्दर्भ हेतु कोई कार्य नहीं हुआ है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय जल्दी खोला जाये।

सभापति महोदय, सदियों से हमारे देश मे आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता आ रहा है। आज आयुर्वेद की सख्त आवश्यकता एवं आमजन की मांग को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ब्लॉक बावड़ी मुख्यालय पर ब्लॉक स्तरीय आयुष चिकित्सालय खोलने की मैं मांग करती हूं।

ग्राम पंचायत गंगाणी में आयुर्वेद औषधालय है, लेकिन का भवन नहीं है। बजट की आवश्यकता है एवं ग्राम पंचायत सोयला में आयुर्वेद औषधालय का भवन क्षतिग्रस्त है, मरम्मत हेतु बजट की आवश्यकता है। मैं बजट की मांग करती हूं।

नवनियुक्त यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति को एक वर्ष हो गया है, परन्तु ना तो इन्हें अभी तक आवश्यक विभागीय ट्रेनिंग दी गयी है और ना ही प्रति औषधालय स्वीकृत 20 हजार की राशि दी गयी है, जिसके कारण नवनियुक्त यूनानी चिकित्सकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि यूनानी चिकित्सकों को जल्दी विभागीय प्रशिक्षण दिलवाया जाये एवं प्रति औषधालय स्वीकृत राशि 20 हजार जल्दी उपलब्ध करवाने की कृपा करावें।

मांग संख्या 37 के तहत, माननीय, सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के उपखंड भोपालगढ़, बावड़ी एवं मंडोर के देवस्थानों तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने हेतु सड़कें बनाने एवं मंदिरों का जीर्णोद्धार आदि विकास के लिए विभाग के पहल की आवश्यकता हैं।

ग्राम पंचायत चोपड़ा में प्राचीन रामदेव जी मंदिर बना हुआ है। यहां पर श्रद्धालु सत्संग आदि करते हैं, सभापति महोदय, मन्दिर को ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर डामर सड़क से जोड़ा जाएं ताकि श्रद्धालुओं को इस आधुनिक युग में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और आने-जाने में आसानी हो।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत कुड़ी में सुजाननाथ जी मंदिर तक डामरीकरण सड़क एवं प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार आवश्यकता है। बासनी बुद्धा से गुलाबदास जी महाराज के मंदिर तक डामर सड़क 3 किमी की मांग करती हूं। शिवनाथनगर से छोड़सिंह मंदिर तक डामर सड़क- 2 किमी. है, इसको बनाये जाने की मैं मांग करती हूं। रामधाम खेड़ापा भोलाराम जी महाराज की जन्म स्थली भोपालगढ़, भोलाराम जी महाराज की देवरी, रतकुड़िया, पतासीबाई की देवरी, धाम ओसतरा आदि इन मंदिरों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इन मंदिरों में पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु लोग आते हैं।

शीतला माता मंदिर पूरे मारवाड में शीतला माता का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है जो स्टेट हाईवे 145 से 3 किमी. अंदर की तरफ साकेड़ा मंदिर पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बहुत खराब है, डामर सड़क बनाकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत प्रदान की जाए।

ग्राम पंचायत चौकड़ी कला में महादेव झरना भाकर से ग्राम तक डबल लेन डामर सड़क का निर्माण करवाया जाना अतिआवश्यक है। सभापति महोदय, यह जब मेला लगता हैं एवं श्रावण मास में हर सोमवार को श्रद्धालुओं का एवं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साधनों से जाम लग जाता हैं। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि जल्द ही डबल लेन डामर सड़क का निर्माण किया जाए। श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहां पर शिवरात्रि के दिन भी करीब 20 से 25 हजार लोग एक साथ आते हैं तो बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर डबल रोड बनायी जावे, क्योंकि बहुत ज्यादा जाम लगता है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 47 के बारे में कहना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत बासनी, हरिसिंह रड़ोद और गरासनी, रामपुर में उप पशु चिकित्सालय केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करावें। ग्राम पंचायत जाजीवाल विश्नोइयां, रूदिया, झालमलिया, नादिया प्रभावती, सेवकीकलां, गादेरी, ढंढोरा में उप पशु चिकित्सालय केन्द्र खुलवाने की कृपा करावें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जिन पशु चिकित्सालयों में पद रिक्त हैं, उनको भरवाने की कृपा करावें। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जो पशुशालाएं हैं और गौशालाएं हैं, उनमें सुचारू रूप से चलाने के लिये आवश्यक बजट दिलवाने की कृपा करावें। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MLS/RTM/24.07.2024/20:00/4g

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोरधन जी।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, पहले तो हमारे जो आयुष मंत्री हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज बहुत सारे सदस्यों को ऐसी कौन-सी टैबलेट या कौन-सी गोली दी आपने कि कई तो यहां बैठे हैं और कई भाग भी गये, लेकिन हमारा यह आग्रह है कि जब सर्दियों का समय आये, आयुर्वेद में बहुत सारी चमत्कारी दवाइयां हैं, लेकिन च्यवनप्राश जरूर दीजियेगा सभी सदस्यों को। ...(व्यवधान)... वैसे तो स्वर्ण भस्म और दूसरी कई चीजें आती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयों का, औषधियों का वर्णन किया गया है, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, आपका समय जा रहा है।

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद से हमारे पुराने समय में रोगों को ठीक किया जाता था, आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति वन में रहता है, औषधीय फल-फ्रूटों, पौधों आदि का सेवन करता है तो उसकी आयु भी ज्यादा होती है और वह स्वस्थ भी रहता है। इसका मतलब है कि आयुर्वेद में दम तो जरूर है। आयुर्वेद से ही एलोपैथी बनी है। अतः विशेष आग्रह यह है कि आयुर्वेद पर हम विशेष ध्यान दें और आयुर्वेद को हम अपनाएं। हम किसानों को भी औषधीय पौधे दें और उन्हें थोड़ा प्रमोट भी करें और प्रोत्साहन भी दें ताकि हमारा आयुर्वेद जिन्दा रहे। आयुर्वेद में जिस प्रकार से हमारे जो खाली पद हैं, उन्हें भी भरा जाये और हमारे बैकलॉग को भी पूरा किया जाये, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है।

मैं देवस्थान विभाग के बारे में यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय दिया कुमारी जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस खाटूश्याम जी बाबा के लिए 100 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके साथ-साथ, शाकम्भरी और जीण माता के लिए भी विकास के कार्य करवाये जाएंगे, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मेरा विशेष आग्रह यह है कि हमारे इस धोद विधान सभा क्षेत्र में जो सांगलिया धूणी है, जिसकी लगभग कह सकते हैं 400 उप-शाखाएं हैं। इतनी बड़ी धूणी है, वहां लाखों श्रद्धालु और भक्त लोग देश-विदेश से आते हैं। मेरा आग्रह है कि वहां उस धूणी का विशेष पैकेज बनाकर विकास किया जाये।

हालांकि, उस धूणी के द्वारा बहुत सारे ऐसे संस्थान भी चलाये जाते हैं, कॉलेज भी हैं, गोशाला भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। बाबा लक्कड़ दास जी ने और बाबा लादू दास जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र और गांव का विकास किया है, हम सोचते हैं कि उस समय उन्होंने पैसे के अभाव में भी हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, आज एक बहुत बड़ा महाविद्यालय भी चलता है, मैं सोचता हूं कि सरकार थोड़ा इसे संज्ञान में लेते हुए उस सांगलिया धूणी का हम विकास कैसे कर सकते हैं, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से मेरे धोद विधान सभा क्षेत्र में एक बाबा परमानन्द जी की बगीची भी है, जो बहुत पुराना आश्रम है। उसका भी विकास

कराया जाना चाहिये। हमारे भैरूपुरा में बाबा गोविन्द देव जी का मन्दिर है। वह भी श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। उसका भी विकास कराया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारे उस क्षेत्र में जिस प्रकार से जीण माता का विकास कराने हेतु सरकार ने प्रयोजन रखा है, मेरा आग्रह है, चूंकि जीण माता जी भैरू जी की बहन हैं, उनके लिए भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि उस भैरूं नाथ बाबा का मन्दिर जो हर्ष पहाड़ी पर स्थित है, उसका भी विकास होना चाहिये। पुरातत्व विभाग, वन विभाग इस प्रकार से उसमें हैं तो मैं सोचता हूं कि उसका विकास देवस्थान विभाग के द्वारा ही सम्भव है। चूंकि वहां बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, शिव मन्दिर भी वहां पर ऊपर स्थित है तो एक सांस्कृति धरोहर भी है और पर्यटन क्षेत्र भी है। अतः उसका विकास कराया जाना चाहिये। यह हमारे विधान सभा क्षेत्र धोद के लिए, सीकर जिले के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। माउंट आबू के बाद में हर्ष पहाड़ी दूसरे नम्बर की चोटी है।

सभापति महोदय, वैसे मांगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं पशु पालन विभाग से यही मांग करना चाहूंगा कि पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 250 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें दिये हैं, यहां गाय और उसकी महत्ता के बारे में बताया गया, लेकिन जो गोचर भूमि है, चूंकि गायों के लिए ही आवण्टित की जाती है, उसमें यदि गोशाला संचालित की जाती है तो गोशाला के लिए या गाय के लिए उसमें से जमीन नहीं काटी जाती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां गायों को जगह मिल जाये जिससे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसकी जमीन मिल जाती है, लेकिन ये गोचर होने के बावजूद भी उसमें नहीं दिया जाता है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में यही कहना चाहूंगा कि वहां कुछ हॉस्पटल नये बनाने हैं, उसके लिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा।

ग्राम पंचायत गोठड़ा भुखरान, गनाठू, जेरठी, सांवलोदा, लाडखानी, ताजसर बड़ी आदि गांवों में भी हॉस्पिटल बनाकर हमें अनुगृहीत करें। कुछ नवीन हॉस्पिटल, एक तो कुण्डलपुर है, कुछ हमारे जो नवीन भवन बनाने हैं, जिसमें नागवा का एक जर्जर भवन है, उसमें भी एक उप-केन्द्र बोसाना है, सिहोठ बड़ी है, कासली है, हमारा प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय कूदन है, इनकी मरम्मत करवानी है। मैं विशेष आग्रह यह करना चाहूंगा, क्योंकि इन सब कामों को करके, हमें वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी ने क्षेत्र के लिए बहुत सारा दिया है, फिर भी मेरा आग्रह है कि मैंने जो भी मांगें रखी हैं, उन्हें पूरा करें। धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, एक इन्फॉर्मेशन। हमारे प्रतिपक्ष के साथी गोसेवा से नाराज होकर सब चले गये हैं या और कोई नाराजगी है, पता किया जाये, क्योंकि बहुत कम संख्या रह गयी है।

श्री सभापतिः बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है।

श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29, 37 और

47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

''दाता पंच दशोरत्न मूर्खश्च दशोगृह।

ब्रह्मज्ञानम् पंच वेद शान्तियतेयष्टषुखह।।''

सभापति महोदय, आज जो पशुपालन पर बात हुई, आयुर्वेद पर बात हुई, उस पर लगा कि बातें तो कुछ और हैं और यथार्थ कुछ और है। गायों की जो स्थिति है आज देश और प्रदेश में, ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, जो अब हो रही है, चाहे सत्युग की बात करें, चाहे द्वापर की बात करें। ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई।

तीन प्रकार की गायें हो गयी हैं। एक गाय तो वह है जो गोशाला में है। एक गाय वह है जो किसी के घर पर दूध दे रही है और एक गाय वह है, जिनका हमने आवारा नाम रख दिया, जो सड़कों पर आवारा घूमती रहती हैं। उनकी क्या दुर्दशा इस प्रदेश में हो रही है, वह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, गायों का जो स्थान था, वह आज से 50-60 साल पहले था

mkd/rtm/24.07.2024/20:10/4h

और उनकी दुर्दशा क्यों हुई? मैं यह आपको बताना चाहता हूं। पहले हमारे पास मशीनरी नहीं थी, इस तरह के कोई संसाधन नहीं थे। गायों से जो बछड़ा होता था, वह खेत में हल जोतने के काम आता था। जब ट्रेक्टर और मशीनरी आई तो हमने उनको बेचने का काम शुरू कर दिया। हर आदमी स्वार्थी होता है। जब बेचना चालू किया तो उससे पैसे की आय होती थी। पैसे की आय होती थी तो धीरे-धीरे उनको बेचते गये और गायों को छोड़ते चले गये।

मैं वर्ष 2013 से 2018 के बीच में विधायक था तो एक गढमोरा मोरध्वज की एक नगरी है। वहां पर एक पहाड़ है, 6 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लम्बा पहाड़ है। उस पहाड़ पर किसान भी गाय छोड़ देते हैं और उस पहाड़ पर आवारा गाय भी चढ़ जाती हैं। लावारिस और अब तो वह आवारा भी हो गई। आवारा मनुष्य भी होता है, आईजी साहब।

जिस तरह लावारिस गायों को वहां ऊपर छोड़ दिया गया। वसुन्धरा जी की सरकार थी। वहां 10 हजार गायें गर्मियों के दिनों में बिना चारे-पानी के मरीं और वह राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों में छपा। उस वक्त वसुन्धरा जी ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। जब हमारी सरकार आई तो माननीय गहलोत साहब ने उसे बढ़ाकर 3000 करोड़ का प्रावधान कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आज देश में जो बूचड़खाने खोले जा रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा बूचड़खाने हैं। उन बूचड़खानों में गायें कट रही हैं। वे अड़ानी के पोर्ट से विदेशों में निर्यात हो रही हैं। उनको सबसे ज्यादा लाइसेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम बातें कुछ करते हैं और यथार्थ कुछ और है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह के हालात गायों के हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए और आने वाले समय में भी नहीं होंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गाय और

मन्दिरों के नाम से जो सरकार सत्ता में आई है, उनको मन्दिर और गायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बातों से काम चलने वाला नहीं है, काम करने से काम चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप लोगों ने जिन बूचड़खानों से इलेक्टोरल बांड के नाम से पैसा लिया, वह भी पूरे देश में लोगों के सामने हैं। आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, इन हालातों को हमें कम करना होगा।

मैं आयुर्वेद की बात करता हूं। आयुर्वेद हमारी सबसे पुरानी पद्धति है। इस पद्धति को हमने धीरे-धीरे भूला दिया है। आज देश में एलोपैथिक दवाइयों से रिएक्शन हो रहे हैं और एलर्जी पैदा हो रही है तो लोग वापस आयुर्वेद पर आना चाह रहे हैं। जैसे हमारे देश में कोरोना की महामारी आई तो लोगों को आयुर्वेद याद आने लगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आपको एक प्रावधान अलग से करना होगा। जितने भी आयुर्वेद के हॉस्पिटल हैं, चिकित्सालय हैं, आज उनमें कोई दवाई नहीं है। वे सब आयुर्वेद के वैद्य और कम्पाउंडर ऐसे ही ठाले बैठ रहते हैं। उनके पास न कोई दवाई है, फालतू वेतन लेने का काम करते हैं। सरकार को आयुर्वेद के हॉस्पिटलों में प्रावधान करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में देश में कोरोना महामारी के समय जो हालात हुए। इसके साथ ही आयुर्वेद, होम्योपैथी से कैंसर जैसी महामारियों का इलाज सम्भव हो रहा है। इतना ही नहीं, इन पद्धतियों के साइड इफेक्ट और मनोरोग जैसी बीमारियों में भी आयुर्वेद सौ प्रतिशत कारगर सिद्ध हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कांग्रेस के राज में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सकों के बैकलॉग पदों पर 3000 चिकित्सकों को नियुक्ति दी थी। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ मिल सका।

यह बड़े खेद की बात है कि आठ महीने से आपकी सरकार है, पर आपने एक भी भर्ती नहीं की है। एक भी चिकित्सक की भर्ती नहीं कर पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद चिकित्सालयों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें। माननीय आयुर्वेद मंत्री जी को पता चलेगा कि इन चिकित्सालयों की कैसी हालत है। वहां न तो बिल्डिंग है, न वहां बैठने की कोई व्यवस्था है, सब जर्जर हो रहे हैं, दवाइयों के नाम पर मरीजों को देने के लिए कुछ नहीं है।

ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि आप ध्यान दें। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाये और आयुर्वेद के जितने भी हॉस्पिटल, चिकित्सालय हैं, वहां के जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं, जैसे वहां के विधायक हैं, एमपी हैं, सरपंच हैं, उन सब की एक कमेटी बनाकर यह देखा जाये कि वहां पर कोई इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितनी ओपीडी हो रही है, कितने मरीज आ रहे हैं, उनको दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है।

इसके साथ ही, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा विगत वर्ष में 1300 आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई। जो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एलोपैथिक चिकित्सकों और आयुष चिकित्सकों में किस

प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। जबकि समस्त चिकित्सा पद्धतियां मानव कल्याण हेतु मनुष्य को नीरोगी रखने हेतु है। इस सन्दर्भ में, सर्वप्रथम परिवीक्षाकाल में भेदभाव किया जा रहा है। प्रोबेशन पीरियड में एलोपैथिक चिकित्सकों का एक साल का कार्यकाल होता है, परन्तु आयुष चिकित्सकों का परिवीक्षाकाल दो वर्ष का है। इस अन्तर को भी खत्म किया जाये, या तो सबका दो वर्ष का रखा जाये या एक वर्ष का सबका रखा जाये। इससे भ्रान्ति पैदा नहीं होगी।

आपसे निवेदन है कि एलोपैथिक चिकित्सा में पदोन्नति 6, 12, 18 वर्ष में होती है, जबकि आयुष चिकित्सा में 9, 18, 27 वर्ष में होती है। इसी तरह से आयुष चिकित्सकों की भर्ती निकाली गई, पदोन्नति के अवसर कम मिलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आयुष चिकित्सकों को 6, 12, 18 वर्ष में पदोन्नति दी जाये।

इसके साथ-साथ मैं आपसे और थोड़ा-सा समय लेना चाहूंगा। देवस्थान विभाग में, जिस तरह से आपने बड़े-बड़े मन्दिरों की घोषणा की है कि वहां 100 करोड़ देंगे, 200 करोड़ देंगे। वहां पहले से ही मन्दिरों में आय बहुत है। ऐसे बहुत सारे मन्दिर हैं, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और उनके लिए बजट नहीं रखा गया है।

मेहन्दीपुर बालाजी है, जगदीश धाम कैमरी है। घासीराम बाबा, जो कदमकुंडी का स्थान है, वहां पर लाखों लोग आते हैं। घटवासन देवी का मन्दिर है, महावीर जी का जैन मन्दिर है, ये बड़े तीर्थ हैं। आपको सभी धर्मों के तीर्थों पर ध्यान देना चाहिए और उन सभी के लिए प्रावधान करना चाहिए।

एक संस्था और थी, अल-कबीर। अल-कबीर नाम की बूचड़खाने की संस्था थी, उसका नाम तो मुसलमानों का है, जबकि उसको हिन्दू चलाते हैं। उसको लाइसेंस किसने दिया, यह भी आपको पता है। उसने कितना पैसा सरकार को दिया, यह मंत्री महोदय अपने जवाब में देंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री कंवरलाल जी।

श्री कंवरलाल (अंता): आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आज की तीनों मांगों पर शुभारम्भ माननीय सदस्य श्री बाबू सिंह जी ने किया था। आज सारे राजस्थान के प्राचीन एवं नवीनतम, सारी देवी-देवताओं के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। यह पूरा सदन धर्ममय हो रहा है। उसकी आरती करने का, समापन करने का मौका मुझे मिला है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद आचार्य और चरक जी के द्वारा लिखित में है। यह 600 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति को हमारे हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति मानता है और इसकी चिकित्सा लेता है। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इसको निरापद चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात् आयुर्वेद से जो दवाई बनाई जाती है, पौधों से जो दवाई बनाई जाती है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसमें फायदा ही फायदा है।

मैं आयुर्वेद चिकित्सा विभाग से जुड़े होने के नाते, आज पक्ष विपक्ष ने आयुर्वेद का पूरजोर, पूरे मन के साथ, पूरे दिन समर्थन किया है। आयुर्वेद के विकास के बारे में और आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में विश्वास व्यक्त किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपेक्षा और आशा करता हूं कि सभी सदस्यों के विश्वास पर और हम सभी आयुर्वेद से जुड़े जितने भी चिकित्सक हैं, आज राजस्थान और पूरे देश के चिकित्सक सुन रहे होंगे। हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। यह चिकित्सा पद्धति बिलकुल वनवासियों से जुड़ी हुई है, वन से जुड़ी हुई है। जितने भी हमारे वनवासी हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं। अभी भी बीमार होने के बाद वन औषधि से दवाई बनाकर खुद लेते हैं और ठीक हो जाते हैं।

Bhs/Rtm/24.7.24/20.20/4j

आयुर्वेद चिकित्सा का मूल आधार पौधा है और इस धरती पर जितने भी पौधे हमें नजर आते हैं प्रत्येक पौधा औषधि के रूप में उपयोग में लिया जाता है। धतूरा को हम बिलकुल नाकारा मानते हैं मैं बताना चाहूंगा कि धतूरा भी आयुर्वेद में एक औषधि है ज्यादा मात्रा में लेते है तो विष बन जाता है और कम मात्रा में लेते हैं तो दवाई के रूप में काम आता है। हम सब लोग जो आर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें इंडो सल्फान नाम की जो दवाई डालते हैं और अगर कोई व्यक्ति गलती से उसको पी जाता है तो उसको ठीक करने के लिए धतूरा में एट्रोपिन होता है उसी को यूज करके और उस मरीज को ठीक करने का काम किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद के बारे में बात करता हूं हमारे जो पूरे भारत में आयुर्वेद का आधारभूत ढांचा राजस्थान में स्थापित है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इंडियन मेडिसिन बोर्ड, आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, आयुर्वेद कॉलेज और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सालय, औषधालय और राजकीय क्षेत्र में 6 आयुर्वेद फार्मेसीज हमारे राजस्थान में चलती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी फार्मेसी और अच्छी चले और राजस्थान में वनौषधियां पैदा होती हैं जिससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा, हमारे वनवासियों को फायदा होगा, आदिवासियों को फायदा होगा और हमारे राजस्थान में वन औषधियां, वन के पौधे खूब ज्यादा लगें और हमारी फार्मेसी में बनें।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए अत्याधुनिक लैबोरेट्री राजस्थान में लगे क्योंकि जिस प्रकार दूध राजस्थान में इतना पैदा नहीं होता जितना लोग पीते हैं तो उसमें मिलावट होती है। इसी प्रकार आयुर्वेद की दवाई जितनी बाजार में आ रही है इतनी वनौषधि लगती नहीं है उसमें मिलावट होती है और पूरे विभाग की बदनामी होती है, मरीज समय पर ठीक नहीं हो पाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां आयुष विश्वविद्यालय, जोधपुर 2002 में चालू किया गया। देश का यह पहला राज्य है जहां नवीन आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय, अजमेर में दो आयुष विद्यालय हैं। देश का पहला राज्य है जहां आयुष नर्सिंग काउन्सिल संचालित है। साथ

में विश्वस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म स्थापित किया है, किन्तु विभाग की विशालता और इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में सरकार द्वारा आयुर्वेद को अत्यंत कम बजट दिया जाता है।

(समयः)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि एलोपैथी की तरह 36 हजार करोड़ का बजट और आज चालीस हजार करोड़ के बजट में माननीय मंत्री महोदय, बहुत अन्तर है। यह जो सौतेला व्यवहार आयुर्वेद के साथ किया है हम सब पूरे सदस्यों ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है आप हमारी भावना की कद्र करते हुए आयुर्वेद विभाग में जो मेरी प्रमुख मांगें हैं, आयुर्वेद नर्सेज का मेडिकल नर्सेज के समान वेतन, पदनाम किया जाए। चिकित्सक एवं नर्सेज के ग्रामीण कैडर को समाप्त किया जाए। चिकित्सक एवं नर्सेज की पदोन्नति की जाए। रिक्त पदों पर भर्तियां की जाए।

बजट की तुलना में माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्रीमती वसुन्धरा जी की सरकार के कार्यकाल में 2023 से 2018 में आयुर्वेद का 95 प्रतिशत बजट खर्च किया। श्री अशोक गहलोत जी की सरकार के कार्यकाल में 2019 से 2023 तक आयुर्वेद का 92 प्रतिशत खर्च किया गया। केन्द्र से प्राप्त बजट, 2021-22 में 92 प्रतिशत खर्च किया गया तथा 48 प्रतिशत ही खर्च किया गया केन्द्र का जो बजट है 2023 में सही तरीके से बजट का उपयोग नहीं किया गया। वर्तमान सरकार में 2024-25 बजट में बहुत कम मात्रा में बजट दिया है। मैं आपसे आशा करता हूं एवं विश्वास करता हूं कि आप इस अनुदान मांग के बाद आप इस आयुर्वेद विभाग का विकास करने में मदद करने में आप पूरा सहयोग करेंगे। आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों को समान संरक्षण, वेतनमान, सुगमता, नवीनतम भर्तियां, आयुर्वेद कॉलेज की फार्मेसिज की स्थापना के साथ-साथ ड्रग क्वालिटी कंट्रोल अत्याधुनिक लैबोरेट्री स्थापित करने की मैंने पहले भी बात की है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विभाग में प्रति रोगी दो रुपये बजट दिया जाता है यह बहुत कम है इसको मंत्री महोदय, बढ़ाया जाए। आरजीएचएस की तर्ज पर, आरजीएचएस में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को निःशुल्क इलाज करने की जो व्यवस्था की है, मैं एलोपैथी में भी आयुष के माध्यम से जो चिरंजीवी योजना है उसमें आपको प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जोड़ने की मैं मांग करता हूं। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा क्योंकि बीमा प्रत्येक व्यक्ति का हो रखा है। वो इलाज आयुष से कराये, होम्योपैथी से कराये, आयुर्वेद से कराये या एलोपैथी से कराये, मैं समझता हूं कि ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा लेकिन आयुर्वेद में अगर आप आयुष्मान भारत में इस योजना को इस इलाज को इस चिकित्सा को अगर जोड़ देते हैं तो मैं कहता हूं कि आयुर्वेद के जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है जितने चिकित्सक, जितने कम्पाउंडर पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं सबको काम मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ हमारे मोदी जी का विरासत भारत और विकसित भारत की जो आज उनके मन की बात है उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए आयुष विभाग से एक परिपत्र निकाला है, आयुर्वेद विभाग का जो सर्जन होता है उसको 56 ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत किया है। एक सर्जन जो पांच एलोपैथी के डॉक्टर के बराबर एक आयुर्वेद का सर्जन ऑपरेशन कर सकता है। माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा मन है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी राजस्थान के आयुर्वेद का इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेंगे और उसके बाद अब मैं गोमाता पर आता हूं।

श्री अध्यक्षः हो गया टाइम। दो घंटी बजा दी।

श्री कंवरलाल (अंता): एक-दो मिनट तो दे दो, साहब।

श्री अध्यक्षः आधा मिनट। जल्दी बोलो।

श्री कंवरलाल (अंता): मेरे विपक्ष के सदस्य गहलोत जी के बारे में कह रहे थे कि गहलोत जी गोभक्त हैं, उनके बारे में बोल कर मेरी बात को विराम दूंगा। जब गहलोत जी की सरकार थी और उस समय जो गोपालन मंत्री थे, पूर्व केबिनेट मंत्री वो इधर लम्पी बीमारी में गायें मर रही थी और वो अमेरिका में होटल में पत्नी के साथ आइसक्रिम खा रहे थे।

श्री अध्यक्षः एक मिनट हो गया। आप विराजो।

श्री कंवरलाल (अंता): आप वीडियो देख सकते हैं, यों हाथ मत हिलाओ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री, डॉ. प्रेम चन्द बैरवा। बैठिये। उनसे बात नहीं करनी। बैठिये। माननीय मंत्री जी। आपको किसने कहा? आपको क्या हो गया? आपको बैठै-बैठे क्या हो गया? हां, बोलिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा की अनुदान मांगों पर माननीय सीकर से आने वाले सदस्य ने मांग एवं अपना अनुभव एवं सुझाव दिये। इसी तरह से शेरगढ़, सूरजगढ़, सिविल लाईन्स, रानीवाड़ा, पोकरण, लाडनूं, खण्डार, परबतसर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, खानपुर, बीकानेर पश्चिम, फतेहपुर, कोटा दक्षिण, तिजारा, पिलानी, डग, हनुमानगढ़, कामां, रतनगढ़, मेड़तासिटी, भरतपुर, कुशलगढ़, नोखा, जैसलमेर, सूरतगढ़, माण्डलगढ़, उदयपुरवाटी, मसूदा, भोपालगढ़, धोद, टोडाभीम और अन्ता से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा समस्याओं की चर्चा की और समाधान के लिए उपयोगी, सार्थक एवं सकारात्मक सुझाव दिये हैं। इन सबके लिए मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी विद्वान सदस्यों का आपके माध्यम से धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में राज्य हित में समय-समय पर सकारात्मक सुझावों से मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समस्त कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों को प्रेषित कर दिये जायेंगे। माननीय सदस्यों द्वारा क्रियान्वित करने योग्य प्रदत्त सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा

शीघ्रता से कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्यों ने सदन में 171 कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत की है।

Kas/rtm/24.07.2024/20.30/4k

इन प्रस्तावों में मुख्य रूप से चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने, नवीन चिकित्सा संस्थाओं को स्वीकृत करने, चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत करने, चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं की वृद्धि करने की मांग माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एवं योग के बारे में मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'उद्धरण, जिस योग एवं आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वह आज पूरी मानवता के लिये एक नई उम्मीद बन गया है,' इसके साथ प्रारम्भ करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद हमारे देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसका पांच हजार वर्षों से अधिक का इतिहास है। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसका उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं, अपितु जीवन को संतुलित एवं स्वस्थ बनाना है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने की एक कला है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसका इलाज भी अद्वितीय होना चाहिये। इसमें शरीर की प्रकृति, भोजन का महत्व, दिनचर्या और मौसम के अनुसार जीवनशैली को समायोजित किया जाता है। यह समग्र दृष्टिकोण हमें न केवल शारीरिक, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के लिये हम कह सकते हैं कि नमक की तरह स्वाद है आयुर्वेद। साधारण दिखता है, परंतु बहुत खास है आयुर्वेद। इसलिए हमें आयुर्वेद को आत्मसात कर के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब दुनिया रासायनिक उपचारों से थक चुकी है, आयुर्वेद अपने प्राकृतिक और बिना दुष्प्रभाव वाले इलाज के कारण एक बार फिर महत्वपूर्ण हो रहा है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर देख रही है तथा इसके प्रभाव को स्वीकार कर रही है। आयुर्वेद में सब कुछ प्राकृतिक है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के सम्बन्ध में मैं मेरी भावनाओं को एक कविता के रूप में रखना चाहूंगा।

जड़ी-बूडियों की महिमा अपार, प्रकृति संसाधनों का सच्चा प्यार,
बिना दुष्प्रभाव संजीवता का संचार, आयुर्वेद में है जीवन का सार,
हम सब मिलकर इसे बढ़ाये,
आयुर्वेद की महिमा को फैलाएं,
स्वस्थ रहने का संदेश जन-जन तक पहुंचाये।
आयुर्वेद की विकास की ज्योति जलाएं।
आओ आयुर्वेद के विकास की ज्योति जलाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति

है, जो हमारे देश में लगभग 100 वर्षों से प्रचलित है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आधारभूत सिद्धांत समान के साथ समान इलाज है। इसमें रोगों के समान लक्षण उत्पन्न करने वाली दवाओं का प्रयोग करके शरीर की प्राकृतिक क्षमता को सक्रिय किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनानी चिकित्सा पद्धति हिजामा थैरेपी के सिद्धांतों पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में चार द्रव्य होते हैं, खून, बलगम, पीला पित्त एवं काला पित्त। इसमें असंतुलन होने पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। इन चारों द्रव्यों को प्राकृतिक औषधियों और उपचारों की विधियों का प्रयोग कर संतुलन स्थापित किया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरातन काल में हमारे देश में योग का महत्व रहा है और योग एक प्राचीन भारतीय कला है, जो शारीरिक और मानसिक, दोनों को बेहतर बनाती है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा सहित विभिन्न योग तकनीकों का अभ्यास करके व्यक्ति तनाव, चिंता, अवसाद एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कम कर सकता है। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन सामंजस्य को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2015 को दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया। योग के प्रति जागरूकता लाने के लिये संपूर्ण राज्य में 21 जून, 2024 को राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय तथा ग्राम पंचायत स्तर तक 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। 'योग स्वयं एक समाज के लिये' थीम के साथ किया गया, जिसमें एक साथ 25 लाख प्रतिभागियों द्वारा योग किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिये गौरव की बात है कि राजस्थान में आयुर्वेद सहित योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के अलग-अलग निदेशालय हैं, शिक्षण संस्था है, औषधि निर्माण के लिये रसायन शालाएं हैं तथा राज्य में चिकित्सालयों एवं औषधालयों का व्यापक नेटवर्क है। जिसके माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्ती, सुलभ एवं सरल होने के कारण आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति आमजन का रुझान निरंतर बढ़ रहा है। कई बार आधुनिक चिकित्सा पद्धति के उपचार कराने के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर लोगों द्वारा इन चिकित्सा पद्धतियों को विकल्प के रूप में अपनाकर स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया जाता है। यह चिकित्सा पद्धति खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार पर विशेष बल देती है। जिनके कारण रोगों से बचाव तो होता ही है, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति भी बनी रहती है। हमारी सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करके जन सामान्य को लाभ देने के लिये संकल्पबद्ध है। सरकार गठन के बाद आयुष चिकित्सा के प्रति आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिये

राज्य स्तरीय आरोग्य मेले दूदू के साथ हनुमानगढ़, जोधपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर एवं सवाई माधोपुर संभाग स्तरीय आरोग्य मेले आयोजित किये गये, जिसमें लगभग 54 हजार लोगों ने भाग लिया। बवासीर अर्श एवं बगन्दर रोग की सार सूत्री विधि से चिकित्सा के लिये आयुर्वेद विभाग द्वारा 23 जिलों के जनजाति व अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया।

होम्योपैथी चिकित्सा के लिये राज्य में 10 शिविर आयोजित किये गये, जिसमें लगभग 66 हजार रोगियों को लाभान्वित किया गया। यूनानी चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट चिकित्सा पद्धति हिजामा थैरेपी के कैम्प पृथक से लगाये गये, जिसमें 1680 रोगियों को लाभान्वित किया गया। एक हजार आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर के संचालन के लिये 1647 योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति दी गई तथा एक हजार चिकित्सा अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। 50 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस सेंटर को एनएबीएच सर्टिफिकेशन कराया गया। विभागीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों के माध्यम से महिला एवं बच्चों की चिकित्सा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये राज्य में प्रथम बार 500 महिला चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया। जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र का विस्तार करते हुए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित चार महाविद्यालयों कोटा, जयपुर, पिलानी, सरदारशहर में नशा मुक्ति केन्द्र प्रारम्भ किये गये एवं जोधपुर में ही चार स्थानों पर एनआईएफटी जोधपुर, मिलिट्री स्टेशन जोधपुर, गुरुद्वारा सिंधी कॉलोनी जोधपुर एवं आर्मी अस्पताल जोधपुर में आउटडोर चिकित्सा की नियमित सेवाएं प्रारम्भ की गईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर जोधपुर में होम्योपैथी चिकित्सालयों एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों के नव निर्मित भवनों का लोकार्पण हमारी सरकार के द्वारा किया गया। जबकि विश्वविद्यालय परिसर में ही नवीन होम्योपैथी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कर नव निर्मित भवनों में महाविद्यालय संचालित करना प्रस्तावित है, जो शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा महाविद्यालय में सू-स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु प्राप्ति के लिये उद्यतन अनुसंधान एवं संभावनाओं पर विचार, मंथन हेतु मनोवैज्ञानिक आयुर्वेद मेंटल हैल्थ विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेमिनार का आयोजन इस वर्ष किया जायेगा।

msk/rtm/24.07.2024/2040/4l

जिसमें देश के आयुर्वेद जगत के साथ-साथ विश्व विख्यात विषय-विशेषज्ञों के व्याख्यान, शोधार्थी छात्र-छात्राओं की भागीदारी रहेगी एवं आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में किये गये अद्यतन अनुसंधान एवं विशिष्ट गतिविधियों का प्रदर्शन तथा जानकारी प्रदान की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि

देश में प्रथम आयुष विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित हुआ। महाविद्यालय तो ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं ज्ञान का सृजन करते हैं। प्रदेश में दूसरे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना अजमेर में करने की घोषणा की गयी है। यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में राज्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के निराकरण का सशक्त माध्यम बनेगा।

माननीय, मेरे तीन डिपार्टमेंटों में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी और आपका बस स्टेण्ड का नवीनीकरण बहुत अधिक पैसों से कराया जा रहा है। यह माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद का बस स्टेण्ड से क्या लेना देना है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): नहीं, मेरे पास डिपार्टमेंट है।

श्री अध्यक्ष: अगली बार निम्बाहेड़ा का भी ध्यान रखना है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अब एक डिपार्टमेंट में जोड़ लेंगे।

यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में राज्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के निराकरण का सशक्त माध्यम बनेगा। साथ ही, महवा-दौसा में आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। नवीन आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार चिकित्सा पद्धति की सभी विद्याओं का लाभ प्रदेश के नागरिकों को देने के लिए कृत संकल्पित है।

प्रस्तुत परिवर्तित बजट में इलेक्ट्रोपैथी विद्या के सम्बन्ध में परीक्षण कर नियम बनाने की घोषणा की गयी है। विगत सरकार ने भी आयुष के विभिन्न महाविद्यालय खोले, किन्तु उनमें भवन, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक स्टॉफ एवं अन्य मूलभूत साधन, सुविधाओं का अभाव है। उनमें भी हमारी सरकार द्वारा प्राथमिकता से महाविद्यालयों के प्रभावी संचालन हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने, औषधालयों को चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने तथा पंचकर्म सुविधा शुरू करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सुझावों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष नवगठित आठ जिले, जिनमें ब्यावर, दूदू, डीग, डीडवाना, कुचामन, सांचोर, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, केकड़ी में पूर्व में संचालित आयुष चिकित्सालयों को जिला आयुष चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी है। साथ ही, भीम, राजसमन्द में संचालित औषधालय को आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सभी चिकित्सालयों का शीघ्र ही संचालन प्रारंभ कर दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सा पद्धति के सन्दर्भ में पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने की

मांग हमेशा रही है। औषधालयों एवं चिकित्सालयों में विभाग द्वारा संचालित रसायन शाला द्वारा औषधियों का निर्माण करके तथा आयुष मिशन से प्राप्त राशि से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदकर औषधियां नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएंगी। औषधियों के निर्माण में रसायनशालाओं में पुरानी मशीनें होने के कारण औषधियों का निर्माण कम होता है तथा निर्मित औषधियां खरीदने के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण औषधियों की कमी हमेशा बनी रहती है। हमारी सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने के लिए अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा, बारां, उदयपुर की रसायनशालाओं का ऑटोमेशन करने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें इन रसायन शालाओं में आधुनिक औषधि निर्माण की मशीनें स्थापित की जाएगी और औषधियों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण त्वरित गति से किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑटोमेशन करने में समय लगना स्वाभाविक है। इसके लिए भी हमारी सरकार द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए विभागीय औषधालय एवं चिकित्सालय में शीघ्र औषधियां उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे हमारी सरकार क्षेत्र में उपक्रमों की औषधियां खरीदकर शीघ्र उपलब्ध करायेगी। माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में संचालित औषधालयों एवं चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में मांग की जा रही है। जिसके सम्बन्ध में सभी सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के 1262 नर्स एवं कम्पाउंडरों की भर्ती की कार्यवाही अंतिम चरण पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। आयुष चिकित्सालय के अधिकारियों की उच्चतर पदों पर डीपीसी का कार्य निरन्तर जारी है। डीपीसी के पश्चात प्राप्त होने वाली रिक्तियों को हमारी सरकार द्वारा प्राथमिकता से भर्ती निकालकर भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसा मैं सभी माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे विधायक निधि कोष के माध्यम से आयुष औषधालय एवं चिकित्सालयों के भवन के निर्माण एवं मरम्मत कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान अनुगृहित करें। हमारी सरकार द्वारा 1019 आयुष औषधालयों एवं चिकित्सालयों का आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में परिवर्तन किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों द्वारा स्वयं की देखभाल के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ 11 प्रकार की निर्धारित सेवाएं दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से औषधालय एवं चिकित्सालय आधारभूत साधन, सुविधाओं से परिपूर्ण हुए हैं तथा विभागीय सेवाओं के स्तर पर सुधार हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी एक खूबी होती है। उसका स्थान होता है और कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं होती। इसलिए जहां पर जैसी चिकित्सा की आवश्यकता हो, वैसी चिकित्सा सभी लोगों को मिल सके, यह हमारा प्रयास रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष से जुड़े सभी विभाग में प्रदेश के रेगिस्तान,

डांग, आदिवासी, पर्वतीय इलाकों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। विभाग के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। फिर भी हमारी सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इन चुनौतियों का सामना कर समस्त प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों आयुष विभाग की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय योगदान करने की अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर सेवा के इस पवित्र कार्य में सकारात्मक एवं सक्रिय रहकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ एवं निरोग बनाने सफल सिद्ध होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कविता के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।

ज्ञान की इस यात्रा में हम सब साथ चलें,
चिकित्सा पद्धतियों के लाभों को समझ और अपनायें,
स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ायें,
प्रदेश को सुरक्षित, स्वस्थ्य बनायें,
आओ प्रदेश को सुरक्षित एवं स्वस्थ्य बनायें।

जय हिन्द, जय भारत, जय भीम, जय-जय श्रीराम।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी मांग भी रख लीजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29-आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पारित की जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय जोराराम जी कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गजानंद जी महाराज को नमन करते हुए, सभी देवी-देवताओं को नमन करते हुए, मैं अपनी बात शुरू करता हूं।

तेरे दर पर आने से पहले मैं कमजोर होता हूं,
तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ ओर होता हूं।

देवस्थान पर जाते हैं तो हम सबको वहीं से ही शक्ति मिलती है।

mdp/rtm/24.07.2024/20:50/4m

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में आज कुल 61 माननीय सदस्यों से 147 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। उनके उत्तर माननीय सदस्यों को शीघ्र ही भिजवा देंगे। देवस्थान विभाग के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा में 29 सदस्यों ने भाग लिया। उनके सुझाव बहुत ही सकारात्मक और सराहनीय है। मैंने इन सभी सुझावों को नोट कर लिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के मंदिरों के विकास एवं मंदिरों के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के मध्येनजर उचित कार्यवाही हम करेंगे।

माननीय सदस्यों ने देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने, मंदिरों, धार्मिक स्थलों को विकसित करने, मन्दिर माफी की जमीनों की भी चिंता की, माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज करने की भी चिंता की। वन विभाग, गोचर भूमि और पहाड़ी स्थानों पर स्थित मंदिरों के विकास में आ रही समस्याओं की भी चिंता की। देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों का विकास करवाने की भी चिंता की। देवस्थान विभाग के मंदिरों की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की भी चिंता की। देवस्थान विभाग के मंदिरों तक सड़क बनाने की भी चिंता की और विभाग में लम्बे समय से रिक्त पदों को भरने की भी चिंता की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की मांगों को हम निश्चित रूप से सुलझाने के प्रयास करेंगे। देवस्थान विभाग मन्दिर संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन का विभाग है। राजस्थान मंदिरों का प्रदेश है। यहां पर विभिन्न देवी-देवताओं, आराध्य देवताओं, लोक देवताओं, महापुरुषों, संत-महात्माओं के मन्दिर बने हुए हैं। इसमें आदिकाल से आ रही हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इन मंदिरों से पुजारियों सहित लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन मंदिरों में राजस्थान के अलावा देश-विदेश के लाखों पर्यटक रोजाना दर्शनार्थ आते हैं, जिससे मंदिरों में आय बढ़ती है। साथ ही राजस्थान में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राज्य की आर्थिक आय में भी वृद्धि हो रही है। राजस्थान में आराध्य देवताओं के अलावा लोक देवता, महापुरुषों जैसे वीर तेजाजी, पाबू जी महाराज, मीरा बाई, गोगा जी महाराज-गोगामेडी, रामदेव जी महाराज-रामदेवरा, महाराणा प्रताप स्मारक-उदयपुर, दीनदयाल उपाध्याय स्मारक-धानक्या जैसे अनेक स्थलों का राजस्थान के इतिहास में महत्व है। इन सबके विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। विभिन्न तीर्थ स्थलों पर बने राज्य के मन्दिर एवं पूजा स्थल मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों के केन्द्र रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके माध्यम से ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, भजन, नृत्य परम्परा आदि का संरक्षण, प्रसार एवं प्रशिक्षण होता रहा है। देवस्थान विभाग विरासत में प्राप्त ऐसी ही धार्मिक एवं पुण्य प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थाओं एवं राजकीय मंदिरों, मठों, लोक प्रन्यासों का नियमन करने, उनके प्रशासन हेतु मार्गदर्शन देने, उन्हें आर्थिक सहयोग देने जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। देवस्थान विभाग 390 प्रत्यक्ष प्रभार एवं 203 आत्मनिर्भर, कुल 593 मंदिरों का प्रबंधन भी करता है। इसमें राजस्थान के बाहर भी 25 के आसपास मन्दिर है। विभाग द्वारा लगभग 48 हजार 466 मंदिरों का शाश्वत वार्षिकी तथा 10 हजार 09 मंदिरों को सहायता अनुदान राशि भी दी जाती है। प्राचीन काल से ही देवस्थान विभाग पुण्यार्थ विभाग के रूप में न केवल मंदिरों के प्रबन्धन में बल्कि विद्वानों, निराश्रितों, विद्यार्थियों एवं साधु-संतों को सहयोग एवं संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। विभाग के मन्दिर धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के केन्द्र हैं। वास्तुशिल्प तथा कलात्मक वैभव समेटे हुए हैं। राजस्थान के प्रत्येक मन्दिर का

अपना इतिहास है, जो हमारे लिए गौरव की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग सार्वजनिक प्रन्यासों के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के विशाल मन्दिर जैसे खाटू श्याम जी, मोतीडूंगरी गणेश जी, मेहंदीपुर बालाजी, कैला देवी, करौली तथा अन्य अनेक प्रसिद्ध मन्दिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के माध्यम से विभाग से जुड़े हुए हैं। इन मंदिरों में आम जनता को कैसे सुविधा दी जाए, विभाग निगरानी रखता है तथा समय-समय पर मन्दिर प्रबंधन को दिशा-निर्देश भी देता है। वर्तमान में देवस्थान विभाग में 10 हजार 686 प्रन्यास पंजीकृत हैं। प्रन्यास पंजीकृत मन्दिर ट्रस्ट सामाजिक सरोकार, अस्पताल, स्कूल, आश्रय स्थल, अनाथालय, यात्रिओं की भोजन व्यवस्था, पौध रोपण जैसे जनसेवा का कार्य भी करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि सेवा करने वाले हाथ, मंत्र बोलने वाले हाथों से अधिक पवित्र होते हैं। इसी उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने हेतु विभाग द्वारा 2013 से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को श्रवण कुमार बनकर देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों यथा रामेश्वरम, तिरूपति, वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी, गंगासागर, कामाख्या देवी आदि तीर्थ स्थलों की निशुल्क यात्रा करवायी जाती है एवं पशुपति नाथ, काठमांडू, नेपाल की हवाई यात्रा भी निशुल्क करवाई जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जो अपने जीवन में स्वंय के खर्चे पर धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के माध्यम से यात्रा करवा कर उनके जीवन को खुशी प्रदान करने का काम देवस्थान विभाग करता है। विभाग द्वारा अब तक लगभग डेढ़ लाख वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा करवाई जा चुकी है। इसमें 1 लाख 30 हजार 481 रेल द्वारा और 20 हजार 101 हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाई है। वर्ष 2023-24 में 33 हजार 234 वरिष्ठजनों को रेल और हवाई यात्रा से लाभान्वित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मन्दिर के दर्शन हेतु इस वर्ष चार ट्रेनों का संचालन किया जाकर 2999 वरिष्ठजनों को यात्रा करवाई गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में भी वरिष्ठ नागरिक योजनान्तर्गत 36 हजार वरिष्ठजनों को यात्रा करायी जायेगी, जिसमें रेल द्वारा 15 हजार वरिष्ठजनों को अयोध्या एवं 15 हजार वरिष्ठजनों को विभिन्न तीर्थ स्थल रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगासागर, तिरूपति, कामाख्या, वृंदावन, मथुरा आदि एवं 6 हजार वरिष्ठजनों को पशुपति नाथ, काठमांडू, नेपाल की हवाई यात्रा करायी जायेगी।

Ans/rtm 21-00 4n 24.07.2024

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा सिंधु दर्शन योजना अप्रैल, 2016 में हमारी भाजपा सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई। राजस्थान सरकार द्वारा भारत के लद्दाख स्थित सिंधु

नदी के उद्गम स्थल तक यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता के रूप में 10 हजार रुपये राशि दी जाती है। इस योजना में अब तक 35 यात्रियों को लाभान्वित कर, साढ़े तीन लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना अप्रैल 2011 से प्रारम्भ की जाकर राजस्थान सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सम्पन्न करने वाले राजस्थान के स्थाई मूल निवासियों को एक लाख रुपये प्रति यात्रा की सहायता दी जाती है। योजनान्तर्गत अब तक 527 यात्रियों को लाभान्वित कर 5 करोड़ 27 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के अंतर्गत मोक्ष कलश यात्रा, राजस्थान सरकार द्वारा 2020 में प्रारम्भ की गई, जिसके अंतर्गत कोविड़ 2019 के कारण परिवहन संसाधनों के सुचारु संचालन के अभाव में राज्य के गरीब परिवारों के मृत व्यक्तियों के गंगा जी में अस्थि विसर्जन हेतु रोडवेज़ की बसों के माध्यम से प्रति अस्थि कलश, दो व्यक्तियों को हरिद्वार की यात्रा पर जाने के लिए यात्रा शुरू की थी, इसमें 1 लाख 73 हजार 373 यात्रियों को निशुल्क यात्रा करवाई गई, जिस पर 12.69 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। यह माननीय पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत जी ने शुरू की थी, आपको भी धन्यवाद। ..(व्यवधान).. धन्यवाद देता हूं ना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठे-बैठे बोल रहे हो।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग द्वारा नंदन कानन योजना ...(व्यवधान)... के तहत स्वायत्तता शासन संस्था, भामाशाह एवं ज़िले के डीएमएफडी फण्ड के माध्यम से देश के मंदिरों की भूमि पर सघन वृक्षारोपण कर उपवन व नक्षत्र वाटिका विकसित की जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेरे अधीन चारों विभागों के माध्यम से राज्य भर में 25 लाख पौधे लगाने का अभियान का शुभारम्भ माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से किया गया। जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पशुपालन विभाग द्वारा 3 लाख पौधे, गोपालन विभाग द्वारा 12 लाख पौधे एवं डेयरी विभाग द्वारा 5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक पर्यटन को बढावा देने हेतु मंदिरों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने, देवस्थान विभाग के अधीन 50 मंदिरों को इस वर्ष पर्यटन विभाग की वेब साइट पर नक़्शे से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। आगामी वर्षों में देवस्थान विभाग के महत्वपूर्ण मंदिरों को पर्यटन विभाग की वेब साइट व नक़्शे से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंदिरों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। विभाग द्वारा 9 मंदिरों, मन्दिर कुशलबिहारी, बरसाना, गणेश जी रातानाड़ा जोधपुर, मन्दिर श्री कैलादेव झील का बाडा, बयाना भरतपुर, मन्दिर माता जी, मावलियान जयपुर, नीमच माता उदयपुर, नागणेची

माता बीकानेर, बृजनिधि चाँदनी चौक जयपुर, बिहारी जी भरतपुर एवं मथुरा, मथुराधीशजी, अलवर में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था सरकार और देवस्थान विभाग द्वारा की गई और अभी वर्तमान में चालू है। ऑनलाइन दर्शन घर बैठे कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग मन्दिर संस्कृति एवं प्रतिष्ठा को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग द्वार गोगाजी मन्दिर गोगामेडी कैलादेवी, झील का बाड़ा मन्दिर करौली, माता जी, मावलियान, जयपुर, ऋषभदेव मन्दिर, उदयपुर जैसे बड़े विभागीय मंदिरों में विशाल मेलों का आयोजन तथा प्रबंधन किया जाता है जिनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

'गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः'

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति की पवित्र परम्परा को संरक्षित रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर विभाग द्वारा गुरु पूर्णिमा दिनांक 21.07.2024 को राज्य एवं राज्य के बाहर के कुल 218 संत महात्मा, धर्म गुरूओं, उनके आश्रमों में जाकर, उनका सम्मान करने का कार्यक्रम हम लोगों नेकिया है। जिस पर 10 लाख 90 हजार की राशि व्यय हुई है।

श्री अध्यक्षः अलवर के भी गुरु है ना।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): अलवर के गुरु तो ये हैं ना टीकाराम जी। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल के कार्यकाल में मंदिरों के विकास में सरकार ने कोई विशेष रुचि नही दिखाई और देवस्थान विभाग को कोई तवज्जोह नहीं दी, पिछले पांच साल में। पिछली सरकार ने 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन एवं मरम्मत कार्यों हेतु 5.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी परन्तु सरकार की, राज्य के मंदिरों के प्रति उदासीनता के कारण 593 मंदिरों में से 217 मंदिरों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश में पेनोरमा निर्माण तथा महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के सरंक्षण, जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधा राशि 1.40 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी। उक्त घोषण के नोडल कार्यकारी एजेंसी पर्यटन विभाग होने से इस घोषणा की क्रियान्विती नहीं हुई है, पिछली सरकार की घोषणा है लेकिन क्रियान्विति नहीं हुई। विगत पांच वर्षो में विभाग में कुल 137 कार्य, 119.22करोड़ के स्वीकृत हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन स्वीकृत कार्यों में 38 कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए और 30 कार्य निरस्त हो गए जो सरकार की उदासीनता है। इन कार्यो पर मोनिटरिंग नहीं थी। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान सरकार द्वारा मंदिरों के विकास हेतु इस वर्ष बजट में जो घोषणा की गयी है, माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी मंदिरों के प्रति रुचि रखते हैं। मंदिरों में जाकर पहले आर्शिवाद लेते हैं और आर्शिवाद लेने के बाद दिनचर्या शुरू

करते हैं और सरकार का काम करते हैं। हमारी केन्द्र सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ जी को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नये उत्साह का सृजन किया है। इसी तर्ज पर माननीय भजनलाल जी ने खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है, बजट में घोषणा की है।

इसी तरह से राज्यों में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 के बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 23 मंदिरों एवं 3 जनजाति आस्था केन्द्रों के विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की है।

VPS-RTM-24.07.2024-21.10-4o

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि पिछली सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में गोविन्द देवजी सहित 14 मंदिरों के विकास हेतु घोषणा की थी, जिसे पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण वे घोषणाएं पूरी नहीं हुईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने इन 14 आस्था केन्द्रों व मंदिरों के साथ-साथ, 14 तो पहले वाले और अब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूंछरी का लौठा, डीग, श्री बड़े मथुरेशजी कोटा, त्रिनेत्र गणेशजी, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे बीस मंदिरों और आस्था केन्द्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपये की राशि से करवाये जाने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो घोषणाएं की गयी हैं, हमारी सरकार इनको पूरा करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान पर विश्वास करना इसलिए अच्छा है क्योंकि भगवान पर जब हम विश्वास रखते हैं तो हमसे नकारात्मकता स्वयं दूर हो जाती है। मन सकारात्मक भावों से भर जाता है क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और जो हमारे हित में होगा, वह ही करेंगे। हमारी सरकार सकारात्मक सोच रखते हुए भविष्य में भी मंदिरों के संरक्षण एवं संवर्धन के हेतु विकास कार्य करवाने हेतु कृत संकल्पित है।

हम सभी माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लालजी शर्मा के नेतृत्व में इन सभी देवी-देवताओं, साधु-महात्माओं, महापुरुषों के आशीर्वाद से राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का कार्य करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): भजन लालजी के नेतृत्व में करेंगे, यह भी यहां पर पढ़ना पड़ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम हमारे मुख्य मंत्रीजी में पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं। आपकी तरह नहीं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को, उप मुख्य मंत्री को किस भाषा से पुकारा गया था, आप याद करो। किस भाषा से पुकारा गया था आप याद करो। हम तो हमारे मुख्य मंत्रीजी को मान-सम्मान देते हैं। हम निकम्मा, नाकारा नहीं कहते हैं।

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): थोड़ी हंसी-मजाक भी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37- देवस्थान पारित की जाये।

श्री अध्यक्ष: अगली मांग। आपका यह हो गया? आपका दोनों का हो गया, पशुपालन भी? पशुपालन पर भी बोलिये।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): आप तो टेबल कर दो।

श्री अध्यक्ष: टेबल करवाओगे तो आप लोगों के भाषण भी आगे से टेबल ही होंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो पारित करवा लो। हमारी सहमति है।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 47 के क्रम में कुल 67 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके उत्तर माननीय सदस्यों को शीघ्र भिजवा दिये जायेंगे।

आज पशुपालन विभाग के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा पर 29 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। आप सबके सुझाव बहुत ही सकारात्मक एवं सराहनीय है। मैंने इन सुझावों को नोट कर लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के पशुपालन से सम्बन्धित जो भी इनके सुझाव आये हैं, उनका अमल करेंगे और उनको सुझावों को प्राथमिकता देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री राजेन्द्रजी पारीक ने एक सुझाव दिया था कि हमारी गौ-वंश है वह आवारा नहीं हो सकता और कई माननीय सदस्यों ने भी यह बात बतायी है कि गौ-वंश, जिस गौ को हम माता कहते हैं और नंदी जो शिवजी भगवान की सवारी है, उनको हम आवारा नहीं कह सकते तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि यह बोलचाल की भाषा में आवारा शब्द क्या पता कैसे यह छप गया और लगातार सब लोग आवारा-आवारा ही कहते हैं इसके लिए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह घोषणा करता हूं कि गौ-वंश को आवारा की जगह बेसहारा या निराश्रित है, यह सभी जगह पर लिखा जायेगा, यह मैं सदन में घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बाबूसिंहजी राठौड़ ने जैसलमेर जिले की गौ-शालाओं की जांच के लिए कहा तो जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी है। पशु मेले सात की जगह ज्यादा पशु मेले लगाने की बात इन्होंने कही है तो वह भी लगाएंगे और सभी जिलों में हम पशु मेले लगाने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी का यह दर्द था कि पिछली बार इनके क्षेत्र में बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत हुआ था और उसके लिए भूमि भी आवंटित हो गयी लेकिन वह किन्हीं राजनीतिक

कारणों से वहां से नाथद्वारा चला गया तो निश्चित रूप से यह, कहीं पर यदि कोई घोषणा हो जाती है और फिर उनको नहीं मिलता है तो यह अच्छी बात नहीं होती है तो मैं इनकी पहले वाली घोषणा को मैं यहां पर घोषणा करता हूं, वह पूरी करता हूं। दीप्ति जी के यहां पर बहूद्देशीय पशु चिकित्सालय हम खोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): खोलोगे या पुराना वापस ले जाओगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): नहीं, पुराना नहीं ले जायेंगे। वह तो दिया हुआ है, वहीं रखेंगे लेकिन नया है न। आपकी घोषणा थी, आपने वहां पर पूरी नहीं की, आप उसको नाथद्वारा लेकर चले गये लेकिन वह अधूरी घोषणा है न उसको मैं पूरा करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग। राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश का काफी बड़ा भाग मरुस्थलीय एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और पर्वती क्षेत्र भी है। राज्य में 70 प्रतिशत पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं। वर्ष 2019 की पशु गणना में राज्य में 5 करोड़ 66 लाख पशुधन तथा 1 करोड़ 46 लाख कुक्कुट सम्पदा है। देश में पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। पूरे देश में जो पशुधन है सबसे ज्यादा, अपने यहां का पूरे भारत में दूसरा नम्बर लगता है। वर्तमान में भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला पहला देश है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला पहला देश है। अन्य देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक पालतू पशु है। हमारे राज्य में ग्रामीण परिवार खासकर भूमिहीन, लघु सीमांत किसान पशुपालन को अपनी आय के पूरक स्रोत के रूप में अपनाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊन उत्पादन करने में जो हमें पशुओं से प्राप्त होती है, राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ में दूध उत्पादन में सभी तरह का दूध चाहे वह गाय का दूध हो, ऊँटनी का दूध हो या दूसरे अन्य पशुओं का दूध हो, सभी तरह के दूध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नम्बर पर है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत एवं ऊन उत्पादन का 46 प्रतिशत उत्पादन राज्य में होता है। राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में लगभग 13 प्रतिशत योगदान पशुपालन से है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद पशुपालन का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं से किसानों को खाद मिलती है, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्राकृतिक व जैविक खाद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि पशुओं से हमें दूध एवं इनसे निर्मित दही, घी, मक्खन, पनीर सहित इनसे निर्मित उत्पादों की प्राप्ति भी हमें होती है।

SSY/RTM/24.07.2024/21:20/4p

घोड़ा व ऊँट माल परिवहन के साथ पर्यटकों के भी उपयोगी सिद्ध होता है। रेगिस्तान में ऊँट सबसे उपयुक्त साधन है। पशुओं के मरने के बाद भी उनका चमड़ा, सींग और हड्डियां भी

हमारे लघु उद्योगों को बढ़ाने में व युवाओं को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भेड़-बकरियों की ऊन से कंबल, कालीन सहित कई उपयोगी सामग्री बनती है। पशुपालन देश व राज्य की आय के स्रोत बढ़ाने, किसानों, महिलाओं व युवाओं को रोजगार के अवसर देता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पशु पालक मजबूत हों, सुदृढ़ हों।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, थोड़ा जोर से बोलो। किसी को नींद आ रही हो तो उनकी नींद उड़ जाये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आज ऊंटनी का दूध पीकर आये हैं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो इसके लिए हमने हमेशा पशु पालकों के हितों पर जोर दिया है। आज राज्य का पशु पालक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा संपन्न और प्रसन्न है। सरकार की कल्याणकारी और विकास वाली नीतियों ने ही इस परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि भारत में गाय पालन पर नजर डालें तो हमारे देश में देशी गिर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, अंगूर तथा लाल सिंधी नस्लों की गायें पाई जाती हैं। कुछ विदेशी नस्लों की गाय भी कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अधिक दूध देने वाली इन विदेशी नस्लों में जर्सी और हॉलिस्टीन मुख्य हैं। गिर सहित कई गायों की नस्लों से प्रति दिन 30 से 40 लीटर दूध की प्राप्ति होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में पशुओं, पक्षियों, पेड़ों और नदियों को पूजने की परंपरा है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवता बसते हैं। गाय से हमें दूध, दही, घी मिलता है। गाय के गो मूत्र से गो अर्क बनता है। जिससे कई तरह की बीमारियां, चर्म रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ठीक होती है। गाय का चमड़ा भी उपयोगी है। गाय से प्राप्त होने वाली सारी चीजें हमारे जीवन में उपयोगी हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को माता का दर्जा दिया है। गो माता व नन्दी के संरक्षण, संवर्धन हेतु हमारी सरकार भी संवेदनशील है।

इस हेतु वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने भू पंजीयन पर गो सेस लगाकर योजना की शुरूआत की थी। वर्ष 2018 में निवर्तमान सरकार ने शराब पर 20 प्रतिशत गो सेस लगाकर निधि मद बनाया। उस निधि मद से वर्तमान में गो शालाओं में गो वंश को अनुदान दिया जा रहा है। जिससे उनके चारे, पानी की व्यवस्था हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि 1087.66 करोड़ का अनुदान दिया गया। साथ ही नन्दी व गो माता, दोनों हेतु जिला स्तर पर नन्दी शाला, पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शाला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल खोलने की योजना भी सरकार द्वारा संचालित है। जिसमें से वर्ष 2023-24 में 33 नन्दी शालाओं हेतु लगभग राशि रुपये 26 करोड़ आवंटित की गयी।

कई माननीय सदस्यों ने सदन में बताया कि गो माता और नन्दी, चाहे वह नगरपालिका

क्षेत्र हो, चाहे वह पंचायत क्षेत्र हो या रोड के ऊपर भी वह कई बार जैसे बेसहारा घूमते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी होता है। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता से वाकिफ हूं।

मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने यह योजना चला रखी है गो शालाएं खोलने की, आश्रय स्थल खोलने की, नन्दी शाला खोलने की, तो आप अपने-अपने क्षेत्र में सभी जगह प्रभावशाली हो, आपकी बात को सब लोग मानते भी हैं तो पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शालाएं ज्यादा से ज्यादा खुलवायें, गो शालाएं खुलायें। जिससे इन गो वंश का संरक्षण हो सके। उनकी सेवा हो सके। यह मेरा आग्रह है। रोड पर घूमने वाले जो गो वंश हैं, उनकी समस्या का समाधान भी हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण एवं विशेष योगदान है। पशु धन के प्रबंधन में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। कुल ग्रामीण महिला कामगारों में 88 प्रतिशत और कुल ग्रामीण पुरुष कामगारों में 1.8 प्रतिशत पशु धन उत्पादन में लगे हुए हैं। पशु धन उत्पादन में पुरुष श्रमिकों की तुलना में स्व नियोजित महिला श्रमिकों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। फसल उत्पादन में इनकी भूमिका के अलावा महिलाओं की कृषि आधारित सम्बन्धित गतिविधियों जैसे डेयरी पालन, पशु पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, बागवानी, फल संरक्षण आदि में लाभकारी भूमिका है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, धीरे बोलें।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): महिलाएं एक समुदाय और परिवार के निर्णायक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 90 प्रतिशत से अधिक पशु धन के मामले में पशुओं की देखभाल से सम्बन्धित कार्य महिलाएं करती हैं। डेयरी उत्पादन में कुल रोजगार में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। महिलाएं प्रत्येक जानवर के व्यवहार और उत्पादन विशेषताओं से अच्छी तरह वाकिफ होती हैं।

वर्तमान में आरसीडीएफ सरस डेयरी में दूध संकलन समितियों में महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। जिनकी संख्या 8824 है। इन समितियों में कुल 4 लाख से अधिक महिलाएं सदस्य डेयरी रोजगार से जुड़ी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में महिलाओं की पशुपालन में भूमिका को मद्देनजर रखते हुए पशु पालन विभाग में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु सखी स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। जो कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा सहयोगिनी की भांति पशुपालन विभाग की गतिविधियों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान का जहाज जिसको हम ऊँट कहते हैं। ऊँट के सम्बन्ध में बार-बार शिकायतें आती हैं कि ऊँट विलुप्त होता जा रहा है। उनके संरक्षण की

जरूरत है। ऊँट के संरक्षण के लिए हमारी तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2016 में एक ऊँट संरक्षण योजना शुरू की थी। तत्पश्चात गत सरकार ने 2018 में इसे बंद किया। फिर वर्ष 2022-23 में इसे पुनः शुरू किया। जिसमें राज्य में ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट पालकों को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये 2 किश्तों में, 2 माह की आयु के साथ-साथ एक वर्ष की आयु, प्रत्येक नवजात बछड़े के लिए प्रदान किये जा रहे हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ का व्यय कर 2120 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3 करोड़, अभी हमारी सरकार आने के बाद में सिर्फ 6 महीने में 3 करोड़ 78 लाख का व्यय कर 2556 पशु पालकों को वित्तीय सहायता दी। आपकी सरकार ने 5 साल में 2120 लोगों को सहायता दी। हमारी सरकार ने 6 महीने में 2556 लोगों को 3 करोड़ 78 लाख रुपये दिये हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में इस सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की बजट घोषणा की है। इससे राज्य में ऊँट प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में ऊंटों की घटती जनसंख्या में भी वृद्धि होगी तथा प्रदेश में पशुपालन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऊँट पालकों के दूध को खरीदने वाला राजस्थान में कोई केन्द्र नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सरस डेयरी के माध्यम से ऊँटनी के दूध के 200 एमएल के पाउच व घी बनाने का बीकानेर डेयरी में प्रोडेक्ट चालू किया है। जो अभी जारी है। उससे ऊँट पालको को बढ़ावा मिलेगा।

Spp/Rtm/24.07.2024/21.30/4q

हमारे पशुपालन विभाग की दो-तीन योजनाएं चल रही हैं, उस बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में यह योजना प्रारम्भ की गयी थी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी, सूकर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान कर लाभान्वित किया जाना है। योजना के तहत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। गत सरकार के कार्यकाल में इसमें केवल 3 परियोजनाओं के लिये 01 करोड़ 49 लाख की सब्सिडी स्वीकृत की गयी थी। पांच साल में तीन परियोजनाएं स्वीकृत हुई जिनमें 01 करोड़ 49 लाख की सब्सिडी दी, जबकि हमारी सरकार आने के बाद में हमने 6 महीने में ही 24 परियोजनाओं के लिये कुल 7 करोड़ 70 लाख की सब्सिडी जारी की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं में फैलने वाला रोग खुरपका-मुंहपका, इसके नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक एफ एम डी रोग 100 प्रतिशत उन्मूलन किये जाने के उद्देश्य से योजना संचालित है। योजना के तहत पशुओं को हमारी

सरकार के कार्यकाल में 6 माह में कुल 01 करोड़ 94 लाख गौवंश, भैंसवंश के पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम किया है। राजकीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में कुक्कुट पालन का व्यवसाय करने के लिये सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के कुक्कुट पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है। ..(व्यवधान).. सबके करेंगे, आप चिंता मत करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में चल रहा है। प्रदेश के पशुपालकों को में नई चेतना एवं आत्मविश्वास जागृत करने और नवीन तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर पशुपालकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गौ एवं भैंसवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किया जा रहा है। इस योजना में अब तक कुल 61 लाख 76 हजार गाय-भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, इस हेतु सरकार पशुपालकों के सम्मान का भी आयोजन करती है। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पशुपालकों के हितार्थ एक घोषणा की है। वर्ष 2024-25 में गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की है। इसमें प्रथम चरण में 5 लाख गौपालक परिवारों को एक लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिस पर 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे गौपालकों को पशुपालन के लिये सहायता एवं प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का क्रियान्वयन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष विराजमान हैं। इनके पांच साल की उपलब्धियां या विफलतायें बता दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट में घोषणा की गई थी कि जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा। जोधपुर, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का गृह जिला था, पाँच वर्ष के कार्यकाल में भी वे अपने जिले की बजट घोषणा को पूरा नही करवा सके। वहाँ आज भी शैक्षणिक कार्य प्रांरभ नही हुआ है। ...(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप जैसे लोग जोधपुर से आते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): साथ ही जोधपुर के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में नावां में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मलसीसर (झुंझुनूं), भरतपुर व कोटपूतली में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में लालसोट (दौसा), सीकर, बस्सी (जयपुर) व सिरोही

में नये वेटेरनरी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इन 9 घोषणाओं में से कोई भी नहीं खोला गया। ..(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जमीन अलॉट हो गयी, अब खोलोगे क्या आप? सीकर में वेटेरनरी कॉलेज खुल गया, उसके लिये जगह अलॉट हो गयी। आप पैसों की सैंक्शन दे रहे हैं क्या? ..(व्यवधनान)..

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): अभी तक कॉलेज नहीं खुला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: कोई भी बोलें तो अपनी सीट पर जाकर बोलें। दूसरी सीट पर बैठकर कोई नहीं बोलेगा। ..(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नये संस्थान या बड़े कॉलेज खुलते हैं ...(व्यवधान).. यह कोई बात है क्या?

श्री अध्यक्ष: विषय सम्बन्धी कोई बात करनी है तो कहें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, विषय सम्बन्धी ही बात है। ऐसे कोई भी बड़े संस्थान बनते हैं तो उसमें टाइम लगता है।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषणा की गई थी कि प्रदेश की गोशालाओं व पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर '102-मोबाइल वेटेरनरी सेवा' शुरू की जावेगी। जिसे प्रारंभ नही किया गया। जिसमें 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त हो रही थी। भारत सरकार की इस योजना को शुरू करने के लिये पिछली सरकार ने लम्बे समय तक लटकाकर रखा और योजना को शुरू नहीं किया। अभी, क्योंकि यह भारत सरकार की योजना थी, मोदीजी की योजना थी, पूरा पैसा भारत सरकार दे रही थी, इसलिये लटकाकर रखा। हमारी वर्तमान सरकार ने आते ही 3 माह में मोबाइल वेटेरनरी यूनिट की 536 गाड़ियों की शुरूआत की जिसमें कैम्प लगाकर इलाज कर रही है और शीघ्र ही कॉल सेंटर का टेंडर लगा हुआ है। कॉल सेंटर खुलते ही पशुपालकों के घर-घर जाकर इलाज करने की माननीय मोदीजी की मंशा है, वह इलाज करने का कार्य भी होगा।

अध्यक्ष महोदय पिछली सरकार ने घोषणाएँ तो खूब करीं परन्तु धरातल पर सुव्यवस्थित एक भी योजना को लागू नही किया गया जिससे जनता को लाभान्वित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 की कुछ घोषणाएँ सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जैसे-

(1) राज्य पशु 'ऊँट' के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने की घोषणा की गई थी, परन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार की नीति नही बनी।

(2) पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाते हुए रेगुलेटरी अथोरिटी का गठन करने की घोषणा की गई थी, परन्तु कोई अधिनियम नहीं

बनाया गया।

(3) जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लैब-3 (BSL-3) की स्थापना की जाने की घोषणा की गई, जो कि अभी तक नही बनाई गई।

(4) प्रदेश की दुधारू देशी नस्लों के गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटरनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी (ETT) प्रयोगशालायें स्थापित करने की घोषणा की गई थी, परन्तु एक भी स्थापित नही की गई। साथ ही संभागीय ..(व्यवधान).. संभाग मुख्यालय सहित जोजावर, मारवाड़ जंक्शन, पाली के पशुचिकित्सालयों में एम्ब्रियों ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी थी। परन्तु मारवाड़ जंक्शन में भी नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिये प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू पशु, गाय-भैंस का 40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गयी जिसके ऊपर 750 करोड़ का वार्षिक व्यय किया जाना था।

MLS/RTM/24.07.2024/21:40/5a

परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.10 करोड़ पशु पालकों का महंगाई राहत शिविरों में पशु बीमा के लिए पंजीकरण किया गया व 1066 पशुओं का यह बीमा किया गया। एक भी पशु पालक को इनके कार्यकाल में क्लेम नहीं मिला। ...(व्यवधान)... माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये आंकड़े हैं। आप देख लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद में 10 पशुओं के क्लेम की राशि हमने दिलवायी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर में कोई असंसदीय भाषा तो है नहीं।

श्री जोराराम कुमावत (पशु पालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सैक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के लिए बस्सी (जयपुर) में लैब स्थापित करने की घोषणा की गयी थी। अभी तक वह स्थापित नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: अपनी घोषणा भी कर दें।

श्री जोराराम कुमावत (पशु पालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु पालकों को एक-एक पशु के लिए सैक्स सॉर्टेड सीमन से 50 प्रतिशत 500 रुपये की सीमा तक अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु 25 लाख पशु पालकों में से केवल 5 हजार पशु पालकों को लाभ दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 600 नव सृजित पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं विकसित किये जाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु किसी भी नव स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थान में उपकरण व फर्नीचर नहीं लगे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनना तो पड़ेगा न, बात तो करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, औषधियों के बारे में बताना चाहूंगा, नि:शुल्क दवा वितरण योजना के बारे में सदन

को बताना चाहूंगा, इन्होंने वर्ष 2022-23 में नि:शुल्क दवाइयों हेतु राशि रुपये 80 करोड़ का प्रावधान किया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः क्या हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दोनों सुनें न। ...(व्यवधान)... आंकड़े तो पढ़ते हैं। बैठिये। माननीय, आप वरिष्ठ हैं। आप सबसे सीनियर हैं। ...(व्यवधान)... सुनें तो सही। सुनना तो पड़ेगा। मंत्री के जवाब को सुनना पड़ेगा।

श्री जोराराम कुमावत (पशु पालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में नि:शुल्क दवाइयों हेतु 80 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इन्होंने 80 करोड़ की दवाइयों वितरित कीं। सही को तो सही ही कहेंगे न। 80 करोड़ का प्रावधान किया था और 80 करोड़ की दवाइयां 2022-23 में वितरित कीं लम्पी के समय में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यदि आंकड़े गलत हों तो आप बताएं।

श्री जोराराम कुमावत (पशु पालन एवं डेयरी मंत्री): लेकिन वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट में 80 करोड़ से उतरकर सिर्फ 5 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया, जिसमें से भी मात्र 1.41 करोड की ही दवाइयां पूरे 1 वर्ष में क्रय की गईं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, विगत 35 सालों से मैं सदन में आ रहा हूं। मैंने यह देखा है कि मंत्री का जो भी वर्जन होता है, वह एक्सटैम्पोर होता है। पूरी किताब लेकर आप पढ़ने बैठ गये, क्या सदन का समय इसलिए है? एक्सटैम्पोर होता है। नहीं होता है ऐसा। हम केवल सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं भी मंत्री रहा हूं। मैंने भी अपनी बात एक्सटैम्पोर रखी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आंकड़े तो हमेशा देखकर ही बोले जाते हैं। बैठिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी नेता सोनिया गांधी जी इतने साल बाद आज भी लिखित भाषण पढ़ती हैं। उन्हें एक्सटैम्पोर भाषण देना नहीं आया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये माननीय। मंत्री जी बोल रहे हैं।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री जोराराम कुमावत (पशु पालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में नि:शुल्क दवाइयों हेतु इन्होंने 80 करोड़ का प्रावधान किया, 80 करोड़ की दवाइयां इन्होंने वितरित कीं, लेकिन वर्ष 2023-24 के बजट में इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ का प्रावधान किया और उसमें से 1 साल में सिर्फ 1 करोड़ 41 लाख की दवाइयां खरीदीं, जिससे पूरे साल पशु पालकों को दवाइयां नहीं मिलीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष के लिये कुल 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से कुल 31.88 करोड़ के क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं। वे दवाइयां हॉस्पिटलों में पहुंच रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी द्वारा वर्तमान में जो बजट घोषणाएं की गयी हैं, वे भी बताना चाहूंगा।

पशु पालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्य मंत्री जी ने पशु पालन विकास कोष का गठन किया है।

दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए सैक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75 (पचहत्तर) प्रतिशत करने की घोषणा की गयी है। इससे लगभग 2 लाख पशु पालक लाभान्वित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों का सृजन करने की भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य भी करवाये जाएंगे। 500 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाएंगे। 100 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को पॉलीक्लिनिक में क्रमोन्नत किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्य, जैसे भवन निर्माण/मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की गयी है। प्रदेश में पशु पालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्य मंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊंट) का बीमा किया जायेगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में पशु पालन विभाग द्वारा 7 जिलों में 10 मेले पूरे राजस्थान में लगाये जा रहे थे। पशु पालकों की मांग थी कि जहां मेले लगते हैं, वहां की दूरी 200-300 किलोमीटर होती है, हम वहां पशु लेने के लिए मेलों में जा नहीं पाते, मेलों में भाग नहीं ले पाते। अतः पूर्व में जो 7 जिलों में 10 मेले लगाये जा रहे थे, अब पशु पालकों की सुविधा के लिए हमारी सरकार चरणबद्ध रूप से समस्त जिलों में पशु मेले आयोजित करेगी। नवजात ऊंट के पालन-पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जायेगी। प्रदेश में उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जायेगा। हमारी सरकार ने डेयरी के माध्यम से ऊंटनी का दूध, घी, पनीर बनाने का नवाचार कर ऊंटपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का कार्य किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने कुल 2422 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले, जिसमें से 671 उप-केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी, जिसमें से मात्र 157 उप-केन्द्रों के ही भवन निर्माण राशि 130 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हुए। साथ ही, गत

सरकार ने 610 पशु चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत किया, जिसमें से 252 पशु चिकित्सालयों के ही भवन निर्माण करा पाये। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों द्वारा पदों की रिक्ति के बारे में बताया कि पशु पालन विभाग में डॉक्टरों के पद भी रिक्त हैं और कई दूसरे पद भी रिक्त हैं।

mkd/rtm/24.07.2024/21:50/5b

माननीय अध्यक्ष महोदय, 22.10.2019 को पशुपालन विभाग में 900 डॉक्टरों की विज्ञप्ति निकली थी। ये पांच वर्षों में भी 900 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं करा पाये। अब हमारी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का कानूनी तरीके से निस्तारण करवाया। अब हाईकोर्ट से भी कानूनी तरीके से निस्तारण करवाकर इन डॉक्टरों को नियुक्ति शीघ्र दी जायेगी। इनकी नियुक्ति के बाद डॉक्टरों के 619 पदों की नवीन भर्ती पक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रिक्त चल रहे पदों को भरने एवं युवाओं को रोजगार देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है।

इसी क्रम में पशु परिचर सीधी भर्ती के कुल 5934 पदों हेतु 12 जनवरी 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है, 17 फरवरी तक आवेदन मांगे गये थे। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा परीक्षा आयोजित करवाया जाकर जल्द ही यह भर्ती प्रक्रिया समय पर पूर्ण करवायेंगे। पशुधन सहायक की भर्ती भी आगामी वर्षों में करवायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प 140 करोड़ जनता के भरासे लिया है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान को विकसित राज्य बनाने व राजस्थान के किसान, महिला, युवा एवं गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। हमारे विभाग का निरन्तर प्रयास है कि प्रदेश की बहुमूल्य पशु सम्पदा की महत्ता को बनाये रखने, उनके विकास एवं पशुधन उत्पादन की अभिवृद्धि के साथ-साथ पशुपालक, कृषक तथा पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के उत्तम साधन उपलब्ध हो और वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश में पशुधन विकास के नये आयाम स्थापित करेगा। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव रखिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-47-पशुपालन एवं मत्स्य पारित की जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साहब, एक और है, मत्स्य विभाग भी है।

श्री अध्यक्ष: और है। इसमें तो नहीं है। यह तो एक ही है, ना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं

कि आपने जो घोषणाएं की हैं। पशु मित्र का मानदेय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः दोनों की डिमांड तो एक ही है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली जल की रानी है।

श्री अध्यक्षः चलो, शोर्ट में बोलना। पशुपालन और मत्स्य दोनों एक ही मांग है और राशि भी सम्मिलित ही है। पशुपालन और मत्स्य विभाग की राशि भी एक ही मांग में है और मांग संख्या भी एक ही है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं। यह बच्चों की एक बहुत लम्बी लॉरी है।

माननीय, अध्यक्ष महोदय, 13 कट मोशन प्राप्त हुए हैं। मैं सभी विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सलूम्बर, डीडवाना, हनुमानगढ़, मांडलगढ़, कोटा, बांदीकुई, आसपुर और किशनगढ़ से योजनाओं के लाभ के बारे में एड्रेस किया गया है। ठेकों के बारे में निःशुल्क टैंक निर्माण, नये जिलों में नये कार्यालय, नवीन पौंड निर्माण, अपने क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन करना, मत्स्य पालन प्रशिक्षण व्यवस्था, ये मैन-मैन कट मोशन में इश्युज उठाये गये थे। माननीय सदस्यों को उनका जवाब कल तक दे दिया जायेगा।

राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं उत्पादन हेतु लगभग 4 लाख 23 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। जिसको देखते हुए मछली पालन से अच्छी आमदनी और स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। मत्स्य सेक्टर द्वारा राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों में मत्स्य विकास के कार्य के अलावा मछली के रूप में प्रोटीन युक्त आहार तथा ग्रामीण वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मतलब, फिश के अन्दर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, हैल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। कृपलानी जी, आपके लिए तो मछली का ऑयल गोलियों में मिला देंगे। साहब, फिश ऑयल बहुत लाभदायक होता है। ग्रामीण वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः आप फटाफट पूरा करें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): साहब, तीन पेज ही हैं, जल्दी करता हूं और इसमें अक्षर भी मोटे हैं तो जल्दी हो जायेगा।

जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में दसवें स्थान पर है। यह बहुत बड़ा विभाग है। राज्य में लगभग 15 हजार 561 जलाशय उपलब्ध हैं। इनमें से सिंचाई विभाग के 2 हजार 299 जलाशयों का उपयोग मत्स्य पालन के लिये विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है:-

1. उत्तम किस्म के मत्स्य बीज का उत्पादन, संग्रहण एवं प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना संवर्द्धन।

2. मत्स्य उत्पादन में वृद्धि।

3. जलाशयों को मत्स्य उत्पादन के लिये पट्टे पर देकर राज्य सरकार के लिये राजस्व

अर्जित करना।

4. इच्छुक व्यक्तियों को मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षण देकर जल क्षेत्र आवंटन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

5. मत्स्य विकास के फलस्वरूप जनता को मछली के रूप में सस्ता प्रोटीनयुक्त आहार उपलब्ध कराना। एक पन्ना हो गया है।

मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन एवं संग्रहण- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के जलाशयों से 54 हजार 166.35 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन एवं 404.64 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन/संग्रहण हुआ है।

राजस्व- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्याखेट ठेकों से 47 करोड़ 18 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग के अधीन 'क' श्रेणी के 221 एवं अन्य श्रेणी के 61 जलाशयों सहित कुल 282 जलाशय को मत्स्याखेट हेतु लीज पर दिया जाता है।

वर्तमान में 'क' श्रेणी के कुल 137 जलाशय एवं अन्य श्रेणी के कुल 47 जलाशय लीज पर चल रहे हैं। शेष 98 जलाशय ("क" श्रेणी के 84 एवं अन्य श्रेणी के 14) को लीज पर देने हेतु ई-नीलामी प्रक्रियाधीन है। उक्त श्रेणियों के जलाशयों का ठेका संबंधित पंचायत राज संस्थाओं द्वारा कराया जाता है।

मत्स्य प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना अनुसार राशि रुपए 31 लाख के प्रस्ताव को भारत सरकार व राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना-भारत सरकार के आत्म निर्भर पैकेज में मत्स्य विकास हेतु नवीन प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत विभाग द्वारा रुपये 495 करोड़ 73 लाख की पंचवर्षीय राज्य कार्य योजना वर्ष 2020-25 तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

राज्य के समस्त जिलों में मत्स्य पालन के विकास हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत राजकीय, निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन, नवीन पोण्ड निर्माण, खारा पानी झींगा निर्माण, बॉयोफ्लाक, Recirculatory Aquaculture System (आर.ए.एस.) केज कल्चर, मत्स्य/झींगा बीज हैचरी निर्माण, मत्स्य प्रसंस्कण आदि के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार एवं विज्ञप्ति जारी कर आमंत्रित किये जाते हैं। योजना के तहत इच्छुक व्यक्तियों से मत्स्य पालन के प्राप्त प्रस्तावों को योजना की गाइडलाइन अनुसार जांच कर नियमानुसार अनुदान स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत गाइडलाइन अनुसार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को निर्धारित लागत का 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति व महिला वर्ग को निर्धारित लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय है।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति उनकी एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Bhs/Rtm/24.7.24/22.00/5c

इसमें आपके ट्राइबल एरियाज को और एससी/एसटी को और महिलाओं को बहुत लाभ है। लास्ट पेज।

विभाग में मत्स्य क्षेत्र के विकास, संवर्द्धन एवं रोजगार हेतु वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग द्वारा मत्स्य पालन पोण्ड निर्माण हेतु 16.17 हेक्टेयर की 18 मत्स्य कृषकों को एवं खारा पानी झींगा पालन पोण्ड निर्माण हेतु 17 हेक्टयर की 16 मत्स्य कृषकों को स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं।

रिक्त पदों को भरने की प्रगति - विभाग में कुल 459 पद सृजित है, जिसमें में से 169 पद भरे हुए एवं 290 पद रिक्त है। हाल ही में विभाग में राज्य सेवा के मत्स्य विकास अधिकारी के 05 पदों एवं अधीनस्थ सेवा के सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के 09 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। विभाग में अधीनस्थ सेवा के भर्ती योग्य 178 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने, विदेश में यह बहुत होता है कि एक गोल टाइप जार आप रख लो छोटा सा, उसमें पानी रख कर और आप मछली रखो, एक-दो मछलियां रखो, वहां पर क्या करते हैं कि अपनी डेस्क पर जहां वर्किंग करते हैं, थोड़ा-थोड़ा दाना देना पड़ता है उसमें अन्दर कुछ भी पौधे लगा देते हैं जिसमें मछली घूम सके। वो कहते हैं कि यह बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है। आप काम कर रहे हो और मछलियों को तैरते देखते हो यह एक्चुअली क्या है कि एक साइकेट्रिक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है तो लाल-पीले रंग की दो-तीन मछलियां रखें, सब जितने भी विधायक हैं, आपका आउटपुट बढ़ेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह राजा-महाराजाओं का काम है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगाराम जी समझते हैं कि हम वो डिस्प्लेइंग की बजाय उनको उठा कर खा जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मत्स्य विभाग की मांग पारित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: मांग तो ये ही रखेंगे। दोनों की मांग ये ही रखेंगे।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): बोल दिया, साहब।

श्री अध्यक्ष: पारित करवाने के लिए तो कहोगे आप।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): पारित करने के लिए बोल दिया।

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,98,53,19,000/- (तेरह अरब अठानवे करोड़ तिरेपन लाख

उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37 - देवस्थान का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 - देवस्थान के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,22,81,000/- (पचासी करोड़ बाईस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,58,15,40,000/- (पंद्रह अरब अठावन करोड़ पंद्रह लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.05 बजे गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

1. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक दवाईयों की उपलब्धता एवं ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों का पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं.175)

2. आयुर्वेद अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

3. प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाईयां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं.10)

4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय केजड़ में रिक्त पदों की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में संचालित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय, सलूम्बर में होम्योपैथी चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय भवनों की स्थिति की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

9. विधान सभा क्षेत्र छीपाबड़ौद में आयुर्वेद डिस्पेन्सरी का भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय सेखाला में जिला आयुष चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
11. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन विहीन आयुर्वेद चिकित्सालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. प्रदेश में होम्योपेथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के आयुर्वेद अस्पताल को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को ग्रामीण क्षेत्रों तक आमजन के लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम से पहुँचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा को आमजन तक पहुँचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भूका भगत सिंह (सिणधरी), सिणरे (सिवाना), भलरोका वाड़ा (समदड़ी), तेलवाड़ा (सिवाना) एवं धनवा (सिणधरी) में नवीन आयुर्वेद डिस्पेन्सरी खोले जाने आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. बालोतरा जिला मुख्यालय एवं उप-जिला अस्पताल सिवाना में होम्योपेथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)</u>

19. उदयपुर ग्रामीण एरिया में नवीन आयुर्वेद एवं होम्योपैथी अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

20. प्रदेश में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी के चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।
21. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
22. प्रदेश में आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक दवाईयों को सस्ती दरों पर बाजार में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

23. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आयुर्वेद औषधालय जो जर्जर हालात में है, उनके नये भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आयुर्वेद औषधालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधालय/चिकित्सालय को जिला औषधालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

27. विधान सभा क्षेत्र भीम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

28. प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)

29. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के आयुर्वेद भवन पिनान (तहसील-रैणी) के जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)

30. प्रदेश में आयुर्वेद पद्धति के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)

31. प्रदेश में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

32. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड कार्यालय मेड़ता पर जिला स्तरीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खुलाने के संबंध में।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

33. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के आयुर्वेद चिकित्सालयों में दवाईयां उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सकों/नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

35. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा द्वारा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

36. विधान सभा क्षेत्र डग में आयुर्वेद हॉस्पिटल ग्राम पंचायत स्तर पर खोले जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने व आयुर्वेद हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

37. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आयुर्वेद हॉस्पिटल की बाउंड्रीवॉल बनाने व स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (वि.सं.47)</u>

38. प्रदेश के किसानों को आयुर्वेदिक पौधों के लिए अधिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

39. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित आयुर्वेद होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा के समस्त औषधालयों एवं चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं परिचारिकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
40. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय, चौहटन को ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए।
41. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा के नवीन औषधालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

42. प्रदेश में आयुर्वेद व होम्योपैथी की तर्ज पर यूनानी चिकित्सकों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

43. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कुलदीप (वि.सं.33)</u>

44. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में आयुर्वेद व होम्योपैथी चिकित्सालयों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजय कुमार (वि.सं.169)</u>

45. बी.एस.सी. नर्सिंग आयुर्वेद डिग्रीधारी को आयुष नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

46. प्रदेश में वर्ष 2015 में नियुक्त ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. प्रदेश में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के आयुष कम्पाउण्डर एवं वैद्यों के पद बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. बालोतरा जिले में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी विभाग के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने एवं पर्याप्त मात्रा में औषधियां न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नये आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों को ग्रामीण क्षेत्र में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप बालोतरा में यूनानी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

51. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिधमुख तहसील मुख्यालय पर आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने एवं सौंख आयुर्वेदिक औषधालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)

52. कोटा के न्यू मेडीकल कॉलेज चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. कोटा में होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)

54. तहसील सुजानगढ़ व बीदासर में आयुर्वेद चिकित्सालयों पर रिक्त पदों के कारण मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

55. विधान सभा क्षेत्र नोहर के आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी औषधालयों में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांव टोपरिया में राजकीय यूनानी औषधालय भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांव बिडाबिराना में नवीन राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

58. मकराना शहर में यूनानी चिकित्सालय का भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

59. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नवीन आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में आयुर्वेद चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के आयुर्वेद चिकित्सालयों में ईलाज किए जाने हेतु उपलब्ध साधनों-प्रसाधनों के संबंध में चर्चा के लिए।
63. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक व यूनानी चिकित्सा से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

64. भादरा कस्बे में यूनानी चिकित्सालय "अ" श्रेणी को क्रमोन्नत कर यूनानी मेडीकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
65. विधान सभा क्षेत्र भादरा के आयुर्वेद औषधालयों के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण एवं नवीनीकरण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
66. भादरा में होम्योपेथिक चिकित्सालय "अ" श्रेणी स्वीकृत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
67. राजकीय यूनानी चिकित्सालय भादरा में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
68. हनुमानगढ़ जिले में होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सालयों को और अधिक संख्या में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)

69. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल शर्मा (वि.सं.45)

70. विधान सभा क्षेत्र सिविल लाईन्स, जयपुर में आयुर्वेदिक औषधालय, यूनानी डिस्पेन्सरी एवं होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (वि.सं.20)

71. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नवीन आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
72. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सालयों में आवश्यक/मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
73. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आवश्यक स्टाफ पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
74. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक भवनों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)

75. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक/यूनानी चिकित्सा से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ भर्ती किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

80. राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधियों एवं विभिन्न स्व:रस यथा ऑवला, नीम गिलोय, एलोवेरा आदि के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र खानुपर के राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, बकानी के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों को बजट 2021-22 की घोषणा के अनुरूप हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. राजस्थान में आयुष चिकित्सकों के परीवीक्षा काल (ट्रेनिंग पीरियड) को ऐलोपेथी मेडीकल ऑफीसर्स के समान दो वर्ष से एक वर्ष किया जाकर ऐलोपेथी और आयुष चिकित्सकों में भेदभाव को समाप्त किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

84. जिला मुख्यालय शाहपुरा में यूनानी चिकित्सालय के लिए भवन उपलब्ध नहीं होने से नवीन भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा शाहपुरा के सभी आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के जिला राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवन की छत जर्जर होने से नवीन भवन या मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के औषधालयों के भवनों की मरम्मत व जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सभी औषधालयों में औषधियों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>

89. जैसलमेर जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. जैसलमेर जिले में होम्योपैथिक चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
91. जैसलमेर जिले के रामगढ़ में नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)</u>

92. प्रदेश में आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शान्ती धारीवाल (वि.सं.161)</u>

93. प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर शोध की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
94. प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
95. आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को दूर किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

96. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के रानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिफ्ट होने से खाली भवन में आयुर्वेद औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
97. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम काल्याखेड़ी, मांदलिया, मण्डाना, मानसगांव, चन्द्रसेल एवं रंगपुर में नए आयुर्वेद औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
98. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के आयुर्वेद औषधालय में संवर्गवार रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
99. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में आँचल प्रसूता केन्द्र संचालित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
100. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के डी.सी.एम. इलाके में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर विकसित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

101. सूरतगढ़ में होम्योपैथी चिकित्सालय में स्टाफ व सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में।
102. सूरतगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सालय के भवन, स्टाफ व सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
103. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजियासर एवं ढाबा में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने एवं समस्त आयुर्वेद औषधालयों में स्टाफ, औषधियां व सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
104. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए यूनानी चिकित्सा के सब-सेण्टर खोलने व सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

105. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के महावीर नगर या आर.के.पुरम क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)</u>

106. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम-रामपुरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द, तहसील किशनगढ़-रेनवाल में नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

107. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के राजकीय आयुर्वेद औषधालय सुभाष नगर (गायत्री नगर) और बापू नगर के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत के संबंध में।

108. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के राजकीय आयुर्वेद औषधालय पुर और सांगानेर के लिए नवीन भवनों हेतु भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)</u>

109. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नवीन औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित सभी औषधालयों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

112. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के उपखण्ड मुख्यालय निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में योग केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुर्वेदिक चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के उपखण्ड मुख्यालय निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)</u>

115. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित आयुर्वेदिक औषधालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ब्लॉक स्तर पर आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेद औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, बांदीकुई को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

120. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में आयुर्वेदिक औषधालयों को क्रमोन्नत करने एवं इन केन्द्रों पर पर्याप्त सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर के भवन निर्माण एवं भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. राजसमन्द के राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय के विस्तार के लिए आयुर्वेद विभाग के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम केलवा, कुंवारिया, गिलुण्ड एवं पछमता में होम्योपैथिक औषधालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. राजसमन्द के राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं शय्याओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

125. प्रदेश के भवन विहीन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. अजमेर दक्षिण स्थित जौ-सगंज के राजकीय होम्यापैथिक अस्पताल भवन के अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो जाने के चलते भवन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्याप्त राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. अजमेर संभाग मुख्यालय पर होम्योपैथिक का एक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)

128. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के दोवड़ा, आसपुर एवं साबला के आयुर्वेद चिकित्सालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

129. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत मुख्यालय बोरीमादा जो मघरा क्षेत्र में है, पर आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

130. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में समरानिया व भंवरगढ़ में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के किशनगंज उपखण्ड पर स्थित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

132. प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का पृथक निदेशालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. जयपुर शहर के अधिकांश आयुर्वेद चिकित्सालय किराए के भवनों में चलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

134. सरकारी नीति के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेदिक चिकित्सक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

135. पीलीबंगा एवं रावतसर में होम्योपैथी औषधालय का पृथक (चिकित्सालय भवन) स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. राजस्थान की प्रत्येक पी.एच.सी. पर होम्योपैथी डॉक्टर की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. पीलीबंगा व रावतसर ब्लॉक में आयुर्वेद चिकित्सालय एवं योगा क्लास रूम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

138. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना करने तथा रिक्त पड़े समस्त पदों पर कार्मिकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ब्लॉक स्तर पर आयुष चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी अरावली की पहाड़ियों के मध्य में स्थित होने से बहुत अधिक तादाद में देसी/आयुर्वेद वनोषधियों की उपज एवं संरक्षण के लिए वनोषधि उद्यान की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ब्लॉक स्तर पर स्थापित/संचालित आयुर्वेदिक औषधालय का भवन अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण होने से नए भवन का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. प्रदेश में आयुर्वेद विभाग को अन्य विभागों की तर्ज पर नि:शुल्क दवा योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कंवरलाल (वि.सं.26)

143. प्रदेश में आयुष नर्सेज को मेडिकल नर्सेज के समान ग्रेड-पे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा को R.G.H.S. की तरह चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में I.P.D. तथा O.P.D. में निःशुल्क करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)</u>

145. प्रदेश में आयुर्वेद नर्सेज की वेतन विसंगति दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

146. प्रदेश में आयुर्वेद नर्सिंग केडर में पदौन्नति हेतु आयुर्वेद विभाग में नर्सेज पदों के अनुपात में नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2 के 11 प्रतिशत अर्थात 523 पद और नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-1 के 3 प्रतिशत अर्थात 143 पद किए जाने एवं उप निदेशक नर्सिंग का पद सृजित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा में आयुर्वेद का ब्लॉक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

148. प्रदेश में आयुष नर्सेज का पदनाम भी मेडिकल के समान आयुष नर्सिंग ऑफीसर I, एवं II रखे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

149. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में नए आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

150. प्रदेश में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में नए आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)</u>

152. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में संगीत, योग, गंध एवं रंग आधारित प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के मानव मन पर प्रभावों और इससे रोगोपचार क्षमता के विषय पर विधिवत शोध कर परिणामों के चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ाने और लोक प्रचलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. असाध्य मनोकायिक रोग यथा मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा व कैंसर आदि के उपचार में आयुर्वेद पद्धति की सफलता को केस स्टडी के आधार पर सिद्ध कर चिकित्सा जगत में प्रामाणिकता से प्रतिष्ठित करने के लिए ठोस समयबद्ध कार्ययोजना से शोधपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के नवीन औषधालय और चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में आयुष मिशन के अन्तर्गत समेकित आयुष चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में गौ आधारित मानव देह के असाध्य रोगों की चिकित्सा पर ठोस प्रमाणित शोधपूर्वक कार्य कर प्राप्त परिणामों को समाज में प्रतिष्ठित करने की कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

157. प्रदेश में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति के केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. भरतपुर में होम्योपैथी महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में आयुष चिकित्सा के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों पर दवाईयों की आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. भरतपुर में हिजामा थैरेपी सेण्टर के लिए भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)

162. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलकर शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

163. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण के बाबा भगवानदास राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय शाहपुरा को जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण के राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मनोहरपुरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत राड़ावास में नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत अमरसर में नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन कागजी (वि.सं.09)

167. प्रदेश में यूनानी चिकित्सकों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में स्थित लक्ष्मीनारायणपुरी अस्पताल में चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

169. अटरू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)</u>

170. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों व सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

171. जिला कोटपूतली बहरोड़ में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 37 - देवस्थान पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 - **देवस्थान विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)

1. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में मागरजी महाराज की पहाड़ियों को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने, नीलकण्ठ महादेव, हगेरावाली माता कोटड़ी किशनपुरा का विकास करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं. 175)

2. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के देवस्थानों तक पहुंच हेतु सड़कें बनवाने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

3. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के चामुण्डा माता मन्दिर बलुआ, टीकमजी मन्दिर, पाल सराड़ा, तर्नेश्वर महादेव मन्दिर परसाद व अन्य प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश के प्राचीन मन्दिरों की जीर्णोद्धार, रख-रखाव व यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा उक्त स्थलों को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. सलूम्बर जिले की प्रसिद्ध झील जयसमन्द पाल पर प्राचीन शिव मन्दिर नर्बदेश्वर महादेव मन्दिर पर स्थाई पुजारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में देवस्थान विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ाने एवं दर्शन के लिए जाने वाले पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)

8. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों व मन्दिरों का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं. 101)

9. जोधपुर जिले में प्रमुख मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)

10. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन आदिवासियों के पूजनीय स्थलों पर कुल देवी-देवताओं के मन्दिरों/स्थानों के जीर्णोद्धार हेतु पृथक से बजट आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

11. प्रदेश में देवस्थान विभाग की सम्पत्ति की सुरक्षा, संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. नवीन जिलों में देवस्थान विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. बाड़मेर एवं बालोतरा जिलों में देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिर-मठ आदि में अनुदान देने एवं भविष्य में मुख्य मन्दिरों को विभाग के अधीन लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. प्रदेश में डोली, मन्दिर, मठ आदि के पुजारी, मठाधीश, महन्त एवं पण्डित आदि के नाम दर्ज काश्तकारी भूमि के संबंध में चर्चा के लिए।

15. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिर पुजारियों के मासिक वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)</u>

16. प्रदेश में विभाग के पुजारियों की भर्ती एवं राजा आदेश के अनुसार मन्दिर माफी भूमि के पुजारियों का नाम अंकित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

17. प्रदेश में जर्जर हो चुके मन्दिरों का पुनरुद्धार एवं विभिन्न मन्दिरों के विकास हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विभाग के मन्दिरों को पूजा अर्चना, प्रसाद वितरण एवं साफ-सफाई हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)</u>

19. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम दहमी स्थित माता मंशा देवी मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. अलवर जिले में महाराजा भृतहरि तपोभूमि भृतहरि-धाम का सौंदर्यकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में निर्जरा-धाम ग्राम शिवदानसिंहपुरा का सौंदर्यकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव दुघेड़ा में झरने वाले बाबा मन्दिर का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गांव जैतपुर में बाबा श्याम मन्दिर का सौन्दर्यकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

24. देवस्थान विभाग के माध्यम से पुराने मन्दिरों एवं धरोहरों को सुरक्षित रखने हेतु पृथक से बजट आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)

25. प्रदेश में देवस्थान विभाग में लम्बित चल रहे कोर्ट केसों की वर्तमान प्रास्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

26. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जावर माता मन्दिर में अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)

27. प्रदेश के देवालयों के रख-रखाव तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं. 131)

28. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में देवस्थान के अधीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

29. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में देवस्थान विभाग के मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

30. खाटूश्याम मन्दिर के लिए घोषित कोरिडोर को सालासर मन्दिर, नागौरिया मन्दिर, झालरिया मन्दिर एवं पाढ़ाय माता मन्दिर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के प्राचीन काल के मन्दिर नागौरिया मन्दिर, झालरिया मन्दिर एवं पाढ़ाय माता मन्दिर का जीर्णोद्धार व विकास कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)

32. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में देवस्थान विभाग के अधीन जीर्ण-शीर्ण मन्दिरों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)

33. बयाना के कृष्णकालीन ऊषा मन्दिर तथा रूपवास के दाऊजी मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

34. प्रदेश में देवस्थान कामखेड़ा महादेव मन्दिर का कायाकल्प एवं जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)

35. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पंजीकृत देवी-देवताओं के मन्दिरों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण एवं सौंदर्यकरण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महाभारतकालीन अति प्राचीन कस्बे चौहटन में 30-31 दिसम्बर को भरे जाने वाले मारवाड़ के अर्धकुम्भ "सुईयां मेला" के सफल आयोजन एवं कार्य प्रणाली की समुचित व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में स्थित कपालेश्वर महादेव मन्दिर, सुईयां धाम (मारवाड़ का अर्धकुम्भ), हरपालेश्वर महादेव मन्दिर, जसनाथजी का धाम, वैरमाता मन्दिर, वीरात्रामाता मन्दिर आदि प्रमुख स्थलों को तीर्थ-स्थल धार्मिक क्षेत्र घोषित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोरधन (वि.सं. 47)</u>

38. प्रदेश के देवस्थान विभाग द्वारा प्राचीन व आस्था के प्रतीक मन्दिरों जो जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, को चिन्हित कर जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं. 123)</u>

39. जयपुर शहर में घाट की गुणी क्षेत्र में देवस्थान भूमि पर हो रहे कब्जों एवं मन्दिरमाफी की भूमि का बेचान किया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)</u>

40. प्रदेश में देवस्थान विभाग में पंजीकृत रजिस्टर्ड मन्दिरों के ट्रस्टों में पुजारी को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों के पुजारियों की नई भर्ती करने एवं कार्यरत पुजारियों के वेतन-भत्तों की बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश में देवस्थान के अधीन पंजीकृत मन्दिरों के पुजारियों को गैर कानूनी रूप से मन्दिर एवं मन्दिर से जुड़ी भूमि से भूमाफियों के द्वारा बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नाकोड़ा जी, राणी भटियाणी जी का मन्दिर, खेड़ रणछोड़राम मन्दिर, सांयरा आशापुरा मां मन्दिर पचपदरा, नगणेजी माता मन्दिर नागाणा, बिठुजा बाबा रामदेव मन्दिर, ब्रह्म देव आसोतरा मन्दिर आदि का एक पैनोरमा के तहत विकास करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

44. देवस्थान विभाग द्वारा संचालित देवस्थान मन्दिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>

45. प्रदेश के फतेहपुर व रामगढ़ शहर के देवस्थान विभाग के अधीन प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं. 36)</u>

46. विधान सभा क्षेत्र बगरू की नगर पालिका बगरू स्थित श्री जुगल दरबार मन्दिर में विकास कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायत गोनेर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी जगदीश मन्दिर में विकास कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)**</u>

48. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एन.एच.-12 के निर्माण के समय विभिन्न मन्दिरों एवं डोली की भूमि पर मिले मुआवजे को उस मन्दिर की ट्रस्ट एवं डोली के पुजारी के खाते में वापस जमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)**</u>

49. देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों में पुजारियों की नियुक्ति एवं मानदेय बढ़ाने तथा मापदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश के गोगाजी मन्दिर गोगामेड़ी तहसील नोहर में 03 वर्षों के दौरान आय-व्ययक की समीक्षा एवं यात्रियों की सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र नोहर में देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले विभिन्न मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. प्रदेश के पुजारियों को डोली भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 13.12.1991 को निरस्त कर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)**</u>

53. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के आई माता मन्दिर, बाणगंगा शिव मन्दिर, खेजड़ला स्थित भैंसाद माता मन्दिर, गढ़सूरिया/पड़ासला माताजी का कला मन्दिर, बिरामी माताजी का मन्दिर, डींगड़ी माताजी का मन्दिर एवं बिलाड़ा हर्षादेवल मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)**</u>

54. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में स्थित देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाले मन्दिरों के संबंध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में देवस्थान विभाग की उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में देवस्थान के मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में देवस्थान मन्दिरों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में देवस्थानों पर लगने वाले मेलों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)

59. हनुमानगढ़ जिले के लोक देवता गोगाजी के पवित्र धाम गोगामेड़ी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. गोगामेड़ी मेले से देवस्थान विभाग को चढ़ावा के रूप में एवं अन्य स्रोतों से होने वाली आय को लोकदेवता गोगाजी के पवित्र धाम गोगामेड़ी (जिला हनुमानगढ़) की व्यवस्था सुधारने में खर्च किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. जिला हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी मेले के दौरान टोल-टैक्स एवं अन्य सुविधाओं के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को रोके जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. लोक देवता गोगाजी के पवित्र धाम गोगामेड़ी (जिला हनुमानगढ़) में आने वाले श्रृद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. गोगाजी के पवित्र धाम गोगामेड़ी (जिला हनुमानगढ़) में सफाई व्यवस्था एवं अव्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

64. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी से वल्डीया महादेव मन्दिर तक डामरीकरण करवाये जाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल शर्मा (वि.सं. 45)

65. देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों में करवाये जाने वाले कार्यों एवं मन्दिरों की वर्तमान स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)

66. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के प्रसिद्ध चलाणियां भैंरूनाथ मन्दिर के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)

67. जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध व पुराने मुराद शिव मन्दिर (कुम्हार कोठा गांव) का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. जैसलमेर जिले के शक्तिपीठ तेम्डेराय मन्दिर से पोलजी की डेयरी तक सड़क को चौड़ा करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. जैसलमेर जिले में देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों के पुजारियों को आजिविका के लिये नियमानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं. 66)

70. प्रदेश के देवस्थान विभाग के मन्दिरों के रास्ते एवं आसपास जमीन से अतिक्रमण हटाये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन पुजारियों को देय वेतन के संबंध में चर्चा के लिये।

72. प्रदेश के देवस्थान विभाग के मन्दिरों में भगवान के भोग के खर्चे हेतु राशि बढ़ोत्तरी पर चर्चा के लिये।

73. प्रदेश के मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री शान्ती धारीवाल (वि.सं. 161)</u>

74. देवस्थान विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जें और मन्दिरों के फर्जी पट्टों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

75. देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था में सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)</u>

76. प्रदेश के देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों पर कार्यरत पुजारियों/सेवादारों का मानदेय एवं भोग राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. कोटा जिले में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित मन्दिरों के बहुमूल्य जेवरात एवं अन्य वस्तुओं का समयबद्ध मूल्यांकन एवं सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देवस्थान विभाग में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत अपंजीकृत मन्दिरों के अधीन माफी/कृषि भूमि पर अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों को चिन्हित किये जाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. कोटा जिले के डाढ़ देवी मन्दिर का सौन्दर्यकरण, मूलभूत सुविधायें, चार दिवारी एवं बाव़डियों का जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)</u>

80. सूरतगढ में बाबा रामदेव मन्दिर, श्री करणी माता मन्दिर एवं गुरूद्वारा सिंह सभा आदि धार्मिक स्थानों की भूमि को आरक्षित कर धार्मिक संस्थाओं के नाम पट्टा जारी करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में देव स्थानों पर लगने वाले मेलों में सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई व यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में श्री देदाजी जुझार मन्दिर सूरधना (बीकानेर) में सुरक्षा व्यवस्था एवं सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)</u>

83. सहायक देवस्थान आयुक्त, जोधपुर में रजिस्टर्ड राजस्थान जल प्रन्यास अधिनियम के तहत पाली जल प्रदूषण नियन्त्रण परिशोधन अनुसंधान फाउन्डेशन राजस्थान जल प्रन्यास अधिनियम में व्याप्त गबन और भ्रष्टाचार पर रोक हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं. 172)</u>

84. कोटा स्थित सूर्य मन्दिर का विकास करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (वि.सं. 60)</u>

85. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाबू महाराज के मन्दिर को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)</u>

86. वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले से गत 5 वर्षों में चयनित तीर्थ यात्रियों के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)</u>

87. देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों, मठों व धार्मिक स्थलों को दी जाने वाली शास्वत वार्षिक राशि में वृद्धि करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)</u>

88. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित तिलस्वां मन्दिर ट्रस्ट को भंग कर चुनाव करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री सिंगोल श्याम चारभुजानाथ मन्दिर को देवस्थान विभाग के अधिग्रहण से मुक्त कर सांवलियाजी मन्दिर ट्रस्ट की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं. 172)</u>

90. कोटा में देवस्थान विभाग के नीलकंठ महादेव मन्दिर रेतवाली कोटा में मन्दिर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)</u>

91. प्रदेश के मन्दिरों के समीप धार्मिक आयोजनों के लिए सभागारों, विश्राम स्थलों और सामुदायिक भवनों के निर्माण की नीति बनाने एवं उस प्रयोजन हेतु विधायक विकास निधि का उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. राजकीय नियन्त्रण वाले सभी मन्दिरों के प्रबन्धन में सरकारी अधिकारियों की भूमिका समाप्त करने और प्रबन्धन भक्तों को देने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. राजकीय नियन्त्रण वाले सभी मन्दिरों में पूर्णकालिक पुजारी की नियुक्ति एवं पुजारियों के मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राजकीय नियन्त्रण वाले मन्दिरों को दर्शन के लिये निर्धारित समय में खुला रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. राजकीय स्वामित्व एवं नियन्त्रण वाले मन्दिरों की समस्त आय केवल हिन्दू धर्म कार्यों एवं धर्म के प्रचार-प्रसार पर व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं. 115)

96. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
97. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देवस्थानों पर लगने वाले मेलों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
98. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पुरानी तहसील के समीप स्थित मन्दिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
99. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित देव मन्दिरों की सुरक्षा हेतु विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिये।
100. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रसिद्ध दांत माता मन्दिर व बांकी माता मन्दिर में पहाड़ी पर जाने के लिए रोप-वे लगाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)

101. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में आदिवासी महाकुम्भ बेणेश्वर धाम में सांस्कृतिक एवं कला केन्द्र/जनजाति संग्रहालय/सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु आदिवासी प्रेरणास्थल आदुदरा प्रकृति पूजा स्थल/सामुदायिक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

102. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत फुलाद में परबतसिंह जी की धूणी हेतु पुनः पर्याप्त राशि की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
103. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत फुलाद के देवस्थान काजलवास के लिए पर्याप्त राशि की स्वीकृति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
104. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बारीमाद में वायड के भैंरू मन्दिर हेतु पुनः पर्याप्त राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
105. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत झुझार्डी में कोटड़ा माता मन्दिर के रख-रखाव के लिये पर्याप्त राशि की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
106. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पाचेरिया के महादेव मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

107. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के नाहरगढ़ उपखण्ड के पास स्थित कपिल धारा को देवस्थान विभाग में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
108. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बांसधूनी के पास स्थित गौराजी की सारण को देवस्थान विभाग में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं. 30)</u>

109. प्रदेश के देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आने वाले अधिकांशतः मन्दिरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण उनके पुनरूद्धार के लिए अधिक राशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)</u>

110. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों को विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के प्रमुख मन्दिर जो देवस्थान विभाग के अधीन नहीं हैं, को देवस्थान विभाग के अधीन लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के दुधवा ग्राम पंचायत में स्थित श्री देवनारायण भगवान के मन्दिर में प्रतिक्षालय का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. प्रदेश में सीनियर सिटिजनों हेतु तीर्थ यात्रा वर्ष में दो बार करवाने की योजना शुरू करने तथा उस पैकेज में नेपाल (काठमाण्डू) के तीर्थ स्थलों को शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में काश्तकार जो मन्दिर माफी की जमीन पर जीवनयापन कर रहे हैं, को समय पर कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु देवस्थान विभाग/बोर्ड को एक निर्धारित प्रक्रिया तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)</u>

115. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में निर्माणाधीन नोनेरा बांध के कारण प्राचीन हनुमान मन्दिर (गांव सांगाहेड़ी) के गिरने का खतरा होने से सेफ्टी-वॉल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के टीलों पर स्थित मन्दिरों की मिट्टी कटने से मन्दिर गिरने की स्थिति को रोकने के लिये सेफ्टी-वॉल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्राचीन मन्दिर के लिए बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में 08 लेन हाईवे में अवाप्त मन्दिर की डोहली (जमीन) का मुआवजा पुजारियों को प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)</u>

119. जयपुर शहर के मन्दिरों का दक्षिण भारत के मन्दिरों की तर्ज पर विकास करने आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. प्रदेश के मन्दिरों में उनका निर्माण कराने वालों का इतिहास तथा मन्दिर के महत्व को जनता तक पहुंचाने के लिए मन्दिरों में स्क्रीन के माध्यम से व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. प्रदेश के मन्दिरों की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर दर्शनीय स्थलों में शामिल करते हुए परिवहन सेवाएं शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. प्रदेश के मन्दिरों में गौमाता के संरक्षण के लिये गोपालन विभाग के समन्वय से गौशालाएं विकसित करने हेतु विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिये।

123. प्रदेश के मन्दिरों में आध्यात्म की दृष्टि से वैदिक शिक्षा तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं. 82)

124. जोधपुर में देवस्थान विभाग में पंजीकृत संस्थाओं/ट्रस्टों/समितियों के चुनाव समय पर नहीं होने की लम्बित समस्त शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारित करने और पूर्व में ऐसे प्रकरणों को जानबूझकर लम्बित रखे जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेहि निर्धारित करते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. जोधपुर में विभाग के सभी मन्दिरों के रख-रखाव, आधुनिकीकरण हेतु एक मुश्त बजट राशि जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. देवस्थान विभाग की प्रदेश के बाहर स्थित देशव्यापी सम्पत्तियों के रख-रखाव एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वहां यात्री निवास आदि के संचालन हेतु कुशल प्रबन्धन की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. प्रदेश के मन्दिरों से प्राप्त आय को केवल मन्दिर विकास के लिये ही व्यय करने के कठोर प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. जोधपुर में विभाग के सभी मन्दिरों के रख-रखाव, आधुनिकीकरण हेतु एक मुश्त बजट राशि जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)

129. सुंधा माताजी मन्दिर, जसवंतपुरा (जालोर) का संचालन अम्बे माताजी मंदिर, अम्बाजी व श्रीनाथजी मन्दिर, नाथद्वारा (राजसमन्द) के तर्ज पर करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

130. देवस्थान विभाग द्वारा मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए बनाए गये ट्रस्टों के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिये।

131. प्रदेश में सरकार द्वारा देवस्थान के अधीन ट्रस्टों हेतु निःशुल्क या रियायती दरों पर आवंटित भूमि एवं सुविधाओं का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होने की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

132. देवस्थान विभाग द्वारा संचालित ट्रस्टों द्वारा राजस्व, वन एवं पर्यटक विभाग के निर्देशों के अनुरूप मन्दिरों के निर्माण राशि का उपयोग करने हेतु संयुक्त समिति बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)</u>

133. भरतपुर जिले में देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों की व्यवस्था सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)</u>

134. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सामोद बालाजी मन्दिर परिसर और धर्मशालाओं के विकास हेतु बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)</u>

135. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के सुरसुरा स्थित मन्दिर पर पैनोरमा बनाये जाने तथा बुहारू स्थित अन्नपूर्णा माता मन्दिर को देवस्थान विभाग के अधीन कर मन्दिर का नवनिर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)</u>

136. नागौर जिले की तहसील जायल के ग्राम गोठमांगलोद में 1600 वर्ष पुराने मां दधिमति माताजी के मन्दिर को राजस्थान के स्वीकृत प्रसिद्ध मन्दिरों की सूची में शामिल करने एवं मन्दिर में पूर्व में स्वीकृत हुए जीर्णोद्धार के कार्य को पुनः प्रारम्भ करने व पूर्ण विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)</u>

137. विधान सभा क्षेत्र शिव में देवका के सूर्य मन्दिर तथा किराडू के शिव मन्दिर को संरक्षित एवं संवर्धित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. प्रदेश में देवस्थान विभाग के अधीन पुजारियों का वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में वर्षों से मन्दिर माफी भूमि (डोली भूमि) पर निवासरत पुजारियों को कृषि के खातेदारी अधिकार देने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र शिव में बाबा गरीबनाथजी मन्दिर में सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिये।

141. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा के प्रमुख मन्दिरों एवं मठों को पर्यटन सर्किट से जोड़ने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)

142. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के मन्दिरों में गौमाता के संरक्षण के लिये गौशालाएं विकसित करने हेतु विभागीय पहल के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

144. देवस्थान विभाग में कार्यरत अंशकालिक पुजारियों को स्थायी किये जाने के संबंध में।

145. विधान सभा क्षेत्र कामां के बरसाना (उत्तर प्रदेश) स्थित राजस्थान सरकार के कुशल बिहारीजी मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु मन्दिर के हिस्से को होटल हेतु लीज पर दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. देवस्थान विभाग की प्रदेश के बाहर स्थित धर्मशालाओं में कमरों की ऑनलाईन बुकिंग प्रारम्भ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. देवस्थान विभाग में कार्मिकों की डी.पी.सी. समय से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति एवं रिक्त पदों का भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 47 - **पशुपालन एवं मत्स्य विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री समाराम (वि.सं. 175)

1. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में पशु चिकित्सकों को शीघ्र पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)

2. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आवारा पशुओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

3. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ग्राम पंचायत केजड़ मुख्यालय पर राजकीय ''अ'' श्रेणी पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय खोलने एवं दुधारू पशुओं के पालन पर अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के किसानों को वंचित योजनाओं का लाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु चिकित्सा सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चिकित्सा सुविधाएं दिये जाने और संचालित संस्थाओं को क्रमोन्नत करने एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के केजड़ तालाब पर मत्स्याखेट रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)

8. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में पशु चिकित्सा उप केन्द्र व पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन शीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)

9. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के नए पशुपालन केन्द्र हेतु नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पशु उप केन्द्र चाबा, तेना, सुवालिया, धीरपुरा, बेलवा खत्रियां, कनोडिया पुरोहितान, देवातू एवं लोड़ता हरिदासोता को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बालेसर को कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन विभाग में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)</u>

12. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बालेसर, शेरगढ़, आगोलाई, नाथड़ाऊ एवं सेखाला के जर्जर भवन की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर में एलएचए प्रशिक्षण केन्द्र/वेटेनरी डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

14. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों/उप केन्द्रों के भवन, बाउंड्री वाल बनाने और आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र धरियावाद में पशु चिकित्सा से संबंधित विभिन्न खाली पदों को भरे जाने की आश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु उप केन्द्र से वंचित सभी ग्राम पंचायतों में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु चिकित्सा अस्पताल (पशु उप केन्द्र) क्रमोन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के स्वीकृत पशु उप केन्द्र के लिए स्वयं की आवंटित भूमि पर भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
19. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना उपखण्ड पर स्थित पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय (रेफरल) पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)</u>

20. प्रदेश में किसानों को मछली पालन हेतु नि:शुल्क टैंक निर्माण एवं बीज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)</u>

21. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के पशुपालन केन्द्रों पर सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. प्रदेश में पशु बीमा योजना की किश्त में सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)</u>

24. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जिला पोलो क्लिनिक स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव तलवाड़ में पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांव कायसा नीमराणा में पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पशु चिकित्सालय एवं उप-पशु चिकित्सालय के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की ग्राम पंचायत खोहर मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

29. विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
30. विधान सभा क्षेत्र भीम में पशु चिकित्सालय की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में चिकित्सक एवं पशु सहायक लगाने एवं पशुपालकों को सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं. 117)</u>

32. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के पशु चिकित्सा उप केन्द्र मौजपुर (Mojpur) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
33. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पिनान (रैणी) के भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)</u>

34. प्रदेश में अच्छी नस्ल के पशु पालने के लिए लोगों को जागरूक करने तथा पशु खरीद पर कम ब्याज दर पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
35. विधान सभा क्षेत्र कपासन के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु औषधालय खोलने तथा पशुओं के ईलाज के लिए नि:शुल्क दवाईयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)</u>

36. प्रदेश में पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास तथा पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में अधिक कार्य कर पशुपालकों की आजीविका में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)</u>

37. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय मेड़ता सिटी को बहुउद्येशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।
38. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम चुंदिया, मोररा व जाटावास में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
39. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के पशु चिकित्सालय गोटन, रेणी, मेड़तारोड़ व जारोड़ा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं. 50)</u>

40. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालय में आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
41. गंगापुर सिटी जिले में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)</u>

42. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना पर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का जिला कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
43. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
44. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में संचालित पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र के लिये भूमि व भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
45. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नये पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
46. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में बेरी खुर्द, शेरानीआबाद, दौलतपुरा एवं पीड़वा के पशु उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)</u>

47. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में एमवीयू 1962 के तहत दो एम्बूलेंस को बढ़ाकर पांच किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डा. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

48. विधान सभा क्षेत्र बयाना में संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय करने एवं जमीन का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कालूराम (वि.सं. 31)</u>

49. विधान सभा क्षेत्र डग के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने, रिक्त पदों को भरने तथा डग के पशु अनुसंधान केन्द्र में गिर गाय की नस्ल लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)</u>

50. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पशु चिकित्सालय बीजासर व तारातरा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।
51. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवीन पशु उप केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
52. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित विभिन्न पशु केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के समस्त रिक्त पदों को भरे जाने तथा पशुओं की जांच हेतु लेबोरेट्री की स्थापना/सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
53. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में लम्पी बीमारी से मृत पशुओं के पशुपालकों को आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं. 155)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के ग्राम पंचायत हनुमान नगर पशु सब सेंटर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)</u>

55. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द, हुरडा तथा बदनोर में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

56. विधान सभा क्षेत्र आहोर में गुडा बालोतान में पशु चिकित्सा केन्द्र को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने एवं आईपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
57. विधान सभा क्षेत्र आहोर में शंखवाली एवं मेडाउपरला में पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
58. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी प्रथम श्रेणी चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पशुपालन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले पशु मेला तिलवाड़ा हेतु आवश्यक बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश के पशुपालन विभाग में कार्यरत पशुधन सहायक, पशु चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के वेतन में वृद्धि तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पशुपालन विभाग, बालोतरा पशु चिकित्सालय में आवश्यक दवाईयां एवं पशु चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के संबंध पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

63. प्रदेश में पशुओं का बीमा रजिस्ट्रेशन एवं पशुपालकों का बीमा करवाने के उपरान्त भी मुआवजा राशि नहीं दी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं. 91)</u>

64. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय व पशुधन उप केन्द्र के लिये भवन, डॉक्टर एवं पशुधन सहायक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पशुधन निःशुल्क दवा पशु चिकित्सालय व पशु उप केन्द्र पर उपलब्ध करवाने एवं पशु उपचार को गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. मुख्यमंत्री मंगल पशुधन बीमा को बढ़ाये जाने तथा कारगर ढंग से इस योजना को लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में मत्स्य उद्योग के लिए सुलभ ऋण स्वीकृत कर अनुदान देकर किसानों के लिए एक सुगम उद्योग के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अजय सिंह (वि.सं. 02)</u>

68. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्रत्येक ग्राम में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के उपखण्ड मुख्यालय डेगाना पर पौली क्लिनिक पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)</u>

70. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)</u>

71. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में विभिन्न स्थानों पर पशु चिकित्सालय केन्द्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं. 36)

72. विधान सभा क्षेत्र बगरू की नगर पालिका बगरू स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायत पंवालिया, सिरोली एवं अजयराजपुरा स्थित पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)

74. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नवीन उप पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने एवं उप चिकित्सा केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन करने एवं विभाग के स्वीकृत पदों के अनुरूप रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में पशुपालकों एवं पशुओं का बीमा करके लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)

76. विधान सभा क्षेत्र नोहर में पशु चिकित्सा उप केन्द्र 22 NTR, अरड़की, ललानियाँ एवं दलपतपुरा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने तथा भगवनसर, भावलदेसर नगरासरी चक देरदासपुरा में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. हनुमानगढ़ जिले में मत्स्य पालन हेतु सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र नोहर में पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उप केन्द्र के जर्जर भवन एवं भवन विहीन चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)

79. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम तेहनदेसर के पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व ग्राम चरला, दूंकर, उडवाला, बेरासर ब्लॉक सुजानगढ़ के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम चारियां, बाघसरा पूर्वी, ढिगरिया, सारंगसर, वेलाय में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं. 88)

81. प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में पशुपालन विभाग के पांच सौ पशु मित्रों को वेतन दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)

83. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पशुपालकों को बीमा एवं ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
84. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के तालाबों में मत्स्य पालन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
85. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पशु चिकित्सा के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
86. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पशुपालकों को मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
87. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पशुपालकों को उच्चतम क्वालिटी/नस्लों की जानकारी दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)

88. विधान सभा क्षेत्र भादरा में विगत पाँच वर्षों के दौरान लम्पी एवं अन्य महामारी की वजह से पशुधन नुकसान की भरपाई किए जाने के लिए पशुपालकों को उचित मुआवजा एवं सहायता राशि शीघ्र दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
89. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भवन रहित पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में शीघ्र भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
90. प्रदेश में पशुधन के संरक्षण हेतु चारा परिवहन को टोल फ्री करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
91. हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में पशु चिकित्सकों, V.A., L.S.A. एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
92. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय पशु चिकित्सालय गान्धीबडी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्र रासलाना को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

93. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम सराणा, कोटडा, भेराला एवं देलदरी में पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)

94. राज्य सरकार के द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय की अनुपालना में राज्य के पशुपालकों से गौमूत्र एवं गोबर खरीदने का कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत मुफ्त बीमा एवं मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चलित पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)

97. प्रदेश में पशु पालकों को पशुपालन पर मिलने वाले विशेष अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में पशु चिकित्सा केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सभी पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सभी पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)

101. जैसलमेर जिले में विभाग के पशुधन सहायकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. जैसलमेर जिले के प्रथम श्रेणी चिकित्सालय फतेहगढ़ को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. जैसलमेर जिले के औरण क्षेत्र एवं सेवण घास को चारागाह हेतु आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं. 66)

104. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शान्ती धारीवाल (वि.सं. 161)

105. राज्य में ऊंट एवं अन्य पशुओं के बचाव हेतु कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. प्रदेश के पशु चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े कंपाउण्डरों के पदों को भरने तथा ग्रामीण क्षेत्र में समय-समय पर पशु चिकित्सा कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)

108. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में भोपालपुरा, 85 HPD एवं मालेर में नये सब सेन्टर व ढ़ाबा घमण्डिया व ठुकराना सब सेन्टर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के पशु चिकित्सालयों/सब-सेन्टर में दवाईयों व स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. प्रदेश में भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशुपालकों के पशुओं को आपात नुकसान होने की घटनाओं/बीमारियों को आपदा राहत में शामिल कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. प्रदेश के सभी पशुपालकों के पशुओं का बीमा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)

112. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम झालरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द, तहसील किशनगढ़-रेनवाल में अवैध रूप से संचालित मुर्गी फार्म से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश भाकर (वि.सं. 118)

113. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में पॉली क्लिनिक के भवन निर्माण, कार्मिकों का पदस्थापन करने तथा भैंस प्रजनन फार्म बाकलिया को पुनः संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)

114. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित सभी पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)

116. कोटा जिले के मत्स्य पालकों का सर्वेक्षण किया जाकर मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम मवासा एवं कोलाना पशु चिकित्सा उप केन्द्र को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. कोटा जिले में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में स्थित पशु चिकित्सालय/उप केन्द्रों पर पशुधन के उपचार के लिए दवाईयां/सर्जिकल कन्ज्यूमेबल्स औषधियों की आपूर्ति की सुनिश्चितता निर्धारित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र से वंचित गाँवों को पशुधन आरोग्य चल इकाईयों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)

121. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा के सभी पंचायत मुख्यालयों पर नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
122. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा के पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
123. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के उपखंड मुख्यालय निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं. 106)

124. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पशु चिकित्सालय बांदीकुई को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
125. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
126. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने तथा नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
127. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के रेहडिया बांध में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
128. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पशुपालन विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)

129. राजस्थान मे दुधारू पशुओं की औसत दुग्ध उत्पादकता विश्व एवं अखिल भारतीय औसत से कम होने एवं उत्पादकता वृद्धि के प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
130. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के पशु चिकित्सालयों एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्रों में प्रयोगशाला सुविधा नहीं होने पर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
131. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने एवं इस प्रयोजन हेतु आवंटित भूखण्ड पर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

132. प्रदेश में पशु आहार की गुणवत्ता की नियमित जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
133. अजमेर संभाग मुख्यालय पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. प्रदेश में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. सरकार द्वारा गौशालाओं को देय 9 माह के अनुदान की राशि को बढ़ाकर 12 माह किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)

137. विधान सभा क्षेत्र आसपुर व उदयपुर एवं बांसवाड़ा सम्भाग में मत्स्य पालन के लिए आदिवासियों हेतु विशेष नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के सोम कमला अंबा बांध के टेण्डर में स्थानीय आदिवासिेयों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

139. विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के जाडण ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, पशु विज्ञान केन्द्र एवं भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र हाईवे पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के ग्राम कन्टालिया पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने एवं पशु चिकित्सा सहायक पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)

141. बाड़मेर में ऊष्ट्र अनुसंधान केन्द्र खोले जाने एवं ऊँटनी के दुग्ध अनुसंधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

142. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत मुख्यालय कराडी में पशु चिकत्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

143. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में भंवरगढ़ व रेलावन के पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)

144. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के पशु चिकित्सालय लिखमीसर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)

145. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एवं भिंटेरा और चरण सिंह नगर में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में लम्पी वायरस महामारी के कारण पशुधन की मृत्यु होने से गौपालकों/पशुपालकों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं, भवन निर्माण, मरम्मत कार्य, चिकित्सा सुविधा हेतु आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध करवाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी (झुंझुनूं) में स्थापित पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मांदरी को पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालय, जसरापुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा खेतड़ी में मुख्यमंत्री मंगल पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों के दुधारू पशुओं (गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि) का पशु बीमा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं. 53)</u>

150. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नए पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र में कार्मिकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खातौली पशु चिकित्सालय को ''अ'' श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्रत्येक गांव में पशुओं के लिए खेली निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)</u>

154. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं.185)</u>

155. विधान सभा क्षेत्र नोखा में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों व पशु चिकित्सा कर्मियों के पदों को भरने व लंबित चल रही पशु चिकित्सकों की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)</u>

156. प्रदेश में निष्क्रमणीय पशुपालकों को मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

157. प्रदेश में निष्क्रमणीय पशुपालक जो अपने मवेशियों को चराने (पालने) के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते है उनकी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा व बीमा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में निष्क्रमणीय पशुपालकों के मवेशियों की कई बार प्राकृतिक आपदा, कीटनाशक दवाईयों, जंगली जानवरों के हमले व सड़क हादसों में बडी संख्या में मृत्यु होने से मुआवजा राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
159. प्रदेश में ऊंटों के अनुदान में बढ़ोतरी व ऊंट को राज्य पशु घोषित किए जाने के बाद में आ रही समस्याओं व मुख्य जिलों में ऊंट अनुसंधान केन्द्र खोलने सहित ऊंटनियों के दूध हेतु डेयरी बूथ खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
160. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक व किसान (गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरी सहित अन्य पशुओं को पालते हैं) को पशुओं का टीकाकरण, टैंगिंग, बीमा, गर्भधान सहित अन्य सुविधाएं नि:शुल्क समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)</u>

161. प्रदेश में पशु चिकित्सा की उचित व्यवस्था के लिए अधिक पशु मोबाईल चिकित्सा वैन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
162. भरतपुर में पशु चिकित्सा की प्रभावी व्यवस्था के लिऐ दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
163. भरतपुर के पीपला एवं चिकसाना में पशु चिकित्सालय शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।
164. भरतपुर में पशु विज्ञान महाविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)</u>

165. आस्टी कलां (चौमूं) पंचायत में पशु चिकित्सालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)</u>

166. किशनगढ़ के प्रमुख दोतालाब गुन्दोलाव एवं हमीर सागर में जलकुंभी को हटाने व मछलियों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
167. प्रदेश में विभाग द्वारा नस्ल सुधार केन्द्र स्थापित करने एवं ग्राम पंचायत स्तर पर डॉक्टर एवं प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)</u>

168. विधान सभा क्षेत्र शिव के समस्त पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
169. विधान सभा क्षेत्र शिव के मुख्यालय शिव में पूर्व स्वीकृत पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण को शीघ्र करवाने एवं पशु चिकित्सालय भीयाड़ को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
170. विधान सभा क्षेत्र शिव के खबडाला, रोहिड़ाला, जैसिंधर गांव, तामलोर, कुबड़िया, रेड़ाना, रावतसर, हाथीसिंह का गांव, राणेजी की बस्ती एवं भाचभर में नवीन पशु

चिकित्सा उप केन्द्र खुलवाने एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्र गिराब, गूंगा, काशमीर एवं सियाणी को पशु चिकित्सालयों के रूप में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र शिव में ऊंट के दूध व सह-उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र शिव में राजकीय पशुधन सहायक महाविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)

173. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में पशु एम्बूलेंस उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के राजस्व ग्राम अमरपुरा में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के राजस्व ग्राम रावपुरा में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के पशु चिकित्सा उप केन्द्र घासीपुरा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के पशु चिकित्सा उप केन्द्र देवन को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

178. विधान सभा क्षेत्र कामां के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र कामां में पशुओं में फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सर्वे करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

180. प्रदेश में पशुओं की बीमारियों हेतु मोबाईल एम्बूलेंस का पुनः संचालन करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र कामां में सीमन बैंक की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र कामां के पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।